खण्ड-361, अंक-4
बुधवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(9 मार्च, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 361 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	497
प्रश्नोत्तर	....	503
तारांकित प्रश्न संख्या 13 के स्थानान्तरित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	....	517
इलाहाबाद सत्तर मिनहाजपुर हमला रोड़ पर कुल्दाबाद थाने के सामने नजूल की भूमि पर श्री जमीर अहमद द्वारा जबरदस्ती कब्जे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	575
उत्तर प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में बोगस दवाओं की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	576
मैडिकल कालेज झांसी में चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण एवं दवाओं के अभाव में रोगियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	576
मुडेरवा बाजार (बस्ती) में डाकुओं द्वारा लूटपाट एवं आतंक के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	577
थाना मिश्र बलिया (बस्ती) के विरुद्ध जनसभा को सम्बोधित करने वालों को पुलिस की साजिस से हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	577
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय) (संशोधन) विधेयक, 1982 ....(विधान परिषद से वापसी की सूचना)	....	578
उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 28-12-78 के उपवेशन में श्री राधेश्याम शर्मा, तत्कालीन सदस्य विधान सभा द्वारा तत्कालीन कृषि मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में कराई गई जांच तथा उसके परिणाम के बारे में वक्तव्य	....	578
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	....	579
1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 12 गन्ना विकास विभाग तथा अनुदान संख्या-13 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)....(स्वीकृत)	...	583
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	....	638
वित्तीय वर्ष 1982-83 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये)....		638

जनपद बहराइच में अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट (षष्टम) के न्यायालय के एक मुकदमें से सम्बन्ध एक वकील को पुलिस द्वारा अपमानित करने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ... 638

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) ... 643

नत्थियाँ 659

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 9 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्मसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—355

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खाँ नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी)
(उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित)
आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुवेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर, सिंह श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)

चन्द्रबली बह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारू चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदी लाल श्री, (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री(मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौढ़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूँ)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बदन सिंह, (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)

बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ब्रज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झाँसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मगरूर जाफरी, श्री (उर्फ शवरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूँ)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोतीलाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूँ)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन सिंह (एडवोकेट), श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)

राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
बिशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)

हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरिशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

संसद भवन

सत्यमेव जयते

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 9 मार्च, 1983 ई०

तारांकित प्रश्न

मिर्जापुर जिले में घाघरा पोषक नहर निर्माण परियोजना का त्रुटिपूर्ण डिजायन

***1—श्रीमती गौरी देवी—**

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले में घाघरा पोषक नहर निर्माण परियोजना के त्रुटिपूर्ण डिजायनों के बनाने से लगभग 1 करोड़ रुपये के दुरुपयोग होने के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मंडल, मिर्जापुर ने जुलाई, 81 में सरकार को सूचित किया था जिसके संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हाँ, तो कारण क्या है और नहरों की त्रुटिपूर्ण डिजायनों के निर्माण का क्या औचित्य है ?

उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, आप जरा मूल प्रश्न देखने का कष्ट करें । इसमें अधीक्षण अभियंता की सूचना का उल्लेख नहीं है उन्होंने यह सूचना जुलाई, 1981 को दी थी और यह प्रश्न 14-1-83 को शासन को पहुँच गया । तो क्या कारण है कि दो महीने में भी सूचना एकत्रित नहीं हो सकी । तो क्या इससे साबित नहीं होता कि सरकार भ्रष्टाचार को दबा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, सरकार की मंशा बिलकुल भ्रष्टाचार को दबाने की नहीं है । यह सूचना अभी नहीं आ पायी है इसलिए यह उत्तर दिया ।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूँ कि इसका उत्तर कब तक मिल जायेगा ? क्या इस सत्र में मिल जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है यह मिल जायेगा ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ, मिल जायेगा ।

सिचाई विभाग में तीन वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत कर्मचारियों का स्थायीकरण

*2 —**श्री रेवती रमण सिंह (अनुपस्थित)—**
श्री लल्लू सिंह चौहान (अनुपस्थित)—

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग में 3 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों को अभी तक स्थाई घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । पर्याप्त मात्रा में स्थाई पदों के उपलब्ध न होने तथा कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच लम्बित होने अथवा उनके अनुपयुक्त होने के कारण ऐसे कुछ कर्मचारियों को स्थाई नहीं किया जा सका है । उपलब्ध पदों के अनुसार समय-समय पर स्थायीकरण की कार्यवाही की जाती रहती है ।

जनपद कानपुर देहात के कतिय ग्रामों में भवसाना माइनर से पानी न मिलने से धान की फसल को कथित क्षति

*3 **श्री हरीकिशन श्रीवास्तव (अनुपस्थित)—**

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात में ग्राम टौडका-पुर, सुखाने वादा भवसाना की भूमि पर भवसाना माइनर द्वारा इस वर्ष पानी न मिलने के कारण धान की फसल सब सूख गयी है ? यदि हां, तो क्या उल्लिखित गांव के किसान सिचाई कर देने से इस वर्ष मुक्त कर दिये जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । पानी की कमी के कारण धान की फसल नहीं सूखी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रामपुर स्थित नसरत नगर डाम से भाखड़ा फीडर का निर्माण

*4—**श्री जयदीप सिंह बरार—**

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में स्थित नसरत नगर डाम से भाकड़ा बांध को पानी देने के लिए भाकड़ा फीडर का तीन चौथाई भाग बन चुका है परन्तु शेष एक चौथाई भाग जो ग्राम अलखदेवी जनपद नेनीताल में बनना है आज तक पूरा नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इस कार्य को तुरन्त पूरा करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद रामपुर में स्थित नसरत नगर डाम से भाखड़ा फीडर लगभग दो तिहाई भाग में बन चूकी है और एक तिहाई भाग में बनना शेष है । यह शेष 1/3 भाग जनपद नेनीताल के ग्राम अलखदेवी तथा ग्राम चन्देला जनपद रामपुर में पड़ता है । भूमि अध्याप्ति न हो पाने के कारण इस भाग में फीडर का निर्माण नहीं हो सका। भूमि अध्याप्ति के उपरान्त पूर्ण करा दिया जावेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि नसरत नगर डैम जो है उसमें पानी जरूरत से अधिक है और भाखड़ा डैम में कम रहता है। उसके लिए फीडर चैनल बनाने की योजना सिंचाई विभाग में थी तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि पानी जो वेस्ट हो रहा है उसका उपयोग करने के लिए फीडर का निर्माण कब कराया गया था और इसमें इतना समय क्यों लग गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह

मान्यवर, यह योजना 1968 में बनी थी और उसके बाद भूमि जहां उपलब्ध थी वहां तो बन गयी थी लेकिन जहां पर अवरोध पैदा किया गया और भूमि नहीं दी वहां पर काम नहीं हो पाया। जब तक भूमि नहीं मिल जाती तब तक कोई भी माइनर या फीडर बनना आसान नहीं होता है। इस भूमि का कुछ हिस्सा 69 में और कुछ हिस्सा 70 में मिला और जो भूमि नहीं मिली उसको अध्याप्त करने की कार्यवाही की जा रही है और कोशिश की जायेगी कि जल्दी फीडर बनाया जाय।

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय, मन्त्री जी ने बताया कि 1969 में इसका निर्माण प्रारम्भ किया गया अब 12 वर्ष का समय बीत चुका है। मैं सिर्फ इतना आश्वासन चाहता हूँ कि अगर भूमि को एक्वयार करने में देर हो तो उसका रिक्वीजीशन करके निर्माण तुरन्त कराया जा सकता है। तो क्या उसे रिक्वीजीशन करके निर्माण करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, रिक्वीजीशन करने के नियम बने है कि किन-किन परिस्थितियों में रिक्वीजीशन किया जा सकता है। नहर ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम यह करें। इसमें एक रास्ता हो सकता है माननीय सदस्य अगर मदद करें निगोशियेशन करा कर जल्दी से जल्दी तय करा दें ताकि जल्दी निर्माण हो सके।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो भाग नैनीताल में बनना था उस पर कुल कितना व्यय होना था और अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह तीन मील का फीड़र बनना था इसमें से 2/3 हिस्सा करीब बन चुका है और 1/3 भाग बनना है। कितना धन इसमें व्यय होगा यह मैं नहीं बता सकता हूँ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से आश्वासन चाहता हूँ कि क्या इस निर्माण कार्य को भूमि अध्याप्ति करके अतिशीघ्र करायेंगे चूँकि 12 साल तो बीत गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जितनी जल्दी हो सकेगी उसका मैं प्रयास करूँगा।

*5—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[15 वे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर में मौलागंज से नरकटहा तक नहर पटरी (डी० वाई० महाराजगंज) की सोलिंग हेतु स्वीकृत ईंट का टेंडर

*6—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में मौलागंज से मुजुरी होते नरकटहा तक की नहर पटरी (डी० वाई० महाराजगंज) की ईंट सोलिंग हेतु ईंटें इस समय खरीदी जा रही हैं तथा बीस प्रतिशत कमीशन पर घटिया ईंट का टेंडर या अनुबंध स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि मन्त्री जी जब प्रश्न दिया था उसके अनुसार उत्तर दे रहे हों, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय गोरखपुर में मौलागंज से मुजुरी होते नरकटहा तक की नहर पटरी की सीलिंग हो रही है कि नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो सवाल किया गया था उसमें कहा गया है कि अनुबंध स्वीकार किया गया, क्या कार्यवाही की गई, ईंटें खरीदी जा रही हैं, तो उत्तर दिया कि जो काम करना था उसमें टेंडर आये और जहाँ नहीं मिले वहाँ निगोशिएसंस करके विभाग के शिडयूल रेट से या कम बराबर में ही यह काम कराया जा रहा है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, इससे आपका संरक्षण चाहिए, यह पूर्ण रूप से काम मंत्री जी के क्षेत्र का है, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ और उनको भी हमारी मदद करनी चाहिये । मान्यवर, डी० वाई० महाराजगंज पर जहाँ से उनका क्षेत्र शुरू होता है, मेरे क्षेत्र को काटकर, उसके नहर पटरी की ईंट सोलिंग करा रहे हैं लेकिन मैं मन्त्री जी को जानकारी देना चाहता हूँ कि सिंचाई स्थायी समिति में मैंने इस मामले को उठाया था तो मंत्री जी, उसके अध्यक्ष हैं, ने कहा था कि उस क्षेत्र को भी ले लेंगे । इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में नहर पटरी की सोलिंग कराने के लिये विभाग ने क्या कोई मापदंड बनाया है ? यदि नहीं, तो अपने क्षेत्र के लिये ऐसा क्यों किया गया और अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा क्यों की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया था कि वहाँ जर्दी डोंगरा बाँध है और बंधे पर जाने के लिये बरसात में परेशानी होती है और यह एरिया उससे मिला है, यह कहा गया कि बाकू एरिया में पहुँचने के लिये क्या किया जाय तो इस बीच में जो मिलता है उसमें सोलिंग

का काम कराया जा रहा है। यह नहीं कि किसी का भेदभाव किया जा रहा है, इसलिये मा० सदस्य को भ्रम नहीं करना चाहिये।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, हमारे यहाँ चेहरी बाँध है और उससे हमारे क्षेत्र को जाने के लिये नहर की पटरी पड़ती है जिससे वहाँ भी बरसात में परेशानी होती है, तो जैसी स्थिति मंत्री जी के क्षेत्र की है उसी प्रकार की स्थितियाँ मेरे क्षेत्र एवं प्रदेश में और जगह भी हैं, तो क्या मंत्री जी मेरे क्षेत्र में जहां-जहाँ यह स्थितियां हैं वहाँ नहर की पटरियों की ईंट की सोलिंग करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसमें धन है कि नहीं उसको भी देखना पड़ता है, इसलिये धन है तो इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री नंद किशोर सिंह—

मान्यवर, गंडक नहर गोरखपुर देवरिया में थोड़े इलाके में है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब पैसे का अभाव है तो वह अपने इलाके में जैसे सोलिंग करा रहे हों उसी आधार पर देवरिया जिले के मुख्य नहरों में पटरियों की सोलिंग कराने की क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मंत्री जी का, जो उस क्षेत्र के विधायक के साथ मंत्री हैं, यह पता है कि वहां आपके क्षेत्र में आपके स्वजातीय लोग घटिया और पतली किस्म की ईटें उस काम में लगा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्या इसके लिये आप विभिन्न दलों के एक-एक सदस्य को लेकर एक समिति बनाकर वहाँ पर समिति से जाँच कराने को तैयार हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुझे इसकी बिलकुल जानकारी नहीं है। जितना चिन्ता इसके लिये उनको है उससे अधिक चिन्ता हमको है। और जैसा कि वह स्वयं कहते हैं वह हमारे क्षेत्र का काम है तो उसके लिये हमें खुद चिन्ता होगी, उसको चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

हमीरपुर तथा बांदा की बाढ़ को रोकने हेतु योजनाओं पर विचार

*7—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर बांदा में हर वर्ष बाढ़ आती है जिससे जनजीवन अस्तव्यस्त हो जाता है ? यदि हां, तो क्या बाढ़ के पानी को रोकने के लिये कितने मिनीडेम (छोटे बांध) बनाये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हमीरपुर जिले में यमुना तथा वेतवा नदी में अधिक पानी आने पर बाढ़ आती है। इसी प्रकार केन नदी में अधिक पानी आने से बांदा शहर बाढ़ से प्रभावित होता है। वेतवा यमुना तथा केन प्रदेश की बड़ी नदियां हैं। इस कारण इन नदियों पर कोई मिनी डैम (छोटे बांध) बनाना न तो व्यावहारिक ही है और न प्रस्तावित है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

यह वेतवा, यमुना व केन नदी पर इतनी भयंकर बाढ़ प्रतिवर्ष आती है कि उससे बांदा और हमीरपुर के हजारों लोगों की जान जाती है और हजारों एकड़ फसल का नुकसान होता है, इस बाढ़ का मुख्य कारण यह है कि जो वेतवा नदी माताटीला बांध के आगे की ओर बढ़ती है, तो उसमें कोई पांच—शहजाद, सजनाम, जामने, धसान व जमडार, नदियां आकर मिलती हैं, जिन पर बड़े-बड़े बाँध बने हुए हैं। तो मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इन बाँधों के बनने के बाद जो पानी बहकर हमीरपुर और बाँदा जाता है, उसको सुरक्षित करने के लिये कोई दूसरा नजदीक में बाँध बनवाने का वह प्रयत्न करेंगे ? और जो परीक्षा झुकवा-सुकवा बाँध बना हुआ है, जिनके कारण से पानी निकलकर बाढ़ के रूप में आ जाता है, उसकी वह बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह बात सही है कि यह नदिया मध्य प्रदेश के काफी कैचमेंट एरिया से होकर गुजरती हैं। हमारा यह प्रयास है और हम मध्य प्रदेश सरकार से बात भी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिल कर बैठकर योजना बनावें ताकि मध्य प्रदेश और बुन्देलखण्ड का जो सूखा एरिया है, उसकी सिंचाई हो सके। इसके लिये कई बार मुख्यमंत्रियों की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन उससे कोई खास नतीजा नहीं निकला है। इतना अवश्य तय हुआ है कि बड़े-बड़े जो कार्य—बाँध बनाए जायें, वे दोनों की राय से बनाये जायं। अब भी हमारी बात चल रही है. राजघाट बाँध बनाया जा रहा है और केन बहुउद्देशीय योजना के नाम से योजना बन रही है, उस पर भी हम मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, अपने प्रदेश में जहाँ हम आवश्यकता समझते हैं रिजरवायर्स बनाये जाते हैं, हम उसका सर्वे कर रहे हैं. जहाँ पर ऐसा हो सकता है, हम कराने की कोशिश करेंगे।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

जिन स्थानों पर यह बाढ़ आती है, वहाँ पर पीने और सिंचाई के पानी का बहुत ही अभाव है, तो मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि आपने जो राजघाट बांध दिया है, वह झांसी जनपद के बहुत आगे है, लेकिन जो हमीरपुर और बांदा में बाढ़ आती है, वह इन पाँच नदियों के कारणआती है जिस बाढ़ को रोकने के लिये लाखों रुपया खर्च किया जाता है, जो भ्रष्टाचार में बह जाता है। तो मैं मन्त्री जी से स्पष्ट जानकारी चाहता हूं कि जो राजघाट के आगे झाँसी जनपद में परीक्षा झुकवा-सुकवा बांध बना हुआ है, उसकी बढ़ोत्तरी करके या कोई नया नजदीक में ऐसा बाँध बनवायेंगे, जहाँ पर नहरों के द्वारा पानी को सुरक्षित किया जा सके ? क्या आप इसके लिये कोई निश्चित योजना बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, अभी जो मैंने एक मीटिंग की थी, उसमें विस्तारपूर्वक बुन्देलखण्ड के विधायकों ने बैठकर देखा कि कहाँ पर क्या हो सकता है, छोटे-छोटे रिजरवायर, लिफ्ट

कैनाल बना कर उस एरिया की सिचाई की जाय, जिस तरह से बन सकता है, मान्यवर, उसके लिये हम सर्वे करा रहे हैं और बहुत से मान्यवर, बन भी रहे हैं। तो मान्यवर, जो माननीय अग्निहोत्री जी की मंशा है, उसको सरकार स्वयं कर रही है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का 2/3 भाग बाढ़ से प्रभावित होता है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि कौन-कौन सी नदियाँ हैं, जो बाढ़ से उत्तर प्रदेश के 2/3 भाग को प्रभावित करती हैं और उसकी रोक के लिये माननीय मन्त्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, हमीरपुर पूरा शहर तीन नदियों से घिरा हुआ है, पूरा शहर डूब गया, माननीय नश्तर साहब की जेल डूब गयी, वहाँ के कैदियों को उन्नाव इन्होंने भेजवाया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमीरपुर जनपद को डूबने से बचाने के लिए क्या माननीय मंत्री जी कोई बड़ा बाँध बनाने की योजना बनाई है ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह उत्तर में दिया गया है कि राजघाट बेतवा नदी पर बना है। यह मैंने कहा कि यमुना तथा बेतवा नदी की बाढ़ से हमीरपुर नगर को बचाने के लिये रु० 49-00 लाख की लागत के प्रौजेक्ट के अन्तर्गत रु० 44-00 लाख रु० की लागत से यमुना नदी के दाहिने किनारे पर 500 मीटर की लम्बाई में तथा बेतवा नदी के बांये किनारे पर 500 मीटर की लम्बाई में स्टोन पिचिंग का कार्य कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त रु० 13-80 लाख के प्रौजेक्टर के अन्तर्गत बेतवा नदी पर ही 260 मीटर की लम्बाई में स्टोन पिचिंग का कार्य कराया जा रहा है जो कि लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

मान्यवर, हमीरपुर शहर को बचाने के लिए जो कुछ काम है, वह हम कर रहे हैं। जहाँ पर रिजरवायर बन सकते हैं, कौन सी एरिया हम सब-मर्ज करें, क्योंकि जो जमीन बेकार होती है, उसी को हम डुबो सकते हैं, तो मान्यवर, हम उसका सर्वे करावेंगे, उसको देखेंगे कि कहाँ पर क्या हो सकता है ?

बाल विकास परियोजना हेतु मुख्य सेविकाओं की नियुक्ति के लिये साक्षात्कार तथा आय सीमा में परिवर्तन

***8—श्री विद्या सागर नौटियाल**—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समन्वित बालाहार परियोजना के हेतु मुख्य सेविकाओं की नियुक्ति के लिए 1982 में कितनी बार साक्षात्कार आयोजित किये गये ? इन साक्षात्कारों में अलग-अगल समय पर अभ्यर्थनियों की आयु सीमा क्या-क्या निर्धारित की गई ? क्या अब यह आयु सीमा 22 से बढ़ा कर 33 वर्ष कर दी गई है यदि हाँ, तो बार-बार आयु सीमा बदले जाने का क्या कारण है तथा क्या सरकार इसे फिर से निर्धारित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

वर्ष 1972 में बाल विकास परियोजनाओं हेतु मुख्य सेविकाओं की नियुक्ति के लिए 2 बार साक्षात्कार आयोजित किये गये ।

इन साक्षात्कारों में मुख्य सेविकाओं के लिये 18 से 33 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई थी ।

जी नहीं । आयु सीमा 25 से बढ़ाकर 33 वर्ष की नहीं की गई है बल्कि 25 से 33 वर्ष की गई है ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ । माननीय मंत्री जी का उत्तर ऐसा है श्रीमन् कि "कौन न समझे खुदा करे कोई हम पूछेंगे हाले दिल" और आप फरमाते हैं क्या, मैंने पूछा था मान्यवर, कि समन्वित बालाहार परियोजना के हेतु मुख्य सेविकाओं की नियुक्ति के बारे में, माननीय मंत्री का उत्तर आता है बाल विकास परियोजनाओं हेतु मुख्य सेविकाओं की नियुक्ति के लिए दो बार साक्षात्कार आयोजित किये गये । मान्यवर, पहले यह बात साफ हो जाय कि यह समन्वित बालाहार परियोजना और बाल विकास परियोजना क्या एक ही चीज हैं अथवा क्या यह अलग-अलग हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह जो लास्ट में शब्द हैं कि 25 से 33 वर्ष की गयी है । यह ठीक हैं क्या ?

श्री गुलाब सेहरा—

ठीक है ।

श्री अध्यक्ष—

अब विद्यासागर नौटियाल जी, के प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, बालाहार योजना असली नाम नहीं है । नाम है बाल विकास परियोजना, इस योजना का नाम यही है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि दो बार साक्षात्कार आयोजित किया गया तो यह किन-किन तारीखों पर किया गया है । इन तारीखों पर जो साक्षात्कार आयोजित किया गया उसका नतीजा कब-कब निकला । मान्यवर, जैसा आपने इंगित किया है कि 25 से 33 वर्ष कर दिया गया तो क्या यह ठीक है, माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर दिया कि वह ठीक है । मैंने यह प्रश्न किया है कि आयु सीमा को बदलने का क्या कारण है ? पहले आयु सीमा 18 से 33 वर्ष की थी । मंत्री जी के विभाग ने अब वह सीमा बदल कर 25 वर्ष से 33 वर्ष कर दी है । तो 18 से 25 वर्ष के बीच में आने वाली अभ्यर्थिनियों को माननीय मंत्री जी ने हटा दिया । इस प्रश्न का भी स्पष्टीकरण दे दें ।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, अप्रैल, 1982 में जो साक्षात्कार हुआ उसमें 18 से 33 वर्ष तक आयु सीमा थी । दूसरा साक्षात्कार अगस्त सितम्बर, में हुआ उसमें भी आयु सीमा 18 से 33

वर्ष थी । लेकिन इन दोनों साक्षात्कार में जो नियुक्तियां की गयीं तो जो लड़कियां 18, 19, 20 साल की थीं वह देहात में ज्वाइन करने नहीं पहुँचीं । तो यह देखा गया कि प्रौढ़ महिलाओं को भेजा जाय तो अच्छा हो । तो जो 18 से 33 वर्ष की थीं उनको लिया गया लेकिन जो नया इन्टरव्यू 1983 में हुआ उसमें 25 से 33 वर्ष की आयु सीमा थी ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी इसको देखें, इसमें उत्तर लिखा है "आयु सीमा बढ़ाकर 33 वर्ष की नहीं की गयी ।" आगे फिर दोहरा रहे हैं । "बल्कि 25 से 33 वर्ष की गयी है ।" एक तरफ कहते हैं कि नहीं की गयी है फिर कहते हैं कि की गयी है ।

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूँ । पुनः विचार करके कार्यवाही करें ।

रानीखेत कैन्टोन्मेंट बोर्ड के विद्यालय के हरिजन छात्रों को छात्रवृति तथा पुस्तक सहायता

***9—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट**—

क्या सरकार कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 से 20-11-82 तक रानीखेत कैन्टोमेंट बोर्ड के प्राइमरी तथा माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति एवं पुस्तक सहायता नहीं दी गई ? यदि हाँ, तो क्यों ? अब कब तक भुगतान हो जाने की आशा है ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मैंने 24-11-82 को यह प्रश्न किया था । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि रानीखेत कैन्टूनमैंट बोर्ड का जो विद्यालय चल रहा है उसमें हरिजन छात्र शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं या नहीं करते हैं ।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, मैंने पहले कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

सरजू नहर परियोजनान्तर्गत स्वीकृत बस्ती शाखा लाइन का निर्माण

***10—श्री रामस्वरूप वर्मा**—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरजू नहर परियोजना अन्तर्गत जिला बस्ती में बस्ती शाखा की लाइन श्री गौरीकांत मिश्र, मुख्य अभियन्ता द्वारा संशोधन के साथ 25-3-80 को अनुमोदित कर दी गयी थी ? यदि हाँ, तो उक्त नहर के अब तक न बनने का कारण क्या है ।

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

बस्ती शाखा के क्रमशः कि० मी० 99-200 से कि० मी० 102-800, कि० मी० 111-800 से कि० मी० 111-800 एवं कि० मी० 116-00 से कि० मी० 118-800

में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। शेष भाग में निर्माण कार्य भूमि अधिग्रहण के पश्चात कराया जायेगा जिसकी कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अधिग्रहण कार्यवाही में बिलम्ब होने के कारण क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, डुमरियागंज में चकबन्दी हो रही है और किसानों की मांग है कि चकबन्दी से जमीन छुड़वाकर नहर निकाली जाय, माइनर निकाली जाय, यह माँग काफी आयी है, काफी लोगों से आयी है, जनप्रतिनिधियों से आयी है, तो चकबन्दी से जमीन छूट सकती है, तो उसके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पर चकबन्दी से जमीन नहीं छूट सकती है, चकबन्दी नहीं हो रही है, वहाँ अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर इसमें पहले प्रयास हुआ था और आप देखें कि कुछ रीचों में, जहाँ जमीन पर लोगों से बातचीत करके सम्पर्क करके अधिग्रहण किया गया, वहाँ पर कार्य प्रारम्भ भी हो गया जहाँ पर चकबन्दी हो रही है वहां पर जमीन लेने की बात चकबन्दी पूरी होने के बाद जमीन मिलने की बात है, या जहाँ पर लोग तैयार नहीं है वहाँ पर अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है, इसलिए इसमें बिलम्ब हुआ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

माननीय मंत्री जी मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है किसी विशेष व्यक्ति के दवाब पर मंत्री जी के पास लोग आए थे और इसलिए आपने स्थगित कर दिया क्यों कि उसमें किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की जमीन आ रही थी, बस्ती के, इसलिये उसमें स्थगित किया गया ? यदि नहीं, तो जो मुख्य अभियन्ता ने लाइन बनायी है, तो सदन में यह आश्वासन देंगे, कि उसी लाइन पर नहर निकाली जायेगी।

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसमें शिकायत आयी थी कि जो एलाइनमेंट है, एलाइनमेंट बाद में बदल दिया गया। यह शिकायत है तो एक बार लाइन खींच दी जाती है और अगर बाद में लाइन बदल दी जाती है, तो उससे लोगों में भ्रम हो जाता है कि एसा क्यों हो रहा है, इसे क्यों बदला जा रहा है जो नहर जिस एलाइनमेंट से निकलनी है, वहीं से निकलेगी। यह किसी के दवाब में बदल दी जाय, ऐसी बात नहीं है।

श्री माता प्रसाद राण्डेय—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक लाइन जो निकली है, वही रहेगी, ऐसी बात नहीं। मान्यवर, मेरे यहां रोज दूरबीन, फीता और माप यंत्र लेकर पूरे क्षेत्र में मापबन्दी हो रही है। इनके विभाग के अधिकारी वहाँ तहलका मचाये हुए हैं। वह निशान लगायेंगे एक तरफ और नापेंगे दूसरी तरफ, तो पूरा कार्यालय इन शिकायतों से भर गया है। मैं माननीय मन्त्री जीं से यह जानना चाहता हूँ कि जहाँ चकबन्दी हो रही है, चकबन्दी वाले गाँवों से कितनी जमीन नहर के लिए निकलनी है, क्या इसका निर्देश चकबन्दी विभाग को देंगे और जो भी परमानेन्ट व्यवस्था इनकी है, उसकी घोषणा और जो लाइन है, वह वही रहेगी, इसकी भी घोषणा सदन में करने का कष्ट करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले कहा कि जो एलाइनमैंट तय कर दिया जाय, उसे जनरली नहीं बदलना चाहिए। लेकिन अगर उसे किन्हीं कारण से बदलना है तो उसके लिए पहले वहाँ के लोगों को इस बात के लिए सटिफाई कर लेना चाहिए कि उसे इस कारण से बदला जा रहा है, इससें नहर टेढ़ी हो रही है, या नीचे बहुत जा रही है, या इससे सिंचाई ठीक से नहीं हो सकती है। तो, सैटिसफाई लोगों को इसमें करना बहुत जरूरी है, यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो वह गलत काम करता है। जहां तक, माननीय माताप्रसाद पाण्डेय जी की बात है, तो मैं आदेश दूँगा कि कोई ऐसी कार्यवाही न की जाय, जिससे लोगों को कठिनाई हो।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैंने प्रश्न यह पूछा था कि गौरी कान्त मिश्र, मुख्य अभियन्ता ने संशोधित करके जो सबसे अच्छी लाइन बनायी थी, जो वाटर शेड लाइन पर चलती है, उस सम्बन्ध में सदन में आश्वासन देने का कष्ट करेंगे कि लाइन वही रहेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह जो वर्मा जी बात कह रहे हैं आश्वासन देने का सवाल नहीं है। नहर का एलायनमेंट जहाँ से हैं वहीं से जायेगी। लेकिन अगर किसी की शिकायत आती है तो शासन की जिम्मेदारी है कि वह उसकी जांच करायें और जब तक शिकायत कर्त्ता को सेटिस्फाई न कर दें तब तक न बनाई जाय। शासन की कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे सिचाई में बाधा पड़े।

श्री मलिक मुहम्मद यूसुफ—

मान्यवर, मैंने आपसे भी अनुरोध किया था। मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ हमारे तहसील के अन्दर चकबन्दी हो रही है। तमाम गांव में चकबन्दी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे यहाँ के एस. ओ. सी. और डी. डी. सी. ने कई बार नहर विभाग के अधिकारियों की लिखा है कि फलाँ-2 गाँव में चकबन्दी हो रही है आप हमको नक्शा दे दें किस गाँव से कितनी जमीन लेनी है। 10 प्रतिशत के अन्दर आती है तो ठीक है नहीं तो उसको सामूहिक कटौती निकाल देंगे। क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि 10, 15, 20, 25 एक महीने के अन्दर चकबन्दी अधिकारियों को यह नक्शा उपलब्ध करा देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा जितनी जमीन लेनी है चकबन्दी विभाग को बता दिया जायेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा –

मैंने मंत्री जी से स्पष्ट सवाल पूछा था कि जो मुख्य अभियन्ता ने लाइन बना दिया है क्या उसको बदलने का सरकार का विचार है। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है माननीय लोकपति त्रिपाठी के कोई रिश्तेदार हैं उनका दबाब पड़ रहा है उनका 100 एकड़ का फार्म है जिसके बीच से होकर वह जा रही है। अगर बदलने का विचार नहीं है तो जो नक्शा बनाया गया है उसको घोषित कर दें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

कोई ऐसा दवाब नहीं है लेकिन जो वर्मा जी कह रहे हैं उसको दिखलवा लेंगे ।

महान क्रान्तिकारी स्वर्गीय श्री मणीन्द्र नाथ बनर्जी की स्मृति में केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में स्मारक बनाने की माँग

*11—**श्री विमल प्रसाद तिवारी—**

क्या कारागार मँत्री बताने की कृपा करेंगे कि 20 जून, 1934 को केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में महान क्रान्तिकारी मणीन्द्र नाथ बनर्जी ने 66 दिन की लम्बी भूख हड़ताल के उपरान्त अपने प्राणों की आहुति दे दी थी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस वीर क्रान्तिकारी की स्मृति में केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में कोई स्मारक बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जेल एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)—

महान क्रांतिकारी स्वर्गीय श्री मणीन्द्र नाथ बनर्जी का निधन दिनांक 20 जून, 1934 को केन्द्रीय काराकार, फतहगढ़ के चिकित्सालय में हुआ था । 66 दिन की लम्बी भूख हड़ताल के उपरान्त उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसका उल्लेख उक्त कारागार में उपलब्ध अभिलेखों में नहीं है ।

शासन ने निर्णय लिया है कि स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान देश की विभूतियों द्वारा प्रदेश के कारागारों में व्यतीत किये गये जीवन की याद ताजा रखने के लिए जेलों में उनके स्मृति पटल लगाये जायें ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहूँगा उन्होंने लिखा कि महान क्रान्तिकारी मणीन्द्र नाथ बनर्जी की अनशन से सदाहत हुई इसके सम्बन्ध में कारागार में उपलब्ध अभिलेखों में कोई विवरण नहीं है । क्या उनके साथ जो जेल में रहे हैं श्री मनमत नाथ गुप्त, श्री राजकुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री अजय कुमार सिन्हा और उनके सगे भाई बसन्त कुमार बनर्जी जो नैनीताल में निवास कर रहे हैं उनसे जानकारी प्राप्त करके कि 20 जून, 1934 को भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई और उससे यह तथ्य सिद्ध हो जाय तो क्या मंत्री जी इस महान क्रान्तिकारी की जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति अन्याय से लड़ते हुए दे दिया उसके कोई मूर्ति स्थापित करके, उनकी मृत्यु के दिन को शहीद मेला के बारे में सम्मिलित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

शासन ने यह निर्णय लिया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद को ताजा रखने के लिये हर कारागार में स्मृति पटल लगाया जाय । इस वित्तीय वर्ष में हमने 14 जिलों को लिया है इसमें एटा भी शामिल है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, जो प्रश्न किया था वह यह है कि जो लोग उनके साथ जेल में रहे हैं, जब इनका विवरण नहीं मिल रहा है, उनसे पूछकर कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अब्दुल रहमान खाँ नश्तर—

मान्यवर सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक (संक्षिप्त परिचय) में वाराणसी के श्री मोनी बनर्जी यह नाम कदाचित श्री मणीन्द्र नाथ बनर्जी के लिये प्रयुक्त किया गया प्रतीत होता है, के सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लेख पृष्ठ 528-529 पर किया गया है ।

"मोनी बनर्जी हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहे, जो देश को आजाद कराना चाहती थी और समाजवाद की स्थापना करना चाहती थी चाहे इसके लिये किसी भी उपाय का सहारा लेना पड़े । सन् 1928 में आप बनारस के खुफिया विभाग के सहायक पुलिस कप्तान की हत्या के प्रयास से सम्बद्ध रहे और इस कारण 10 वर्ष कड़ी कैद की सजा पाई । फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल में सजा काटते हुये अनशन किया और उसी में प्राण त्याग दिये । यह सूचना विभाग की पुस्तक से तथ्य मिला है । मान्यवर, इनके प्रति हम सबका आदर है । हमारे देश में इतने महान क्रान्तिकारी हुई है इनकी यादों को कायम करना, इनकी यादों को मनाना हमारे देश का हर नागरिक चाहता है । इसमें दो राय नहीं कि उनकी यादों को कायम नहीं करना चाहते हैं । उन्होंने प्रश्न यह किया था कि 66 दिन की भूख हड़ताल से मृत्यु हुई इसका उत्तर दिया कि विभाग को जो रिकार्ड है उसमें ऐसा नहीं है । लेकिन जाँच के दौरान सूचना विभाग की किताब से स्पष्ट मालूम हुआ । इनकी यादों को मनाने के लिये ताजा रखने के लिये जो भी उचित कार्यवाही होगी उसको शासन करेगा । आज हम सब उनकी कुरबानी की बदौलत पैदा हुए हैं ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि सूचना विभाग की पुस्तिका से तथ्य प्रमाणित हुए कि महान क्रान्तिकारी स्वर्गीय मणीन्द्र नाथ बनर्जी का निधन फतेहगढ़ जेल में हुआ था । मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे जनपद के लिये और इस प्रदेश के लिये यह गौरव की बात है । माननीय मन्त्री जी ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश की विभूतियों द्वारा प्रदेश के कारागारों में व्यतीत किये गये जीवन की याद की ताजा रखने के लिये जेलों में उनके स्मृति पटल लगाये जायें । मान्यवर, जब यह बात सिद्ध हो गई कि स्वर्गीय मणीन्द्र नाथ बनर्जी ने जेल में सहादत प्राप्त की और ऐसी विभूतियाँ बहुत कम हैं । क्या माननीय मंत्री जी उक्त कारागार में कोई मूर्ति स्थापित करने का आदेश देंगे ?

श्री अब्दुल रहमान खाँ नश्तर—

शासन विचार करेगा ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में आज हम सब जिनकी बदौलत इस सदन में बैठे हैं । इसी तरह केन्द्र में मान्यवर, केन्द्रीय मंत्री बैठे हैं । यह कितनी दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है कि एक विधायक से लेकर प्रधानमंत्री तक, जो लोक सभा में बैठी हैं, 35 वर्ष हो गये···

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें । इस प्रकार से मैं आज्ञा नहीं दूंगा । समय कम है ।

श्री मोती लाल देहलवी—

आलोचना नहीं कर रहा हूँ ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री मोती लाल देहलवी—

35 वर्ष हो गये, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आजतक हम यह नहीं जान पाये कि हमारी आजादी के लिये कौन-कौन लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी । मैं जानना चाहता हूं । माननीय तिवारी जी ने केवल यह प्रश्न किया ···

श्री अध्यक्ष—

आप क्या प्रश्न कर रहे हैं, महाराज ?

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, अगर उनके बारे में जेल में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है तो माननीय तिवारी जी ने जो उनके साथियों के नाम गिनायें हैं, क्या आप उनसे जानकारी करेंगे कि श्री मणीन्द्र नाथ जी बनर्जी सन् 34 में शहीद हुये थे जेल के अन्दर ।

श्री अध्यक्ष—

यह हो चुका है ।

गांधी जयन्ती के अवसर पर उ० प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खरीददारों को स्वीकृत रिबेट का खादी संस्थाओं को भुगतान

*12—**श्री भगवती सिंह विशारद**—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1980-81 तथा वर्ष 1981-82 में उ.प्र. राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने गाँधी जयन्ती के अवसर पर खादी संस्थाओं के माध्यम से फुटकर खरीदारों को 5 प्रतिशत छूट प्रदान की थी ? यदि हां, तो दी गई छूट का भुगतान खादी संस्थाओं को अब तक न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । शासन द्वारा खादी रिबेट के भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, को जो धनराशि स्वीकृत की गयी थी उससे अधिक रिबेट क्लेम प्राप्त होने के कारण सभी संस्थाओं को खादी रिवेट की धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका है । इसके लिए द्वितीय अनुपूरक माँगों से व्यवस्था की जा रही है ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 80-81 तथा 81-82 में प्रथम प्रथक कितनी कितनी धनराशि की रिबेट खादी संस्थाओं को प्राप्त हुई और इनके भुगतान हेतु कितनी धनराशि की माँग की गयी थी तथा शासन द्वारा बोर्ड को कितनी धनराशि प्रदान की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

80-81 में 46 लाख 22 हजार, 81-82 में 45 लाख 24 हजार की छूट के लिये शासन ने प्राविधान किया था । बाद में यह कहा गया कि इससे काम नहीं चलेगा, ज्यादा

रिवेट दी जाय । जो सूचना बाद में प्राप्त हुई उसके अनुसार 80-81 में 91 लाख 4 हजार अतिरिक्त प्राप्त हुआ । 81-82 में एक करोड़ रुपया अतिरिक्त रिवेट के लिये आया । जो देने का प्रयोजन था उतना कंर दिया गया । अतिरिक्त जो आया उसके लिये कहा कि सप्लीमेंट्री में आ रहा है उसके बाद दे दिया जायेगा ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या माननीय मन्त्री जी खादी ग्रामौद्योग बोर्ड के प्रसाशक को निर्देशित करने की कृपा करेंगे कि जो छोटी छोटी संस्थायें हैं जिनको 10-10, 5-5 हजार का कमीशन है, उनको तुरन्त भुगतान कर दिया जाय ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

मैंने कहा कि जब पैसे की व्यवस्था कर दी जायेगी तो जो संस्थायें हैं उनको भी दे दूंगा ।

श्री भीखालाल—

मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी भी व्यवस्था है कि जो यह खादी संस्थायें हैं. कमीशन की डिमांड करती हैं, उनकी चेकिंग की जाय कि वास्तविक सेल कितनी हुई और कमीशन कितने पर मांगा जा रहा है । शिकायत यह है कि वास्तविक सेल कम होती है । फर्जी सेल दिखाकर ज्यादा कमीशन की डिमांड की जाती है । इससे सरकार के आंकड़े फेल हो जाते हैं ।

श्री बीर बहादुर सिंह—

इस पर विचार किया जायेगा ।

*13—**श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल**—

[14 वे मंगल में तारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा स्थानीय विक्रेताओं से क्रय किये गये बसों के चेसिस

*14—**श्री हुकमसिंह**—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 81-82 में उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों के कुल कितने चैसिस क्रय किए गए ? क्या ये चैसिस सीधे निर्माताओं से क्रय न कर बिचौलियों के माध्यम से क्रय किए गये ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण था ?

परिवहन एवं पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1981-82 में बसों की कुल 650 चेसिस क्रय की गयी । ये चेसिस निर्माताओं के स्थानीय अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से क्रय की गयी क्योंकि निगम को सीधे निर्माताओं से क्रय करने की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के अधिकृत विक्रेताओं से क्रय करने में उत्तर प्रदेश का कन्सेशनल बिक्रीकर उपलब्ध होने के कारण चेसिस सस्ती पड़ती है ।

श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने जो 650 चेसिस का क्रय किये हैं इसमें से प्रत्येक चेसिस का कितना मूल्य आपको देना पड़ा और उसमें जो स्थानीय विक्रेता थे उनका कितना कमीशन था। दूसरा बिक्रीकर में आपको जो छूट मिली है उससे कितना लाभ आपको मिला ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो 650 चेसिस खरीदी गई हैं वे स्थानीय अधिकृत विक्रेताओं से खरीदी गई हैं। सीधे निर्माताओं से खरीदने में, टाटा, जमशेदपुर से 13 परसेन्ट का सेल टैक्स अदा करना पड़ता है, ले लैण्ड, मद्रास से सीधा लेने में 15 परसेन्ट सेल्स टैक्स देना पड़ता है इसलिये उत्तर प्रदेश के जो अधिकृत विक्रेता हैं उनसे 4 परसेन्ट सेल-टैक्स कन्सेशनल रेट में ये चेसिस मिले हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, जो प्रश्न किया गया है उसी का उत्तर दें।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि चेसिस आपने जो स्थानीय विक्रेताओं से खरीदी हैं, उनको कितना कमीशन दिया है और सेल-टैक्स के रूप में जो छूट मिली है तो उसमें और सेल-टैक्स में कितना अन्तर है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, कमीशन की मुझे जानकारी नहीं है उसके लिये नोटिस देकर, मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दिनाँक 1-4-1981 को जो चेसिस ले-लैण्ड से खरीदी गई, उस एक की कीमत 1 लाख 7 हजार 876 रुपया थी और अगर मद्रास से सीधा खरीदते तो 1 लाख 76 हजार 996 रुपये में एक चेसिस मिलती है और इसी तरह से टाटा से लेते तो दिनाँक 1-8-1981 को एक चेसिस की कीमत 1 लाख 39 हजार 398 रुपये थी इस प्रकार स्थानीय टाटा से सीधा खरीदने में एक चेसिस 1 लाख 47 हजार 118 रुपए में पड़ी थी।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मेरा सीधा प्रश्न यह है कि परिवहन निगम द्वारा कुल बसें कितनी खरीदी गईं और ये सीधे निर्माताओं से न खरीद करके बिचौलियों के माध्यम से खरीदी गई। मेरा सवाल यह है कि भारी रकम कमीशन की दी है इसमें आपका हिस्सा है और बिचौलियों का भी है। सीधे निर्माताओं से खरीदते, भले ही आपको जो सेल्स टैक्स की बचत हो जाती थी तो वह राज्य सरकार को चली जाती मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या आपने निर्माताओं से सम्पर्क करके, जो चेसिस की सप्लाई करते थे, उनके रेट की जानकारी की होगी और स्थानीय विक्रेताओं से भी जानकारी की होगी यदि जानकारी की है, तो उनके रेट्स में क्या अन्तर है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो उनके बिक्री केन्द्र हैं, वहाँ से वे चेसिस नहीं देते हैं। उनके जी डीलर हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हीं के माध्यम से वे देते हैं। मान्यवर, यह जो आरोप कमीशन का है

यह सर्वथा असत्य है और इसमें कोई बल नहीं है ।

श्री पंचानन राय—

मा० मन्त्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया कि दाम कम इसलिये पड़ा कि सेल्सटैक्स कम देना पड़ा, तो यह तो उत्तर प्रदेश सरकार का ही घाटा हुआ । इन्होंने कहा कि 13 प्रतिशत सेल्सटैक्स टाटा को देना पड़ता और 4 प्रतिशत यहाँ देना पड़ता । प्रश्न यह है कि सीधे अगर इन्होंने नेगोशियेट किया होता जहाँ से उत्पादन होता है तो कितना पड़ता और जिस मीडियेटर के माध्यम से खरीदा उससे कितना रेट पड़ा ? यह बता दें कि सीधे नेगोशियेट क्यों नहीं किया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने स्पष्ट किया है कि सेल्सटैक्स उत्तर प्रदेश को नहीं मिलता, जो 15 प्रतिशत या 13 प्रतिशत मिला है वह तो वहीं की राज्य सरकारों को मिला है और उत्तर प्रदेश में जो 4 प्रतिशत सेल्सटैक्स है, वह उत्तर प्रदेश की सरकार को मिला है, वह तो हमारा ही लाभ हुआ है । मैंने बता दिया कि टाटा से सीधे खरीदने में कितने में एक चेसिस पड़ती और विक्रेताओं द्वारा खरीदने में कितने में पड़ी, वह हिसाब तो मैंने दे दिया । यह सर्वथा सही नहीं है कि इसमें उत्तर प्रदेश को किसी प्रकार का घाटा हुआ है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मा० मन्त्री जी ने यह भी पता लगाया है कि जो चेसिस विक्रेताओं के जरिये मिली हैं, वे पुरानी हैं और उनको रंगकर दे दिया गया है, इसीलिये सस्ती मिली हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं, कोई भी चेसिस पुरानी नहीं है ।

प्रदेश के कारागारों में बन्दियों के लिए ठेकेदारों से भोजन की आपूर्ति अथवा भोजन बनाने वालों को नियुक्त करने की मांग

*15—**श्री मित्रसेन**—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कारागारों में अन्य प्रदेशों की भाँति बन्दियों को बाहरी ठेकेदारों द्वारा पके पकाए भोजन की आपूर्ति अथवा पाकशाला में स्थाई भोजन बनाने वाले की नियुक्ति करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

जी नहीं क्योंकि ये कदम लोकतांत्रिक और व्यवहारिक नहीं होंगे ।

श्रमायुक्त उ०प्र० एवं पंच निर्णायक द्वारा राज्य वस्त्र निगम की अकबरपुर कताई मिल के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय को निगम की अन्य मिलों पर लागू किये जाने की मांग

*16—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि 8 अप्रैल 1982 को श्रमायुक्त उ०प्र० एवं पंच निर्णायक द्वारा राज्य वस्त्र निगम की सूती मिलों के मजदूरों के बारे में दिया गया निर्णय निगम की आठों मिलों में लागू किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्नगत पंच निर्णय का संबंध केवल उ०प्र० राज्य कताई मिल्स कम्पनी (नं० 1) की अकबरपुर इकाई से है अतः इसे अन्य सात मिलों पर लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम आसरे वर्मा—

8 अप्रैल, 1982 को श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा जो एवार्ड दिया गया, उसे राज्यपाल की अनुमति से 26 जनवरी, 1982 के गजट में भी प्रकाशित किया गया। उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम की 8 मिलें हैं और एक मिल के प्रतिनिधियों के माध्यम से यह निर्णय हुआ। इस एवार्ड को जारी कराने में मा० जैतली साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम द्वारा प्रदेश की मिलें संचालित हो रही हैं, उनका मैनेजमेंट एक है, एम०डी० एक है, इण्डिस्ट्रियल रिलेशन्स आफीसर एक है, सर्विस कण्डीशन्स एक जैसी हैं। इन सब के रहते हुए जो एवार्ड श्रमायुक्त द्वारा जारी किया गया, गजट में जिसको प्रकाशित किया गया, उसको अन्य मिलों पर भी लागू न किये जाने का क्या कारण है? कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिससे अन्य मिलों पर इसे लागू करने में कठिनाई अनुभव हो रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, अकबरपुर कताई मिल के मजदूरों की समस्यायें थीं। उनके समाधान के लिये पंच निर्णय बैठाया गया और वहाँ के अकबरपुर की कताई मिल के जो अधिकारी हैं और लेबर यूनियन के जो संरक्षक हैं, इन्होंने और श्रमायुक्त ने बैठकर विचार-विमर्श करके तय करके एक एवार्ड दिया। यह एवार्ड अकबरपुर से सम्बन्धित था। जो माँग आयी थी, 31 मागें इन्होंने रखी थीं, जो कि अकबरपुर से सम्बन्धित ज्यादा थीं। यह हो सकता है कि किसी माँग का सम्बन्ध किस मिल पर पड़ेगा, यह अकबरपुर के लिये ही बैठाया गया था।

श्री राम आसरे वर्मा—

जो एवार्ड जारी किया गया था, उसकी दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। इसमें लिखा था कि वेतन वृद्धि का मामला केवल इस प्रतिष्ठान तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह कम्पनी की दूसरी इकाइयों को भी प्रभावित करेगा। वस्त्र निगम की जो दूसरी इकाइयाँ हैं उनको भी प्रभावित करेगा। इसके साथ-साथ जब राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर से गजट में प्रकाशित कर दिया गया, तो चाहे बात दो के बीच की हो या तीन के बीच की, चाहे अकबरपुर इकाई का हो या दूसरी कोई का, उद्देश्य क्या रह जाता है, इसे एक ही इकाई तक सीमित रखा जाय? वही कठिनाई दूसरी मिलों के मजदूरों को भी है, तो सब जगह इस अवार्ड को लागू करने का कष्ट करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सरकार कोई वेतनमान तय करता है, या कोई बढ़ोत्तरी करता है तब तो सब पर समान रूप से लागू होता है लेकिन इसमें बहुत-सी मांगे स्थानीय थीं, उसे सभी मिलों पर लागू नहीं किया जा सकता।

श्री प्रियदर्शी जैतली—

इत्तिफाक से इस अवार्ड से मेरा गहरा संबंध है। एक हिस्सा तो प्रबन्धकों द्वारा···

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री प्रियदर्शी जैतली—

एक तो प्रबन्धकों द्वारा पक्षपात पूर्ण तरीके से प्रताड़ित करने का है दूसरे श्रमिकों के वेतन मान का । जो मिला है वह अकबरपुर में लागू होगा लेकिन बाकी जो अवार्ड है, जिसमें साफ लिखा है कि श्रमिकों के मामले में कोई विवरण एवं संबंधित पत्रजात पंच निर्णय के समक्ष नहीं होने के कारण किसी प्रकार का निर्णय दिया जाना सम्भव नहीं है इसलिए यह उचित होगा कि कम्पनी के प्रबन्धक निदेशक इन सब श्रमिकों के मामले पर पुनर्विचार करके इस अवार्ड की प्रसिद्धि के एक माह में अन्तिम निर्णय ले लें तथा उस पर श्रमायुक्त का अनुमोदन प्राप्त कर लें···

श्री अध्यक्ष—

आप केवल प्रश्न किया करें ?

श्री प्रियदर्शी जैतली—

इस अवार्ड का अकबरपुर में पूर्णतया पालन नहीं किया गया तो जिन लोगों ने नहीं किया, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? सुख सुविधाओं से संबंधित है, आठों मिलों पर लागू कराने के लिए इस सदन में आश्वासन देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

स्थानीय बातें जो जैतली साहब बताते हैं, पक्षपात किया गया, क्या-क्या हुआ, तो जो भी अवार्ड दिया गया है उसके तहत कार्यवाही हो रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अकबरपुर के अवार्ड में सर्विस कण्डीशंस और वेजेज, दोनों ही सन्निहित थे और उत्तर में स्वीकार भी कर लिया है कि वेजेज में अन्तर भी है । तो क्या मंत्री जी सदन में आश्वासन देंगे कि वेजेज की समानता के लिए वेजेज-बोर्ड गठित करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ऐसी कोई बात आयेगी तो विचार किया जायेगा ।

श्री खैरूल बशर—

मऊ नाथ भंजन की स्पिनिंग मिल के अन्दर जो अवार्ड हुआ उस को लागू करने के लिए कर्मचारियों ने सभा की, प्रदर्शन किया, तो लाठियों से उनको मारा-पीटा गया । इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो मुअत्तल भी किये गये हैं, उनकी मुअत्तली को समाप्त कर, मुअत्तली का पैसा देंगे और जो अवार्ड है उसको लागू करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हुआ । 12 बज गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

स्पष्टीकरण के लिए माननीय सदस्य गण पहले बहुत भूमिका बनाते हैं, जिससे सदन का कार्य समय से नहीं हो पाता है । इसलिए हमारा आप लोगों से निवेदन है कि भूमिका कम बनाया करें और प्रश्न को डायरेक्ट रूप में ज्यादा किया करें और भविष्य में इसका ध्यान करें ।

बस्ती जिले के कूड़ा धांधी नदियों के द्वावे में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत नलकूप निर्माण

*17 — **श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय**—

क्या सरकार वताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के कूड़ा धोंधी नदियों के द्वावे में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत नलकूप लगाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु विश्व बैंक योजना (प्रथम चरण) के अन्तर्गत बस्ती जिले में नलकूप लगाने का प्राविधान नहीं है । अतः बस्ती जिले के कूड़ा धांधी नदियों के द्रावे में विश्वबैंक योजना (प्रथमचरण) के अन्तर्गत नलकूप लगाने पर विचार नहीं किया जा सका है । विश्वबैंक योजना (द्वितीय चरण) के चालू होने पर प्रश्नगत स्थल पर नलकूप लगाने हेतु सर्वेक्षण के उपरान्त विचार करना सम्भव हो सकेगा ।

जनपद पिथौरागढ़ में मैग्नासाइट खनिज के भण्डार तथा खनन कार्य हेतु क्षेत्र का आंवटन

*18—**श्री चारुचन्द्र ओझा**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ में किन-किन स्थानों पर मेगनिसाइट के भण्डार हैं और खनिज पदार्थ निकालने के लिए क्षेत्र आवंटन करने के लिए क्या शासन ने कोई मानक बनाये हैं ? यदि हां तो वे मानक क्या है ? क्या इन मानकों में स्थानीय व्यक्तियों या कम्पनियों को प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद पिथौरागढ़ में चंडाक छेड़ाधारी, बजटी, डंडूतल्ली, सागंड़ी तथा देवलथल क्षेत्रों में मेग्नेसाइट खनिज के भण्डार उपलब्ध हैं । खनन कार्य हेतु क्षेत्र का आवंटन करने के लिये भारत सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा उसके अन्तर्गत खनिज परिहार नियमावली, 1960 बनाने गये हैं । उक्त अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र की तिथि मे क्षेत्र स्वीकृत हेतु प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान है । उक्त अधिनियम एवं नियमों में निर्धारित किये गये मानकों में स्थानीय व्यक्तियों या कम्पनियों को प्राथमिकता दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

ग्राम मीरपुर, जिला मेरठ में श्री राधा बल्लभ ठाकुर जी मन्दिर के महन्त द्वारा भूमि को अपने संबंधियों के नाम करने पर कथित क्षति

*19—**श्री नरेन्द्र सिंह**—

क्या समाज कल्याण मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम मीरपुर व तिल वाड़ा पट्टी परगना छपरौली तहसील बागपत, जिला मेरठ में श्री राधाबल्लभ ठाकुर जी के मन्दिर के नाम चकबन्दी के समय लगभग 103 बीघा भूमि थी तथा क्या यह सत्य है कि गत दो तीन वर्षों में उक्त मन्दिर के महंत ने मान्दिर की भूमि को अपने संबंधियों के नाम पर गैर कानूनी हिबेनामे आदि कर मंदिर की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्पत्ति को बचाने हेतु क्या कार्यवाही की ?

श्री गुलाब सेहरा—

ग्राम तिलवाड़ा पट्टी, जिला मेरठ में चकबन्दी के समय मन्दिर श्री ठाकुर जी महाराज तिलवाडा पट्टी के नाम 11-1-7 बीघा भूमि थी जो अब भी उक्त मन्दिर के नाम खतौनी साल 1389-94 फसली में अंकित है। ग्राम मीरपुर में चकबन्दी के समय मन्दिर ठाकुर श्री राधाबल्लभ द्वारा महन्त राम नरायण चेला बलदेवा दास निवासी हेवा के नाम भूमिधारी में जो० च० आकार पत्र नं० 45 में 92-14-9-15 बीघा अंकित थी जिसका हिबैनामा उक्त महन्त द्वारा सन् 1967 ई० में अपने संबंधियों के नाम कर दिया था और इसका दाखिल खारिज सक्षम न्यायालय परगनाधिकारी, बागपात के आदेशानुसार उसी वर्ष हो गया था। गत दो-तीन वर्षों में उक्त मन्दिर के महन्त की उक्त भूमि को अपने संबंधियों के नाम हिबैनामा आदि करके मन्दिर की सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुंचाई है। मंदिर की सम्पत्ति को जो क्षति हुई है, वह सन् 1967 ई० में ही हो चुकी है।

देवरिया नहर देवीपुर तथा विशुनपुर ड्रेन पर कथित पुल निर्माण

*20—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 19-4-82 को कोई पत्र देवरिया नहर देवीपुर तथा विशुनपुर ड्रेन (गोरखपुर) परपुल निर्माण कराने हेतु दिया था ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

जी हाँ।

देवरिया नहर के देवीपुर टोला परतावल (गोरखपुर) के पास साइफन का निर्माण उपयुक्त न पाये जाने के कारण इसके स्थान पर इनलेट का निर्माण करा दिया गया है।

बिशनपुर ड्रेन पर कोई पुल स्वीकृत नहीं है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विकास कार्यों के निमित्त जनपदों को धन आवंटन करने का आधार

1—श्री जयदीप सिंह बरार**—

प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या की विषम समस्या से निपटने के लिए क्या सरकार सभी जनपदों में विकास कार्यों के निमित्त धन आवंटन एवं पूंजी निवेश करते समय इन

जनपदों की जनसंख्या की बढ़ोत्तरी की पिछले 10 वर्ष की औसत दर से उल्टे अनुपात (इनवर्स रेशो) का सिद्धान्त तय करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

जी नहीं ।

विकास कार्यों के निमित्त जनपदों को धन आवंटन करने का आधार उनकी जनसंख्या और आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उनकी प्रगति का स्तर स्वीकार किया गया है । केवल जनसंख्या में हुई बढ़ोत्तरी की औसत दर से उल्टे अनुपात के सिद्धान्त के आधार पर धन आवंटन करने से बढ़ती हुई जनसंख्या की विषम समस्या से नहीं निपटा जा सकता है ।

श्री जयदीप सिंह बरार —

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में मैं पहले दो बातें और कहना चाहूँगा और मा० मंत्री जी स्वयं इस बात को महसूस करते होंगे कि यह बढ़ती हुई देश एवं प्रदेश की जनसंख्या से उत्पन्न विषम समस्याओं से निपटने के लिये स्वयं भारत सरकार में संविधान के अनुच्छेद 81 व 82 में परिवर्नन किये गये हैं, जिसमें 1972 की जनसंख्या पर आज की बढ़ती हुई जनसंख्या को पेनालाईज्ड किया है यह सिर्फ आज की बढ़ती हुई जनसंख्या के दानव से निपटने के लिए किया गया है, क्या इसी को आधार मानने हुए मा० मंत्री जी अपने यहाँ कम आबादी वाले जनपदों को ज्यादा और अधिक आबादी वाले जनपदों को कम विकास कार्यों के निमित्त धन आवंटन एवं पूँजी निवेश के निर्धारण की नीति को अपनायेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

इसमें असमर्थता शासन ने व्यक्त की है क्योंकि इससे बढ़ती हुई जनसंख्या पर कई नियंत्रण नहीं है और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने की व्यवस्था और बढ़ जायेगी ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए पहले ही धन का निर्धारण मानक के अनुसार पहले ही कर लिया जाता है । मैं यहाँ पर केवल मा० मंत्री जी से यह निवेदन करुँगा कि पिछली जनसंख्या को मानकर विकास कार्यों में सहायता देने में क्या प्रशासनिक कठिनाई है, क्या उसका समय-समय पर हिसाब रखने में कोई कठिनाई उत्पन्न होगी । जबकि सन् 72 की जनसंख्या के आधार पर ही पिछला मानक अलग से निर्धारित है ही ।

श्री ब्रह्म दत्त—

इस प्रकार का कोई भी निर्णय करते समय आखिरी जनसंख्या को लेते हैं, 10 साल पहले की जनसंख्या को नहीं ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, पिछली 10 साल की जनसंख्या के आधार को मानकर जब भारत सरकार ने संविधान में संशोधन तक कर लिया है और इसके अंतर्गत विकास कार्यों के निमित्त धन का आवंटन कर रही है तो प्रदेशीय सरकार को ऐसा करने में क्या आपत्ति है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

इस संबंध में लोक सभा एवं अन्य स्थानों की विकास के कार्यों की नीति और जनसंख्या के नियंत्रण की दूसरी बात है और इसमें आर्थिक मसला भी इन्वाल्व है।

सेवारत राज्य कर्मचारियों को प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट दिए जाने का विचार

**2 **श्री भगवानदीन कुशवाहा तथा—
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवारत राज्य कर्मचारियों को लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न सरकारी सेवाओं हेतु आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिए जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हाँ, तो सम्बन्धित आदेश कब तक निर्गत कर दिए जायेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी) —

(क) ऐसी एक मांग हाल ही में प्राप्त हुई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार।

(ग) निर्णयोपरान्त अपेक्षित कार्यवाही की जायगी।

श्री भगवानदीन कुशवाहा —

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह परीक्षण कब तक पूर्ण हो जायेगा ? दूसरी बात यह कि परीक्षण का कार्य पूर्ण होने के तुरन्त बाद क्या आप उस पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, परीक्षण में बहुत से कार्यों को पूरा करना है। यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे 10 साल हो या 5 साल हो परन्तु छूट देने का प्रश्न है। लोक सेवा आयोग से भी इस संबंध में बातचीत करनी है लेकिन जहाँ तक कार्यवाही करने का प्रश्न है यह प्रश्न के भाग "ग" में लिख दिया गया है कि परीक्षण समाप्त होने के बाद कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में कि परीक्षण किया जा रहा है तो इस सन्दर्भ में क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन के पास कर्मचारियों की मांग इस संबंध में आयी है कि उन्हें आयु सीमा से कुछ छूट दे दी जाय ? तो क्या सरकार इस बिन्दु पर सहमत है या परीक्षण ही पूर्ण कराया जा रहा है ? यदि सरकार स्वीकार करती है तो फिर परीक्षण कराये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, अभी सरकार के स्वीकार करने या न करने का प्रश्न नहीं उठता है जब तक किसी चीज को समझ न लिया जाय। बहुत सी बातों के परिपेक्ष में विचार करना

होता है। सारी बातों को बिना देखे कि इस पर सरकार सहमत है या असहमत है, यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक चीज का एम्जामिनेशन हो रहा है, उसके बाद ही कोई बात सामने आ पायेगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप यह स्पष्ट करेंगे कि जो शासन को कर्मचारियों के मांग पत्र प्राप्त हुए हैं उसके कितने दिनों के बाद आपने उस पर विचार करना शुरु किया है ? क्या उसमें यह भी स्पष्ट है कि सामान्य लोगों के लिये शासन ने कुछ अवधि लोक सेवा आयोग की प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में बैठने के लिये बढ़ा दी है, तो ऐसे ही कार्यरत कर्मचारियों ने भी उसी के ही भांति आयु सीमा में छूट दिये जाने की मांग की है ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह मांग-पत्र शासन को 5-1-83 को प्राप्त हुआ था। हर जगह पर शासनादेश हो गये हैं कि 28 साल से आयु सीमा 30 वर्ष कर दी गयी थी। जो अभी माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद जी ने पूछा है 10 साल की छूट के बारे में, तो मांग-पत्र में 5 साल की छूट दिये जाने जाने की बात कही गयी है। जहाँ तक विचार-विमर्ष के बाद परीक्षण पूर्ण होने की बात है, तो वह कब शुरु किया गया तो जो पत्र मिला था तो एक बिन्दु सामने आया। कोई भी शासन का ध्यान आकर्षित कराता है तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उस तरफ ध्यान दें और उसे पूरी तरह से आंके।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

यह परीक्षण किस स्तर से हो रहा है। क्या इसके लिये कोई उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है या किसी व्यक्ति के द्वारा यह कराया जा रहा है। परीक्षण की कोई समय सीमा भी आपने निर्धारित की होगी, तो वह क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

अभी परीक्षण शुरु की मंजिल में है और यह सचिव स्तर पर हो रहा है। उस मांग पत्र में कुछ अन्य राज्यों का हवाला दिया गया है उसी के सन्दर्भ में वहाँ की स्थिति को भी पता करना है तथा उसी के साथ ही साथ लोक सेवा आयोग से भी बात करनी है। तो सारी टेक्निकल और फैक्चुअल इनफारमेशन्स ले कर सारा परीक्षण सचिव स्तर पर हो रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की भी जानकारी है कि भारत सरकार ने भी इस तरह के कुछ डाईरेक्टिव प्रिंसिपिल्स आपके पास भेजे हैं कि लोक सेवा आयोग की परीक्षओं में बैठने वालों को छूट दी जाय। तो क्या इस सन्दर्भ को ध्यान में रख कर आप आयु सीमा में छूट देने पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

ऐसी कोई डाईरेक्टिव सूचना हमें नहीं है।

नोट :—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गोरखपुर स्थित जर्दा डोमरा बांध के निर्माण में अध्याप्त की गई भूमि तथा मुआवजा

1—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद स्थित जर्दा डोमरा बांध के निर्माण में जनवरी, 74 में किसानों की भूमि अध्यापित कर ली गई थी ? यदि हां, तो क्या जिन किसानों की भूमि अध्यापित की गयी थी उन्हें उनकी अपनी भूमि का मुआवजा सितम्बर, 82 तक नहीं प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो किसानों को मुआवजा मिलने में विलम्ब का कारण क्या है और कब तक मुआवजा प्रदान कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोरखपुर जनपद स्थित जर्दा डोमरा बांध के निर्माण में जनवरी 1974 में किसानों की भूमि अध्याप्त नहीं की गई। तथापि बांध हेतु किसानों की ली गयी भूमि का मुआवजा सितम्बर 1982 तक नहीं दिया जा सका है क्योंकि भूमि अध्याप्ति के लिए आवश्यक धारा 6(1) की विज्ञप्ति का प्रकाशन अभी नहीं हो सका है। धारा 4(1) की विज्ञप्ति हो चुकी है। धारा 6(1) की विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात कृष्कों को लगभग 2 माह के अन्दर मुआवजा का वितरण कर दिया जायेगा।

2—श्री प्रभू नरायण सिंह—

[8 वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 137 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ड्रेनेज एवं बाढ़ डिवीजन, गोरखपुर के अधिकारियों के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

3—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा
श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1 ले बुध के ता० प्र० सं० 2 तथा अता० प्र० सं० 163 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कोई जांच रिपोर्ट शासन को मिली ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है एवं इस संबंध में तत्काल क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ड्रेनेज एवं बाढ़ डिवीजन, गोरखपुर के अधिकारियों के विरुद्ध श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के शिकायती पत्र दिनांक 3-11-81 एवं 2-12-81 पर सतर्कता जांच रिपोर्ट प्राप्त प्राप्त हो गई है।

जांच रिपोर्ट में सभी आरोप निराधार पाये गये हैं। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

सर्वश्री वीरेन्द्र प्रताप शाही व भृगुनाथ चतुर्वेदी के शिकायती पत्रों की जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

जनपद जालौन में राजकीय नलकूपों की नालियों की मरम्मत करके कृषकों को जल आपूर्ति

4—श्री शंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन में सरकारी नलकूपों की अधिकतर नालियाँ तथा पाइप लाइन टूटी पड़ी होने के कारण किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी अविलम्ब व्यवस्था करेगी ?

श्री बहादुर सिंह—

जनपद जालौन में मार मिट्टी के क्षेत्र में स्थापित राजकीय नलकूपों की नालियाँ क्षतिग्रस्त हैं जिसके कारण पानी के वितरण में कठिनाई है। परन्तु नालियों की मिट्टी से मरम्मत करके कृषकों को पानी दिया जा रहा है।

5—श्री जटा शंकर सिंह -

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गढ़वाल एवं कुमायूं मंडल विकास निगमों को आलू, सेब आदि फलों के विपणन का लक्ष्य, लक्ष्य के विपरीत कार्य, विपणन करने वाले कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर हुआ व्यय तथा मंडल को हुई हानि

6—श्री कुंवर सिंह नेगी तथा
डा० शिवानन्द नौटियाल—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 और 1982 में गढ़वाल एवं कुमायूं मंडल विकास नियमों को अलग-अलग आलू, सेब आदि फलों के विपणन का क्या लक्ष्य निर्धारित था ? लक्ष्य के विपरीत कितना कार्य किया गया ? कितना व्यय विपणन करने वाले कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर हुआ और अन्त में प्रत्येक मंडल को कितनी हानि या लाभ हुआ है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वित्तीय वर्ष 1981-82 में गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा आलू, सेब आदि फलों के विपणन हेतु 820 मे० टन का लक्ष्य निर्धारित था। इसके विपरीत निगम द्वारा 539 मे० टन की पूर्ति की गई। विपणन करने वाले कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर 56, 523 रुपये व्यय हुआ। निगम को सेब तथा नीबू प्रजातीय फलों के विपणन से 30,047.58 रु० की हानि हुई।

कुमायूं मण्डल विकास निगम द्वारा 1981-82 में सेब आलू आदि फलों के विपणन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। निगम द्वारा वर्ष 1981-82 में 13 क्विंटल सेब का व्यापार किया गया। इस कार्य हेतु निगम द्वारा कोई अतिरिक्त स्टाप नहीं रखा गया था। निगम को इस कार्य में 1981-82 में एक हजार रुपये की हानि हुई।

जनपद गोरखपुर में आमी नदी के किनारों को, तटबन्धों के द्वारा बांधने की योजना

7—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में आमी नदी के दोनों किनारों के तटबन्धों के द्वारा बाँधने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो

इस योजना पर कब से कार्य प्रारम्भ होगा ? क्या यह सच है कि आमी नदी के किनारों को बांध द्वारा बांधने की योजना जनता पार्टी के शासन काल में स्वीकृति हो गई थी। परन्तु अभी तक इस पर कार्य प्रारम्भ न होने के कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

यह योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति के विचाराधीन है। समति के अनुमोदन के उपरान्त उक्त योजना का परीक्षण गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड पटना द्वारा किया जायेगा। तत्पश्चात् उसकी स्वीकृति योजना आयोग से प्राप्त की जायेगी।

यदि इस प्रकार इसी स्वीकृति हो जाती है तो धन की उपलब्धता के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

मैनपुरी खण्ड, लोअर गंगा नहर के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार में माइनरों, डिस्ट्रीब्यूट्रीज व नहरों पर कराये गये कार्य

8—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के मैनपुरी खंड (लोअर गेंगीज) में वर्ष 81-82 तथा वर्ष 82-83 में ग्रामीण योजना रोजगार के अन्तर्गत किन-किन माइनरों, डिस्ट्रीब्यूटरीज, नहरों पर क्या-क्या कार्य किया गया ? उक्त कार्यों पर पृथक पृथक कितनी धनराशि व्यय की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैनपुरी खण्ड, लोअर गंगा नहर के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में वर्ष 1981-82 तथा वर्ष 1982-83 में निम्नलिखित कार्य माइनरों, डिस्ट्रीब्यूटरीज व नहरों पर कराये गये हैं।

वर्ष 1981-82

1 विभिन्न माइनरों पर सिल्ट क्लीयरेन्स, किनारों का सुदृढ़ीकरण एवं सेवामार्ग की मरम्मत का कार्य रु० 0.736 लाख।

2 विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटरीज पर सिल्ट क्लीयरेन्स, वर्म कटिंग, किनारों का सुदृढ़ीकरण एवं सेवा मार्ग की मरम्मत का कार्य रु० 7-551 लाख।

3 विभिन्न नहरों पर, शाखाओं पर डीलर बनाना एवं डौले का नवीनीकरण कार्य रु० 1-887 लाख।

कुल योग : रु० 10-164 लाख

वर्ष 1982-83

1 विभिन्न माइनरों पर सिल्ट क्लीयरेन्स किनारों का सुदृढीकरण एवं सेवा मार्ग की मरम्मत का कार्य रु० 0-218 लाख ।

2 विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटरीज पर सिल्ट क्लीयरेन्स, वर्म कटिंग, सेवा मार्ग की मरम्मत एवं किनारों का सुदृढ़ीकरण का कार्य रु० 2.435 लाख ।

3 विभिन्न नहरों पर शाखाओं पर डौला बनाना एवं डौले के नवीनीकरण कार्य रु० 1.027 लाख ।

कुल योग रु० 3.680 लाख ।

जिन नहरों, डिस्ट्रीब्यूटरीज व माइनरों पर कार्य किये गये हैं के नाम संलग्न तालिका क, ख व ग में वर्ष 1981-82 से सम्बन्ध तथा तालिका अ, ब व स में, वर्ष 1982-83 से सम्बन्ध दर्शाये गये हैं ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ पर)

जनपद मैनपुरी में कल्होर माइनर का निर्माण तथा आबपाशी

9—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में कल्होर माइनर पूरी बन चुकी है ? यदि हाँ, तो क्या इस माइनर से सिंचाई होने लगी है ? यदि हाँ, तो यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 81-82 और 82-83 में इस माइनर से कितने रुपये की आबपाशी की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ ।

जी हां ।

वर्ष 81-82 में रबी व खरीफ फसल में 29,240.14 रु० की एवं वर्ष 82-83 में केवल खरीफ में रु० 8,770.48 की आबपासी की गयी ।

ग्राम परौली सुहागपुर नगला मोहन धुमरी, जनपद एटा में नाले का निर्माण

10—श्री लटूरी सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम परौली सुहागपुर नगला मोहन धुमरी, ब्लाक जैथरा जनपद एटा का नाला अपूर्ण है ? यदि हां तो उसे शीघ्र ही पूरा करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

जी हां ।

बरौली सुहागपुर नाले का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है ।

नगला मोहन धुमरी नाले में मिट्टी का कार्य वर्ष 1982-83 में तथा पक्के कार्य वर्ष 83–84 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित हैं ।

ग्राम मिहुता, एटा के तालाब के नाले का कथित निर्माण

11—**श्री लटूरी सिंह** –

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मिहुता ब्लाक अलीगंज एटा के तालाब का नाला का निर्माण सन 1976 में स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो अब तक नाला की खुदाई क्यों नहीं कराई गयी ? यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

कुलावा नं• 68 की गूल क्रासिंग से ग्राम सरमन्न की भूमि की सिंचाई

12—**श्री स्वामी नेमपाल**—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बुलन्दशहर जनपद, नहर गंग के राजवाहा पलरा जिस कुलावा नं0 68 से ग्राम सरमन्ना विकास खंड पहासू की भूमि को सिंचाई होती है उस कुलावे की नाली का पानी एक बरसाती नाले के ऊपर बनी एक टूटी-फूटी पुलिया के ऊपर होकर जाती है ? तथा पुलिया बेकार होने के कारण अधिकतर पानी बरसाती नाले में ही निकल जाता है ? तथा पूरे पानी का सिंचाई के लिए उपयोग नहीं हो पाता है ? क्या यह भी सही है कि संबंधित किसानों की पुलिया बनवाने के लिए अधिशासी अभियन्ता नहर गेंग अलीगढ़ डिवीजन को कई प्रार्थना पत्र दिये हैं ? परन्तु पुलिया अभी तक नहीं बनी है ? यदि हाँ, तो उक्त पुलिया के शीघ्र निर्माण के लिए तुरन्त आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कुलावा नं० 63 की एक गूल-क्रासिंग [जल सेतु] द्वारा नाले पर जाती है जिससे ग्राम सरभन्न की भूमि की सिंचाई होती है । यह गूल क्रासिंग ठीक दशा में है ।

पुलिया ठीक है । कृषकगणों से इसको बनवाने के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न ही नही उठता ।

जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक की शाखा नहरों के पानी से सिंचाई तथा वसूल किया गया कथित मूल्य

13—**श्री दूधनाथ राजभर**—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक की शाखा नहरों से पानी की सिंचाई के बिना भी काश्तकारों से सिंचाई का मूल्य गैर कानूनी तरीके वसूल किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों तथा किसके आदेश से ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मान्धाता सिंह, एम०एल०सी० द्वारा निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण को दिये गये ज्ञापन पर कृत कार्यवाही

14—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अथवा उसके अनुदान से शतप्रतिशत घोषित विद्यालयों के सम्बन्ध में निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा निर्गत परिपत्र सं० 637-43/81-82 शिक्षा-ख 17-7-82 के संदर्भ में श्री मान्धाता सिंह, एम०एल०सी० का ज्ञापन उन्हें दिनांक 7-12-82 को प्राप्त हुआ है यदि हां, तो क्या परिपत्र दिनांक की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं ज्ञापन की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखते हुए यह बतायेंगे कि ज्ञापन में उन्हें उल्लिखित आरोपों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां ।

परिपत्र संख्या- 637-43 / 81-82 शिक्षा-ब, दिनांक 17-7-82 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं ज्ञापन दिनांक 7-12-62 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा शत प्रतिशत अनुदान से पोषित और अपराध निरोधक समिति द्वारा संचालित प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ पर पर इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम तथा उसके अन्तंगत बने विनियमों तथा शिक्षा संहिता के प्राविधान आंशिक रूप से ही लागू हैं । अर्थात इस विद्यालय को विद्यालय में संचालित कक्षाओं एवं पढ़ाये जाने वाले विषयों तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी/गैर मरकारी विद्यालयों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम मानक के लिए नियमानुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक से मान्यता लेनी पड़ती है ।

उक्त संस्था को नवम्बर, 1982 में रु० 2-00 लाख की तदर्थ अनुदान की किस्त इस कारण दी गयी कि छात्रों की भोजन व्यवस्था एवं अध्यापकों को वेतन दिया जा सके ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ पर ।)

जनपद पौड़ी गढ़वाल, विकास खण्ड लैन्सडाउन में संदना नामक कथित योजना

15 - **डा० शिवानन्द नौटियाल**—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड लैन्सडाउन जिला पौड़ी गढ़वाल के पेयजल योजना संदना से कितने ग्राम लाभान्वित होंगें ? इस योजना के लिए कब टेन्डर आमंत्रित किये गये थे और कब तक यह पेयजल योजना बनकर तैयार हो जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद पौड़ी गड़वाल विकास खण्ड लैन्सडाउन में संदना नामक योजना की कोई स्वीकृति जल निगम द्वारा नहीं दी गई है। अतः टेन्डर आमंत्रित करने एवं ग्रामों को लाभान्वित करने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम अकबरपुर, जनपद हरदोई में लघु औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने की योजना

16 —**श्री रामलाल वर्मा—**

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के खण्ड विकास अन्तर्गत अहिरोरी के ग्राम अकबरपुर का आधुनिकीकरण कराने के अन्तर्गत इस ग्राम में एक लघु औद्योगिक केन्द्र स्थापित करायेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक योजना को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद हरदोई के विकास खण्ड अहिरोरी के अन्तर्गत ग्राम अकबरपुर में लघु औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना उद्योग विभाग के विचाराधीन नहीं है।

जिला परिषद् पौड़ी गढ़वाल द्वारा थपला चिकित्सालय के प्रान्तीयकरण हेतु संस्तुति तथा शासन द्वारा लिया गया नियंत्रण

17 **डा. शिवानन्द नौटियाल—**

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् पौड़ी गढ़वाल ने अपना चिकित्सालय थापला विकास खंड गौरोखाल को शासन द्वारा लिये जाने के लिए कब संस्तुति की है और शासन ने कब उसे अपने नियंत्रण में लिया है और क्या उसमें कार्यरत पूरे कर्मचारियों को शासकीय सेवा में लिया गया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जिला परिषद्, पौड़ी गढ़वाल ने अपने थापला चिकित्सालय के प्रान्तीयकरण हेतु 18-7-1979 को संस्तुति की थी। शासन ने उक्त चिकित्सालय 2-10-68 को अपने नियंत्रण में लिया है तथा उसमें कार्यरत पूरे कर्मचारियों को भी शासकीय सेवा में ले लिया गया है।

18 —**श्री प्रियदर्शी जेतली—**

[7 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 90 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम ताजपुर, जनपद फैजाबाद में अवैधानिक सिंचाई की अनियमितताओं की जांच

19—**श्री गोपनाथ वर्मा—**

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खतौनी गाटा नं० 138, 1514 के 138/14 डिसमिल ग्राम ताजपुर, परगना ब तहसील टांडा जनपद फैजाबाद के अवैधानिक सिंचाई को अनियमितताओं की जाँच किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान रामशंकर वर्मा ग्राम ताजपुर टांडा फैजाबाद का पत्र प्रश्नकर्त्ता के 14-10-82 के पत्र के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो पत्र के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जांच कर ली गई और अभिलिखित क्षेत्र में जो गलती थी उसके सुधार की कार्यवाही करके आने वाली रबी की जमाबन्दी में रुपये 30.24 की पिन्हाई कर दी जावेगी ।

माध्यमिक विद्यालय योगसैण रामपुर तहसील रानीखेत को भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

20—**श्री जसवन्त सिंह बिष्ट**—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेगें कि रानीखेत तहसील के अन्तर्गत निजी प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु सन 1980 से सन 1982 तक कितनी धनराशि किन किन विद्यालयों को दी गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

माध्यमिक विद्यालय योगसैण रामपुर तहसील रानीखेत (अल्मोडा) को भवन निर्माण हेतु 41,400/—रु० की धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

राजकीय इण्टर कालेज, भिक्यासैण, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

21—**श्री जसवन्त सिंह बिष्ट**—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, भिक्यासैण, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में भवन निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और विद्यालय के भवन निर्माण का टेंडर किन कारणों से स्थगित किया गया है ? सरकार क्या पुनः भवनों की आवश्यकता को देखते हुए धन आंवटन करने की कृपा करेंगी । यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत विद्यालय भवन का निर्माण कार्य 14.48 लाख रुपये की लागत पर कराये जाने की स्वीकृत प्रदान की गयी है । विद्यालय के मुख्य भवन निर्माण कार्य का कोई टेन्डर आमंत्रित नहीं किया गया था । कुछ आवासीय भवनों के टेन्डर आमंत्रित किये गये थे । धनाभाव तथा मुख्य भवन से पहले आवासीय भवनों के टेन्डर स्थगित किये गये । वर्तमान समिति वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत सभी स्वीकृत एवं निर्माणाधीन भवनों पर आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने में वित्तीय व्यवस्था की कठिनाई के कारण इस वर्ष अप्रारम्भ निर्माण कार्य को प्रारम्भ न किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जनपद अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल और इन्टर कालेजों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि, राजकीय हाई स्कूल तकुल्टी, जनपद अल्मोडा के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

22—**श्री जसवन्त सिंह बिष्ट**—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन 1980-81 तथा 1981-82 में जनपद अल्मोडा के राजकीय हाई स्कूल और इन्टर कालेजों के भवन निर्माण हेतु

शासन ने कितनी धनराशि किन-किन विद्यालयों के लिये स्वीकृत की है ? उनमें से कितने भवन पूर्ण हो चुके हैं और कितने अपूर्ण हैं और उनके पूर्ण न होने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ पर)

23—**श्री जसवंत सिंह बिष्ट**—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय हाई स्कूल तकुल्टी, जनपद अल्मोड़ा का विद्यालय भवन जो प्रान्तीयकरण से पूर्व निर्मित विद्यालय भवन 1978 से अपूर्ण है, उसको पूर्ण करने हेतु शासन विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत विद्यालय के प्रान्तीयकरण के पूर्व कमेटी द्वारा निर्मित अधूरे कक्षा-कक्ष को पूर्ण कराने तथा भवन की मरम्मत हेतु प्रधानाचार्य से प्राप्त आंगणन के आधार पर शिक्षा निदेशक उ० प्र० द्वारा 20,000/- रु० स्वीकृत किये गये हैं ।

नहरों एवं कुलाबों के निर्माण हेतु ली गई भूमि तथा मुआवजा

24—**श्रीमती गौरी देवी**—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि विभाग के 3 समादेशों गण्डक, शारदा सहायक व रामगंगा के माध्यम से खेतों में पानी पहुँचाने के लिये नहरों एवं कुलाबों का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त नहरों व कुलाबों के निर्माण में किसानों की जिस भूमि का प्रयोग हो रहा है उसका मुआवजा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नहरों एवं कुलाबों के निर्माण के लिये जो भूमि ली जाती है उसे नियमानुसार अध्याप्त किया जाता है तथा उसका मुआवजा भी दिया जाता है ।

श्री प्रकाश मिश्र, वरिष्ठ लिपिक, जिला हरिजन तथा समाज कल्याण कार्यालय, वाराणसी को आदेशों की अवहेलना के आरोप में निलम्बन

25—**श्री बनवारी राम**—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रकाश मिश्र, वरिष्ठ लिपिक जिला हरिजन तथा समाज कल्याण कार्यालय वाराणसी में अगस्त, 1982 में तत्कालीन निदेशक द्वारा सस्पेण्ड कर दिये गये थे ? यदि हाँ, तो उन पर कौन-कौन से आरोप लगाये गये थे ? क्या अक्तूबर, 1982 में श्री मिश्र को पुनः बहाल कर दिया गया ? यदि हाँ, तो किस आधार पर ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ ।

श्री प्रकाश मिश्र, वरिष्ठ लिपिक, जिला हरिजन तथा समाज कल्याण कार्यालय वाराणसी को आदेशों की अवहेलना के आरोप में निलम्बित किया गया था।

जी हाँ।

श्री प्रकाश मिश्र ने जब आदेशों का पालन अगस्त, 1982 में कर लिया तो उन्हें उसी आधार पर अक्टूबर, 1982 में बहाल कर दिया गया।

जनपद वाराणसी के भदोही खण्ड में पक्की गूलों की मरम्मत पर व्यय तथा नलकूपों द्वारा भूमि की सिंचाई

26 —**श्री वृद्धि नारायण सिंह**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के भदोही खण्ड (नलकूप विभाग) में नलकूपों की कुल पक्की गूल कितने किलोमीटर है तथा उसमें इस वर्ष कितना धन मरम्मत पर व नलकूपों के कलपुर्जों पर व्यय हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वाराणसी जनपद के नलकूप खण्ड भदोही में कुल अब तक 633-355 किलोमीटर पक्की गूल है। इस वर्ष जनवरी 1983 तक पक्की गूलों की मरम्मत पर रु० 1,71,661.00 एवं नलकूपों के कल पुर्जों पर रु० 9,46,729.00 व्यय हुआ है।

नलकूप मण्डल वाराणसी के अधीन नलकूप अनुरक्षण खण्ड, भदोही में चालू नलकूप एवं उनका सिंचाई कमाण्ड एरिया

27—**श्री वृद्धि नारायण सिंह**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नलकूप मण्डल के भदोही खण्ड में कुल कितने नलकूप हैं उनका सिंचाई कमाण्ड एरिया कितना एकड़ है व इस वर्ष यहाँ कुल कितनी एकड़ भूमि इनसे दोनों फसल में अलग-अलग सींची गई उससे कितना रुपया सिंचाई रेंट का प्राप्त हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप मण्डल वाराणसी के अधीन नलकूप अनुरक्षण खंड, भदोही में 427 नलकूप चालू हैं। इनका सिंचाई कमांड एरिया 1,05,470 एकड़ है। वर्ष 1982-83 में फसल खरीफ में नलकूपों द्वारा 7646 एकड़ भूमि की सिंचाई हुई है। रबी 1982-83 में दिनांक 18-2-83 तक 26493 एकड़ भूमि की सिंचाई हुई है। फसल खरीफ 1982-83 में सिंचाई राजस्व कुल रुपये 4,33,856/-हुआ है। रबी फसल की पैमाइश मार्च, 1983 के बाद की जायेगी।

कचहरी बस स्टेशन कटरा, इलाहाबाद में एक सिटी बस चालक के विरुद्ध शिकायत

28—**श्री रुद्रप्रताप सिंह**—

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि श्री राधेश्याम पटेल, विधायक ने दिनांक 6 जून, 1981 को कचहरी बस स्टेशन कटरा, इलाहाबाद में एक सिटी बस के चालक के

विरुद्ध शिकायत दर्ज की थी ? यदि हां तो शिकायत क्या है ? क्या जाँच पूरी हो गई ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सत्य है कि दोषी चालक को सेवा निवृत्त करके पुनः उच्च अधिकारियोंने उसे सेवा पर बुला लिया है । यदि हाँ, तो उसे बहाल करने के कारण क्या थे और उसे सेवा निवृत्त करने के क्या कारण थे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधान सभा क्षेत्र गोकुल में नहर राजबाह व अल्पिकाओं की संख्या, असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने की योजना

29 —श्री सरदार सिंह —

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के विधान सभा क्षेत्र गोकुल में नहर राजबाह व अल्पिकाओं (माइनर) की संख्या क्या है ? उनकी क्रमशः अलग-2 लम्बाई व क्षमता क्या है तथा उनसे कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत रकबा सिंचता है ? शेष असंचित क्षेत्र को सिंचित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो वह क्या है और कब तक लागू हो जायगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

30 — श्री सरदार सिंह —

[7वें मंगलवार में अतारा० प्रश्न संख्या 119 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चोलापुर नहर ग्राम बराई जिला जौनपुर में सीपेज द्वारा फसलों को हानि तथा प्रतिकर का कृषकों को वितरण

31—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बराई, नुआंव (डिघिया), तह० केराकत, जिला जौनपुर तथा गांव गड़खड़ा (चरहुआं) तह० वाराणसी, जिला वाराणसी की हजारों एकड़ आलू, गेहूँ, चना, मटर, सरसों की फसल चोलापुर माइनर के बराई गांव में टूट जाने से डूब गयी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर किसानों को मुआवजा देने पर विचार करेगी और कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

चोलापुर नहर ग्राम बराई, नुवाब तह० केराकत जिला जौनपुर, व ग्राम गड़खारा ग्राम (बरहुआं) तह० व जि० वाराणसी में नहीं टूटी । बल्कि सीपेज एवं माइनर के पटरी पर से ओवर फ्लो होने के कारण कुछ खेतों में पानी गया है जिसकी मौके पर जांच की जा रही है तथा फसल हानि का प्रतिकर बनाया जा रहा है । शीघ्र ही कृषकों को नियमानुसार वितरित कर दिया जायेगा । अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम हीरामनपुर, बढौना खासे ऊदपुर, तहसील व जिला वाराणसी में माइनर दीनदासपुर द्वारा सीपेज से फसल को क्षति तथा कृषकों को मुआवजे का भुगतान

32 – **श्री ऊदल**—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव हीरामनपुर, बढौना, चारों, ऊदपुर, तह० वाराणसी जिला वाराणसी में दीनदासपुर माइनर चारों गांव में टूट जाने से हजारों एकड़ आलू, गेहूँ, चना, मटर, सरसों की फसल डूब कर सड़ गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर किसानों को मुआवजा देने पर विचार करेगी और कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम हीरामनपुर, बढौना खासे ऊदपुर, तहसील व जिला बाराणसी में माइनर दीनदासपुर टूटी नहीं है । वस्तुतः नहर में सीपेज होने के कारण एवं कहीं-कहीं पर ओवर-फ्लो हो जाने के कारण ही उक्त ग्रामों की फसल को नुकसान किनारे पर हुआ है । इसकी मौका जांचकर ग्रामवार नुकसानी बनाया जा रहा है जो कि शीघ्र ही सम्बन्धित कृषकगण को फसल के नुकसान का मुआवजा दिया जावेगा । कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

मांट ब्रान्च गंगा नहर मथुरा में पटरी पर खरंजा लगाने का कथित प्रस्ताव

33 – **श्री सरदार सिंह**—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मांट ब्रान्च गंगा नहर मथुरा की बायीं पटरी पर मथुरा बरेली मार्ग से पचावर कोठी तक खड़ंजा निर्मित होने का प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकृत हो चुका है ? यदि हाँ, तो खड़ंजे का निर्माण कब तक शुरू हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

सर्विस रोड पर खरंजा लगाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मथुरा एवं अलीगढ़ जनपदों में पन्नापुर ड्रेन की खुदाई

34 **श्री सरदार सिंह** –

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा एवं अलीगढ़ जनपदों में बहने वाले पन्नापुर ड्रेन की खुदाई कितनी शेष है ? नाले से सम्बन्धित गांवों की अपार क्षति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार नाले के खुदाई कार्य को शीघ्र पूरा करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

मथुरा जिले में पन्नापुर ड्रेन की खुदाई 0·20 कि0 मी0 लम्बाई में शेष है तथा अलीगढ़ जनपद में ड्रेन की खुदाई 2·350 कि० मी० शेष है । यह कार्य साथनी ग्राम में

होना है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने स्थगन आदेश दिये हैं। स्थगन आदेश "वैकेट" होने पर ही कार्य प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा। मथुरा जनपद का कार्य जून 1983 तक पूर्ण होने की आशा है।

नलकूप नं० 22 ए० जी० ब्लाक भीटी, जिला फैजाबाद का ऊर्जीकरण व पुनर्निर्माण

श्री जियाराम शुक्ल 'साकेती'—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप नं० 22 ए० जी० ब्लाक भीटी, जिला फैजाबाद की बोरिंग लगभग 2 साल पहले फेल हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसके बजाय दूसरी बोरिंग करके सारी ध्यवस्था पूरी कर ली गई है ? यदि हां, तो अब तक नलकूप न चलने का क्या कारण है ?

35—**श्री वीर बहादुर सिंह**—

जी हाँ, यह नलकूप पुनः निर्माण के पश्चात दिनांक 14-2-83 को उर्जीकरण के उपरान्त चालू कर दिया गया है।

शिकोहाबाद डिपो के स्थायी चालक स्व० श्री ओम प्रकाश की पत्नी को जीवन बीमा, प्राविडेन्ट फण्ड की धनराशि का भुगतान

36—**श्री लल्लू सिंह चौहान**—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के इटावा रीजन के अन्तर्गत शिकोहाबाद डिपो के एक स्थायी चालक श्री ओम प्रकाश की मृत्यु अपना कर्तव्य निर्वहन करते समय हृदयगति रुक जाने से दिनांक 2 जून, 1981 को हो गयी थी ? यदि हाँ, तो क्या उक्त चालक की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी रामेश्वरी ने शिकोहाबाद डिपो मैनेजर तथा इटावा रीजन के क्षेत्रीय प्रबन्धक को बीमा की धनराशि, प्रोवीडेन्ट फण्ड प्राप्त करने तथा मृतक चालक के उत्तराधिकारी वेद प्रकाश को नौकरी उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये थे ? यदि हाँ, तो लगभग 18 माह व्यतीत होने के बाद भी इस असहाय विधवा के प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हाँ। श्री ओम प्रकाश शर्मा चालक की मृत्यु सेवाकाल में हुई थी।

स्वर्गीय श्री शर्मा की जीवन बीमा धनराशि में से अन्तरिम सहायता हेतु 2000 रुपये का भुगतान कर दिया गया है। शेष धनराशि का भुगतान शीघ्र कर दिया जायगा।

स्वर्गीय श्री शर्मा की उत्तराधिकारी श्रीमती रामेश्वरी से प्राविडेन्ट फण्ड सम्बन्धी प्रपत्र प्राप्त कर दिनांक 2-3-1982 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर, को भुगतान हेतु भेज दिये हैं।

स्वर्गीय श्री शर्मा के भाई श्री वेद प्रकाश को नियमानुसार परिवहन निगम में नियुक्ति देना सम्भव नहीं है।

सीतापुर जनपद में पोषक नहर के निर्माण स्वरूप सीपेज की समस्या के निदान संबंध में कार्यवाही

37—**श्री हरगोबिन्द वर्मा**—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बनी नहर जो जनपद सीतापुर में कहर ढा रही है उससे प्रभावित होकर जन समुदाय आन्दोलन करने की तैयारी कर रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सीतापुर जनपद में पोषक नहर के निर्माण स्वरूप सीपेज की समस्या उत्पन्न हुई है। विभाग इस समस्या के निदान के प्रति जागरूक है अब तक 102 कि०मी० लम्बाई का ड्रेन्स निर्मित की गई है जिनसे 1550 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित हुआ है शासन ने सीतापुर जनपद में एक नये खण्ड की स्थापना भी की है जो प्राथमिकता के आधार पर ड्रेन्स का निर्माण करेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम मुसेदाबाद में तीन नलकूप निर्माणधीन हैं।

जनपद मेरठ के बड़ौत बस स्टेशन हेतु भूमि का आवंटन व निर्माण

38—**श्री नरेन्द्र सिंह**—

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि नगरपालिका बड़ौत (जनपद मेरठ) में उ० प्र० राजकीय परिवहन निगम द्वारा बस अड्डा तथा एक कर्मशाला के भवन निर्माण हेतु भूमि का आरक्षण किया गया है ? यदि हां, तो बस अड्डा एवं कर्मशाला का निर्माण कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। बड़ौत जनपद मेरठ में बस स्टेशन हेतु दो बीघा 18 बिस्वा 17 बिस्वांसी (लगभग 1.80 एकड़) भूमि चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत आरक्षित की गयी है। वित्तीय संसाधनों के अभाव में आरक्षित भूमि में बस स्टेशन निर्माण का कार्य अभी करना संभव नहीं है।

ग्राम पिथैरागढ़ में मेग्नेसाइट निकालने को स्वीकृति

39—**श्री चारुचन्द्र ओझा**—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेगनासाइट एण्ड मिनिरल्स, चंडाक पिथौरागढ़ को मेग्नासाइट निकालने की स्वीकृति देने से पूर्व उसका जनपद पिथौरागढ़ के मुख्यालय में पर्यावरण की दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जांच कराई गयी थी ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

भारत सरकार द्वारा खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 तथा उसके अधीन बनी खनिज परिहार नियमावली, 1960 के अन्तर्गत मेग्नेसाइट एण्ड मिनिरल्स, चंडाक पिथौरागढ़ को मेग्नेसाइट निकालने की लीज उनके आवेदन पत्र दिनांक 30-8-1972 पर स्वीकृत की गयी थी जो दिनांक 25-1-1974 को निष्पादित हुई। इस

एक्ट व नियमावली में पर्यावरण की दृष्टि से पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने का प्राविधान नहीं है, इसलिये संबंध में जाँच नहीं करायी गई ।

मैग्नेसाइट एण्ड मिनरल्स द्वारा चंडाक, पिथौरागढ़ में डेन बर्न मैग्नेसाइट बनाने हेतु भट्टों से पर्यावरण को दूषित होने की कथित शिकायत

40—श्री चारू चन्द्र ओझा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैग्नासाइट एण्ड मिनिरल्स, चंडाक पिथौरागढ़ द्वारा जो दो भट्टे मैग्नासाइट को बर्न करने के लिए लगाए गये हैं क्या उनसे पिथौरागढ़ नगर का पर्यावरण दूषित हो रहा है ? यदि हां, तो उसको रोकने का क्या उपाय किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कम्पनी को कितने भट्टे लगाने की स्वीकृति दी गयी है ?

श्री बीर बहादुर सिंह —

मैग्नेसाइट एण्ड मिनिरल्स द्वारा चंडाक पिथौरागढ़ में जो दो भट्टे डेड बर्न मैग्नेसाइट बनाने हेतु लगाये गये हैं उनसे पिथौरागढ़ के पर्यावरण को दूषित होने की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है । पार्टी के पक्ष में निष्पादित किये गये पट्टा विलेख में शासन द्वारा या शर्त लगायी गयी थी कि पार्टी को लीज के निकट जिला पिथौरागढ़ में एक केल्सीनेशन प्लाण्ट स्थापित करना होगा जिसके अन्तर्गत पार्टी द्वारा केल्सीनेशन प्लाण्ट स्थापित कर दिया गया है । शासन द्वारा लगायी गई शर्त में भट्टों की संख्या की सीमा नहीं निर्धारित की गई थी ।

जिला पिथौरागढ़ में खनिज पट्टे पर स्वीकृत क्षेत्रों की सूची

41—श्री चारू चन्द्र ओझा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़ में किन-किन क्षेत्रों में कितने हैक्टेयर में सोप स्टोन व लाईम स्टोन हैं और अभी तक किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना हेक्टेयर किन स्थानों पर आवंटित किया गया है ? खनन हेतु भूमि देने से पूर्व क्या इसकी भी जांच कराई गयी कि इससे बड़ी मात्रा में भूस्खलन भी हो सकता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

अभी तक की जानकारी के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में जिन-जिन क्षेत्रों में सोप स्टोन, लाइम स्टोन व मैग्नेसाइट उपलब्ध है उनकी तथा विभिन्न व्यक्तियों/पार्टियों को आवंटित किये गये क्षेत्रों की सूचना संलग्नक में दी गयी है । किसी भी क्षेत्र में खनन पट्टा स्वीकृत करने के पूर्व संबधित विभागों से आख्या माँगी जाती है और पट्टा स्वीकृत करते समय खनन के फलस्वरूप भूस्खलन व अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में होने वाले संभावित क्षतियों को ध्यान में रखा जाता है । ऐसे क्षेत्र जहां खनन कार्य होने से खतरे की संभावना पायी जाती है, खनन पट्टे पर नहीं दिये जाते हैं । जिला पिथौरागढ़ में खनन कार्य के फलस्वरूप भूस्खलन की अभी तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है ।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ पर)

जनपद गोरखपुर के इटौवा बांध के सन्दर्भ में शिकायती पत्रों की जाँच व कार्यवाही

42—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद**—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के इटौवा बाँध को विभागीय जे० ई० द्वारा इस साल की आई बाढ़ में कटवाने के कारण कई लाख एकड़ खड़ी फसल की क्षति हुई है जिसके सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनाँक 9-10-82 को उन्हें लिखा था, जिसकी प्राप्ति स्वीकृत आपके पत्र दि० 29-11-82 द्वारा दी गई है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सीतापुर जनपद में शारदा सहायक पोषक नहर के निर्माण के फलस्वरूप प्रभावित भूमि एवं ग्रामवासियों के सहयोग के लिये उठाये गये कदम

43—**श्री हरगोविन्द वर्मा**--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बनी नहर के किनारे भगौतीपुर, पोंगलीपुर दहिरापुर, महादेव अटरा, ककराही, रावल अन्देसर, जनपद सीतापुर के गांव में कितनी जमीन पर जल भराव है और जिस पर खेती नहीं हो रही है ? यदि हां, तो उन किसानों के लिये सरकार ने 1981-82 में क्या सहयोग दिया और वहां के वासियों के जीवन यापन के लिये क्या कदम उठाये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सीतापुर जनपद में शारदा सहायक पोषक नहर के निर्माण के फलस्वरूप माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये गांवों में ग्राम ककराही को छोड़कर शेष ग्रामों की 95 हेक्टेयर भूमि जल भराव से प्रभावित हुई । प्रभावित भूमि में खेती नहीं हो रही है । वर्ष 1981-82 में उक्त क्षेत्र में से 7 हेक्टेयर क्षेत्र की समस्या का निदान किया गया । भगवतीपुर, पोंगलीपुर, एवं दहिरापुर ग्रामों के जल भराव क्षेत्र के निवास हेतु किवानी नदी में एक कट बनाने की योजना है । महदेवा अटरा ड्रेन को कुछ भागों में पक्का कराया जा रहा है तथा ग्राम रावल के पानी को घाघरा नदी में ले जाने हेतु एक कट प्रस्तावित है ।

उपरोक्त कार्य शीघ्र कराने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

विकास खण्ड, हरिगटनगंज, फैजाबाद के कतिपय ग्रामों में तथा नलकूपों का छिद्रण तथा सिंचाई सुविधा

44—**श्री मित्रसेन**—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड हरिगटनगंज, फैजाबाद के ग्राम पिलाई, हरदोइया, शाहबाबाद ग्रन्ट, देवगिरि, लक्ष्मनपुर ग्रन्ट में नव निर्मित नलकूप कब लगाए गये हैं ? क्या इनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सिंचाई सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विकास खण्ड, हरिगटनगंज, फैजाबाद के ग्राम पिलाई, हरदोइया, शाहबाबादग्रन्ट, देवगिरि एवं लक्ष्मणपुर ग्रन्ट में निम्नानुसार नलकूपों का छिद्रण किया गया है :—

क्र०सं०	ग्राम का नाम	छिद्रण क माह
1	—पिलाई	3/1982
2	—हरदोइया	1/1983
3	—शाहबाबादग्रन्ट	1/1988
4	—देवगिरि	1/1980
5	—लक्ष्मणपुर ग्रन्ट	12/1981

उपरोक्त नलकूपों में से ग्राम शाहबावाद ग्रन्ट व देवगिरि में निर्मित नलकूप उर्जीकृत होने के पश्चात चालू हैं। ग्राम लक्ष्मणपुर ग्रन्ट में छिद्रित नलकूप का उर्जीकरण हेतु बी० एण्ड एर० फार्म उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को भेजा गया है। ग्राम हरदोइया में छिद्रित नलकूप पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। आशा की जाती है कि वर्ष 1983 में ग्राम पिलाई तथा हरदोइया के यह नलकूप उर्जीकृत होने के उपरान्त सिंचाई करने लगेंगे।

जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड कलान के ग्राम लक्ष्मणपुर में बांध को पक्का बनाने की योजना

45— **उदयवीर सिंह—**

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र कलान के ग्राम लक्ष्मणपुर में जमींदारी बांध को पक्का बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

यह बांध सिंचाई विभाग का नहीं है, अतः बाँध को पक्का बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

मथुरा जनपद में मगना बरौली से जुगसना ब्योही तक मार्ग पर निजी वाहनों को परमिट देने की मांग

46—**श्री सरदार सिंह—**

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में मगना बरौली से जुगसना ब्योही तक का मार्ग पक्का होते हुए भी अब तक परिवहन निगम की बसें न चलाने का क्या कारण है ? यदि निगम को अपनी बसें चलाने में कठिनाई हो रही है तो उक्त मार्ग पर निजी वाहनों को परमिट देने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

47—श्रीमती गौरी देवी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

48—श्री सरदार सिंह—

[9 वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मथुरा के गोकुल कस्बे में कटान हेतु किये गये उपाय

49—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी की बाढ़ से मथुरा जनपद का कस्बा गोकुल कट रहा है ? यदि हां, तो नदी के कटान को देखते हुए सरकार कब तक बांध बनवाने का कार्य प्रारम्भ कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोकुल कस्बे में कटान यमुना नदी में गिरने वाले नाले की तली गहरी होने के कारण हो रहा है न कि यमुना नदी की बाढ़ के कारण ।

तली के कटान को नाले के संगम स्थल पर अगस्त, 1982 में बोल्डर क्रेट्स डाल कर रोक दिया गया है जिससे किनारों का कटाव भी रुकेगा ।

अन्य कार्य करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

50—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

[दिनांक 23-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 10 द्वारा उत्तरित ।]

51—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[7 वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

52—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[5 वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 127 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मथुरा जनपद के विकास खण्ड बल्देव व राया में राजकीय नलकूप लगाने हेतु आवेदन पत्र पर कृत कार्यवाही

53—श्री सरदार सिंह

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दि० 26-9-80 को मथुरा जनपद के ब्लाक बल्देव व राया में राजकीय नलकूप लगाने हेतु प्रश्नकर्त्ता का आवेदन-पत्र उनको प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ, तो उस आवेदन-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या शासन उक्त दोनों ब्लाकों में शीघ्र नलकूप लगाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ, केवल विकास खण्ड बल्देव के ग्रामों में नलकूप लगाने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था ।

प्रारम्भिक जांच करायी गयी ।

मथुरा जनपद में अधिकतर भूगर्भ जल गहराई पर खारा है जो राजकीय नलकूपों व कृषि के लिये अनुपयुक्त है । भूगर्भ के विस्तृत अध्ययन हेतु बल्देव एवं राया ब्लाक में एक-एक स्थान अन्वेषणात्मक छिद्रण हेतु निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल संस्थान, लखनऊ को उपलब्ध कराये जा चुके हैं । परिणाम प्राप्त होने पर राजकीय नलकूपों के निर्माण पर निर्णय लिया जावेगा ।

शारदा सहायक खण्ड 38, बाबतपुर राजबहा में पड़ने वाले ग्रामों के कृषकों को प्रतिकर का भुगतान

54—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड 38, बाबतपुर राजबहा में गाँव बरही नेवादा, परगना पन्द्रह, जिला वारणसी के राजदेव, रामलखन, हरिपाल, गुजराती, चनरा, विजय बहादुर, ब्रह्मदेव, अमरनाथ, बैजनाथ, अमरनाथ लाल, बेचू, मुल्लन, चन्द्रबली, अब्दुल रऊफ, द्वारिका, सामू, मकोई तूफानी, दुक्खी, नीका कौड़ी, बैजनाथ, अलगू, लालचन्द तथा और लोगों की जमीन को ले लिया गया है और अब तक मुआवजा नहीं दिया गया ? यदि हाँ, तो मुआवजा अब तक न देने का कारण क्या है ? क्या सरकार गांव वरही नेवदा, बरही कलां, बीकापुर, असवारी, हमीरापुर आदि गांवों की जांच कराकर मुआवजा जल्द से जल्द दिलवाने पर विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ । बाबतपुर राजबहा में पड़ने वाला ग्राम बरही नेवादा परगना पन्द्रह जिला वाराणसी के कृषकों की भूमि का प्रतिकर माननीय उच्च न्यायालय से 1981 में जमीन प्राप्त करने पर स्थान आदेश के कारण विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी संयुक्त संगठन वारणसी द्वारा अभी नहीं बाँटा जा सका है । स्थगन आदेश के निरस्त होने के बाद कृषकों की भूमि का प्रतिकर बांटने की कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम बरही कलां का भूमि प्रतिकर रु० 1,42-266.60 पूर्ण रूप से बांट दिया गया है । ग्राम बीकापुर, असवारी एवं हमीरापुर का प्रतिकर क्रमशः रु० 70,410.63, रु० 16,635.70 तथा रु० 1,57,388.90 कृषकों को भुगतान कर दिया गया है और अवशेष प्रतिकर के जो क्रमशः रु० 10626.00 रु० 35.19 एवं 4413.83 है, बांटने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद सीतापुर में नलकूप निगम द्वारा ग्राम ननोइया, सहसपुर तथा बेहटा में नलकूपों का छिद्रण तथा सफाई

55 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप निगम द्वारा सीतापुर जनपद के ग्राम ननोइया सहसपुर तथा बेहटा (तह० सीतापुर) में नलकूप कब-कब छिद्रित किये गये ? क्या यह सही है कि पानी ठीक न आने से ओवर पम्पिग यूनिट से उनकी सफाई आवश्यक है ? यदि हाँ, तो अब तक इस यूनिट से सफाई न करा पाने का क्या कारण है तथा सफाई कब तक हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप निगम द्वारा सीतापुर जनपद के ग्राम ननोइया में नलकूप का छिद्रण माह

12/81, ग्राम सहसापुर 4/81, तथा ग्राम बेहड़ा में माह 11/81, में हुआ। पानी में कुछ रेत आने के कारण ओवर पम्पिग करना आवश्यक है।

ओवर पम्पिग यूनिट संबंधित रिग यूनिट में उपलब्ध न होने के कारण पहले इन नलकूपों की सफाई नहीं हो सकती। अब उस यूनिट को ओवर पम्पिग यूनिट उपलब्ध करा दी गयी है, जो क्रमवार कूपों पर कार्य कर रही है। माह अप्रैल 83 तक इन नलकूपों की सफाई कर देने का कार्यक्रम है।

प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम द्वारा बसों की उपलब्धि

56—**श्री शंकर सिंह**—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जनता को सुलभ यातायात जुटाने हेतु कुल कितनी बसों की परिवहन निगम को आवश्यकता है तथा इस समय परिवहन निगम के पास कितनी बसें हैं और वे किस केटागिरी की हैं।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नूरपुर—छजलेट मुरादाबाद--लखनऊ मार्ग में चलायी जा रही बसों के मार्ग में परिवहन की मांग

57—**श्री रामकृष्ण माहेश्वरी**—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिजनौर से लखनऊ तक कोई बस परिवहन विभाग द्वारा नूरपुर छजलेट होकर चलाई जा रही है जिसके मार्ग परिवर्तन धामपुर स्योहारा कांठ होकर चलाये जाने की माँग प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र दिनांक 19-8—82 द्वारा आपसे की थी ? यदि हाँ, तो यह बस अभी तक धामपुर स्योहारा कांठ न होकर चलाये जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हाँ, बिजनौर से नूरपुर-छजलेट-मुरादाबाद-लखनऊ मार्ग में बिजनौर से छजलेट तक का 72 कि० मी० का भाग अराष्ट्रीयकृत है। बिजनौर से नूरपुर-छजलेट-मुरादाबाद-लखनऊ मार्ग के बिजनौर से छजलैट अराष्ट्रीयकृत भाग का परमिट प्राप्त कर सेवायें चलाई जा रही हैं, अतः इस बस सेवा को परमिट में निर्धारित मार्ग से नियम द्वारा परिवर्तन करना सम्भव नहीं है।

राज्य सड़क परिवहन निगम की एटा डिपो के बस कण्डक्टर श्री वीरेन्द्र के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

58—**श्री किरन पाल सिंह**—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम की एटा डिपो के बस कन्डक्टर, श्री वीरेन्द्र के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 24-8-82 का कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो शिकायत के बारे में कोई जाँच की गयी ? क्या जाँच के दौरान शिकायतकर्त्ता से भी सम्पर्क स्थापित किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हाँ। शिकायत की जाँच की गयी तथा सम्बन्धित परिचालक श्री विनोद कुमार (वीरेन्द्र नहीं) को दोषी पाया गया तथा उन्हें भविष्य के लिए कठोर चेतावनी देते हुये 6 माह का नेक चलन भत्ता काट लिया है।

चूँकि परिवाद प्रथम दृष्टि में ही सत्य पाया गया अतः शिकायतकर्त्ता के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

जनपद जौनपुर के अन्तंगत जगदीशपुर पम्प नहर की नालियों में ली गई भूमि का मुआवजा

59—**श्री प्रभूनारायण सिंह**—

क्या सिचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत जगदीशपुर पम्प नहर की सखोई और केशरपुर गाँवों में पड़ने वाली नालियाँ या तो अधूरी हैं या जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं ? क्या यह भी सत्य है कि इसमें ली गयी भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को आज तक नहीं दिया गया ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन नालियों को ठीक करवाकर क्षेत्रीय किसानों को मुआवजे का भुगतान शीघ्र करवायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

महेन्द्र कुमार गोविल सहायक अभियन्ता के अवकाश प्रकरण के संबंध में पत्र

60—**श्री पूरन चन्द्र**—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री महेन्द्र कुमार गोविल, सहायक अभियन्ता बाँध डिवीजन 5–केन्द्रीय परिकल्पना नियोजन सिंचाई विभाग, लखनऊ, जो कि इस समय शिक्षा ग्रहण हेतु अवकाश पर हैं के विरुद्ध सतर्कता जाँच कराए जाने हेतु मुख्य अभियन्ता के वैयक्तिक सहायक अधिष्ठान अनुभाग–ई–लखनऊ का कोई पत्र माह मार्च/अप्रैल, 1982 में संयुक्त सचिव, उ० प्र० शासन सिंचाई अनुभाग-2 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या सतर्कता विभाग द्वारा जाँच कराए जाने के आदेश दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के वैयक्तिक सहायक (ई–1) ने संयुक्त सचिव, सिंचाई, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन का श्री महेन्द्र कुमार गोविल, सहायक अभियन्ता के अवकाश प्रकरण के सम्बन्ध में एक पत्र दिनांक 17 मार्च, 1982 लिखा था जिसमें श्री गोबिल के विरुद्ध सतर्कता जांच कराने का को कोई उल्लेख नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

61—**श्री कृष्ण कुमार शुक्ल**—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया]

62-63—**श्री कृष्ण कुमार शुक्ल**—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया]

राष्ट्रीयकृत मार्ग पर बस सेवा चलाने हेतु परिवहन निगम द्वारा परमिट

64—**श्री शंकर सिंह**—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने राष्ट्रीयकृत मार्ग ऐसे हैं जिन पर बस सेवा चलाने हेतु परिवहन निगम ने परमिट दे रखे हैं उन पर निगम द्वारा बसें नहीं चलाई जा रही हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इटावा में सूखा व बाढ़ व उपल वृष्टि द्वारा फसलों को क्षति तथा सिंचाई कर की छूट

65—**श्री धनी राम वर्मा**—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इटावा की औरैया और बिधूना तहसीलें 1387 फसली एवं 1338 फसली तथा 1389 फसली में सूखा, बाढ़ एवं उपलवृष्टि से अत्याधिक प्रभावित हुई हैं ? यदि हां, तो उक्त वर्षों में इन तहसीलों में कृषकों को लगान में दी गई छूट के अनुपात में सरकारी नीति के अनुसार नहरों एवं राजकीय ट्यूबवेलों की सिंचाई में भी छूट दी गयी है ? यदि हाँ, तो प्रत्येक तहसील की वर्षवार धनराशि क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ । 1387 फसली एवँ 1388 फसली में आंशिक रूप से प्रभावित हुई । 1389 फसली में कोई क्षति नहीं हुई है । सर्वेक्षणोपरान्त नहरों के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को, खरीफ 1387 फसली में औरैया तथा विधुना तहसील में क्रमश: रु० 2,08,912·84 पै० एवं रु० 3,01,657-60 पै० की सिंचाई कर से छूट दी गयी है । नलकूपों के कमाण्ड क्षेत्र बहुत कम प्रभावित होने के कारण उनमें कोई छूट नहीं दी गई है ।

हरिजन कल्याण विभाग के विवेकाधीन कोष द्वारा सहायता दिये जाने का विवरण

66—**श्री प्रियदर्शी जेतली**—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय आदेश संख्या 54481/26-2-81/24/81, दिनांक 17 अगस्त, 1981 द्वारा जिन लोगों को मंत्री के विवेकाधीन कोष से सहायता दी गयी थी, उसमें कितने लोग थे ? तथा क्या-क्या सहायता दी गयी थी ? क्या उन सभी लोगों को सहायता प्राप्त हो गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री प्रभाकर राम त्रिपाठी, उप सचिव, परिवहन विभाग के पत्र द्वारा श्री ठाकुरदास के विषय में लिया गया निर्णय

67—**राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता को सम्बोधित प्रश्नकर्त्ता द्वारा

प्रेषित पत्र दिनांक 26 नवम्बर, 1981 के उत्तर में श्री प्रभाकर राम त्रिपाठी, उप सचिव, परिवहन विभाग के पत्र संख्या 179/विपा-/30-2-10/एन/82 पर शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री ठाकुरदास को पुनः नौकरी में ले लिया गया ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ?

लखनऊ कानपुर मार्ग पर नबावगंज पंक्षी बिहार तथा पर्यटन स्थल पर बस रुकने के लिये आदेश

68 — **श्री शंकर सिंह—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ तथा कानपुर के बीच नबाबगंज पंक्षी बिहार तथा पर्यटन स्थल को लोकप्रिय बनाने हेतु परिवहन निगम को आदेश देगी कि नबाबगंज से होकर निकलने वाली बसें सड़क पर रुकने के बजाय चाय पानी के लिए पर्यटन स्थल पर रुकें ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

लखनऊ-कानपुर मार्ग पर स्थित नबावगंज पंक्षी बिहार तथा पर्यटन स्थल को लोकप्रिय बनाने हेतु उक्त मार्ग से होकर संचालित होने वाली उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को नबावगंज पंक्षी बिहार तथा पर्यटन पर लाइट रिफरेशमेंट के लिये रोके जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

शारदा सहायक नहर से निकलने वाली महाराजगंज माइनर की कथित रोकथाम हेतु प्रबन्ध तथा कथित क्षति

69—**श्री हरगोविन्द वर्मा—**

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में शारदा सहायक नहर से महाराजनगर माइनर जो हरगाँव लहरपुर ब्लाक में पानी देती है गत अक्टूबर के महीने से टूट गई और लगभग एक महीना सिंचाई विभाग की तरफ से उसकी रोकथाम का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ और किसानों ने स्वयं उस नहर को बाँधने का काम किया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। शारदा नहर प्रणाली की तेन्दुवा राजबहा से निकलने वाली महाराज-नगर माइनर माह अक्टूबर, 1982 में नहीं टूटी थी।

70—**श्री हरगोविन्द वर्मा—**

क्या उक्त पानी ने लशकरपुर, महाराजनगर गजनीपुर इत्यादि ग्राम सभाओं की जमीन को भर दिया जिससे उन किसानों की रबी की फसल मारी गयी और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके लगान को माफ करेगी और फसल का मुआवजा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। गत माह अक्टूबर, 1982 में नहीं टूटी जिसके कारण रबी की फसल के नुकसान का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मुरारी लाल की उ० प्र० निगम की बस, मथुरा डिपो आगरा क्षेत्र में मृत्यु हो जाने से पिता श्री मोतीलाल को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश

71—**श्री सरदार सिंह**—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन आयुक्त, उ० प्र० को जिला-अधिकारी, मथुरा का पत्र सं० 2262 / तीस / जे० ए० दो / 81-82, दिनांक 14-8-72 शासनादेश सं० 2791 / प / तीस /30-13 / डब्लू० /81 दिनांक 25-7-81 के संदर्भ में श्री मुरारी लाल निवासी कस्बा राया, जिला मथुरा की उ० प्र० निगम की बस संख्या यू० पी० यू० 9365 मथुरा डिपो आगरा क्षेत्र से मृत्यु हो जाने के कारण मृतक के पिता श्री मोती लाल निवासी कस्बा राया को 5,000 रुपये शासन से देने के सम्बन्ध में मिला था ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा अभी तक 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार मृतक के पिता को शीघ्र सहायता प्रदान करेगी ?.यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

जिलाधिकारी, मथुरा का पत्र सं० 2262/तीस/जे.ए. 2/81-82 दिनांक14-9-82 परिवहन आयुक्त कार्यालय में दिनाँक 6-10-82 को प्राप्त हुआ था । मृतक के पिता श्री मोती लाल निवासी कस्बा राया को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाने हेतु परिवहन आयुक्त के पत्र सं० 3295 जी पी टी/82-69 (7) जीपीटी/81 दिनाँक 11-10-82 द्वारा रु० 5,000/– की धनराशि जिलाधिकारी मथुरा को आवंटित की जा चुकी है ।

गोड़ा डिपो में डेली वेजेज नियुक्तियों का विवरण

72—**श्री उमेश्वर प्रताप सिंह**—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा डिपो में कितने चालक परिचालक तथा पानी पिलाने वाले, चौकीदार आदि पर 1982 वर्ष में डेली वेजेज पर रखे गये लोगों का पूरा ब्यौरा कार्य अनुभव शिक्षा आयु आदि का क्या था ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1982 में गोंडा डिपो में चालक, परिचालक तथा पानी पिलाने वाले पदों पर डेली वेजेज पर कोई नियुक्ति नहीं की गई । चौकीदार पद पर 3 नियुक्तियाँ डेली वेजेज पर की गई जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:—

क्रम संख्या	नाम	कार्य अनुभव	शैक्षिक योग्यता	जन्म तिथि
	सर्व श्री			
1—	हुकुम सिंह	—	कक्षा 8 पास	4-7-62
2—	विजय बहादुर सिंह	—	हाई स्कूल	1-8-58
3—	राम निरंजन पांडे	—	जूनियर हाई स्कूल	23-11-55

जनपद हरदोई में प्रहलाद घाट के जीर्णोद्धार एवं विकास की योजना पर निर्णय

73—**श्री राम लाल वर्मा**—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में प्रहलाद घाट का जीर्णोद्धार कराकर विकास कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना क्या है, और उसके अन्तर्गत विकासार्थ कार्यवाही कब तक प्रारम्भ करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के राज्य वस्त्र निगम के अन्तर्गत चल रही कताई मिलों में अप्रेन्टिस की नियुक्तियों का विवरण

74—**श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र,**
श्री जंग बहादुर सिंह तथा
श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के अन्तर्गत चल रही कताई मिलों में वर्ष 81-82 में कितने व्यक्तियों की किन-किन मिलों, किन-किन पदों पर तथा कब-कब अप्रेन्टिस की हैसियत से नियुक्ति की गई है ? उपरोक्त नियुक्तियों का आधार क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत निगम के अन्तर्गत चल रही कताई मिलों में वर्ष 1981-82 में नियुक्त किये गये अप्रेन्टिसों का विवरण * संलग्न है । इन अप्रेन्टिसों की नियुक्ति चयन समिति द्वारा की गई ।

आदर्श जनता माध्यमिक विद्यालय, टांडा, जनपद फैजाबाद के पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति के छात्रों को दी गई छात्रवृति का विवरण

75 – **श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श जनता माध्यमिक विद्यालय, टांडा, जनपद फैजाबाद के पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के कक्षा 9 के छात्रों की जुलाई, 81 से फरवरी, 1982 तक की छात्रवृत्ति भुगतान कर दी गई है ? यदि हां, तो उक्त छात्रों को किस तिथि को प्रत्येक छात्र की धनराशि भुगतान की गयी है ? भुगतान किये गये छात्रों के नाम व पता क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

---

*छापा नहीं गया ।

जनपद पौढ़ी गढ़वाल में बैजरी-बुगीधार-मेहलगौरी मोटर मार्ग पर पुल के निर्माण हेतु आमन्त्रित की गई निविदा

76—डा० शिवानन्द नौटियाल

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पौढ़ी-गढ़वाल में बैजरी-बुगीधार-मेहलगौरी मोटर मार्ग पर लाछी के गधेरे पर जो पुल बनने वाला था उसके कब-कब टेंडर मांगे गये थे और उसके बनने में इतनी देरी का क्या कारण है पुल कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्नगत पुल के निर्माण की निविदा दिनांक 28-10-78 को आमन्त्रित की गयी थी। निर्माणावधि में अत्यधिक वर्षा के फलस्वरूप आई बाढ़ को देखते हुए पुल का निर्माण स्थल गधेरे के ऊपर की ओर बदलना पड़ा। नये स्थल पर पुल के पहुँच मार्ग के पूरा होने के पश्चात् पुल के निर्माण की निविदा पुनः दिनांक 20-11-82 को आमंत्रित की गयी।

अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ के कारण स्थल बदलने से पुल के निर्माण में देरी हुई। पुल के मई, 1983 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

ग्राम नेवलगंज, जनपद उन्नाव में स्थित श्री संकठी देवी जी के मन्दिर की भूमि का अवैधानिक रूप से इस्तेमाल किये जाने सम्बन्धी शिकायत पत्र की जांच

77—**श्री हरगोविन्द वर्मा तथा**
श्री रामकरन सिंह —

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4-5-82 को प्रश्नकर्त्ताओं का कोई शिकायती पत्र ग्राम नेवलगंज तहसील व ब्लाक हसनगंज, जनपद उन्नाव के श्री संकठी देवी जी के मन्दिर के जमीन से प्राप्त आय का मुर्तजी मकान द्वारा लाखों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री व मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी ने कब की तथा जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ। ग्राम नेवलगंज, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव में स्थित श्री संकठी देवी जी के मन्दिर की भूमि को अमुक व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक रूप से इस्तेमाल आदि की शिकायत विषयक प्रश्नकर्ताओं का शिकायती पत्र दिनांक 4-5-82 को प्राप्त हुआ था, जिसमें मन्दिर के अन्तर्गत लगभग 9-10 बीघा भूमि बताई गयी थी जिसकी वार्षिक आय लगभग 0-15 हजार रुपये प्रतिवर्ष कुछ व्यक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से दुरुपयोग करके अपनी निजी सम्पत्ति के रूप में करने की शिकायत की गई थी।

उपरोक्त शिकायती पत्र की जाँच परगना मजिस्ट्रेट, हसनगंज द्वारा कराने पर विदित हुआ कि प्रश्नगत मन्दिर का प्रबन्ध इस समय श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री शिवनरायन, निवासी नेवलगंज के हाथ में है। इसके पूर्व मन्दिर के प्रबन्ध श्री शिवनरायन थे। मंदिर के प्रबन्ध में लगभग 7 बीघा भूमि लगी बताई गयी है जिससे लगभग रु० 6,000/- की वार्षिक आय होती है जो मन्दिर की मरम्मत तथा उत्सव आदि में व्यय हो जाती है। प्रबन्धक द्वारा पिछली आय-व्यय का कोई हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया गया। जाँच से प्रतीत हुआ कि श्री सुरेश कुमार मन्दिर के प्रबन्ध में कोई विशेष ध्यान नहीं देते तथा

इसका प्रबन्ध अपने हाथों में रखने के इच्छुक नहीं है। मन्दिर के प्रबन्ध हेतु एक कमेटी गठित करना है।

माइनर, महरेंव, परगना मड़ियाहूं, सिंचाई खण्ड जौनपुर की जांच

78—**श्री ऊदल**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खंड 38 की माइनर मेहरेंव, परगना मड़ियाहूं, जिला जौनपुर का हैड नक्शा में आराजी नं० 319 में बनाया गया था जो ऊँचाई पर था और वहाँ से नहर भी सीधी थी ? यदि हां, तो क्या सत्य यह है कि उसको बदल कर अब नीची जमीन में नं 322 पर बनाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार पुराने नक्शे से मिलान कर जाँच करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माइनर महरेंव परगना मड़ियाहूँ जिला जौनपुर शारदा सहायक खण्ड-38 में न होकर सिंचाई खण्ड जौनपुर में है।

यह माइनर केराकत राजवाहे के बाईं पटरी पर कुलाबा नं०-26 के स्थान से निकाली गई है जो राजबाहे में फाल के ऊपर स्थित था। माइनर के स्वीकृत लम्ब छिन्नक में हेड 323 नम्बर पर लिखा है। यह लम्ब छिन्नक दिनांक 23-2-81 को स्वीकृत है। अतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है 319 नम्बर पर टोला है जो 323 नम्बर से ऊँचा अवश्य है। नहर कुलावे को गूल के स्थान पर स्वीकृत के अनुसार बनाई गई है। इस स्थान भी वाटर शेड है।

महरेव माइनर हेतु ली गई भूमि तथा निर्माण कार्य

79—**श्री उदल**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महरेव माइनर में पहले कम मालियत की जमीन ली जा रही थी और नक्शा संशोधित करने से ऊंची मालियत की काफी जमीन चली जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको पुनः संशोधित करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

महरेव माइनर का नक्शा संशोधित नहीं किया गया है। इस नहर की खुदाई के लिए पहले जो जमीन ली गई थी, उसी पर निर्माण कार्य कराया गया है। नक्शा संशोधित करने तथा ऊँची मालियत की जमीन लेने का प्रश्न नहीं उठता।

शारदा सहायक खंड-38 बावतपुर राजवाहा की अनेई राजबाहा के नाम से निर्माणाधीन नहर

80—**श्री ऊदल**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक 38 खंड बावतपुर राजबाहा की एक माइनर गांव बरही से धनंजयपुर, परगना पन्द्रह, जिला वाराणसी में निकाली जा रही है ? यदि हां, तो क्या नक्शा में चक नं० 269 गांव धनंजयपुर में अ० ब० स्थान प्रदर्शित है ? क्या यह सही है कि अब उक्त माइनर को अ० ब० स्थान से न निकाल कर प० र० स्थान से निकालने की योजना बनाई गयी है ? यदि हां,

तो क्या यह सही है कि प० र० स्थान कर देने से चक नं० 269 दो टुकड़े में बंट जायेगा और अ० ब० एक तरफ है ? क्या सरकार इसको जांच कराकर निर्देश देगी कि अ० ब० स्थान से ही नहर निकाली जाय ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ, अनेई राजवाहा के नाम से नहर प्रस्तावित है। ग्राम धनंजयपुर का चक नं०-269 इस नहर के 3-320 कि० मी० पर नहर में पड़ रहा है तथा नहर हेड में कि० मी० 4-00 तक निर्माणाधीन है। नक्शा नजरी प्रश्न के साथ उपलब्ध न होने के कारण अ० ब० तथा प० र० पर टिप्पणी संभव नहीं है।

चक संख्या 269 दो टुकड़ों में बँट रहा है।

नहर स्वीकृति लम्ब छिन्नक के अनुसार ही बन रही है जिसमें 269 नम्बर में नहर दिखाई गई है। अतः कोई संशोधन सम्भव नहीं है।

81—**श्री लल्लू सिंह चौहान**—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

लखनऊ कानपुर मार्ग के बीच चलने वाली बस का नबाबगंज में रुकने के आदेश

82—**श्री शंकर सिंह**—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर तथा लखनऊ के बीच चलने वाली परिवहन निगम की बसों के नबाबगंज में रुकने के विभाग के आदेश हैं ? यदि नहीं, तो किस की आज्ञा से यह बसें वहां रुकती हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बाराबंकी के शारदा सहायक कैनाल के सहायक अभियन्ता व श्री रामलखन सिंह अवर अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

83—**श्री जमुना प्रसाद**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के शारदा सहायक कैनाल के महायक अभियन्ता व श्री राम लखन सिंह, अवर अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती पत्र दिनांक 2-6-82 को उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अभी तक क्या जांच कार्यवाही की गयी और वह जांच के आदेश क्या हैं ? जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री सुन्दर लाल शिकायतकर्ता का एक पत्र दिनांक 2-9-82 (न कि 2-6-82) प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य के संस्तुति पत्र के साथ, प्राप्त हुआ है।

मामले की जांच यथाशीघ्र करने के आदेश दिये गये हैं। जाँच प्रगति में है।

जांच शीघ्र पूर्ण होने की आशा है।

जनपद बाराबंकी में कल्यानी नदी को सीधा, गहरा व चौड़ा किये जाने हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

84—**श्री जमुना प्रसाद**—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में कल्यानी नदी को सीधा, गहरा व चौड़ा किये जाने हेतु दिनांक 15-9-82 को प्रश्नकर्त्ता का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सचिव राजस्व अनुभाग-11 के अर्धशा० पत्र सं० 16643/1-11-82-रा-11 दिनांक लखनऊ 16, दिसम्बर, 1982 के पत्र पैरा 3 में मुख्य अभियन्ता सिंचाई (शारदा सहायक) को क्या आवश्यक निर्देश दिये गये और नदी को गहरा व सीधा चौड़ा किये जाने के संबंध में तत्काल कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हाँ तो सर्वेक्षण व कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

शारदा सहायक कैनाल, बाराबंकी के अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ताओं की जांच

85—**श्री जमुना प्रसाद**—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के सिंचाई विभाग के अन्तर्गत शारदा सहायक कैनाल के अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ताओं की जाँच हेतु प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 15-10-82 का पत्र सतर्कता अधिष्ठान एवं पुलिस अधीक्षक सिंचाई को जांच हेतु दिया गया है ? यदि हां, तो अभी तक क्या जांच व कार्यवाही हुई ? जांच कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

86—**प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

[8 वें मंगलवार में अतांराकित प्रश्न संख्या 126 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बुन्देलखण्ड में सिंचन क्षमता का औसत प्रदेश औसत तक लाने हेतु कार्यवाही

87—**प्रो० चन्द्रप्रकाश शर्मा**—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बुन्देलखंड में सिंचन क्षमता का औसत प्रतिशत 24 है जबकि प्रदेश में यह औसत 52 प्रतिशत से भी अधिक है ? यदि हां, तो बुन्देलखण्ड में सिंचन क्षमता का औसत प्रदेश औसत तक लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो पूर्ण ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ, बुन्देलखंड क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाये जाने के लिये जो वृहद एवं मध्यम परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, उनके पूर्ण होने पर इस क्षेत्र में लगभग 2,50,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता (13.75 प्रतिशत) सृजित हो सकेगी। इसके अतिरिक्त, बुन्देलखंड में छोटी पम्प नहरों से 35,920 हेक्टेयर तथा नलकूपों से 63,600 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हो चुकी है।

सत्रह परियोजनाओं का सर्वेक्षण हो रहा है। इनके कार्यन्वित होने पर कुल मिलाकर लगभग 57% सिंचन क्षमता का सृजन सम्भव हो सकेगा।

जनपद बांदा में चर्म उद्योग की स्थापना हेतु सर्वेक्षण कार्य

88—**प्रो० चन्द्रप्रकाश शर्मा**—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में एक टेनरी कारखाना लगाने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 3 अगस्त, 82 को उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ! शासन के परामर्शानुसार जनपद बांदा में चर्म उद्योग की स्थापना की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये उ० प्र० राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लि० आगरा द्वारा सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है।

89—**प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

[दिनाँक 23-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 114 द्वारा उत्तरित]

केन नदी को बाढ़ से बांदा नगर को बचाने हेतु योजना

90—**प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन नदी की बाढ़ से बांदा नगर को बचाने के लिए सुरक्षा दीवाल के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र 30-8-82 उनको प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

बाढ़ से बचाने हेतु एक योजना "निमनी नाला बाँध योजना" बनाई गई है।

इस योजना पर तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक दिनाँक 24-11-82 में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि और अधिक अध्ययन के बाद यह ज्ञात किया जाय कि यह योजना लाभदायक होगी अथवा नहीं।

तदनुसार इस पर अग्रिम अध्ययन किया जा रहा है। विस्तृत अध्ययन के पश्चात् यह योजना मुख्य अभियंता समिति एवं तत्पश्चात् तकनीकी सलाहकार समिति को पुनः प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद बांदा के खाद्य एवं ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

91—**प्रो० चन्द्रप्रकाश शर्मा**—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी के द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में कोई जांच जिलाधिकारी, बांदा ने वर्ष 82-83 में करायी है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत अधिकारी के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की जांच करने हेतु जिलाधिकारी, बांदा से कहा गया है जिनकी जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

अयोध्या के पुराने घाटों के किनारे से नहर निकालने की कथित योजना

92— **श्री निर्मल खत्री**—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या के पुराने घाटों के किनारे से जो कि सरयू नदी पर पुल बन जाने के कारण अनुपयोगी हो गये हैं नहर निकालने की कोई योजना(हरि की पौड़ी हरिद्वार की तरह) सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका क्या स्वरूप है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिचाई विभाग में इस प्रकार की कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

93—**श्री नरेन्द्र कुमार गुप्त**—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

मथुरा जनपद, में मथुरा रिफाइनरी के सामने दुकानों के आबंटन के सम्बन्ध में कार्यवाही

94—**श्री सरदार सिंह**—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० एस० आई० डी० सी० कानपुर द्वारा मथुरा जनपद में मथुरा रिफाइनरी के सामने औद्योगिक क्षेत्र साइटब में निर्मित दुकानों की अग्रिम धनराशि देने वाले आवेदक व्यवसायियों को कब-कब आबंटित किया गया ? यदि नहीं, तो आबंटन न करने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

(क) कोई दुकान आबंटित नहीं की गई ।

(ख) निगम ने उल्लिखित औद्योगिक क्षेत्र में दुकानें निर्माण करने के पूर्व आवश्यकता आंकने के उद्देश्य से स्थानीय व्यक्तियों से पूँछताछ उनकी माँग के सम्बन्ध में करने के उद्देश्य से उनसे अग्रिम धनराशि मांगी थी । इनकी माँग प्राप्त होने पर निगम

के निदेशक मंडल ने निर्णय लिया कि दुकानों को सार्वजनिक नीलाम में सर्वाधिक बोली के आधार पर 90 वर्ष के पट्टे पर दिया जाय व समस्त धनराशि एक मुश्त नगद ली जाय। इस निर्णय को कार्यान्वित करने की दिशा में विभिन्न संस्थाओं से परामर्श किया जा रहा है।

अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में लक्षमनपुर माइनर की स्वीकृति तथा खुदाई

95—**श्री प्रियदर्शी जेतली**—

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में लक्षमणपुर माइनर की स्वीकृति कब दी गई ? क्या यह सही है कि इसकी खुदाई अभी पूरी नहीं हुई है और उसमें लगने वाला साइफन अब तक नहीं लगा है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या संबंधित काश्तकारों को मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अकबरपुर जनपद फैजाबाद में लक्षमणपुर माइनर के विस्तार की स्वीकृति वर्ष 1977 में दी गई।

जी हाँ, खुदाई अभी अधूरी है तथा साइफन निर्माणाधीन है। सम्बन्धित ठेकेदार का अनुबंध जुर्माना लगाकर फाइनल कर दिया गया है। दूसरी एजेन्सी से अब कार्य कराया जा रहा है।

मुआवजा नहीं दिया गया है चकबन्दी द्वारा धारा 52 प्रकाशित न होने के कारण भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

96—**श्री कुंवर सिंह नेगी**—

[6 वें बुधवार के लिए स्थगित]

विकास खण्ड गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ में हरिजन परिवारों हेतु पेयजल योजना का क्रियान्वयन

97—**श्री जसवन्त सिंह विष्ट**—

क्या नगर विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम फडियाली, विकास खण्ड गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ के 100 हरिजन परिवारों के लिए कोई पेयजल योजना बनायी गई है ? यदि हाँ, तो कब तक वह कार्यान्वित हो जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट के हरिजन परिवारों को सम्मिलित करते हुए ग्राम फडियाली की योजना वर्ष 1980-81 में विरचित की गई थी। इस योजना के श्रोत पर विवाद होने के कारण इस योजना पर कार्य नहीं कराया जा सका। अब विवाद सुलझ गया है। यदि पुनर्विवाद जैसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, तो योजना को मार्च 84 तक कार्यान्वित किया जा सकेगा।

उत्तराखण्ड सीमान्त कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा सीमान्त बंद का आवाहन तथा मांगें

98—**श्री जसवन्त सिंह बिष्ट**—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 6 नवम्बर, 1982 को सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ चमोली, उत्तरकाशी में समस्त शासकीय व अर्द्ध शासकीय कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में सीमान्त बन्द में भाग लिया था ? यदि हाँ, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं ? सरकार ने इसकी पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उत्तराखण्ड सीमान्त कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा 6 नवम्बर, 1982 को सीमान्त बन्द का आवाहन किया गया था समिति की मुख्य मांगें निम्नवत् थीं :—

(1) सीमान्त जिलों में सीमान्त विशेष वेतन 50 तथा 40 प्रतिशत के आधार पर दिया जायगा ।

(2) सभी कर्मचारियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा अथवा उसके बदले मकान किराया भत्ता 10 प्रतिशत के आधार पर दिया जाय ।

(3) नये वेतनमान में उनका वेतन निर्धारित करते समय सीमान्त विशेष वेतन और उस पर मंहगाई भत्ते को भी जोड़ा जाय ।

मांग 2 व 3 अव्यवहारिक पायी गई । जहाँ तक मांग 1 का सम्बन्ध है, प्रतिशत के आधार पर सीमांत विशेष वेतन दिए जाने का औचित्य नहीं पाया गया, किन्तु सीमान्त विशेष वेतन को पुनरीक्षित वेतन स्लैब के आधार पर दिनांक 1 अप्रैल, 1983 से संशोधित किया जा रहा है ।

ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर में बाढ़ से बचाव हेतु खाली सीमेन्ट की बोरियों की सप्लाई

99—**श्रीमती गौरी देवी**—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर में 1982 की बाढ़ से बचाव हेतु कितनी खाली सीमेन्ट की बोरियों की सप्लाई ली गयी ? क्या यह सही है कि इसका कोई भी टेंडर दैनिक समाचार पत्रों में किए बगैर ही सलैक्शन के आधार पर ऊँचे दरों पर आपूर्ति कर ली गयी जिससे आपूर्ति की क्वालिटी भी प्रभावित हुई ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर संबंधित अधिकारियों को दंडित करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर में 1982 की बाढ़ से बचाव हेतु 2,78,500 अदद सीमेन्ट की खाली बोरियों की सप्लाई ली गई ।

अधिक बाढ़ की आपातकालीन परिस्थिति में बाढ़ सुरक्षा हेतु बोरियों की तुरन्त आवश्यकता पड़ जाने से बोरियों के क्रय हेतु समाचार पत्रों में टेण्डर प्रकाशित करना संभव नहीं था । फलस्वरूप कोटेशन के आधार पर केवल अच्छी क्वालिटी की बोरियों की आपूर्ति विभागीय दरों के अन्तर्गत ली गयी ।

अतः किसी प्रकार की जांच किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

करमैनी बैलोली बांध के सहायक अभियन्ता श्री वी० पी० सिंह का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण

100— **श्रीमती गौरी देवी** —

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेलौली ग्राम के पास लगातार तीन वर्षों से टूटने वाले करमैनी बैलौली बांध के सहायक अभियन्ता श्री बी० पी० सिंह गोरखपुर जिले में कितने वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या सरकार वह कारण और परिस्थितियां बतायेंगी जिनके कारण इनका स्थानान्तरण आज तक नहीं हो सका ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

करमैनी बैलौली बाँध के सहायक अभियन्ता श्री० बी० पी० सिंह गोरखपुर जिले में अक्टूबर, 1977 से कार्यरत हैं ।

श्री बी० पी० सिंह, सहायक अभियन्ता अक्टूबर, 1977 से ड्रेनेज प्रखण्ड गोरखपुर में तथा अपने वर्तमान प्रखण्ड बाढ़ गोरखपुर में करमैनी बैलौली बाँध के कार्य पर दिसम्बर, 1981 से कार्यरत हैं, अतः इनके कार्यकाल में बाँध के तीन बार टूटने का उल्लेख यथातथ्य नहीं है ।

दिसम्बर, 1981 में इनको ड्रेनेज प्रखण्ड गोरखपुर से बाढ़ प्रखण्ड गोरखपुर में स्थानान्तरित करके इनके कार्यक्षेत्र को बदला जा चुका है ।

अब वार्षिक स्थानान्तरण के समय इनका गोरखपुर से बाहर स्थानान्तरण प्रभावित है ।

गोरखपुर शहर की सुरक्षा हेतु हावर्ट बाँध पर सोलिंग का फार्म तथा ठेकेदारों के नाम व दरों का विवरण

101—**श्रीमती गौरी देवी**—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर शहर की सुरक्षा हेतु बने हाबर्ट बाँध पर सोलिंग का कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य का अनुबंध किसके नाम तथा किस दर पर किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोरखपुर शहर की सुरक्षा हेतु बने हाबर्ट बाँध जिसकी लम्बाई 3.89 कि.मी है, में 810 मीटर की लम्बाई में पहले से सोलिंग मौजूद थी । बाकी में से वित्तीय वर्ष 1982-83 में 2.79 कि.मी. की लम्बाई में सोलिंग का कार्य करा लिया गया है और अब केवल 290 मी० की लम्बाई में यह कार्य शेष है ।

इस वर्ष पूर्ण हुए कार्य से संबंधित ठेकेदारों के नाम व दरों का विवरण निम्न प्रकार है :—

चैनेज	ठेकेदार का नाम	विभागीय दर	अनुबन्धित दर
0.0 से 0.50	श्री सुधीर कुमार	रु० 29.40	रु० 26.19 प्रति वर्ग मीटर
0.9 से 1.10	श्री सुधीर कुमार	रु० 29.40	रु० 26.17 ,, ,,
1.3 से 1.60			
2.6 से 3.10	श्री बेचन प्रसाद	रु० 29.40	रु० 25.95 ,, ,,
1.6 से 1.80	श्री अशोक कुमार	रु० 29.40	रु० 26.31 ,, ,,
2.3 से 2.60			
3.1 से 3.89	श्री अशोक कुमार	रु० 29.40	रु० 26.29 ,, ,,

जनपद मिर्जापुर में हरिजन छात्रावास के निर्माण हेतु विद्यालयों को आवंटित धनराशि

102—**श्री राम चरण सिंह**—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1981-82 व 82-83 में हरिजन छात्रावास निर्माण हेतु किन-किन विद्यालयों को कितना-कितना धन आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ। जनपद मिर्जापुर में 1981-82 में हरिजन छात्रावास निर्माण हेतु केवल एक विद्यालय किसान इण्टर कालेज, राजगढ़ को 60,000/-रु० (साठ हजार रुपये) की धनराशि आवंटित की गयी थी। वर्ष 1982-83 में अभी तक उक्त विद्यालय के छात्रावास निर्माण के विस्तार हेतु 80,000/रु० की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में आवंटित की गयी है। सभी औपचारिकता पूर्ण होकर प्राप्त तक अन्य विद्यालय की मांग शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर में अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों को बीमारी व पुत्रियों के विवाह हेतु स्वीकृति धनराशि तथा छात्रों को प्रदान की गयी छात्रवृत्ति का विवरण

103—**श्री राम चरण सिंह**—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1982 व 83 में अब तक अनुसूचित जाति के कितने निर्धन व्यक्तियों को बीमारी के इलाज एवं उनकी पुत्रियों की शादी के लिये कितना धन स्वीकृत किया गया ? प्राप्तकर्त्ता कहां-कहां के निवासी हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी नहीं,

वर्ष 1982-83 में अभी तक मिर्जापुर जिले में कोई भी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है क्योंकि कोई भी नियमानुसार पूर्ण प्रस्ताव शासन के समक्ष नहीं प्राप्त हुआ।

प्रश्न नही उठता।

104—**श्री राम चरण सिंह**—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1982 व 83 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कक्षा 9 व 10 के समस्त छात्रों की विद्यालय वाइज सूची उपलब्ध करायेंगे ? जिनको छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

105—**श्री राम चरण सिंह**—

[7 वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

जनपद जालौन में रिग्स सिंचाई विभाग हेतु श्री चन्द्र किशोर की अधिग्रहीत की गयी भूमि एवं प्रतिकर का भुगतान

106—**श्री शंकर सिंह**—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद जालौन के मौजा लहारिया परगना उरई में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मंडल झाँसी, द्वारा सन् 1977 में रिग्स सिंचाई विभाग के लिए श्री चन्द्र किशोर की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी ? यदि हां, तो श्री चन्द्र किशोर को अभी तक मुआवजा न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

विशेष अध्याप्ति अधिकारी, झाँसी ने श्री चन्द्र किशोर को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में माह 6/80 में अधिनिर्णय घोषित किया था, परन्तु श्री चन्द्र किशोर द्वारा प्रतिकर की धनराशि से असन्तुष्ट होने के कारण इसको प्राप्त नहीं किया गया । उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण पुनः प्रतिकर निर्धारण हेतु जिला सत्र न्यायाधीश, उरई को भेज दिया गया है ।

107—**श्री मोती लाल देहलवी**—

[दिनाँक 27/1/82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 23 द्वारा उत्तरित]

जनपद कानपुर के रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप व एलन फोरस्ट वर्कशाप में उत्पादन तथा कर्मचारियों को ओवर टाइम के रूप में दी गई धनराशि का विवरण

108—**श्री मोती लाल देहलवी**—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर के रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप व एलन फारेस्ट वर्कशाप में वर्ष 1979-80 में प्रतिमाह तथा वर्ष 1980-81 में प्रतिमाह कितना-कितना उत्पादन हुआ और उक्त दोनों वर्षों में प्रतिमाह कितना-कितना धन दोनों वर्कशाप के कार्यरत कर्मचारियों को ओवर टाइम के रूप में भुगतान किया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम, मुख्यालय, लखनऊ में विभिन्न पदों पर की गयी पदोन्नति में अनूसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या तथा आरक्षित कोटा प्रत्येक पद पर पूरा किये जाने हेतु कार्यवाही

109—**श्री मोती लाल देहलवी**—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र०रा० स०प० निगम मुख्यालय लखनऊ में विगत 23 जुलाई, 81 से जुलाई 82 तक एल०डी०सी० से यू०डी०सी० के लिये तथा यू.डी.सी. से नोटर ड्राफ्टर के लिए कुल कितने लोगों को प्रोन्नति की गई और उनमें अनुसूचित जाति के कितने लोग प्रोन्नत किये गये ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ में दिनांक 23/7/81 से जुलाई, 82 तक कुल अवर वर्ग लिपिक (एल.डी.सी.) से प्रवर वर्ग लिपिक (यू.डी.सी.) के पद पर 12 कार्मिकों को तथा प्रवर वर्ग लिपिक (यू.डी.सी.) से उपलेखक प्रालेखक (नोटर ड्राफ्टर) के पद पर 12 कार्मिकों की प्रोन्नतियां की गई। उक्त में किसी अनुसूचित जाति के कार्मिक को पदोन्नति नहीं दी गई।

110—**श्री मोतीलाल देहलवी—**

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र०स. परि. निगम मुख्यालय में क्या अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का 18 प्रतिशत का सुरक्षित कोटा पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के कितने प्रतिशत कर्मचारी अलग-अलग वर्ग में कार्यरत हैं ? यदि नहीं तो इसका कारण क्या है तथा वह कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं।

निगम मुख्यालय पर वर्ग-3 में कुल 355 पद स्वीकृत हैं। इन पदों में से 178 पद सीधी भर्ती से तथा 177 पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं। इस समय 355 पदों में से केवल 282 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं। शेष पद रिक्त हैं। 282 कर्मचारियों में से केवल 19 कर्मचारी ही अनुसूचित जाति के हैं।

मुख्यालय पद चतुर्थ श्रेणी के कुल 104 पद हैं जिनमें 6 पद स्वीपर के हैं तथा 12 पद स्थगित चल रहे हैं। शेष 86 पदों में कार्यरत कार्मिकों में 11 अनुसूचित जाति के कार्मिक हैं।

जिन श्रेणियों में आरक्षण का कोटा 18 प्रतिशत पूरा नहीं है उसका मुख्य कारण उपयुक्त कार्मिकों का उपलब्ध न होना तथा प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिये उपलब्ध कार्मिकों द्वारा अर्हकारी सेवा का पूर्ण न किया जाना है। यह आरक्षण का कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में कहना है कि वर्तमान समय में नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। उक्त संवर्गों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों में नियुक्तियों के समय निर्धारित कोटा पूरा करने हेतु भरसक प्रयास किया जायेगा।

बलिया जनपद में भूतपूर्व विधायक श्री शम्भू नाथ चौधरी द्वारा दिये गये शिकायती पत्र की जांच

111—**श्री मोतीलाल देहलवी—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जनपद के भू.पू. विधायक श्री शम्भूनाथ चौधरी का बलिया जनपद के सिंचाई विभाग और बाढ़ विभाग में अनियमित बोल्डर आपूर्ति में धांधली के सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो वे शिकायती पत्र क्या हैं और क्या सरकार सम्बन्धित जांच आख्या को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ। बलिया जनपद के भूतपूर्व विधायक श्री शम्भू नाथ चौधरी का प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र दिनांक 18/3/82 को प्राप्त हुआ था।

इसमें निम्न शिकायतें की गई थी :—

(1) चांदपुर चपरुखिया स्थलों पर ठेकेदारों द्वारा विभागीय निर्देशानुसार बोल्डर के चट्टे नहीं लगाये गये ।

(2) 85 लाख रुपये का घटिया किस्म का बोल्डर आपूर्ति किया गया । इत्यादि ।

इस शिकायतों की जांच सम्परीक्षा कोष्ठ (सिंचाई सचिव शाखा) ने की थी और उनके निर्देशानुसार कार्य की जाँच हेतु एक समिति बनाई गई तथा जिसकी जाँच आख्या प्राप्त हो गई है, जो विचाराधीन है ।

जांच आख्या पटल पर रखना उपयुक्त नहीं होगा ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण बसों की मरम्मत करने तथा नई बस भेजने को दिशा में कार्यवाही

112—**श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी**—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य परिवहन निगम द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बसों के अभाव एवं उनकी खराबी के कारण कई बस सर्विसें नियमित नहीं चलाई जाती है । जिससे जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार कोटद्वार डिपो में बसों के अभाव को दूर करने, त्रुटिपूर्ण बसों की मरम्मत करने अथवा उनके स्थान पर नई बसें भेजने की दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ? और कब तक समस्या का समाधान होने की सम्भावना है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य —

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत पेयजल योजनायें तथा गढ़वाल जल संस्थान के रख रखाव हेतु हस्तान्तरण

113—**श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी**—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसी कौन-कौन सी पेयजल योजनायें हैं जो रख-रखाव के लिए अभी तक उ.प्र. जल निगम द्वारा गढ़वाल जल संस्थान को स्थानान्तरित नहीं की जा सकी है ? इन योजनाओं के स्थानान्तरित न होने के कारण क्या हैं ? कब तक इन्हें गढ़वाल जल संस्थान को स्थानान्तरित होने की संभावना है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य —

जनपद पौड़ी गढ़वाल की 45 योजनायें गढ़वाल जल संस्थान को रख-रखाव हेतु हस्तान्तरित होनी हैं । इन योजनाओं की सूची सलंग्न है ।

योजनाएें संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त बराबर गढ़वाल जल संस्थान को हस्तान्तरित की जा रही हैं ।

इन योजनाओं का गढ़वाल जल संस्थान को हस्तान्तरण, संयुक्त निरीक्षण व यदि संयुक्त निरीक्षण में कोई कमी पायी जाती है तो उसके निराकरण व पुनः निरीक्षण पर निर्भर करेगा ।

(देखिए नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ पर ।)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम नगर असवालस्यूं में स्थापित आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक चिकित्सालयों में से एक को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही

114-115—**श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी**—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र कल्जीखाल के अन्तर्गत ग्राम नगर असवालस्यूं में आयुर्वेदिक चिकित्सालय और एलोपैथिक चिकित्सालय को कब-कब स्थापित किया गया है ? इस प्रकार एक ही ग्राम में दो चिकित्सालय स्थापित करने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि अन्य क्षेत्रों में मीलों दूर तक किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम नगर असवालस्यूं में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय को ग्राम सल्डा बनगढ़स्यूं में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में शासन को कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब तक इस आयुर्वेदिक चिकित्सालय के अन्यत्र स्थानान्तरित हो जाने की सम्भावना है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र कल्जीखाल के अन्तर्गत ग्राम नगर असवालस्यू में आयुर्वेदिक चिकित्सालय वर्ष 1961-62 तथा एलोपैथिक चिकित्सालय वर्ष 1981-82 में स्थापित हुए हैं। सम्भवत: आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक चिकित्सालय अलग अलग निदेशालयों द्वारा प्रस्तावित होने के कारण एक ही स्थान पर अर्थात् नगर में दो चिकित्सालय खुल गये हैं। इन दो चिकित्सालयों में से एक को असेदित क्षेत्र में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, नगर असवालस्यूं को ग्राम सब्डा बनगड़स्यूं में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में शासन को कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है और ऐसी दशा में उस ग्राम सब्डा बनगडस्यूं में स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत कथित पुगठा पेयजल योजना

116—**श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी**—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत पुगठा पेयजल योजना शासन द्वारा कब स्वीकृत की गई थी और अब तक योजना के निर्माण में क्या प्रगति है तथा कब तक इस योजना का निर्माण पूर्ण होने की सम्भावना है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत पुगठा नामक कोई पेयजल योजना स्वीकृत नहीं हुई है। अतएव योजना क निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय विकास परिषद की बैठक में पर्वतीय क्षेत्र में विभागीय रिक्तियों को भरे जाने हेतु आदेश

117—**श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी**—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास परिषद् की विगत बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में डाक्टरों, फार्मेसिस्टों और शिक्षकों के रिक्त पदों पर

नियुक्तियाँ करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

पर्वतीय क्षेत्र में विभागीय रिक्तियों को भरे जाने हेतु दिनांक 18 सितम्बर, 1982 को पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसरण में स्वयं मुख्य मन्त्री जी ने सभी सम्बन्धित विभागीय मंत्रिगणों को अपने परिपत्र दिनाँक 14 अक्टूबर, 1982 द्वारा आश्वासन की पूर्ति हेतु सम्बोधित किया है। इसका अनुसरण पर्वतीय विकास विभाग द्वारा भी किया जा रहा है और क्रमशः दिनांक 6 दिसम्बर, 1982, 19 जनवरी, 1983 और 18 फरवरी, 1983 को विभागीय सचिवों/विभागाध्यक्षों को परिपत्र भेजे गये हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य, एवं शिक्षा विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके द्वारा भी तदनुसार रिक्तियों को भरने की दिशा में कदम उठाये गये हैं।

118—**श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी** —

[7 वें बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड कोट के अन्तर्गत स्वीकृत पैडल पेयजल योजना

119—**श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी**—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत पैडल पेयजल योजना शासन द्वारा कब स्वीकृत की गई थी और कब तक इस योजना से ग्रामवासियों को पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत पैडल पेयजल योजना जल निगम द्वारा सितम्बर 1981 में स्वीकृत हुई थी। स्वीकृत पैड़ल पेयजल योजना के लिए प्रस्तावित जल श्रोत पर ग्रामवासियों की आपत्ति होने के कारण इस योजना पर कार्य आरम्भ नहीं कराया जा सका। अब अन्य वैकल्पिक जल श्रोत ढूँढा गया है। योजना का पुनिरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है एवं पुनिरीक्षित योजना की स्वीकृति के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इस योजना से ग्रामवासियों को पीने का पानी लगभग दो वर्ष की अवधि में उपलब्ध कराया जा सकेगा।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र कोट के अन्तर्गत स्वीकृत सल्डा ग्राम समूह पेयजल योजना का क्रियान्वयन

120—**श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी** —

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र कोट के अन्तर्गत सल्डा ग्राम समूह पेयजल योजना शासन द्वारा कब स्वीकृत की गई थी और इसका निर्माण कब प्रारम्भ किया गया था ? कब तक इस योजना से ग्रामवासियों को पीने का पानी मिल सकेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट की सल्डा पेयजल योजना वर्ष 1977-78 में जल निगम द्वारा स्वीकृत की गई थी तथा इसका निर्माण कार्य मई 1978 में

प्रारम्भ किया गया था। राज्य विद्युत परिषद द्वारा विद्युत कनेक्शन उपलब्ध न करने के कारण योजना को चालू नहीं किया जा सका। विद्युत कनेक्शन मिल जाने के तीन माह बाद से ग्रामवासियों को पानी दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में एलोपैथिक/आयुर्वेदिक एवं महिला चिकित्सालय खोलने का निर्णय

121—**श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी**—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में वर्ष 1982-83 (दिसम्बर 82 तक) में किन किन स्थानों पर चिकित्सालय खोलने का निर्णय लिया गया है और कब तक ये चिकित्सालय स्थापित हो जायेंगे।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1982-83 में जनपद पौड़ी गढ़वाल में दिसम्बर 1982 तक निम्नलिखित स्थानों पर एलोपैथिक / आयुर्वेदिक एवं महिला चिकित्सालय खोलने का निर्णय लिया गया है।

एलोपैथिक	आयुर्वेदिक	महिला
1—स्योली तल्ला (ब्लाक थलीसिंग)	1—ग्राम खण्डा (ब्लाक पौडी)	1—बानधाड (ब्लाक डांडामण्डी)
2—मासोधार (ब्लाक थलीसैण)	2—ग्राम सत्याजाल (ब्लाक पौड़ी)	
3—काडखाल (ब्लाक डांडामण्डी)		
4—धनियाखाल (ब्लाक पौड़ी)		

उपरोक्त सभी चिकित्सालयों की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है और आशा है कि सभी मार्च 1983 तक स्थापित हो जायेंगे।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत मरोड़ा बांध कार्यालय के निर्मित भवनों में से एक भवन को निरीक्षण भवन में बदलने का निर्णय

122—**श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी**—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत मरोड़ा बाँध कार्यालय के भवनों की मरम्मत करवाकर उन्हें उपयोग में लाने तथा एक भवन को निरीक्षण भवन में बदलने का निर्णय जिला सिंचाई सलाहकार समिति में लाया गया था ? अब तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई और उक्त निर्णय का क्रियान्वयन कब तक हो सकेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मरोड़ा बाँध के अन्तर्गत निर्मित भवनों में से एक भवन की मरम्मत कराकर निरीक्षण भवन में बदलने का निर्णय जिला सिंचाई सलाहकार समिति, पौड़ी द्वारा लिया गया था।

ये भवन इतने क्षतिग्रस्त है कि केवल मरम्मत कराकर निरीक्षण भवन में बदलना है सम्भव नहीं है। भवन को पूर्ण रूप से गिराकर नये सिरे से निरीक्षण भवन बनाया जा सकता है, जिसकी लागत अत्यधिक होगी।

चूँकि इस स्थान पर निरीक्षण भवन की विभाग को कोई आवश्यकता भी नहीं है अतः उपर्युक्त संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

जनपद पौड़ी-गढ़वाल की चोपड़ा नहर विस्तार की विचाराधीन योजना

123—**श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी**—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत थनगढ़ चोपड़ा नहर के विस्तार और बागी नहर के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचारार्थ है ? यदि हां, तो इन योजनाओ का क्रियान्वयन कब तक हो जाने की संभावना है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य —

जनपद पौड़ी गढ़वाल में चोपड़ा नहर विस्तार की योजना विचाराधीन है। स्वीकृति के उपरान्त योजना का क्रियान्वयन लगभग तीन वर्ष में सम्भव होगा।

जहाँ तक बागी नहर निर्माण योजना का प्रश्न है, इस योजना का निर्माण फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

124—**श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी**—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित]

सरदार उधम सिंह, ग्राम हरवर्टपुर, देहरादून का भूमि का पट्टा दिया जाने के सम्बन्ध में पत्र

125—**श्री गोपीनाथ-वर्मा**—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उमेश्वर प्रताप सिंह विधायक के पत्र के साथ सरदार उधम सिंह, माली निवासी ग्राम हरवर्टपुर, देहरादून का पत्र उनकी भूमि के पट्टे के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को अप्रैल/मई, 82 में दिया है ? यदि हां, तो सरकार यह भी बतायेगी कि इनको अभी तक उक्त भूमि का पट्टा क्यों नहीं दिया गया ? सरकार पट्टा देने के आदेश तुरन्त जारी करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ, सरदार उधम सिंह का प्रार्थना पत्र दिनांक 21-9-82 को जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ था। विभाग की भूमि पट्टे पर दिये जाने से संबंधित वर्तमान शासनादेश के अनुसार चूँकि सरदार उधम सिंह पट्टा पाने के अधिकारी नहीं हैं, अतः उन्हें पट्टा देना संभव नहीं है।

जिला अलमोड़ा की ग्राम नौगांव की पेयजल योजना का क्रियान्वयन

126—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् 61-62 में ग्राम सभा नौगवां पट्टी तल्ला सिलोरा, विकास क्षेत्र ताड़ीखेत, जिला अल्मोड़ा में पेयजल योजना के लिये शासन

से 30,000 रु० स्वीकृत हुआ था ? यदि हाँ, तो क्या योजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है और पेयजल समस्या का निदान हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों और इसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

ग्राम नौगाँव की पेयजल योजना का प्राक्कलन जिसकी अनुमानित लागत 6.370 लाख रु० है, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा विरचित हो गयी है । योजना पर जल निगम ने स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के आदेश भी दे दिये हैं ।

रोडवेज वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, रायबरेली में बसें व उनकी स्थिति, वर्कशापों का सत्यापन तथा कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी

127—**श्री ऊदल**—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम रोडवेज, वाराणसी रोडवेज जौनपुर, रोड़वेज मिर्जापुर, आजमगढ़, रायबरेली, में सन् 80 में कितनी बसें थीं और अब कितनी चालू हालत में हैं व कितनी खराब हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

128—**श्री ऊदल**—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त पाँचों डिपो के वर्कशापों का पिछली बार कब सत्यापन कराया गया था तथा सत्यापन में कितना सामान गायब मिला है ? क्या सरकार उसकी एक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

129—**श्री ऊदल**—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त पांचों रोडवेज के वर्कशापों में अलग-अलग कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि सभी वर्कशापों में सामानों की कमी है ? इसको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शारदा सहायक परियोजना, वाराणसी के अन्तर्गत बाबतपुर राजबाहा के निर्माण में गांव असवारी के कृषकों की ली गयी भूमि के प्रतिकर का वितरण

130—**श्री ऊदल**—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक 38 खण्ड बाबतपुर, राजबाहा, जिला वाराणसी में गांव असवारी में जगजीत शिरोमणि अढ़ोवर बद्री बलभद्र

तथा गांव दारापुर निवासी गिरधर सिंह, नथईपुर की जमीन ली गई है ? यदि हां, तो इन लोगों को मुआवजा न देने का कारण क्या है ? क्या सरकार उपरोक्त किसानों की ली गई जमीन की पैमाइश कराकर उनको जल्द से जल्द मुआवजा देने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद वाराणसी में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बावतपुर राजबाहा के निर्माण में ग्राम असवारी से सम्बन्धित किसानों के भूमि के प्रतिकर का वितरण निम्न प्रकार है :—

1— श्री जगजीत पुत्र मुतवन्न मनोहर निवासी ग्राम दारापुर की ग्राम असवारी में भूमि 0.19 एकड़ ली गई है जिसमें से 0.960 एकड़ भूमि का प्रतिकर 774.49 रुपये दिनांक 4-10-82 को दिया जा चुका है। शेष भूमि का प्रतिकर शीघ्र ही पारस्परिक समझौते से देने की कार्यवाही की जा रही है।

2— सर्वश्री शिरोमणि, अछैवर तथा बद्री के भूमि का प्रतिकर क्रमशः 0.040,0.05, 0.050 एकड़ का पारस्परिक समझौते से देने की कार्यवाही की जा रही है।

3— श्री बलभद्र पुत्र मुन्नी लाल को 0.008 एकड़ भूमि का प्रतिकर 143.60 रुपये दिनांक 4-10-82 को दिया जा चुका है तथा उन्हें 0.108 एकड़ भूमि का प्रतिकर पारस्परिक समझौते से देने की कार्यवाही की जा रही है।

4— श्री गिरधर पुत्र रामदास के नाम .002 एकड़ भूमि का प्रतिकर बना हुआ है जिसका वितरण किया जाना है। इसके अतिरिक्त .058 एकड़ भूमि का प्रतिकर आपसी समझौते से देने की कार्यवाही की जा रही है।

ओबरा बाँध निर्माण मण्डल ओबरा, जिला मिर्जापुर में सहायक अभियन्ता का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण

131—**श्री ऊदल**

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ओबरा बांध निर्माण मण्डल ओबरा, जिला मिर्जापुर में कितने सहायक अभियन्ता ऐसे हैं जिनको वहां पर कार्य करते हुए 3 वर्ष से ऊपर हो गया है ? क्या सरकार इनके स्थानान्तरण पर विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ओबरा बाँध निर्माण मण्डल, ओबरा, जिला मिर्जापुर में 9 सहायक अभियन्ता ऐसे हैं जिनको वहां कार्य करते हुये 3 वर्ष से ऊपर हो गया है।

इन सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण के बारे में इस वर्ष सामान्य स्थानान्तरण के समय विचार करना प्रस्तावित है।

गोरखपुर क्षेत्र के बर्डघाट डिपो में गबन की जांच तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर क्षेत्र के बर्डघाट डिपो में लगभग एक लाख रुपये के गबन के संबंध में प्रश्नकर्त्ता

का पत्र दि० 24-3-82 उनको मिला है ? यदि हाँ, तो अब तक उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य —

जी हाँ, पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच लेखाधिकारी श्रेणी—1 (पूर्वी जोन) उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी द्वारा की जा रही है ।

133 — श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मामले की जाँच में कौन-कौन से लोग दोषी पाये गये और उनके खिलाफ कौन-सी कायवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य —

जाँच अभी पूरी नहीं हुई है । जाँच आख्या प्राप्त होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

विधायक श्री विमल प्रसाद तिवारी द्वारा चारबाग डिपो के कनिष्ठ डिपो प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायत

134 — श्री विमल प्रसाद तिवारी —

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र संख्या 360/का/82 दि० 17-5-82 को श्री पी० के० जैन, डिपो प्रबन्धक, चारबाग डिपो, उ. प्र. रा. स. प. नि. लखनऊ को प्रश्नकर्त्ता द्वारा इसी डिपो के कनिष्ठ डिपो प्रबन्धक के विरुद्ध की गई शिकायत के संदर्भ में लिखा था ? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य —

माननीय विधायक ने दिनाँक 5-5-1982 को चारबाग बस स्टेशन से फर्रुखाबाद की 13-30 बजे की बस सेवा को समय से पूर्व चली जाने के संबंध में शिकायत की थी जिसकी जाँच के बाद स्टेशन प्रभारी को कार्य से हटाया गया, चालक का 4000 किलो मीटर का माइलेज भत्ता काटते हुये प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई । परिचालक का तीन माह का नेक चलन भत्ता काट दिया गया ।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम को बाढ़ तथा ओलाग्रस्त क्षेत्रों में नलकूप के निर्माण में दी गई धनराशि, नलकूपों का छिद्रण, विकसन तथा सिंचन क्षमता

135 — श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्ष 79 में उ० प्र० नलकूप निगम को बाढ़ तथा ओलाग्रस्त क्षेत्रों में 80 नलकूप के निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपया दिया गया था ? यदि हां, तो प्रस्तावित नलकूपों में से कितने नलकूप 15–10–82 तक निर्मित हुए उनकी कुल सिंचित क्षमता एवं क्षेत्र क्या है ? अब तक कुल अपूर्ण नलकूपों की संख्या क्या है और उनमें विलम्ब होने का क्या कारण है ? तथा विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ, उत्तर प्रदेश नलकूप निगम को बाढ़ तथा ओलाग्रस्त क्षेत्रों में 80 नलकूपों के निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपये वर्ष 1979 में उपलब्ध कराये गये थे।

15–10–82 तक इसके विरुद्ध 79 नलकूपों का छिद्रण किया गया व इनमें से 77 नलकूपों का विकसन कराया गया। प्रत्येक नलकप की सिंचन क्षमता व क्षेत्र लगभग 100 हेक्टेयर है।

उपरोक्तानुसार एक नलकूप का छिद्रण स्थल निश्चित न होने के कारण व 2 नलकूपों का विकसन समुचित क्षमता के कम्प्रेशर उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो पाया है। शेष 77 नलकूपों पर निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा प्रगति पर है।

उपरोक्त परिस्थितियों में विलम्ब के लिए किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा जा सकता।

श्री रामपालसिंह, स्टेनो, टोन्स सिविल निर्माण मण्डल प्रथम, देहरादून के विरुद्ध उनकी पत्नी द्वारा हरदोई के मुन्सिफ मजिस्टेट में चल रहे मुकदमों में लिया गया फर्जी यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता की जांच व कथित आवास का आवंटन

136—**श्री राम आसरे वर्मा —**

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रामपाल सिंह स्टेनो, जो टोन्स सिविल निर्माण मण्डल प्रथम, देहरादून में अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय से सम्बद्ध है, के विरुद्ध उनकी पत्नी श्रीमती मंजूलता द्वारा अपने गुजारे के लिये हरदोई मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, पश्चिमी की अदालत में कोई मुकदमा चला रहा है ? यदि हाँ, तो यह सही है कि श्री रामपाल सिंह को उक्त मुकदमे की पैरवी में 31 अगस्त, 79, 10 सितम्बर, 79, 5 अक्तूबर, 79, 5 नवम्बर, 79, 11 जनवरी, 80, 29 जनवरी, 80, 13 फरवरी, 80, 25 अप्रैल, 80, 12 जून, 80, 25 जून, 80, 26 जून, 80, 26 जुलाई, 80, 16 अगस्त, 80, 19 अगस्त, 80 को हरदोई जाना पड़ा ? क्या यह भी सही है कि उक्त सन्दर्भित तारीखों को फर्जी यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता उक्त श्री रामपाल सिंह ने कार्यालय द्वारा लिया ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा उनके विरुद्ध इस आर्थिक धोखाधड़ी के आधार पर कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या इसकी विस्तृत जांच करवाकर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रत की जा रही है।

137—**श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामपाल सिंह स्टेनो, जो टोन्स सिविल निर्माण मंडल प्रथम सूचना जमुना भवन, देहरादून में अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय से सम्बद्ध है, को डाक पत्थर स्थित जमुना कालोनी का क्वार्टर नं० 11–97 उस समय आवंटित किया गया था जब वह डाक पत्थर में कार्यरत थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त फ्लैट को किराये पर उठाकर उससे अवैध कमाई की जा रही है ? यदि नहीं तो श्री रामपाल सिंह की अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में सम्बद्धता के बाद डाक पत्थर स्थित उक्त प्लैट के आवंटन को जारी रखने का औचित्य क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री रामपाल सिंह स्टेनो को यमुना कालोनी का क्वाटर नं० 11–79 कभी आवंटित नहीं हुआ। शेष प्रश्न ही नहीं उठते।

लक्ष्मी स्पन पाइप इंडस्ट्रीज सोरांव, इलाहाबाद की पूँजी, ऋण तथा अग्रिम भुगतान

138—**श्री माता प्रसाद पाण्डेय—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लक्ष्मी स्पन पाइप इंडस्ट्रीज सोरांव, इलाहाबाद में 15 अक्टूबर, 82 को कुल कितनी पूंजी लगी है, कितने ऋण द्वारा कितनी निजी पूंजी फैक्ट्री मालिक ने लगाई है ? 15 अक्टूबर, 82 तक मालिक ने किन-किन विभागों से कितना रुपया अग्रिम भुगतान प्राप्त किया ? अब तक कुल कितना माल तैयार हुआ और 15 अक्तूबर, 82 तक कितना-कितना माल किस-किस विभाग को सप्लाई किया ? क्या सरकार उसकी सूची सदन पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना प्राप्त होने पर यह ज्ञात हुआ कि यह इकाई निजी क्षेत्र की है, अतः इसका उत्तर देना सरकारी कार्य क्षेत्र में नहीं आता।

गोरखपुर में थारू जनजाति के छात्रों की छात्रवृति में गड़बड़ी व अनियमितता की जांच रिपोर्ट

139—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर में थारू जनजाति को मिलने वाली सहायता में गड़बड़ी व अनियमितता की जांच रिपोर्ट उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, गोरखपुर, द्वारा अगस्त, 82 में जिला अधिकारी, गोरखपुर को भेज दी गई है ? यदि हाँ, तो रिपोर्ट क्या है और अब तक कार्यवाही न होने का कारण क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ।

आरोपों की जाँच के फलस्वरूप यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 1981-82 में जिन छात्रों की छात्रवृत्ति प्रधानाध्यापक सुवास जूनियर हाई स्कूल, सोनाली बाजार ने प्राप्त की उनमें से 13 अनुसूचित जाति के छात्र भी सम्मिलित थे जो कि कुछ समय तक ही संस्था में रहे हैं परन्तु प्रधानाध्यापक द्वारा पूरे वर्ष के लिए इन 13 छात्रों की छात्रवृत्ति 1200/– प्राप्त की गयी।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी ने थाना सोनीली बाजार में प्रधानाध्यापक के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज करा दी है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत स्कूल ने ट्रेजरी चालान संख्या--40 ए० , दिनाँक 27 सितम्बर, 82 द्वारा अनियमित रूप से पाई छात्रवृत्ति की धनराशि 1200/-- रु० शासकीय कोष में जमा कर दिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बरेली में ग्राम पडेरी समीप बरौर पर सिंघइया नाले पर क्षतिग्रस्त पुल से दुर्घटना, दूसरे पुल के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही

140—**श्री चेतराम गंगवार**—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जिला बरेली में ग्राम पडेरी समीप बरौर पर सिंघइया नाले पर अंग्रेजी शासनकाल का सिंचाई विभाग द्वारा बना पुल अभी हाल में टूट गया और उससे अनेक जानवर तथा आदमी मर गये ? यदि हाँ, तो सारा विवरण क्या है ? इस विषय में शासन ने ग्रामीणों की क्या सहायता की तथा पुल निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1978 की वर्षा में उक्त पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। वर्षाकाल के अतिरिक्त समय में इस नाले में पानी कम रह जाता है तो ग्रामवासी नदी को बैलगाड़ी या पैदल पार करने में सफल हो जाते हैं जिसके कारण कभी असावधानी के कारण दुर्घटना भी हो जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस स्थल से 10 कि० मी० ऊपर पिछले वर्ष 12 लाख रुपये की लागत के पुल का निर्माण किया है तथा 8 कि० मी० नीचे दूसरे पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है।

जिला शाहजहांपुर के सरऊ नाले की खुदाई तथा सफाई

141—**श्री सत्यपाल सिंह यादव**—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र दि० 13-12-81 मन्त्री जी को माह जनवरी, 82 में प्राप्त हुआ जिसमें सरऊ नाला, जिला शाहजहाँपुर की खुदाई कराने के विषय में अनुरोध किया गया है ? यदि हाँ, तो उपरोक्त गम्भीर समस्या के निदान की कार्यवाही में अब तक क्या प्रगति हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

प्रश्नकर्त्ता ने सरऊ नाले की खुदाई के विषय में जो लिखा है उसका तात्पर्य नाले की सफाई से है, क्योंकि यह नाला पहले से ही निर्मित है।

सरऊ नाले के कुछ भाग में सफाई का कार्य कराया जा चुका है तथा अवशेष कार्य आगामी वर्षाकाल से पूर्व करा दिया जाना प्रस्तावित है।

तारांकित प्रश्न संख्या 13 के स्थानान्तरित होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

(12 बजकर 10 मिनट)

***श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल**—

मान्यवर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा तारांकित प्रश्न सं० 13 है, यह प्रश्न मैंने जो मा० मन्त्रीगण शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं, उनसे सम्बन्धित है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इसमें लिखा है कि 14 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित, तो मान्यवर, यह इस सत्र में आयेगा ही नहीं। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसी सत्र में उत्तर दिलाने की व्यवस्था करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

यह कई विभागों से सम्बन्धित था। किसी विभाग ने कहा कि मेरे से सम्बन्धित नहीं है और किसी ने कहा मुझसे सम्बन्धित नहीं है, इस में यह दिक्कत थी। वह लौट आया।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

इसी सत्र में इसका उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर कार्यवाही कर रहा हूँ और यह प्रयत्न किया जायेगा कि इसी सत्र में उत्तर इसका आ जाय।

***श्री मुख्तार अनीस**—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने उठाया है, उसी से सम्बन्धित एक निवेदन मैं भी करना चाहता हूँ। माननीय मुख्य मन्त्री या मन्त्री-गण को अधिकारी बुला कर शिलान्यास या उद्घाटन कराते हैं, परन्तु सम्बन्धित जिले के विधायकों को वह अधिकारी सूचना नहीं देते हैं। मेरे जिले में ग्रामीण भगीरथ बैंक का उद्घाटन श्री सुनील शास्त्री जी ने किया, परन्तु वहाँ के मैनेजर ने किसी भी विधायक को सूचना नहीं दी।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। इसको आप लिखकर दे दीजिए।

इलाहाबाद सत्तर मिनहाजपुर हरूला रोड पर कुल्दाबाद थाने के सामने नजूल की भूमि पर श्री जमीर अहमद द्वारा जबरदस्ती कब्जे के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत 20 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से श्री मोहन सिंह, श्री गौरी शंकर भैया, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, कु० अलमेलु अम्माल तथा श्री सरदार सिंह की सूचनाओं को स्वीकार किया है और शेष को अस्वीकार किया है।

***श्री मोहन सिंह**—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद सत्तर मिनहाजपुर हरूला रोड पर कुल्दाबाद थाने के ठीक सामने लगभग 7 एकड़ जमीन नजूल की है जिसमें इलाहाबाद चेरीटेबिल एशोसिएशन द्वारा संचालित राजकीय महिला सुधार गृह चलता है। 1886 में अंग्रेजी हुकूमत ने इस भूमि को इसाई संस्था की गरीबों के उपहार सहायतार्थ दिया था जिसमें बेसहारे लोग रह चले आ रहे थे। 1982 में जमीर अहमद नामक एक पैट्रोल पम्प के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मालिक ने सरकारी भूमि को हड़पने की नियत से एशोशिएशन के अधीक्षक मिसेज बेव के बंगले पर कब्जा किया और उनके नौकर की आँख फोड़ डाली और इधर एक महीने से स्टेन्जर होम के अन्दर कब्जा कर मकान बनवा रहा है। अतः इस नजूल लैण्ड की सुरक्षा का माँग करता हूँ।

उत्तर प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में बोगस दवाओं की आपूर्ति किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरी शंकर भैया—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में अधिकारियों की मिलीभगत से अच्छी और मान्यता प्राप्त दवा निर्मित करने वाली फर्मों से दवा न लेकर बड़े पैमाने पर फर्जी और बोगस दवाओं की आपूर्ति की जा रही है, जिसमें टिकिया, कैपसूल, इंजेक्शन, टानिक्स तथा विभिन्न प्रकार के अन्य दवायें शामिल हैं इसके कारण रोगियों का उपचार उचित प्रकार से नहीं हो रहा है तथा दवाओं के कुप्रभाव से मरने वालों की संख्या बराबर बढ़ रही है। सामान्य और गरीब जनता इस सम्बन्ध में कोई निश्चित पहल करने में भी अपने को असमर्थ पा रही है। शासन के चिकित्सालयों के अन्दर फर्जी दवाओं की खुली छूट देकर प्रदेश की जनता के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। इससे जनता में दुख भय एवं शासन के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ रही है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोहन सिंह जी, आपने जो सूचना पढ़ी उसकी पूरी प्रतिलिपि आप भेज दें। आप बहुत जल्दी में उसको पढ़ गये।

श्री मोहन सिंह—

ठीक है, मान्यवर।

मेडिकल कालेज झांसी में चिकित्सा संबंधी उपकरण एवं दवाओं के अभाव में रोगियों की मृत्यु के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

महोदय, मेडिकल कालेज, चिकित्सालय झाँसी में गत कई दिनों से विभिन्न फर्मों के बिलों का भुगतान न होने से फर्मों द्वारा आपूर्ति बन्द हो गई है जिससे सभी रोगियों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है। चिकित्सालय में आपरेशन हेतु रुई, वी० पी० ब्लेड, निडिल्स, सीरेन्ज एवं आवश्यक दवायें उपलब्ध नहीं हो रही हैं। तथा कई चिकित्सा उपकरण बेकार पड़े हुये हैं। क्योंकि फर्मों के पिछले बिलों का लगभग 4 लाख रुपये का भुगतान बाकी है। फर्मों के बिलों का भुगतान न होने से कोई भी ठेकेदार ठेकेदारी करना नहीं चाहता है जिससे बुन्देलखण्ड जैसे पिछड़े क्षेत्र के रोगियों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है तथा इसी कारण कई रोगियों की मृत्यु तक हो चुकी है।

बुन्देलखण्ड के पिछड़े हुये क्षेत्र में स्थापित झाँसी मेडिकल कालेज में गरीबों एवं अन्य रोगियों की उचित प्रकार से देखभाल नहीं की जा रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः मैं आपकी अनुमति से अति लोक महत्व एवं अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से माँग करता हूँ कि मेडिकल कालेज, झाँसी में व्याप्त उक्त अभावों की तुरन्त जाँच करा कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं चिकित्सा सामग्री तुरन्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

मुण्डेरवा बाजार (बस्ती) में डाकुओं द्वारा लूटपाट एवं आतंक के संबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कु० अलमेलु अम्बाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सुनिश्चित अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहती हूँ—दिनांक 27 फरवरी, 1983 को दिन के पाँच बजे मन्डेरवा बाजार, जिला बस्ती में दो डाकुओं ने श्री बहरैची राम-बसन्त लाल, की दुकान में घुसकर सीमेंट और रुपये की मांग की। डर के मारे दुकानदार ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही दे देंगे लेकिन तुरन्त न मिलने के कारण डकैतों ने गोली चला दी। परन्तु दुकानदार, उसका भाई बसन्त लाल व भतीजा पवन कुमार आड़ में हो जाने के कारण बच गये और डकैत जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। यह घटना थाने से 50 गज की दूरी पर घटी। परन्तु पुलिस ने कुछ नहीं किया। मुन्डेरवा के आस-पास इस प्रकार की घटनायें और भी बहुत हो चुकी हैं। इसके कारण सारे क्षेत्र में डाकुओं का भयंकर आतंक व भय छा गया है और वहां के नागरिक बेहद त्रस्त हैं। डाकुओं की पुलिस से साँठ-गांठ के कारण नागरिक पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब तक पुलिस की ओर से कोई सुरक्षा की कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः सरकार से मेरी मांग है कि स्थानीय पुलिस के खिलाफ उचित कार्यवाही की की जाये और उचित क्षेत्र के कुख्यात डाकुओं को अविलम्ब ठिकाने लगाने के लिये आप आज्ञा दें।

थाना मिश्रवलिया (बस्ती) के विरुद्ध जन सभा को संबोधित करने वालों को पुलिस की साजिश से हत्या कर दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री माता प्रसाद पांडेय—**

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सदन व सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि बस्ती जनपद की पुलिस आजकल अपने विरुद्ध आवाज उठाने वालों को बुरी तरह से परेशान कर रही है व जान से मरवा डाल रही है। इस संदर्भ में दिनांक 27 फरवरी 1983 को थाना मिश्रवलिया के ग्राम दुबिहार में एक सभा पुलिस के विरुद्ध आयोजित की गई थी, जिस सभा के बाद वहां से सौहरतगढ़ थाने के भी लोग जो सभा में आये थे, वापस जा रहे थे। ग्राम पीपरी के पास पीपरी के प्रधान श्री शिवहरख जो इस सभा में आये थे, वह भी साथ में थे। उनको तथा उस सभा के मुख्य वक्ता प्रो० सुरेन्द्र सिंह को कुछ लोगों ने घेर लिया और प्राण घातक हमले किये जिसमें शिवहर्ष की मृत्यु घटना स्थल पर हो गई। आज तक पुलिस ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कोई कार्यवाही नहीं की और न ही पुलिस ने कोई प्रारम्भिक विवेचना ही की। इस घटना में थाना मिश्रवलिया के पुलिस कर्मचारियों का हाथ है।

अतः शासन से मांग करता हूँ कि अभियुक्त को गिरफ्तार करके कानूनी कार्यवाही की जाय और दोषी पुलिस के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय) (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958, के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय (संशोधन) विधेयक, 1982, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 4 मार्च, 1983 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान सभा परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 7 मार्च, 1983 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 28-12-78 के उपवेशन में श्री राधेश्याम शर्मा तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा तत्कालीन कृषि मन्त्री श्री राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में कराई गई जांच तथा उसके परिणाम के बारे में वक्तव्य

***हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)**

28-12-78 के विधान सभा के उपवेशन में श्री राधेश्याम शर्मा तत्कालीन सदस्य, विधान सभा ने तत्कालीन कृषि मन्त्री श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा लिखे गये एक पत्र को सदन में पढ़ने का प्रयास किया।

2. 29-12-78 को विधान सभा में इस मामले की पुनः चर्चा हुई। तत्कालीन कृषि मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह ने उपरोक्त पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस पत्र को उन्होंने 1969 में श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री चौधरी चरण सिंह के विधान सभा क्षेत्र से चनाव लड़ने के अवसर पर श्री गजेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति को लिखा था। वे उस समय श्रीमती गायत्री देवी के एलेक्शन एजेन्ट थे। उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि श्री गजेन्द्र सिंह को जो पत्र उन्होंने लिखा, वह किसी प्रकार से श्री राम चरन निवासी नवानगर, थाना इगलास, जिला अलीगढ़ से संबंधित है, जिनकी हत्या 27-8-1978 को की गई। माननीय अध्यक्ष के अनुरोध पर श्री राधेश्याम शर्मा ने श्री राजेन्द्र सिंह के पत्र को उन्हें दे दिया।

पत्र निम्नवत् है :—

प्रिय गजेन्द्र सिंह—

कौम की मौत और जिन्दगी का प्रश्न है और तुम गांव में बैठे हो। अधिक क्या कहूँ आज ही ट्रेक्टर लेकर इगलास पहुँचे। दुश्मन भारी तादात में लश्कर लेकर दो तारीख को पहुँच रहा है।

भवदीय
राजेन्द्र सिंह

3. विधान सभा के 28 व 29 दिसम्बर, 1978 के उपवेशन में श्री राधेश्याम शर्मा तत्कालीन सदस्य द्वारा तत्कालीन कृषि मन्त्री श्री राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोपों तथा उसके संबंध में माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से संबंधित कार्यवाही के उद्धरण तथा श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा प्रस्तुत पत्र की फोटोस्टेट प्रतिलिपि माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के आदेश से तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को जाँच कराकर वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिये भेजे गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

4. जांच में यह पाया गया कि इस पत्र को श्री राजेन्द्र सिंह ने 1969 में उस समय लिखा था जब विधान सभा के चुनाव हो रहे थे, और वे श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री चरण सिंह के चुनाव एजेन्ट थे। भूतपूर्व कृषि मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह के कथनानुसार उन्होंने संदर्भित पत्र चुनाव प्रचार के संबंध में श्री गजेन्द्र सिंह को लिखा था। श्री गजेन्द्र ने अपने बयान में श्री राजेन्द्र सिंह के कथन की पुष्टि की। जांच में विवादग्रस्त पत्र का कोई सम्बन्ध श्री राम चरन की हत्या से नहीं पाया गया।

[12 बजकर 24 मिनट]

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। सुनने के लिये जो 3 मैंने स्वीकार की हैं वे हैं—(1) श्री राजेन्द्रकुमार गुप्त, (2) श्री सत्यपाल सिंह और (3) श्री प्रदीप कुमार यादव। सर्वश्री गौरी शकर भैय्या, जनार्दन प्रसाद औझा, रामगोविन्द और श्रीमती गौरीदेवी की सूचना अभी मेरे विचाराधीन हैं, इस पर मैं बाद में निर्णय दूँगा।

श्री मोहन सिंह—

हमारी सूचना को पढ़ तो दें, मान्यवर.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है। राजकीय कर्मचारियों की छँटनी किये जाने के संबंध में माननीय मोहन सिंह की सूचना प्रदेश के आई० ए० एस० और पी० सी० एस० कैडर में आपसी मनमुटाव के सम्बन्ध में, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना आयुर्वेदिक और यूनानी छात्रों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में, श्री सत्यपाल सिंह की सूचना हरदोई के प्राइवेट बस आपरेटर्स संघ में आपसी तनाव के सम्बन्ध में, श्री श्यामनारायण तिवारी की सूचना अप्रेंटिस डिप्लोमा इन्जीनियर्स द्वारा अनशन किये जाने के सम्बन्ध में, श्री प्रदीपकुमार यादव की सूचना अयोध्या के पंडों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या से उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में, श्री गौरीशंकर भैय्या, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री रामगोविन्द और श्रीमती गौरी देवी की सूचना प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में बोगस दवाओं की आपूर्ति के संबंध में, श्री माताप्रसाद पाण्डेय की सूचना बस्ती में ग्राम सभा पिपरी के प्रधान की हत्या के संबंध में, श्री लल्लू सिंह चौहान एवं श्री भीखालाल की सूचना मैनपुरी जनपद में भोगांव थाने के अन्तर्गत एक युवक का अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में, श्री सुल्तान सिंह की सूचना मैनपुरी की तहसील जसराना में प्रधान एवं उपप्रधान द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में, श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा की सूचना इलाहाबाद में ग्राम भावापुर कालडाडा में फर्जी इंकाउन्टर किये जाने के सम्बन्ध में, श्री रामगोविन्द, श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा एवं श्री गौरीशंकर भैय्या की सूचना लखनऊ, नई बस्ती, स्थित मस्जिद को क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में है। श्री विद्यासागर नौटियाल की सूचना उत्तराखण्ड जनपद के नेशनल प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन यूनियन के सदस्यों के साथ प्रवर्धकों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, आप केवल दो मिनट में बतायें कि क्यों ग्रहण किया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है उसको मैं एक वाक्य में कहना चाहूँगा कि इस सरकार के जो दिखावी आदेश हैं मितव्ययिता के सम्बन्ध में वह हीरों की लूट और कोयलों पर मुहर वाली बात है। सरकार ने आदेश जारी किये हैं जिसके तहत उन्होंने घोषणा कर दी है कि दो वर्षों से जो पद रिक्त हैं उनको भरा न जाय और 6 वर्षों से जो पद रिक्त हैं उनको समाप्त समझा जाय और कोई नियुक्ति उन पर न की जाय। इसमें जो नियुक्तियाँ हो चुकी हैं उनको निकाला जा रहा है। इस तरह से हजारों लोगों की छँटनी की जा रही है। अभी आर० एण्ड आर० विभाग ने 1-2-83 को पत्र संख्या 273/31-4-82 के आदेश के तहत बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के आदेश कर दिये हैं। कृषि प्रसार निरीक्षकों को जिनकी संख्या 7 सौ है जिनको शासन के पूर्व आदेशों के अनुसार किसी दूसरे स्थान पर समायोजित किया जाना चाहिए था, को निकालने की घोषणा कर दी है। इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छँटनी हो रही है।

मैं ग्राह्यता के बारे में कहना चाहता हूँ कि यह अविलम्बनीय इसलिए है कि यह अभी शासन ने आदेश जारी किये हैं और सरकार की पूर्वघोषित नीति कि जिनको निकाला जायेगा उनकी अन्यत्र समायोजित किया जायेगा उसका पालन नहीं हुआ है। उनकी वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गयी है और बहुत से लोग इनमें ऐसे हैं जिनको सेवा करते काफी समय हो गया है और अब वह ओवरऐज हो गये हैं। तो उनके सामने भीषण संकट पैदा हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इसलिए इस पर चर्चा करा दी जाय। यह सवाल केवल हजारों कर्मचारियों का ही नहीं हैं बल्कि यह नीति का भी सवाल है। मितव्ययिता के नाम पर निरीह कर्मचारियों को नौकरी से निकाल कर यह मितव्ययिता की जायेगी इसलिए इस पर चर्चा करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्यमंत्री अगर इस पर कोई जानकारी हो तो बता दीजिये वर्ना बैठे रहें।

*संसदीय कार्यमन्त्री (श्री अम्मार रिज़वी)—

माननीय गुप्ता जी ने राज्य सरकार द्वारा जो दो वर्षों से कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है। यह प्रश्न बड़ा व्यापक है इस वजह से कि बहुत से अधिकारी या कर्मचारी डेलीवेजेज पर रहते हैं और बहुत से टैम्पोरेरी वेकैन्सीज पर रखे जाते हैं तो इन सब पर परीक्षण किया जाता है उन्होंने ध्यान आकर्षित करा दिया है लेकिन यह कार्यस्थगन का प्रस्ताव इसलिए नहीं बनता है कि सरकारी प्रक्रिया में हर अधिकारी के एपोइन्टमेंट के साथ कुछ न कुछ शर्तें होती हैं और उसी के आधार पर उसका एपोइंटमेंट किया जाता है। यह कहना कि सब को एक ही तरह नियुक्त किया जाय यह संभव नहीं हो सकता क्योंकि बहुत से लीव वैकेन्सी पर होते हैं, लीव वैकेन्सी वालों की लीव खतम होने पर हटाना पड़ेगा, इसी तरह टैम्पोरेरी जो काम करते हैं उसकी अवधि समाप्त होने पर उनको हटना पड़ेगा। एक ब्लैंकेट रूप में बात कर देना कि सारे कर्मचारियों को हटाया जा रहा है यह उचित नहीं है। लेकिन उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ जो बिन्दु उन्होंने उठाये हैं उन पर पूरी तरह से कार्यवाही की जायेगी उनका परीक्षण करके अगर वे कोई सूचना चाहेंगे तो भिजवाई जा सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री सत्यपाल सिंह—**

मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न इसलिये है कि हमारे यहां हरदोई से शाहजहांपुर, कानपुर आदि चारों तरफ प्राइवेट बसें जाती हैं और इन बसों के मालिकों के बीच में कल से झगड़ा हो गया है परिणामस्वरूप चूंकि इन रास्तों पर कोई राजकीय रोडवेज बसों की व्यवस्था नहीं है इसलिये आज से सारी बसें बंद हैं जिससे हरदोई बस अड्डे पर यात्रियों का जमाव है, बच्चे और पुरुष एवं स्त्रियां परेशान हैं, उनको जाने के कोई साधन नहीं हैं। बस मालिकों का विवाद यूनीयन को लेकर हुआ है जिसके जल्दी समाधान होने की कोई गुजांइश नहीं है। इसलिये मान्यवर, इस मामले को यहाँ सदन में मैंने उठाया है अतः मुख्य मंत्री जी, परिवहन मंत्री जी, इसमें हस्तक्षेप कर मामले को सुलझायें जिससे वहां बसें यथावत् चल सकें और यात्रियों की परेशानी दूर हो।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैंने कार्य स्थगन का प्रस्ताव अयोध्या के पण्डों के संबंध में दिया है। मेरा निवेदन है कि भगवान की जन्मभूमि अयोध्या है, यहाँ के पण्डे पुस्त दर पुस्त से सरयू तट पर झोमड़ी और तख्त डालकर पूजापाठ करके अपना जीवनयापन करते थे लेकिन अभी कुछ दिन से वहां रामनाथ उर्फ बनारसी नाम का व्यक्ति है जो पण्डों से पैसा और खिराज चाहता है लेकिन उसको पण्डों ने खिराज नहीं दिया जिससे वह पण्डों को आतांकित किया और उनकी झोपड़ी उजाड़ दिया। उसने तिकड़म करके सरकार की जमीन पर धारा 145 लागू करा दिया। इस बात को लेकर वहां के पण्डों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया, वहाँ के स्थानीय लोग अधिकारियों से मिले और मुख्य मंत्री जी से मिले लेकिन उनकी बात को किसी ने नहीं सुना, तब 25 फरवरी को 69 पण्डों को जो यहां आकर विधान सभा में अपना एक ज्ञापन देना चाहते थे, पुलिस ने विधान सभा के सामने धारा 151 में गिरफ्तार किया और उनको बाराबंकी जेल में भेज दिया और वह वहाँ 13 दिनों से बंद हैं, 2 हजार उनके घर के आश्रित हैं जो आज भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, इसलिये मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि उनको छुड़ाने के निर्देश दें और उनकी भुखमरा की समस्या का समाधान करें। इसलिये मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें।

***श्री अम्मार रिजवी –**

मान्यवर, मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि श्री प्रदीप कुमार यादव जी को अयोध्या के पण्डों से बड़ी हमदर्दी हो गयी है। मान्यवर, आप जानते हैं कि विधान सभा के सामने कोई सभा या प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, इसमें 1977-80 के बीच में भी व्यवस्था थी और आज भी वही व्यवस्था है, मुझे भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन पण्डों को जहां तक छुड़ाने की समस्या है उनपर अदालत में कोई बात नहीं है, जहां तक सरकार का संबंध है तो वह उनको छुड़ा देगी और अपने काम पर जाने की इजाजत उनको दी जायेगी।

(व्यवधान) (कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष—

इससे आपस में जो आप लोगों ने एक निर्णय लिया है, वह समाप्त हो जाएगा, यदि सब लोग बोलने की कोशिश करेंगे। सब लोग इस तरह से बोलेंगे तो कैसे सदन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष—]

चलेगा।'''(व्यवधान) मोहनसिंह जी इस बार बोल लें, लेकिन भविष्य में ध्यान रखें। प्रत्येक माननीय सदस्य कहेगा तो कैसे काम हो सकेगा ?

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, आज इस सरकार के दो कैडरों-आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में परस्पर इतने सम्बन्ध खराब हो गये हैं, उनके टकराव के कारण स्थिति इतनी खराब हो गई है कि दोनों आज लाठी-लठोव्वल की स्थिति पर उतर आए हैं। आज स्थिति यह है कि डिप्ट्री सक्रेट्ररी यदि पी० सी० एस० है तो वह अपने आई० ए० एस० सचिव के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आई० ए० एस० स्तर के अधिकारी लोग इस राजाज्ञा के विरोध में उग्र आन्दोलन की स्थिति में हैं, जिसमें 2500-2700 वेतनक्रम के 12 पद पी० सी० एस० कैडर को, 2700-3000 के वेतनक्रम के 3 पद पी० सी० एस० कैडर वालों को दे दिये गये हैं। इस मामले में आई० ए० एस० बालों ने केन्द्रीय गृह मन्त्री और प्रधान मंत्री से दखलन्दाजी करने की अपील की है।उनका। यह भी आरोप है कि उत्तर प्रदेश के पहले जो नियुक्ति सचिव श्री कर्नेल सिंह थे उनका भी स्थानान्तरण इन्हीं पी० सी० एस० वालों के प्रेशर में आकर किया गया है, क्योंकि वह उनकी मांगों को पूरा नहीं होने दे रहे थे। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि आई० ए० एस० एसोशिएसन के महामंत्री श्री आर० एन० त्रिवेदी, जो इस समय गन्ना आयुक्त हैं, उन्होंने खुले रूप से अखबारों में सम्पादक के नाम अपना वक्तव्य भी दे दिया, जो "नेशनल हेराल्ड' में प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने पी० सी० एस० के साथ और सरकार के साथ अपने विरोध को दर्शाया है।

पहली बार उत्तर प्रदेश में यह पद्धति आ रही है सिविल सर्वेंट्स अपने को पोलेटिक्ल मास्टर समझकर उसी तरह से, सारे नियमों के खिलाफ, पब्लिकली अखबारों में वक्तव्य प्रसारित कर रहे हैं। इससे पूरे प्रदेश में प्रशासनतन्त्र नष्ट हो गया है, झगड़े की स्थिति है। इसलिए मान्यवर, आप शासन की ओर से इस पर अविलम्ब चर्चा करायें। क्यों कि सारे शासन की मशीनरी पी.सी.एस. और आई.ए.एस. के झगड़े के कारण भंग हो गई है। दोनों की अपनी अपनी समस्यायें हैं, जिनका यह सरकार समाधान नहीं कर पा रही है, जिसके कारण इन अधिकारियों को भी अन्य कर्मचारियों की तरह सड़कों पर आने की नौबत आ गई है। इसलिए इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर आप चर्चा करा दें, क्योंकि इसकी वजह से पूरे प्रदेश में शासन नष्ट, भ्रष्ट और पंगु हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप लोगों ने नियम 56 के संबंध में जो पद्धति अपनाई है कि तीन से ज्यादा हो तो आज्ञा नहीं होगी, उसके विपरीत इस समय भी तीन से ज्यादा खड़े हैं। यदि सब लोग कहने लगे तो समय नष्ट होगा। (श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री के खड़े रहने और बोलने का प्रयास करने पर) 11 तारीख को आपका वक्तव्य आ रहा है। (व्यवधान) मेरी बात आप सुनें। 11 तारीख के लिए इस पर वक्तव्य निर्धारित है। उस वक्त आपको मौका होगा। उसके बाद भी सन्तुष्ट नहीं होंगे तो मैं उस पर विचार कर लूंगा। (श्री लल्लू सिंह चौहान के खड़े होने और बोलने का प्रयास करने पर) आप बैठें।

नियम 56 के अन्तर्गत जो 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वे सब नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती हैं, इसलिए मैं सबको अस्वीकर करता हूँ। जहाँ तक मोहनसिंह जी का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संबंध है, मैं शासन को उसको उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए भेज रहा हूँ। इसके अलावा जो प्रदीपकुमार यादव और सत्यपाल सिंह की है, प्राइवेट बस आपरेटर्स के बारे में, उसको मैं शासन का ध्यान आकर्षण के लिए भेज रहा हूँ। माननीय रामगोबिन्द और माननीय रियासत हुसैन जी की जो सूचना है, वह अभी हमारे विचाराधीन हैं, हम विचार कर रहे हैं। जहाँ तक विद्यासागर नौटियाल और राजेन्द्र अग्निहोत्री जी का है और लल्लूसिंह चौहान जी का है, उसे मैं शासन को उचित कार्यवाही के लिए भेज रहा हूँ। वह इस पर कार्यवाही करेंगे।

1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 12-गन्ना विकास विकास विभाग तथा अनुदान संख्या 13-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

(12 बजकर 40 मिनट)

***चीनी एवं गन्ना विकास राज्य मन्त्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)**—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12-गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,58,27000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,68,20,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, हमें जनता द्वारा सत्ता में आने का जनादेश प्राप्त हुआ। उस वक्त प्रदेश में गन्ना और चीनी की स्थिति अत्यधिक संकटपूर्ण हो चुकी थी। गन्ने का क्षेत्रफल व चीनी का उत्पादन घट गया था, पेराई के लिए आवश्यकतानुसार क्रेशर, कोल्हू आदि के लिए गन्ना नहीं, शकर के दाम आसमान छू रहे थे। शकर का दाम 10 रु०, 12 रु० किलो, बेतहासा आसमान पर छू गया। इस बिगड़ी हुई स्थिति पर काबू पाने के लिए और भविष्य के लिए सुनियोजित कार्यक्रम सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, उन तमाम चुनौतियों का मुकाबिला करना पड़ा। हमने उन चुनौतियों को स्वीकार किया और एक तो बकाया रह गये गन्ने का मूल्य जितना भी पिछला बकाया था, हमने उसका भुगतान कराया, और जो रह गये थे, उनके लिए हमने तय कराया कि गन्ना मूल्य भुगतान कराने के बाद ही फैक्टरियाँ चल सकती हैं। हमने इस प्रकार से अत्यन्त लाभकारी गन्ना मूल्य किसान को दिलाया। इसके अतिरिक्त अत्यधिक लाभकारी मूल्य साढ़े 20 रु० पूर्वी और साढ़े 21 रु० मध्य क्षेत्र जो कि प्रदेश के इतिहास में पिछले वर्ष से सबसे अधिक गन्ना मूल्य था।

दूसरे, गन्ना की गन्ना आपूर्ति नीति को किसानों की सुविधा को देखते हुए सुविधाजनक एवं किसान परख हमने एक नीति बनाई। इन प्रयासों के फलस्वरूप गन्ना उत्पादन के प्रति प्रोत्साहन मिला, साथ ही चीनी मिलों के विस्तार की और चीनी मिलों की स्थापना की योजना बनाई और पुरानी मिलों के आधुनीकरण की योजनायें प्रारम्भ की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर शिववाथ सिंह कुशवाहा—]

और उनके विस्तारीकरण की, इसकी आपूर्ति की और इसके विकास के लिए शासन की की तरफ से योजना बनाई गयी। हमारी सुविचारित नीतियों का यह परिणाम हुआ कि जहां वर्ष 1979-80 में गन्ना मूल्य 155 करोड़ रु० दिया गया, वहाँ पर 1980-81 में 286 करोड़ रुपया गन्ने का मूल्य दिया गया अर्थात् 131 करोड़ रुपया अधिक दिया गया। 1981-82 में 471 करोड़ रुपया गन्ने का मूल्य दिया गया अथात् 315 करोड़ रुपया अधिक दिया गया, जो प्रदेश में, इतिहास में सर्वाधिक गन्ने का मूल्य था और इस तरह से अन्य वर्षों के मुकाबिले 315 करोड़ रुपया गन्ने का मूल्य अधिक दिया गया। दूसरी ओर जहाँ गन्ने का क्षेत्रफल 1979-80 में 12.32 लाख हैक्टेयर था, 1981-82 में 15.37 लाख हैक्टेयर हुआ। इस प्रकार से किसानों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देकर गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाया गया। यद्यपि क्षेत्रफल बढ़ाने के पक्ष में विभाग नहीं था। 1981-82 में कुछ हमारी नीतियों के फलस्वरूप गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा और उत्पादन भी बढ़ा था। जहां गन्ने में शकर के मूल्यों में भारी गिरावट आयी, फिर भी गन्ना मूल्य लाभकारी गया ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले और बराबर उनको प्रोत्साहन मिलता रहे।

सन् 81-82 का वर्ष हमारे लिये चिंता का वर्ष रहा क्योंकि गन्ने का उत्पादन सन् 77-78 में जहाँ 680 लाख मीट्रिक टन था वहां 1981-82 में 717 लाख मीट्रिक टन हुआ। किन्तु हमने इस बात का वादा किया था कि सट्टा किया हुआ गन्ना जब तक पेर नहीं दिया जायेगा तब तक फैक्टरियाँ बन्द नहीं की जायंगी। 14 अगस्त, तक सबसे अधिक बिलम्ब तक, फैक्टरियाँ बन्द नहीं की गयीं और जब सारा गन्ना पेर गया तो बंद की गयीं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सेवरही और हरदोई फैक्टरी में शासन के आदेशों को मानने में आनाकानी की गयी तो शासन की तरफ से आदेश किया गया, रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किया गया और रिसीवर शिप में उनको ले लिया गया। इस तरह से शासन ने अपने वादे को कायदे से पूरा किया।

सट्टे के अतिरिक्त गन्ने की खपत में उदार नीति अपनायी गयी। गुड़ और खांड-सारी नीति को उदार बनाया गया। जो खांडसारी में प्रतिबंध लगाया गया था उसमें ढ़ील दी गयी। इसमें हर प्रकार की छूट दी गयी खाँडसारी में लेवी शुगर का जो प्रतिबन्ध था उसमें छूट दी गयी। गुड़ में हर प्रकार का आयत और निर्यात का, प्रदेश से बाहर जाने की छूट दी गयी। उत्पादन की दृष्टि से पिछला वर्ष जो है वह इस प्रदेश के लिये कीर्ति-मान स्थापित करता है। प्रत्येक स्तर पर गन्ने के उत्पादन में, शकर के उत्पादन में, शकर के उत्पादन में क्रशिंग में, प्रत्येक स्तर पर 81-82 में कीर्तिमान स्थापित किया गया। गन्ने का उत्पादन 717 लाख मीट्रिक टन तथा शकर का उत्पादन लगभग 21 लाख मट्रिक टन हुआ जो प्रदेश का अब तक का सर्वाधिक रिकार्ड है, कीर्तिमान है। इस उत्पादकता वर्ष में हिन्दुस्तान में जो शकर पैदा हुई तो हिन्दुस्तान ने विश्व में एक रिकार्ड कायम किया है। हिन्दुस्तान में शकर का सबसे अधिक उत्पादन हुआ उसमें उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान है। ब्राजील और क्यूबा जो शकर उत्पादन में आगे थे हिन्दुस्तान ने उनके रिकार्ड को पार किया है। वह हमसे पीछे रह गये। यद्यपि यह तारीफ तो नहीं है, पर हमने अपने कर्तव्य का पालन सत्य निष्ठा भाव से किया है। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि बाजार में चीनी के भाव गिर जाने से कुछ अंश गन्ना मूल्य का बाकी रह गया है। जो बाकी रह गया है वह न के बराबर है। केवल 13 करोड़ रुपया पिछला बाकी रह गया है।

श्री मशरूर जाफरी—

सारा गन्ना सूखा रहा है।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

केवल 13 करोड़ 46 लाख रुपया बाकी रह गया है जिसको अविलम्ब देने की बात है ।

श्री मोहन सिंह—

इस साल 200 करोड़ रुपया बाकी है ।

श्री कुबेर भंडारी—

मान्यवर, मंत्री जी हाउस को कन्फ्यूज कर रहे हैं । सही बात नहीं बता रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रथा नहीं है । आप बैठें ।

कुंवर विश्वनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, सबसे ज्यादा 471 करोड़ रुपये दिया गया है । तो 13 करोड़ बाकी रह जाना कोई बड़ी बात नहीं है । यह सर्वाधिक गन्ना मूल्य दिया गया है । इसके पहले कभी इतना नहीं दिया गया है ।

एक सदस्य —

भुगतान रोक दिया गया है, वह नहीं दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोगों को शाँतिपूर्वक सुनना चाहिए । डिबेट के बाद जब यह जबाब देंगे, और आप संतुष्ट न हों, तो आप पूछ सकते ।

श्री कुबेर भंडारी—

सही तो बोलें ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, किसानों को लाभकारी सर्वाधिक गन्ना मूल्य देने के बाद, शक्कर मूल्य में भारी गिरावट होने के बाद, गन्ने का मूल्य जो भुगतान हेतु बाकी रह गया, यह केवल 13 करोड़ बाकी रह गया है और बहुत ही कम 30-31 फैक्टरियों में यह रह गया, जो नहीं कुछ के बराबर है, फिर भी आज इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी गन्ने की अधिक कीमत दी गई है । साथ ही साथ आप देखें सारा का सारा गन्ना क्रश करने का प्रयास किया गया है, गन्ना जलाने की नौबत नहीं आयी है, जैसी कि वर्ष 1977-78 में जलाने की नौबत आयी थी । भले ही आप इसके लिए हमको श्रेय न दें, लेकिन इस तरह के किसान हितैषी कार्यक्रम चलाया गया, सर्वाधिक गन्ना क्रश किया गया, सर्वाधिक गन्ने का मूल्य दिया है ।

श्री मोहन सिंह—

माननीय मंत्री जी अब आगे तो बढ़िये, दूसरे प्वाइंट्स भी तो होंगे बोलने के लिए ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

वर्तमान वर्ष चिन्ता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, 200 करोड़ रुपया भुगतान हेतु बाकी है अब कह रहे हैं कि चिन्ता का विषय है ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

प्रदेश के इतिहास में रिकार्ड उत्पादन के बाद पुनः उससे अधिक गन्ना उपलब्ध हुआ । जबकि यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश में ही नहीं कहीं भी हमेशा गन्ने के उत्पादन में बढ़ोत्तरी के बाद, उसके बाद गन्ने का उत्पादन कम हुआ है । लेकिन कीमत अधिक दी गयी । गन्ने का उत्पादन अधिक हुआ, चीनी के मूल्यों में भारी गिरावट आयी, और दूसरी तरफ मिलों के देर तक चलने के कारण मरम्मत के लिए बहुत कम समय मिला, लेकिन इन सब विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हम घबराये नहीं, गन्ने को जलाने की नौबत नहीं आयी । हम प्रदेश के किसानों के जन प्रतिनिधियों के आभारी हैं कि उन्होंने सरकार को पूरा पूरा सहयोग किया । आप देखें कि दूसरे प्रदेशों में शक्कर के गिरते हुए दामों के कारण और गन्ने की अधिकता की वजह से गन्ने के मूल्य कम दिये गये, लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार इस गन्ने के मूल्य को जो गत वर्ष था साढ़े इक्कीस रुपये और साढ़े बीस रुपये, वही देने का फैसला किया, पिछले आप आकड़े देखें तो ज्ञात होगा कि हमेशा कम मिला है । विभिन्न प्रदेशों मे आप देखें जैसे पंजाब प्रदेश है जिसमें गत वर्ष 23 रुपये दिया था, घटाकर 20 रुपये दिया है । हरियाणा प्रदेश में गत वर्ष 22 रुपये दिया था, घटाकर 20 रुपये दिया है । पर उत्तर प्रदेश ने वही साढ़े 21 रुपये और साढ़े 20 रुपये गन्ना मूल्य जन हित में देने का फैसला लिया ।

श्री अकबाल हुसैन—

इसमें कोई नयी बात नहीं हुई यह तो आप पिछले साल से करते रहे हैं ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, यही नहीं चीनी मिलों की मरम्मत के लिए भी हमने 5.25 करोड़ रुपया दिया है । 4.25 करोड़ रुपये श्रमिकों को दिया है ।

श्री कुबेर भण्डारी—

ढुलाई के बाबत तो नहीं कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । जब वे खड़े हुए हैं, तो आपको नहीं बोलना चाहिए ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

आज पुनः हमारे प्रदेश ने गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया । मान्यवर, 717 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 780 लाख मीट्रिक टन गन्ना उपलब्ध होने का अनुमान है । रकबा जहाँ पर 15.35 लाख हेक्टेयर था, वहीं 17.34 हो गया । गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ गया है । यह सही है कि घाटे का वर्ष होगा । गन्ने का मूल्य कुछ भी हो सकता है । क्योंकि यह शुद्ध नगदी फसल है । इसमें 20 लाख किसान और 1 लाख मजदूर तथा तमाम परिवार

इसमें लगे हुए हैं। खाड़सारी, गुड से लाखों परिवार जुड़ें हैं और उस पर आश्रित हैं। ऐसी फसल का जो चक्र चल रहा है जो गन्ना विभाग के लिए दिक्कततलब है और परेशानी का कारण है इसका कैसे मुकाबला किया जाय। मैं सब माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि आज इस विपरीत परिस्थिति में घाटे मुनाफे का जो दौर चल पड़ा है इसका मूल्य कैसे निर्धारित किया जाय। मैं सभी माननीय सदस्य से दरखवास्त करुँगा कि राजनीतिक दल-गत भावना से ऊपर उठकर कोई रचनात्मक ठोस कार्यक्रम में बात कहें जिस पर गम्भीरता से विचार किया जाय और जनहित में कदम उठाया जाय। आपसे दरखवास्त करूँगा कि आप अपने विचारों से सुझावों से शासन को लाभान्वित करें ताकि शासन गम्भीरतापूर्वक विचार करके कुछ आवश्यक निर्णय ले सकें।

***श्री जनार्दन प्रसाद ओझा** ---

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 12– गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 13– गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गन्ना विकास मंत्री जी का बजट भाषण, एक सरस विषय पर इतना नीरस हुआ है जिससे यह लगता है कि कितने टूटे मन से कितने फटे हाल होकर वह अपना दुखड़ा रो रहे थे। वह अपना करुणक्रन्दन सदन को सुना रहे थे। माननीय मंत्री जी को शर्म आनी चाहिये थी और इस्तीफा देकर सदन में आना चाहिये था। मैं इसको प्रारम्भ करूँगा गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में। आखिर इस प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है, 91 चीनी मिले हमारे प्रदेश में चल रही हैं हिन्दुस्तान के आधे से ज्यादा इस प्रदेश में चीनी मिलें है। इस उद्योग से साढ़े 11 करोड़ लोगों का जीवन बंधा हुआ है। करीब 22 लाख परिवार उसमें हैं। 2 करोड़ लोग उस पर आश्रित हैं। डेढ़ लाख लोग काम कर रहे हैं। ऐसे भारी उद्योग के सम्बन्ध में शासन की यह उपेक्षा निश्चित ही हम सब के लिए चिन्तनीय विषय है। मैं गन्ना मूल्य की नीति के सम्बन्ध में प्रारम्भ करूँगा। स्वर्गीय रफी अहमद किदवाई के मरने के बाद गन्ना मूल्य को निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई दूरगामी नीति नहीं बनाई गई। सन 48-49 में माननीय मंत्री जी को शायद याद होगा वह भी उसी स्कूल के विद्यार्थी हैं जहाँ से हम शिक्षित होकर आये हैं उन्होंने कहा था कि जितने रु० मन चीनी बिकेगी उतने आना मन गन्ने का मूल्य होगा। मान्यवर 48-49 में एक रुपया 14 आना गन्ने का दाम था और चीनी 30-32 रुपये मन बिकी थी। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जनता पार्टी की शासन की याद मंत्री जी को बहुत आती है माननीय मंत्री जी एमरजेन्सी में दबे मन से इधर से उधर चले गये। मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है।

मान्यवर, मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत करूँगा जो मंत्री जी के विभाग का ही है और मैं समझता हूँ कि उससे मंत्री जी इस सदन को गुमराह नहीं कर सकेंगे। 76–77 में जब एमरजेन्सी थी हम और मंत्री जी दोनों आदमी फरार में बन्द थे। हमने बम्बई में देखा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—]

12 रुपये किलो चीनी बिकी, दिल्ली में 9–10 रुपये और सामान्य रूप से 6-7 रुपये किलो चीनी बिकती थी । उस समय गन्ना 12–50 के मूल्य पर पूरब में और 13-50 पश्चिम में थी । जब जनता पार्टी शासन में आयी, जनता पार्टी का राज्य आया उसने चीनी को 8-10 रुपये किलो, 9 सौ रुपये कुन्तल को 195 रुपये किया लेकिन गन्ने का मूल्य वही रखा । जिसके लिये मैं उधर के बैठने वालों को कहना चाहता हूँ कि आप इसी रेश्यों से इसी हिसाब से गन्ना की कीमत दीजिये और चीनी की जो कीमत थी उसी को लागू कीजिये । हमको अधिक गन्ना मूल्य नहीं चाहिये । 80-81 की 195 और 215 की चीनी 465 पर चली गई और अगले वर्ष 480 पर चली गई लेकिन इसके हिसाब से गन्ने के मूल्य में बढ़ोत्तरी नहीं हुई । मान्यवर गन्ना किसान कितना उपेक्षित है किस प्रकार से गन्ने का मूल्य यहाँ निर्धारित किया जाता है इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ । यह अंग्रेजी में है मैं इसको पढ़कर आपकी आज्ञा से हिन्दी अनुवाद कर दूँगा । 20 अक्टूबर 80 को नई दिल्ली में बैठक हुई थी इण्डियन शुगर केन डिबलपमेंट कौंशिल की उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ—

(इस समय 1 बजकर 2 मिनट पर अधिष्ठाता श्री श्याम सूरत उपाध्याय पीठासीन हुए)

"दि इण्डियन सुगर केन डेवलपमेन्ट काउन्सिल नोट्स विथ कन्सर्न दैट दि फिक्सिग मिनिमम शुगर केन प्राइस. दि इन्टरेस्ट आफ केन ग्रोवर्स इज नाट टेकेन इन्टू कान्सीडरेशन. इट इज आल्सो एनाउन्सड लेट एवरी इयर आर नाट टू प्लान देयर प्लान्टिग्स आन रैशनल इकानामिक कान्सीडरेशन".

दि काउन्सिल देयरफोर रिजाल्व्स, दैट दि गवर्नमेंट आफ इण्डिया शुड एडाप्ट ए लांग टर्म शुगर पालिसी आन मिनिमम प्राइस आफ सुगर केन ऐट लीस्ट फार थ्री ईयर्स. फार ए पीरियड आफ थ्री इयर्स दैट शुड फिक्स दि मिनिमम शुगर केन प्राइस आफ्टर फुल्ली टेकिंग इन्टू एकाउन्ट दि इन्क्रीज इन कास्ट आफ कल्टीवेशन ड्यू टू इन्क्रीज इन प्राइस आफ इनपुट्स.

मान्यवर, इसमें यह कहा गया कि जब गन्ने का मूल्य तय करते हैं तो जिसके लिये यह मूल्य तय किया जाता है उस किसान से कोई विचार विमर्श या परामर्श नहीं करते हैं । जो उसकी समस्या को जानता है उससे बात नहीं करते हैं । मान्यवर यह हर साल गन्ने के मूल्य की घोषणा करते हैं अगर इसमें दूरगामी नीति को कि अगले साल गन्ने का क्या मूल्य होगा इसके अगले साल क्या मूल्य होगा और किसान को पता हो तो निश्चित रूप से किसान उस हिसाब से गन्ना बोये और जो हर पांच सात साल पर गन्ने के इतिहास में यह समस्या आती है कि गन्ना जलाना पड़ा वह समस्या न आती । उसने आगे कहा है कि केन्द्र सरकार को कास्ट आफ प्रोडक्शन कितना पड़ रहा है डीजल कितना लग रहा है, विद्युत का खर्च कितना है इसके आधार पर दूरगामी नीति तैयार करनी चाहिये । लेकिन मान्यवर, केन्द्रीय सरकार कोई दूर गामी नीति निर्धारित नहीं कर पा रही है । और इसी सन्दर्भ में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुगर लाबी के संबंध में आगे चल कर बताऊँगा कि इस प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश के औद्योगिक घरानों का अगर कोई सबसे सजबूत संगठन है तो शुगर सिण्डीकेट, शुगर मिल ओनर्स का संगठन । श्रीमती इन्दिरा गांधी की केन्द्र सरकार ने देश के चीनी मिल मालिकों से 15 करोड़ रुपया लिया, कर्नाटक, आन्ध्र और त्रिपुरा के चुनाव के नाम पर ।

(व्यवधान)

मैं सबूत दूँ । मेरा आज भी आरोप है कि 15 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी ने मिल ओनर्स से लिया और उसका उपयोग कर्नाटक, आन्ध्र और त्रिपुरा के चुनाव में किया और उनसे

यह वायदा किया था कि जब हम पावर में आयेंगे तो गन्ना की जो कीमत है वही देंगे और····

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

ओझा जी, फर्जी आंकड़े न दिया करें····

(हँसी)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

ऐसी बात कहने में तो तिलमला जाते हैं सही बात कहूँगा तो आप यहाँ से ही चले जायेंगे । मैं पुराने मुख्य मंत्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उसमें यह उत्तर प्रदेश की सरकार तिलमिला गई । उसी सन्दर्भ में उन्होंने लिखा था कि "रोट ए लेटर टू श्रीपति मिश्र एण्ड अर्ज्ड हिम नाट टू ईल्ड टू दि प्रेशर आफ शुगर लाबी एण्ड लो शुगर केन प्राइस मिस्टर सिंह टोल्ड दि सी०एम० दैट लास्ट इयर देयर हैड बीन प्रेशर आफ दि वेस्टेड इन्टरेस्ट आन दि स्टेट गवर्नमेंट फार रिड्यूसिंग दि केन प्राइस. आई फील दैट इलिमेंट माइट शैल बी एक्टिंग दिस ईयर. आई एम कान्फीडेन्ट दैट स्टेट गवर्नमेंट विल नाट ईल्ड टू दीज प्रेशर्ड ऐज रिगार्डस दि केन प्राइस एण्ड प्रोटक्ट इन्टरेस्ट आफ केन ग्रोवर्स.

उन्होंने लिखा कि पिछले वर्ष भी, स्वीकार किया मुख्य मंत्री न रहने के बाद, इस शुगर लाबी ने गन्ने की कीमत को कम कराने के लिये हमारे ऊपर दबाव डाला था और आज भी अपने प्रभाव को इस्तेमाल स्वार्थी वर्ग के लोग करना चाहते हैं । उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि सरकार नहीं झुकेगी । आखिर कैसे गन्ने की कीमत निर्धारित कर रहे हैं, क्यों नहीं कोई नीति बना देते ताकि रोज-रोज की परेशानियां, समस्यायें, हमेशा के लिए समाप्त हो जायें । मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूँ जहां की यील्ड 104 पर क्वींटल पर ईयर है । उन्होंने तय कर लिया है कि इतना गन्ना बोइये, मैं उसे खरीदूँगा और उसके लिए सारी सुविधायें देते हैं, फर्टीलाइजर, बीज, समय से पानी देने की व्यवस्था, करते हैं । और उनके खेत पर जा कर गन्ना लेने की बात करते हैं । इस तरह से अगर कोई व्यवस्था इस प्रदेश में होगी तो जो सबसे बड़ा उद्योग है, जो मरने जा रहा है, बच जायेगा मरने से, अन्यथा इसके बचने के आसार ज्यादा नहीं हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । ओझा जी ने पत्र पढ़ कर सदन में सुनाया । मैं आप से जानना चाहता हूं कि यह पत्र माननीय ओझा जी को कहाँ से मिला ? यह वास्तविक है या फर्जी ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

बाजपेयी जी, विज्ञ पुरुष हैं । मैं समझता हूँ पढ़ाई-लिखाई से उनका साबका भी है । अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़ सकते हैं तो लाइब्रेरी में चले जायें, वहाँ मिल जायेगा ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या लाइब्रेरी में चिट्ठी आ गई है ?

(हँसी)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आज प्रदेश की स्थिति क्या है। सभी इसके लिये भाषण देंगे। इशारा किया खेतों में गन्ना जलाये जाने की ओर, वह सही है। मान्यवर, कम से कम पूर्वी जिलों की जानकारी मुझको है। बेसिक कोटा बनाया गया 80-81 के आधार पर। दुतर्फा बात नहीं होनी चाहिये। एक तरफ तो कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाइये। उत्पादन बढ़ाया गया, गन्ने की फसल बढ़ाई गयी। जब अच्छा गन्ना हो गया तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि 80-81 में जितना गन्ना बोया था, उतना ही लेंगे। आप कहते हैं कि किसानों को इन्टेन्सिव दिया गया, सुविधायें दी गयीं। अब गन्ना कहां जायेगा। मेरी स्पष्ट मांग है कि जो गन्ना खेतों में पड़ा है इसका फिर से सर्वे कराइये, फिर से सट्टा कराइये। जब तक फिर से सर्वे, सट्टा नहीं होगा एक तिहाई गन्ना खेतों में ही रह जायेगा और उसको फूंकना पड़ेगा।

मैं निवेदन करता हूँ कि यह जो नीति बनी है इसको बदलिये। आज ही सदन में आश्वासन दीजिये कि एक भी गन्ना खेत में नहीं रह जायेगा। इस बात से आश्वस्त कीजिये कि जब तक एक-एक गन्ना पेरा नहीं जायेगा हमारी फैक्ट्रियाँ बंद नहीं होंगी। मिलें समय से क्यों नहीं चलाई गयीं। अक्टूबर में मिलें चलाई गयीं। यदि मिलें समय से चलाई गयीं होतीं तो यह स्थिति न आती और जो आक्रोश गन्ना किसानों के मन में है, वह न होता। उधर के जो भाई गन्ना वाले क्षेत्र से आते हैं, उनको अहसास होगा कि एक पर्ची जिनको मिलती थी उनको पर्ची नहीं दी गयी। आज एक पर्ची वाले अपने गन्ने को खेतों में देख रहे हैं। इसके लिये क्या कोई योजना है आपके पास। मिलें क्यों नहीं चलीं। निजी स्वामित्व वाले न चलावें, समझ में आता है। लेकिन जो आप चला रहे हैं जिनके लिये पैसा आप दे रहे हैं, जिनमें आपके कर्मचारी काम करते हैं, वह मिलें क्यों नही चलीं ? क्या कारण है ? जो अधिकारी हैं, मैनेजर हैं, वह कहते हैं कि मिल चले या न चले उन्हें इससे लेना देना नहीं है। मुझे तो तनख्वाह चाहिये, वह मिल रही है। मैं चीनी मिलों के संबंध में कहना चाहता हूँ कि कुछ कारपोरेशन की है, कुछ कस्टोडियन हैं, कुछ सहकारी सेक्टर की हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर की हैं। सिसवाँ में एक खोली गयी है। वह पता नहीं कैसी है, जज बैठा है, मुकदमा चल रहा है। शासन का कंट्रोल होना चाहिये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी अपनी मान्यता है जो आज इन तमाम चीजों में परेशानियाँ लूट, डकैती और चोरी हो रही हैं उसके बाद भी इन सभी मिलों को यदि सरकार स्वयं टेक ओवर या अपने नियंत्रण में कर ले तो इनकी स्थिति बदल सकती है ? यह मेरी अपनी मान्यता है। यह जो कारपोरेशन का चक्कर है और या जो यह रिसीवरशिप का चक्कर है मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों पर अपना कम्पलीट कंट्रोल रखें तो इनकी स्थिति टोटल बदल सकती है यह मेरी अपनी मान्यता है, कनसेंट है।

मान्यवर, इस संबंध में मैं एक आशंका की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ अभी आपने आश्वासन दिया कि मिलों का गन्ना कम नहीं होगा। मुझे आशंका है। निजी स्वामित्व की मिलों ने 20.50 देने का फैसला किया और मेरी निजी जानकारी है कि वे केन यूनियन एडवांस कर रहे हैं, फुल-पेमेंट नहीं कर रहे हैं। वे क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैंने अपनी बात कही है। इस पर कुछ मित्रवर मनोनयन करने लगे, श्रीमन्, "फाईनेंसियल एक्सप्रेस का" न्यूज आइटम है :—पी०एम० परश्यूड स्टेटस केन प्राइसेज टूवी रोल्ड बैक"। गन्ने की कीमत आप कम करने जा रहे हैं लेकिन जो साजिस है जिस साजिस के तहत आप इस प्रदेश के चीनी मिल मालिक 20.50 नहीं दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं मेरा खुला आरोप है कि 15 करोड़ रुपए इस बात का सबूत है। आप धैर्य रखें, आप क्यों परेशान हो गये ? अभी तो शुरू ही हुआ है।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

आपके भाषण से काँग्रेस परेशान नहीं है। माननीय श्री मोहन सिंह जी परेशान हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता था कि जो न्यूज आइटम है वह इस बात का प्रतीक है कि जो साजिस चल रही है जो यह एक षडयंत्र है गन्ना की कीमत को घटाने के सम्बन्ध में। मुझे विश्वास है कि आदरणीय सदन ऐसे किसी भी सुझाव को और ऐसे किसी भी षडयंत्र को नाकामयाब करने के लिये सक्षम है, जागरुक है। इसी संदर्भ में मैं आपका ध्यान सैकड़ों इन्डस्ट्रीज, जो अपने नियंत्रण में चल रही हैं की ओर खींचना चाहता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बड़ा प्रयास किया कि हमें ऐसे आंकड़े मिले। जब रिसीवरशिप में ये कारपोरेशन मिलें आयी उस समय उनकी लाइबिलिटी क्या थी और आज इतने वर्ष चलने के बाद उनकी लाइबिलिटी कहाँ चली गई है। मेरा खुला आरोप है मंत्री जी ने जानबूझकर इन आँकड़ों को छिपाया है। वे आपकी लाइब्रेरी मे उपलब्ध नहीं है। मैं चाहूँगा कि जब आप इसका जवाब देंगे तो आप बतायेंगे जो रिसीवरशिप की मिलें जो कारपोरेशन के अन्तर्गत मिलें हैं, उस समय उनकी लाइबिलिटी क्या थी। स्टेटगवर्नमेंट का पैसा, बैंकस का, केन प्राइस का और लेबर डयूज कितना था और आज लाइबिलिटी उनकी कितनी बढ़ गई है।

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि शासकीय धन का दुरुपयोग, रिसीवरशिप के साहजादे लोग या कारपोरेशन के लोग कर रहे हैं। जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वही मिल जहाँ से मैं आता हूँ, जब प्राइवेट मैनेजमैंट में थी तो पैट्रोल का खर्चा साल भर में 7-8 हजार रुपया होता था, पुराने रिसीवर का 56 हजार रुपया होता था और नये रिसीवर जब गये तो वह साढ़े तीन लाख रुपये का हो गया है। तो मान्यवर, कहाँ 7 हजार और कहाँ साढ़े तीन लाख रुपए। मान्यवर हमारी सूचना है, श्री बलबीर सिंह जी ने बताई है। इसके अलावा छितौनी मिल में घुघली मिल में अपरम्पार नियुक्तियाँ हो रही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये मिलें कहाँ जाने वाली हैं। रिसीवर ने 40 स्वजातीय लोगों की नियुक्तियाँ कीं। मैंने कलेक्टर से कहा भी, जब पंचायत हुई, कि कलेक्टर साहब महाराज। चतुर्वेदी साहब से कह दो कि रिश्तेदारी में अगर कोई अब भी बेरोजगार रह गया हो तो भर्ती कर दें। बार-बार एक, दो और तीन करके भर्ती करना ठीक नहीं होता है, एक ही दिन सबकी भर्ती कर लें। आपको आश्यचर्य होगा कि पद विज्ञापित होता है सिक्योरिटी आफिसर का, आवेदक सिक्यूरिटी आफीसर के लिये एप्लाई करता है और नियुक्ति होती है क्लर्क के रूप में। 25 लाख रु. के अपव्यय का आरोप रिसीवर के खिलाफ वहाँ पर लगाया गया। बिना पद विज्ञापित किये, बिना साक्षात्कार किये, यह 32 लोगों को नौकरी दे दी गयी। बगल में छितौनी मिल है, वहाँ आपको आश्चर्य होगा, 24 घंटे तो आपने सुना होगा, लेकिन वहाँ के एक केन इन्सपेक्टर को 48 घण्टे ओवरटाइम दिया जा रहा है पिछले 3 साल से। रिसीवर की वीबी पियरलैस की फील्ड आफिसर है, उसका साला भी फियरलैस का कुछ है। जो पियरलैस का एजेण्ट बनता हैं, उनको तनख्वाह मिलती है और दूसरी सुविधायें मिलती हैं।

फिजूलखर्ची का उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ। एक कार थी पुरानी, मरम्मत के लिये दिल्ली गयी है, 70 हजार रु. खर्च हो चुका, कार का अभी पता नहीं है। इस प्रकार शासकीय धन का दुरुपयोग जितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, अगर मन्त्री जी का दामन साफ है, मुझे विश्वास था कि साफ होगा क्योंकि मैं मा. मन्त्री जी को नजदीक से जानता हूँ, लेकिन जो तथ्य हमारे सामने हैं, उससे मुझे तो सोचना पड़ रहा है कि कहीं

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—]

ऐसा तो नहीं कि जिन्दगी भर का भगत मरते समय कण्ठीं तोड़कर मछली खाना शुरू कर दे। इस आशंका को निर्मूल करने के लिये मैं चाहूंगा कि मा. मन्त्री जी आदरणीय सदन की कमेटी बनायें और रिसीवरशिप की मिलों का परीक्षण करायें। एक फर्म है बम्बई की 'सुनीता इन्जीनियरिंग एक 'आनन्द लैब' बम्बई की कम्पनी है, उसको 15 करोड़ रु. का आर्डर दे दिया गया, उसने अपना बोर्ड भी चैन्ज कर दिया जब मामला पकड़ में आया। मेरी निजी जानकारी है कि वह कागजी फर्म है, कोई कारोबार नहीं है, 15 लाख रु. लेकर वह आर्डर दिया गया। इसकी आप जाँच करवायें आर्डर किसने दिया। एक ऐसी फर्म को 15 करोड़ रु. का आर्डर दिया गया, जिसकी हैसियत 15/- रु. की भी नहीं है। क्या कोई टैक्नीकल आदमी आपके कारपोरेशन में नहीं है। चीफ कैमिस्ट करोड़ों रुपये के सामान का आर्डर देता है। इन्जीनियर, क्लर्क का काम करेगा, क्लर्क भंगी का काम करेगा, क्या यही सब चलेगा। आखिर यह गड़बड़ी कहाँ और क्यों, एक लाख रु. प्रतिदिन का घाटा इन मिलों में कैसे, मान्यवर, मैं यह नहीं कह रहा हूँ ? (व्यवधान) अधिष्ठाता महोदय, यह आखिर एक लाख रु. का घाटा कैसे, समझ में आने वाली बात नहीं है। इस प्रदेश का किसान जिसके बच्चे दो वक्त पेट भर खाना नहीं खा पाते और उनके बच्चों के स्कूलों से नाम कट रहे हैं और वह गन्ना पैदा करके मिलों को दे देता है और मिलें रोजाना घाटा दिखा रही हैं। इसी बात का जिक्र मा. मोहन सिंह जी ने भी किया था। अर्थशास्त्र का यह सिद्धांत है जनतंत्र में जितनी औद्योगिक इकाईयाँ होंगी, वहाँ गरीब, भुखमरी और बेरोजगारी दूर होगी और लोगों को रोजगार मिलेंगे और इसके विपरीत हमारे जनपद देवरिया में आज 14-14 मिलें चल रही हैं, फिर भी वह प्रदेश में सबसे पिछड़ा और गरीब जिला है, इसके क्या कारण हैं ? मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूँगा (व्यवधान)।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

इतनी बड़ी तोप के रूप में आप भाषण तो यहाँ कर रहे हैं और 14-14 मिलें आपके जिले में मौजूद हैं, फिर भी आपका जिला गरीब है, इसके लिए आप इतने दिन क्या करते रहे ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

यही तो विडम्बना है मा. बाजपेयी जी हम क्या हमारे बड़े-बड़े इन मिलों के केन्द्रीयकरण करने में लगे रहे, लेकिन नहीं हो सका और वहाँ आई.ए.एस. और पी.सी.एस. कुछ दबाव से कुछ दे देते थे, परन्तु अब वहाँ के मिल मालिक जो है उन्होंने सब छूट दे दी गयी है, पहले जो दूसरों को दे देते थे और अब वह खुद मालिक बन बैठे हैं। इसलिए आप से अनुरोध है कि इस आदरणीय सदन की एक समिति बनाई जाए जो इन विषयों पर नजर रक्खे। मा. अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मा. मन्त्री जी का ध्यान अब सहकारिता की ओर ले जाना चाहता हूँ। इसमें भी एक बड़ी विडम्बना यह है कि जिस जनतंत्र की दुहाई चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले सभी देते हैं और जिसका नारा लगाकर हम लोग यहाँ पर आए हैं, वही जनतंत्र पिछले साल से मरा पड़ा हुआ है और पिछले साल से चुनाव इन सहकारी समितियों के नहीं हो रहे हैं।

मान्यवर, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रदेश में 136 समितियां हैं और इन 136 समितियाँ में से केवल तीन समितियाँ काम कर रही हैं और बाकी सब सस्पेंडेड हैं। और जब से यह दुबारा आए हैं, यह क्रम और तेज हो गया है फिर भी समितियों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, कमिश्नर साहब यहाँ बैठे हैं और वही शुगर कमिश्नर भी हैं और सब कुछ ही होंगे और जनतंत्र की दुहाई भी देते होंगे, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूँगा कि पिछले साल के बजट भाषण में जिसकी कि कापी

हमारे पास है जिसमें आपने कहा था कि सहकारी समितियों के चुनाव शीघ्र कराने के लिये, तो मैं पूछता हूँ कि उसका क्या हुआ ? शीघ्र कराने में अभी कितने साल और लगेंगे, यह मुझे मन्त्री जी बतला दें । मैं चाहूँगा कि मंत्री जी निश्चित रूप से चुनाव कराने की व्यवस्था करें नहीं तो समितियाँ किस तरह से धन का दुरुपयोग कर रही हैं, यह शायद आपको पता नहीं है । अभी प्रशासक की बात आयी थी, तो मैं बतला दूँ कि एक नये प्रशासक के संबंध में, मंत्री जी जरा इसे भी सुन लीजिये । वहाँ पर एक गन्ना संघ फेडरेशन है वहाँ पर 1500 रु. का डिनर सेट और 200 रु. का कम्बल हर सदस्य को दिया गया है उसमें कमिश्नर साहेब भी शामिल हैं । इस तरह से शासकीय धन का दुरुपयोग हो रहा है, डिनर सेट बाँटे जा रहे हैं, कम्बल बाँटे जा रहे हैं, शर्म नहीं आती है । अधिष्ठाता जी मैं कहना चाहूँगा इस क्रम में एक बात और कि किस तरह से प्रशासक लोग शासकीय धन का दुरुपयोग कर रहे हैं ।

एक दवाई होती है छिड़कने वाली तो उसके लिये पहले ऐसा होता था कि समिति अपने प्रस्ताव को रखती थी, फिर हर जिले की फीगर्स आती थीं डी. सी. ओ. के पास फिर डी. सी. ओ. उसका परीक्षण करते थे और डिप्टी केन कमिश्नर को भेजते थे फिर आर्डर होता था । परन्तु आज ऐसा नहीं हो रहा है, आज तो 2 करोड़ का आर्डर आ गया और सोसाइटी में चला गया और उस पैरासाईड दवा के नाम पर रंगा पानी दिया जा रहा है । यह केवल हम इसलिये कह रहे हैं कि कैसे शासकीय धन का दुरुपयोग हो रहा है । स्वर्गीय श्री गेंदा सिंह की कर्मभूमि में इसका एक घोल दिया गया था, उस दवा की जाँच कराई गयी तो पता चला कि कपड़ा धोने वाला सोड़ा घोल कर उसमें रंग डाल दिया गया है । परीक्षण हुआ तो पता चला कि ठीक है, यह सोड़ा ही है कोई दवा नहीं है । लेकिन आज तक इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई । इस तरह से जिन-जिन फर्मों से पैरासाइड सप्लाई हुआ है तो पता चला कि वहाँ पर उस नाम की कोई फर्म ही नहीं है, वह दवा बनाती ही नहीं हैं ।

अधिष्ठाता जी, अब में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जहाँ पर घोटाला चल रहा है । अभी तक जो मैंने अपना विचार व्यक्त किया है वह 30 प्रतिशत ही लोगों से संबंधित है । इसके अलावा 70 प्रतिशत और भी गन्ना है । 30 प्रतिशत गन्ना मिल पेरती है, 12 से 15 प्रतिशत खांडसारी उसके बाद कोल्हू में जाता है । इस प्रकार से प्रदेश का गन्ना जाता है । इस संबंध में मैं यह चाहूँगा कि आप अपना इस्टेबलिशमेंट अलग कर दें । केन कमिश्नर और चीनी कमिश्नर या दोनों के इन्टरेस्ट में टकराव है । खांडसारी और इस उद्योग में काम करने वाली मिलों में इस प्रकार से टकराव है और इसके लिये केवल एक व्यक्ति लखनऊ में बैठकर इसका कोई समायोजन नहीं कर सकता है । इसीलिए मैं चाहूँगा कि यह 10 करोड़ रुपये का जो परचेज टैक्स लिया जाता है, 6-7 लाख से अधिक लोग काम करते हैं और जहाँ तक उद्योग धन्धों के बढ़ाने की बात की जाती है, वहाँ पर यह कटौती की जाती है । मान्यवर, इसकी स्थिति खराब हो रही है । इसी प्रकार से जिले में जो केन इन्सपेक्टर होते हैं उनको डबल काम करना पड़ता है । गन्ने की तुलाई में बहुत घपला होता है । मैं बताना चाहता हूँ कि 50 के०जी० के स्थान पर 65 के०जी० तक गन्ना तौला जाता है, इससे गन्ना किसानों को बड़ा नुकसान होता है ।

श्री अधिष्ठाता —

ओझा जी, आप अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरा आप से कहना है कि इस सम्बन्ध में आप किसी एक आदमी पर जिम्मेदारी फिक्स कीजिए। चेकिंग करने वाले लोगों की बड़ी लम्बी लाइन है। अब इस लाइन में 20 सूत्री कार्यक्रम के सदस्यों को भी जोड़ दिया गया है कि वह भी इसका निरीक्षण कर सकते हैं। यह सब धन्धे किए जा रहे हैं। अगर आप किसी एक अधिकारी पर निश्चित दायित्व डाल देंगे तो काम ठीक हो सकेगा अन्यथा नहीं। मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो पैसा गन्ने के बजट का होता है, वह ठीक प्रकार से खर्च नहीं किया जाता है, उसका पैसा सही दिशा में नहीं खर्च किया जाता है, मैंने जो विभाग का रिकार्ड पेश किया है उससे ऐसा लगता है कि एक भी पैसा ठीक प्रकार से और सही ढंग से खर्च नहीं किया जा रहा है।

मान्यवर, एक तथ्य की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि यह भ्रष्टाचार के आरोपों का पूरा पुलिन्दा हमारे पास है। मैं इसको माननीय मंत्री जी के पास भिजवा दूंगा। आप इसका परीक्षण करा लें, तो आपको सारी स्थिति की जानकारी हो जायेगी। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो यह आप पर बड़े कलंक की बात है। स्कूलों के नाम पर चन्दा वसूल किया जाता है, मेरठ में विजय सिंह आदि के पत्र की फोटो स्टेट कापी है मेरे पास। माननीय मंत्री जी ने कहा कि फलां जगह चले जाइये, नौकरी मिल जायेगी। अगर माननीय मंत्री जी आप की नैतिकता गिरी तो मारा काम चौपट हो जायेगा, फिर कुछ संभलने वाला नहीं है। मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी जब अपना उत्तर दें तो इन सारी चीजों के बारे में अपनी सफाई दें, यह उन्हीं के हित में है और आवश्यक भी है। मैं कहना चाहता हूँ कि इन कार्यों में हमें दलगत राजनीति में पड़कर कार्य नहीं करना चाहिए। यह मेरी अपनी राय है। आज प्रदेश में जिस प्रकार की लूट हो रही है, इस प्रकार की लूट कभी भी नहीं हुई है। अगर आप इसको यहां पर नहीं स्वीकार करते हैं तो जब आप क्षेत्र में जायेंगे तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। मान्यवर, अगर आप इस उद्योग के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठायेंगे तो यह आगे नहीं बढ़ पायेगा। यह बहुत ही महत्व का उद्योग है, इसीलिए मैं इन सारी चीजों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर इधर के माननीय सदस्य और उधर के माननीय सदस्य अपने अपने विचार इस पर देंगे और जिन बिन्दुओं की ओर मैंने इशारा किया है, उस पर मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी गम्भीरता से सोचेंगे। उनके बौडेड लेवर का जो फर्ज होता है उसको वे सही अंजाम देंगे। उनकी भावना उनसे जुड़ी हुई है। इन शब्दों के साथ मैंने जो प्रस्ताव आपके सामने रखा है, उसका सारा सदन समर्थन करेगा यह मेरा आपसे अनुरोध है।

[1 बज कर 40 मिनट]

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो गन्ना बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रत्येक सदस्य के लिये 8 मिनट का समय निर्धारित किया गया है इसका वे ध्यान रखें।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं माननीय गन्ना मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और कटौती के प्रस्ताव का जो कि विपक्ष से एक मत होकर आया है उसका

विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, माननीय ओझा जी ने अपने भाषण के अन्त में यह कहा कि मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय पर चर्चा करें। मान्यवर, वे तो अपने दल के अन्दर की राजनीति से जो विपक्षी दलों को उनके अन्दर की दलगत की राजनीति है उससे ऊपर नहीं उठ सके और इधर के सदस्य तो सदैव ही ऐसी राजनीति से ऊपर रहकर अग्रिणी रहे हैं, इसलिये उनके मन में ऐसी चिन्ता नहीं रहनी चाहिए, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने इस दिशा में पिछले दो वर्षों में जो प्रयत्न किये हैं गन्ना विभाग और उसकी फैक्ट्रियों में जो सुधार वे लाये हैं उनका मैं यहाँ पर उल्लेख करना नितान्त आवश्यक समझता हूँ। एक अभूतपूर्व संकट हमारे सामने आया था। पिछले दो वर्षों में जितना भी गन्ना पैदा हमारे यहाँ हुआ और इस वर्ष भी यह समस्या हमारे सामने पैदा हुई किन्तु फिर भी सरकार ने ऐसी नीति निर्धारित की कि जिससे मिलों को मजबूर होना पड़ा और किसी भी किसान का गन्ना खेतों में नहीं रहने दिया, यह निश्चय ही स्वागत योग्य बात है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

मान्यवर, मैं व्यक्तिगत रूप से एक घटना के संबंध में यहाँ पर जिक्र कर देना चाहता हूँ। पिछले वर्ष बरेली की एक फैक्टरी का माननीय मंत्री जी ने रात में दो बजे जाकर निरीक्षण किया। शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो रात में दो बजे किसी फैक्टरी का निरीक्षण करने गया होगा। निरीक्षण करने के बाद उसमें जो कमियां निकलीं, वे जब सामने आईं तो उसका यह परिणाम हुआ कि वह फैक्टरी पिछले वर्ष 7 प्रतिशत रिकवरी से साढ़े 9 और 10 प्रतिशत रिकवरी में पहुँच गई। मान्यवर, वह मेरा क्षेत्र है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रदेश का जो कृषि और उद्योग है उसकी रीढ़ गन्ना उद्योग है। इसका संबंध प्रदेश की अर्थ व्यवस्था से ही नहीं, रोजगार से ही नहीं बल्कि इसका संबंध प्रदेश के जनमानस की भावना और राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसमें भी कोई दो राय नहीं हैं कि इस महत्वपूर्ण उद्योग के ऊपर हम सभी को बड़ी संजीदगी से विचार करना चाहिए और इसके बारे में सुझाव रखने चाहिए। इसके अन्दर जो कमियां हैं वह हमने भी महसूस की हैं उनको मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा।

मान्यवर, गन्ने के दो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि वह किसान जो कि गन्ने को पैदा करता है और दूसरा पहलू उसका है उद्योग। जब तक इन दोनों पहलुओं का आपस में समन्वय नहीं होगा और जब तक इन दोनों के अन्दर उत्पादन क्षमता और कार्य-कुशलता नहीं आयेगी, उसके लिये सही नीति का निर्धारण नहीं होगा तब तक इस तरह की कशमकश चलती रहेगी। मैं सबसे पहले किसानों के बारे मैं कहना चाहूँगा। गन्ने के क्षेत्रफल का निर्धारण बहुत आवश्यक है। यह बात कही जाती है कि गन्ने की पिराई नहीं हो पाती है। यह सही है। जब तक गन्ने की पिराई की क्षमता उतनी न हो जितना कि गन्ना पैदा होता है तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। इसके लिये मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि गन्ने के क्षेत्रफल का निर्धारण हर फैक्टरी के लिये किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप गन्ने के मूल्य का निर्धारण केन्द्रीय सरकार से पहले करायें। आने वाले तीन वर्षों के लिये तीन नहीं तो दो वर्षों के लिये गन्ना मूल्य के निर्धारण की घोषणा करें और यह गन्ने की बोआई होने से पहले होना चाहिए। गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाना भी कठिन है और अचानक कम करना भी। यह नीति निर्धारित होनी चाहिए पहले कि गन्ने का मूल्य क्या होता दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप सप्लाई के संबंध में अपनी एक नीति निर्धारित कीजिये। जिस तरह बार-बार सरकार बदलती है, उसी के साथ साथ यह गन्ना सप्लाई की नीति भी बदल जाती है। बहुत से लोग जो लगातार वर्षों तक गन्ना सप्लाई करते रहे हैं, दूसरी नीति बनने पर वे अलग कर दिये जाते हैं। जिन लोगों ने हमेशा

[श्री जयदीप सिंह बरार—]

गन्ना दिया उनका कोटा समाप्त हो जाता है। ऐसा वर्ष 77-78 में किया गया और फल-स्वरूप 79-80 में क्षे०फ० एकदम घट गया। इसका नतीजा यह होता है कि वे लोग गन्ना नहीं बोते और इस प्रकार गन्ने का क्षेत्रफल तेजी से घटता बढ़ता जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप 3 साल के लिये बेसिक कोटा निर्धारित कर दें। उसमें 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक की तब्दीली आप कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसी नीति आप निर्धारित कर दें।

एक बात में सट्टे के बारे में कहना चाहता हूँ सट्टे का अर्थ जुआ है खेद है कि गन्ना किसान के लिए हमने जुए की व्यवस्था कर रखी है। इस एडीशनल सट्टे का प्रावि-धान नहीं होना चाहिए और इसके कारण काफी भ्रष्टाचार होता है। एडीशनल सट्टे की आड़ में किसानों का शोषण होता है भारी संख्या में फर्जी सट्टा करके पर्चियां बनती हैं अगर आप इसे बन्द करवा दें तो गन्ना किसान आपका आभारी रहेगा और इसकी आड़ में जो भ्रष्टाचार पनपता है वह नहीं पनप सकेगा। यह सट्टा और भ्रष्टाचार 40 वर्षों से चला आ रहा है। इसे आप जरूर खत्म कर दें।

एक दो सुझाव मैं फैक्टरीज के बारे में भी देना चाहता हूँ। यह जो पुस्तिका हमें बँटी है इसमें गन्ने का विकास, चीनी उद्योग का विकास, तमाम चीजें इसमें दी हुई हैं, पर इसमें कहीं पर यह नहीं बताया है कि कहाँ कहाँ पर गन्ने की रिकवरी क्या है ? हम किसी फैक्टरी की कार्य-कुशलता उसी से देख सकते हैं, पर वह हमें कहीं इस किताब में देखने को नहीं मिली। इसमें पिरायी क्षमता तो दी गयी है, पर रिकवरी का उल्लेख नहीं है। मैं चाहूँगा कि आगे से जब इस प्रकार की पुस्तिका छपे तो उसमें हर फैक्ट्री की रिकवरी का परसेन्टेज भी अवश्य दिया जाय। इस समय यह पुस्तिका फैक्ट्रियों की अक्षमता पर पर्दा डालने का काम कर रही है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री जयदीप सिंह बरार —

एक मिनट और दे दें। बहुत सी फैक्टरीज में जो मशीनरी हैं वे बहुत वर्षों पुरानी हो गयी हैं, उन्हें सुधारा जाय।

एक बात मैनेजमेंट के बारे में कहूँगा। जो आप प्रशासनिक अधिकारी भेजते हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। आपके यहाँ चीनी टेक्नोलोजी ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट है, आप जो भी अधिकारी वहाँ भेजें उनको कम से कम तीन माह की ट्रेनिंग पहले दें, तब उनको भेजें।

इसके अलावा जो, जो भी ऐसे ट्रेण्ड प्रशासनिक अधिकारी आप भेजें उनको 5 साल तक मैनेजमैंट में रखें····

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया बैठें।

(श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने तथा श्री जयदीप सिंह बरार को बार बार बैठने के लिए श्री अधिष्ठाता द्वारा कहने के बीच श्री जयदीप सिंह बरार के बोलते रहने के कारण (व्यवधान रहा और लिखा नहीं जा सका)

श्री जयदीप सिंह बरार—

चीनी मूल्य की ट्रेनिंग जो पहले 85 प्रतिशत होती थी, उसको घटाकर सरकार ने 70 प्रतिशत कर दिया है, उसे 85 प्रतिशत कर दिया जाय ।

श्री ऊदल —

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय ओझा जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ, गन्ने के उद्योग और चीनी के उद्योग पर प्रदेश की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है और इन दोनों उद्योगों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है । अगर इसके लिये हम कोई नीति निर्धारित नहीं करेंगे तो आये दिन यही होता रहेगा कि कभी गन्ने का मूल्य कम हो गया, कभी चीनी का मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया कभी कम कभी ज्यादा, यह चलता रहेगा । कभी-कभी पूरा गन्ना ही नहीं पेर पाते हैं और उसको खेतों में ही जलाया जाता है । यह हर साल तो नहीं, लेकिन 2-3वर्षों में इस तरह की हालत पैदा होती है । पिछले वर्ष भी जहां सरकार दावा करती है कि कहीं गन्ना फूंका नहीं गया लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने अपने आंखों से देखा कि लखीमपुर खीरी आदि पश्चिमी जिलों में गन्ना बिना पिरा हुआ रह गया । इसका आप सर्वे कराकर देख लें ।

दूसरी बात जो दिक्कत तलब है जिसका जिक्र माननीय मन्त्री जी ने किया कि पाबंदी तो लगा नहीं रखी है कि इतना गन्ना बोया जाय उस पर बरार जी ने कहा कि पाबंदी होनी चाहिये कि इससे ज्यादा गन्ना किसान न बोये । मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं है खाली किसानों पर ही पाबंदी क्यों लगाई जाय । अगर इस तरह के सुझाव सरकारी पक्ष से आते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है । किसान बेचारा ही ऐसा अभागा है जिस पर आप पाबंदी लगाते हैं क्योंकि आप उसको कीमत नहीं देंगे, चावल की कीमत आप उसको नहीं देंगे और उस पर पाबंदी लगायेंगे यह अधिकार आपको कैसे मिल जायेगा । सरकार बहुत दिनों से प्रयास कर रही है कि एकरेज कम हो और पैदावार ज्यादा हो । मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि क्या आपकी गन्ने की इल्ड प्रति एकड़ बढ़ी है ? ऐसा मेरा विश्वास है कि वह नहीं बढ़ी है । आप आंकड़ों को उठा कर देख लीजिये जो आंकड़े आपने सप्लाई किये हैं उसमें दिया हुआ है मैं उनको लाया नहीं क्योंकि मुझे बोलना नहीं था, आपके जो अनुसंधान केन्द्र हैं जहां गन्ने पर अनुसंधान होता है उसके खर्च को जरा देख लें । स्टाफ के ऊपर कितना खर्च है, रखरखाव पर कितना खर्च है, पेट्रोल पर, गाड़ियों पर कितना खर्च है और कितना अनुसंधान पर खर्च है । उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गन्ना अनुसंधान पर कितना खर्च हो रहा है । उत्तर प्रदेश में जो गन्ने की क्वालिटी है वह ठीक है कि नहीं उसको सुधारने के लिए गन्ना विभाग ने किसानों को कितनी अच्छी क्वालिटी का गन्ना दिया है ।

मैं उदाहरण देता हूँ कर्नाटक और महाराष्ट्र में तथा और दूसरे प्रदेशों में गन्ने का प्रति हैक्टेयर उत्पादन बहुत ज्यादा है । आप मंगा कर देख लें । मैं समझता हूँ कि सरकार ने इस तरफ कभी भी देखने की कोशिश नहीं की । आखिर गन्ने का क्षेत्रफल घटाना चाहते हैं तो गन्ने का उत्पादन प्रति हैक्टेयर बढ़ाना पड़ेगा । क्या कभी इस पर विचार हुआ । आप बीसियों साल की रिकवरी उठा कर देख लीजिये तो आपको मालूम हो जायेगा कि क्या स्थिति है ।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो चीनी की रिकवरी है उसमें सबको मालूम है कि अगर अच्छा रस होगा तो रिकवरी ज्यादा होगी । लेकिन ज्यादातर

[श्री ऊदल—]

मिलों की रिकवरी कम दिखाई गयी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रिकवरी कम दिखाने की आदत आज सभी मिलों को पड़ी है। इसलिये आज अच्छे गन्ने की जरूरत है और एकरेज घटाने की जरूरत है और पर एकड़ इल्ड बढ़ाने की जरूरत है।

मान्यवर, हमारे यहाँ जितने भी निगम हैं उनकी हालत खराब है। हमारे चीनी निगम के ऊपर 15 से 20 करोड़ रु० का कर्जा बकाया पड़ा हुआ था। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे चीनी आयुक्त जो हैं वह बार-बार यह कहते हैं कि हम कर्जा वसूल करेंगे। (लालबत्ती होने पर) मान्यवर, मैं बहुत कम बोलता हूँ आपकी लालबत्ती से डर लगता है, मैं लाल बत्ती होने से पहले खतम कर दूँगा। इधर मुझे पता चला कि वर्षों से रुपये की अदायगी की बात हो रही थी, चीनी आयुक्तों को इस रुपये को कारपोरेशन से लेना चाहिए था लेकिन उस करोड़ों रुपये को अंशपूंजी में बदल दिया गया, इसलिये कारपोरेशन को आप क्या बनाना चाहते हैं यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मान्यवर, यही हालत सभी कारपोरेशनों की हो रही है।

मान्यवर, बनारस की औराई शुगर मिल की हालत खराब हो गयी थी काफी वर्षों से और वहाँ जो कर्मचारी और अधिकारी गये उन सभी ने उसको लूटा और बरबाद कर दिया, लाखों रुपये की मशीनरी वहां खराब पड़ी है, लेकिन पिछले वर्ष से पता नहीं क्योंकि जो आदमी वहाँ गया है तब से पिछले साल वह मिल अच्छी चली और इस साल भी अच्छी चली और उसका भुगतान एक सप्तह में और करंट हो रहा है। लेकिन ऐसी मिलों को आप प्रोत्साहन नहीं देंगे, इसलिये मैं चाहता कि उसको प्रोत्साहन दिया जाय और सभी का क्षेत्र निर्धारित किया जाय, यही मुझे कहना है। इन शब्दों के साथ मान्यवर, आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।

कुमारी अलमेल अम्माल —

अधिष्ठाता महोदय, मैं गन्ना विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ी हुई हूँ। मैं सरकार के सामने कुछ मुद्दे पेश करना चाहती हूँ। पिछले साल 1981-82 में गन्ने के आरक्षित क्षेत्र में गन्ने की उपज 717 लाख टन थी और पूरे प्रदेश में पेराई 227 लाख टन हुई थी जिससे ज्यादा गन्ना बच गया और जिसकी पेराई नहीं हो सकी। मैं मंत्री जी से कहूँगी कि मिल मालिकों को क्षेत्र आरक्षित करने में फायदा है लेकिन किसान का दिवाला पिट जाता है और उसका नुकसान होता है क्योंकि आरक्षित क्षेत्र में किसान कोलुओं के अलावा कोई स्वयं चालित यंत्र लगाकर गन्ने की पेराई नहीं कर सकता है और वर्तमान मिलों की इतनी क्षमता नहीं कि वे अपनी आरक्षित क्षेत्र के 30 प्रतिशत गन्ने को भी पेर सकें। इसलिये मेरा सुझाव है जितना गन्ना गतवर्ष पेरा गया है उससे 10 प्रतिशत अधिक गन्ना उत्पादन का क्षेत्र ही आरक्षित घोषित करें और शेष क्षेत्र को आरक्षण से मुक्त कर दें ताकि वहाँ नये गन्ना को जो किसान चाहे वह करें।

मान्यवर, अब मैं कहना चाहती हूँ कि गन्ना किसानों को मिलों पर 30 करोड़ रुपया बकाया है और मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि कुछ मिलें पैसा देती हैं और कुछ नहीं। और गन्ने का दाम किसानों को समय पर न मिलने से उनके घरेलू काम जैसे—लड़की की शादी, घर की मरम्मत, लड़की का गौना और जात-पात को नेवता देने में धन के अभाव में किसानों को परेशानी होती है और गन्ने का पैसा न मिलने से उसको बाहर से सेठों से सूद पर रुपया लेना पड़ता है जिसका काफी सूद उसको देना पड़ता है। लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना है कि कहीं भी मिल मालिक ने बकाया पैसे के भुगतान में कभी भी सूद अदा किया हो, इसलिये मंत्री इस पर विचार करें। इसके अलावा मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि मिल मालिकों से सीधे पैसा लेने उसका ब्याज लेने के लिये मुकदमा दायर

करने की आजादी किसान को मिलनी चाहिये इसके लिये मंत्री जी कानून में तब्दीली करा दें ।

मैंने पिछली बार भी अपने बजट के भाषण पर सामान्य चर्चा के दौरान इसे कहा था, मैं गन्ना मंत्री जी से बार बार कहती हूं, लेकिन वे सुनते नहीं । उसमें मुझे दुखः बहुत है । हमारे यहां मुण्डेरवा में एक चीनी मिल है, उसमें यदि असल में अच्छा काम होता तो हमारे बस्ती जिले के लिए कुछ फायदा होता, खासकर हमारे सदर क्षेत्र के लिए । पिछले बार जब मिल में पिराई हो रही थी, बीच में ही एक मशीन का पार्ट टूट गया । रिसीवर ने, उस पार्ट को खरीदकर लगवाने के बजाए, मिल को बन्द कर दिया । उसको गन्ना न आने का कोई दुखः नहीं है, उसे न मजदूरों की रोजी खत्म होने का कोई दुखः है । उस रिसीवर—श्री एस० डी० कुरील के बारे में मैंने गन्ना मंत्री जी से भी शिकायत की है कि वह भ्रष्टाचारी है । यह भ्रष्टाचारी रिसीवर नियुक्त करके कैसे आप विकास कर पायेंगे । वह मिल में अपने साले, भतीजों और रिश्तेदारों को और जाति बिरादरी के लोगों को सीजन में नौकरी में भर रहा है । वह जिलेवार न चलकर दूर दूर के जिले के अपने लोगों को सीजन के समय मुण्डेरवा मिल में नियुक्त कर लेता है । वह घूस भी लेकर और दूसरे आदमियों को भी मिल में नौकरी दे देता है । उसने अपने खास आदमियों के रहने के लिए मिल मैं उनके आवास बनवा रहा है । मैं कहती हूं कि जब आप एक मिल में किसी मजदूर को लेंगे तो उन्हें मिलिंग क्षेत्र में से ले लिया जाए, तब तो गन्ना क्षेत्र के लोगों का विकास होगा । लेकिन वह दूरदराज से लाकर आदमियों को अपने यहाँ रख लेता है । तो उसके बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था कि वह एक भ्रष्ट अधिकारी है । वह एक अक्षम और भ्रष्ट और अयोग्य अफसर है, मैं इतने शब्द इस्तेमाल करूँ तो यह ज्यादा नहीं होगा । मंत्री जी उनको हटाकर हम लोगों को राहत दिलायें ।

हमारे बस्ती जिले में 5 चीनी मिल हैं और वह जिला अत्यधिक पिछड़ा हुआ है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इन मिलों की खोई का इस्तेमाल कर उससे अखबारी कागज और स्टेपल फाईबर बनाने का कोई कारखाना शुरू कर सकते हैं । बस्ती ऐसे जिले के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आवश्यक है । वहाँ पर 36 लाख की आबादी है, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, मगहर में केवल एक सूती मिल है ....(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपा करके बैठें, आपका समय समाप्त हो गया है ।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कुबेर भंडारी—

श्रीमन्, बोलने वाले सदस्य बहुत ज्यादा हैं, इसलिए अच्छा हो कि कुछ समय और कम करके कन्ट्रोल कर दिया जाए, ताकि सभी लोग बोल लें ।

श्री अधिष्ठाता—

समय पाँच मिनट कर दिया जाय तो अच्छा रहे, पाण्डेय जी, पाँच मिनट में ही आप अपना भाषण पूरा करें ।

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय—**

पाँच मिनट नहीं मैं तीन मिनट में ही कह दूंगा। माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय ओझा जी ने जो गन्ना मंत्री के बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मंत्री जी ने जब अभी अपना भाषण शुरू किया, वह आकार प्रकार में तो बिलकुल चिरकुट लगते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी पूर्ववर्ती सरकार पर बड़ा करारा प्रहार किया। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वह कभी कभी अपनी पूर्ववर्ती सरकारों के अच्छे कामों का वर्णन भी कर दिया करें। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि गन्ने का बकाया दाम इतना ज्यादा रखने के लिए जिम्मेदार कौन हैं। गन्ना किसानों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से हमारी सरकार ने यह नियम बनाया था कि बैंकों से कारखाने की जो रुपया दिया जाएगा, उसमें से 85 प्रतिशत रुपया गन्ना मिलें केवल गन्ना किसानों को भुगतान करने पर खर्च करेगी और इसके लिए उत्तरदायित्व सौंपकर गन्ना अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया था। मैं गन्ना मंत्री जी से जानना चाहता हूं मिलों पर इतना अधिक बकाया होने के बावजूद क्या किसी उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी ने किसी भी मिल के विरुद्ध इस संबंध में कोई कार्यवाही की है या किसी के खिलाफ मुकदमा चलाया है। तो बैंक से भी यह उनकी फायदा पहुँचाते हैं और रिकवरी के आधार पर यह मूल्यों का निर्धारण करते हैं।

मैं पिछली बार भी कह चुका हूँ कि यह भेद कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा चलाया जाता है। रिकवरी में फर्क देशांतर और अक्षांश तथा जलवायु के आधार पर तो हो सकता है, लेकिन एक ही जिले में, पास पास के क्षेत्र में यह भेद बताया जाए, तो यह समझ में आने वाली बात नहीं है। हमारी बस्ती की जो शुकर मिल है, उसकी रिकबरी पूरे हिन्दुस्तान की मिलों में बहुत अच्छी है। तो जो बस्ती की मिल को अपना गन्ना देता है वह ज्यादा दाम पाता है, लेकिन जो बस्ती की खलीलाबाद की मिल को अपना गन्ना देता है तो कम मूल्य पाता है। आप मंत्री जी किसान विरोधी हैं और मिल मालिकों के समर्थक हैं। उनको नवीनीकरण के नाम पर तमाम लोन लिया गया, लेकिन उसको उन्होंने दूसरे कामों पर खर्च कर डाला और उसका नवीनीकरण नहीं किया। जिसके फलस्वरूप ही रिकवरी कम आती है। आप पूरब, पश्चिम और मध्य जोन के नाम पर किसानों को जो परस्पर लड़ाते हैं और उनका शोषण करते हैं उसको समाप्त किया जाए। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आप मिल मालिकों से बंधे हुए हैं। जो उनसे अपने लोगों के लिए नौकरी की अपेक्षा करेंगे और उनसे चन्दा लेंगे तो कैसे सम्भव है कि आप उनसे लड़ सकें। आपको इसका जबाब देना चाहिए। यह मंत्री सोशलिस्ट हैं और यह सोशलिस्ट जब भ्रष्ट होता है तो अंतुले से भी ज्यादा पहुँच जाता है। आपको आज अंतुले साहब के नाम से पुकारा जा रहा है, आप इसकी सफाई दें। आपने गन्ना सोसाइटियों को पेमेन्ट करवा दिया मिलों से, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी यह भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि क्या किसानों को उसके गन्ने का मूल्य मिला। इसके लिए आपको या तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए या सदन में नहीं जाना चाहिए। मान्यवर, पूरा रुपया इन्होंने सोसायटी को दिला दिया, सोसायटी ने अपना कर्जा दे दिया और आज तक ये भोलानाथ तिवारी यहां के सैक्रेटरी, मान्यवर, दुनियाँ में ब्राह्मणवाद सुना लेकिन, माननीय भोलानाथ तिवारी में तिवारीवाद चला है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें आपका समय समाप्त

(श्री उमेश्वर प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, वहां पर कर्मचारी दस्तखत करके गायब रहते हैं, जिसके कारण भुगतान नहीं हो पाता है ।

श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे गन्ना विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, गन्ना हमारे प्रदेश की सबसे बड़ा कैश क्राप है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर देख कर पढ़ रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उमेश्वर प्रताप सिंह

मान्यवर, गन्ना किसान को पिछले वर्ष का उनके गन्ने का पैसा न मिलने के कारण वह भुखमरी का शिकार हो गया है । मान्यवर, सरकार से मेरा अनुरोध है कि गन्ना किसानों को उनके गन्ने का पिछले वर्ष का जो है, उसका भुगतान कराया जाय । मान्यवर, पिछले वर्ष की भाति इस वर्ष भी गन्ना किसानों के लिए उनके गन्ने के भुगतान के बारे में स्थिति गम्भीर है । मान्यवर, प्रदेश में जो अधिकांश किसान जो बाढ़ के क्षेत्र के लोग हैं, उनको गन्ने का मूल्य न मिलने के कारण वे भुखमरी के शिकार हो गये हैं । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष का जो गन्ना किसानों का बकाया है । उसका भुगतान तुरंत कराया जाय । मान्यवर, गन्ना समितियों को बहुत कम कमीशन होने के कारण कार्य व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाता है । मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि इन समितियों का कमीशन 50 प्रतिशत प्रति कुन्टल करने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय गन्ना मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री धर्मवीर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे गन्ना विभाग के बजट पर, कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मान्यवर, यह गन्ना का विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है । इसमें 50 लाख किसानों का जीवन निर्भर है । इसमें कई तरह की फैक्टरियां, कुछ प्राइवेट कुछ कोआपरेटिव, कुछ कारपोरेशन, कुछ कारपोरेशन, कुछ कस्टोडियन की हैं । मान्यवर, प्राइवेट फैक्टरी वाले तो किसी न किसी तरह से मुनाफा निकाल लेते हैं, मगर जो सरकार की फैक्टरियां हैं, वह दिन प्रति दिन कर्जे में डूबती जा रही हैं । जरजर होती जा रही हैं । किसानों को गन्ने का पेमेंट नहीं होता है । मान्यवर, हमें 5 मिनट का समय और दे दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

आप 5 मिनट में ही समाप्त करें और माननीय सदस्यों को भी बोलना है ।

श्री धर्मवीर सिंह --

मान्यवर, बागपत में एक जी० के० कुमार, जनरल मैंनेजर थे, उन्होंने करीब 20-25 लाख रुपया खाकर विदेश, इंग्लैंड चले गये, उसके बाद वापस आकर किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी को मैं समझता हूँ कि इनकी पूर्ण जानकारी होगी। मान्यवर, वह चाहे कार का दुरुपयोग हो, चाहे बगास कैरियर में पैसा खाया हो, दूसरे ठेकेदार के सिलसिले में जो बगास कैरियर लगाने में, उसमें पैसा खा गये, माननीय मंत्री जी को अवश्य इस बात की जानकारी है। इनके साथ उचित कार्यवाही करनी चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्यवाही करनी चाहिए, और रुपया उनसे वसूल किया जाना चाहिए। एक दूसरे जो बागपत फैक्टरी के सचिव हैं, उन्होंने पिछले साल बिनौली काँटे पर सप्लाई बुक यानी पर्ची बुक खुद आकर दी, 16-12-82 को इनकी 10 पर्ची बनाई गयी, जिनकी कीमत 318 रुपया प्रति पर्ची थी, वहाँ के लोगों ने 18-1-83 को शिकायत की लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो मान्यवर, इस प्रकार से भ्रष्टाचार होंगे, तो जो सरकारी फैक्टरियां हैं, तो उनको प्राफिट में चलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

मान्यवर, जहां तक प्रोडक्शन की बात है, दिन प्रति दिन प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। आपका विभाग कहता है कि 55 किलो ग्राम नाइट्रोजन देना चाहिये लेकिन आप जरा कंजशन देखें। 24 किलोग्राम कंज्यूम होता है। तो इसका क्या कारण है यह मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी इस ओर सोचा है कि क्यों 55 किलो से 24 किलो पर कंज्पशन आ गया। फर्टीलाइजर जो आपके द्वारा दिया जाता है उसमें बहुत मिलावट रहती है। किसान को उम्मीद नहीं है कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा है। आपने वित्त पोषण की बात की। इससे क्या लाभ है समझ में नहीं आता।

श्री अधिष्ठाता —

आपका एक मिनट रह गया है।

श्री धर्मवीर सिंह—

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात जल्दी जल्दी कहे देता हूँ। आप इंटेंसिव कल्टीवेशन करायें और पुराना लोनिंग सिस्टम दोबारा चलायें। इंटेंसिव कल्टीवेशन में जो 16 किलोमीटर का एक लक्ष्य रखा है, सारी सुविधायें देकर पैदावार बढ़ायें। अगर पैदावर बढ़ेगी तो गन्ने का एरिया कम होगा। तभी किसान को फायदा हो सकता है। मान्यवर, मैं नई फैक्टरी खोलने के संबंध में कहना चाहूँगा। आप पता नहीं कैसे फैक्टरी खोलते हैं। औरई, नंदगंज, साथा फैक्टरियां ऐसी जगहों पर खोली गयी हैं जहां गन्ना नहीं पैदा होता है। मेरे क्षेत्र में एक जगह है बरनावा जिला मेरठ, वहाँ पर गन्ना बहुत पैदा होता है। वहाँ पर फैक्ट्री की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। मान्यवर, जिस वक्त गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जाता है तो उस समय प्रोडक्शन लागत का ध्यान नहीं रखा जाता है। सारी चीजों की कीमत बढ़ी है, डीजल के रेट बढ़े हैं, बिजली के रेट बढ़े हैं, फर्टीलाइजर की कीमत बढ़ी तो उसी तरह से किसानों को उनकी पैदावार की लागत को देखते हुए उचित मूल्य मिलना चाहिये। इसके ऊपर आप कतई ध्यान नहीं देते हैं।

मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से आखिरी बात पूंछना चाहता हूँ कि आपकी फैक्टरियां चलती हैं, आप क्या देख रहे हैं। आखिर आप मंत्री बने हुए हैं आपको इसके अलावा और कोई काम नहीं है कि आप फैक्टरियों को देखें, किसानों के हित को देखें, लेकिन आप क्या कर रहे हैं आपके विभाग में इतना भ्रष्टाचार है। आप क्या करते रहते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री धर्मवीर सिंह—

सचिव और मंत्री जी में आपस में तालमेल नहीं है । आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि विभाग में सुधार हो सके । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

***श्री राम यश सिंह—**

मान्यवर, आपने मुझको बोलने के लिये अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ । माननीय गन्ना विकास मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ । यह बजट समाजवादी बजट है तथा किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला है । मान्यवर, पिछले वर्ष 81-82 में गन्ने का उत्पादन 717 लाख मीट्रिक टन तथा चीनी का उत्पादन 20.80 लाख मीट्रिन टन होने का अनुमान है । 1979-80 में 155 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया गया था जबकि पिछले वर्ष 1981-82 में 470 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया गया था जो सन् 79-80 का लगभग तीन गुना है ।

मान्यवर, यह साबित करता है कि इस प्रदेश की सरकार ने गत दो वर्षों में किसानों की हितों की रक्षा करने के लिये तमाम कार्य किया है । पिछले वर्ष ऐसा मौका था कि जब प्रदेश की सरकार ने आदेश किया था कि किसानों के गन्ने की पेराई जब तक समाप्त नहीं हो जाती है तब तक मिलें नहीं बंद होंगी ! पिछले वर्ष मिलें जुलाई तक चली हैं । इससे जहां किसानों के गन्ने की पेराई हुई है वहीं पर मजदूरों की रोजी रोटी मिली है । यह सब बातें किसानों के हित और पक्ष में की गयी हैं । मान्यवर, इसके साथ ही साथ 1981-82 में 103 कि० मीटर सड़कों पर खड़ंजा लगाया गया । 95 पुलियों का निर्माण किया है और 567 किलोमीटर कच्ची सड़कें बनायी गयी हैं । मान्यवर, 1982-83 में 122 किलोमीटर खडंजा लगाया 122 पुलियों का निर्माण हुआ और 601 किलोमीटर मिट्टी का कार्य हुआ । सन् 1983-84 में 98 मिलीमीटर खडंजा लगाने का 98 पुलियों के निर्माण हुए और 490 किलोमीटर मिट्टी डालने का प्रस्ताव है ।

मान्यवर, जनता पार्टी के शासन के दरम्यिान किसानों का गन्ना सूख गया था, जलाने की नौबत आ गयी थी, मजदूरों को उनकी तनख्वाहें समय से नहीं मिल पायी थी । लेकिन इस सरकार ने पिछले दो वर्षों से किसानों का सम्पूर्ण गन्ना पेरने का प्रयास किया है, गन्ने का सर्वाधिक मूल्य तय किया है । इन सारी चीजों के अतिरिक्त गन्ना किसानों के हित में कोल्हुओं पर से लाइसेन्स की पालिसी समाप्त कर दी गयी और उनकी फीस भी समाप्त कर दी गयी है । सुप्त इकाइयों को गन्ना पेरने का लाइसेन्स दिया गया है । सरकार चाहती है कि किसानों का जो गन्ना है, जो वह कोल्हू, क्रेशर और मिलों में देता है, उसका उसे उचित मूल्य मिल सके ।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त एक और बात कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की अधिकतर मिलें सरकार के कंट्रोल में हैं, चाहे वह रिसीवरशिप की हों, चाहे कोआपरेटिव की हों ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम यश सिंह—]

भारत सरकार के कस्टोडियनशिप के अन्तर्गत प्रदेश में 5 चीनी मिलें हैं। प्रदेश सरकार के कंट्रोल चीनी मिलों में पिछले वर्ष काफी मात्रा में मजदूरों का जो देय धन था, वह काफी हद तक भुगतान हो चुका है। पिछले वर्ष भी सरकार ने स्वयं भी इस बात को एकसेप्ट किया कि रिकार्ड तोड़ उत्पादन हुआ, पेराई ज्यादा हुई चीनी अधिक हुई, क्रेशिंग ज्यादा हुई, जब यह सारी चीजें किसानों के बारे में हुई हैं वहीं मजदूरों के हित के लिए भी इस सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में पड़कर समझौता कराकर 48 रुपये अतिरिक्त दिलाने का फैसला किया है, जो मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मजदूरों का कुछ बकाया है, जो फैक्टरियों को देय है, उस सम्बंध में बजट में प्रस्ताव किया जाय कि ग्रेचुयुटी, प्राविडेंड फंड, ओवर टाइम का पैसा और जो दूसरे उनके बकाया हैं, उनका भुगतान किया जाय। इसके अतिरिक्त मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो चुका है आप बैठें। मैंने दूसरे सदस्य को बुला लिया है।

श्री राम यश सिंह—

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि भारत सरकार के कस्टोडियनशिप में जो प्रदेश में 5 चीनी मिलें हैं, उन्हें प्रदेश सरकार अपने कंट्रोल में ले ले, ताकि जो गन्ने का मूल्य है, जो प्रदेश सरकार की घोषणा है गन्ने मूल्य की, वह किसानों को मिल सके।

इन शब्दों के साथ मान्यवर मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

***श्री धर्मन सिंह गहलौत—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय श्री जर्नादन प्रसाद ओझा जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि दूसरे पक्ष की ओर से भी हमें कुछ सुझाव दें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब से माननीय मंत्री जी ने यह विभाग संभाला है कभी हम लोगों ने प्रदेश सरकार की गन्ने की नीति के बारे में परामर्श किया है, यह भी उनसे संभव नहीं हो सका कि जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र से सम्बंधित विधायक हैं, उनको बुलाकर उनसे बात कर लेते, आम जनता से मिलना तो दूर रहा।

मान्यवर, मैं बिजनौर जिले से आता हूँ। माननीय मंत्री जी से यह भी संभव न हो सका कि वे हमारे जनपद में दर्शन देकर जनपद को पवित्र करते। किसानों से उन्होंने कभी बातचीत नहीं की, समस्याओं का समाधान करना तो दूर रहा। साथ ही साथ उन्होंने घोषणा की कि बचे हुये गन्ने की पेराई की जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे हैं। मान्यवर गन्ना विभाग के इतिहास में पहली बार ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात कही गयी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । चाहे जनता पार्टी शासन रहा हो, चाहे किसी का शासन रहा हो, प्रत्येक में यह प्रयास किया गया था कि जब तक एक-एक गन्ना पेर नहीं दिया जायेगा, मिलें बन्द नहीं होंगी । मान्यवर, इसकी नीति के कारण किसान के अन्दर आज बेचैनी पैदा हो गयी है । इस स्थिति से परेशान होकर किसान अपना गन्ना कोल्हुओं पर, क्रेशरों पर दे रहा है, जो उसका गन्ना 7-8 रुपये में खरीद रहे हैं, वह कितनी परेशानी में पड़ गया है ।

मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ जब तक पूरे गन्ने की पेराई नहीं हो जाती मंत्री जी आश्वासन दें कि चीनी मिलों को जब तक चलवायेंगे । आखिर क्या परेशानी है पहले भी मिलें जुलाई, अगस्त तक चली हैं । मान्यवर, आज लकड़ी का मूल्य तो 70 रुपये कुन्तल है और गन्ने का मूल्य 7 रुपया है कितनी शर्मनाक स्थिति है । अभी गन्ने की कीमत की बचत की बात कह रहे थे । मान्यवर मिल ऐशोसियेशन ने अखबार में निकलवाया है कि लगभग 5 करोड़ रुपया बकाया रहेगा हम दे नहीं पायेंगे । किसी ने इस बात का आज तक खण्डन नहीं किया । जब सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो गन्ने की कीमत क्यों नहीं आप बढ़ाते हैं । डीजल का दाम बढ़ गया मजदूरी और खाद का दाम बढ़ा लेकिन गन्ने का वही रहा जो पिछले साल था ।

मान्यवर, जो चीनी मिलें हैं उनमें 33 या 35 प्रतिशत गन्ना जाता है शेष गन्ना खाडसारी यूनिट और कोल्हू पर जाता है लेकिन उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा । इनका विभाग इनके बारे में क्या कर रहा है । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि गन्ना बुआई के 6 माह पूर्व आप घोषणा कर दें कि किस भाव गन्ना खरीदेंगे । हमारा औसत आयेगा हम बोयेंगे नहीं आयेगा नहीं बोयेंगे । दूसरे यह भी बता दीजिये कि किस काश्तकार से कितना गन्ना आप लेंगे । मान लीजिये आप कहते हैं कि 100 एकड़ का गन्ना लेंगे तो हम उससे अधिक नहीं बोयेंगे और अगर बोयेंगे तो आपसे यह नहीं कहेंगे कि आप हमारा बचा हुआ गन्ना ले लीजिये । लेकिन जब गन्ना बोया जाता है कि पक कर तैयार हो जाता है नवम्बर, दिसम्बर आपकी घोषणायें शुरू होती हैं । यह बहुत ही गैरजिम्मेदाराना और हानिकारक बात है । जब से चीनी मिलें स्थापित हुई हैं किसान गन्ना सप्लाई कर देता है लेकिन उसको भुगतान नहीं मिलता है । शायद किसी व्यापार में यह बात देखने को नहीं आयी कि माल सप्लाई कर दिया और भुगतान 6 महीने, 10 महीने और साल दो साल बाद हो । चाहे आप चीनी मिलों को नीलाम करें या कोई निधि संचित करें लेकिन जब किसान गन्ने का सप्लाई करता है उसको उसका भुगतान तुरन्त मिलना चाहिये । मान्यवर, एक बात मैं गन्ने की नई किस्म के बारे में कहना चाहता हूँ । पंजाब में एक नई किस्म गन्ने की पैदा की गई है सी० ओ० जे० 64 । उत्तर प्रदेश में आप इसको क्यों नहीं ला रहे हैं । मंत्री जी को ज्ञान नहीं है वह कहते हैं कि वह वेरायटी ठीक नहीं है । हमारे दौराल शुगर मिल उसको मंगाकर बुलाई करा रही है । पंजाब में चीनी मिलें इस गन्ने पर 2 रुपया अतिरिक्त मूल्य देती है क्योंकि इसकी चीनी रिकवरी अधिक है । मैं धन्यबाद देता हूँ ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं गन्ना मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और जो कटौतीका प्रस्ताव माननीय ओझा जी ने रखा है उसका विरोध करता हूँ । मान्यवर मैं बड़े हर्ष और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हर रूप से गन्ना किसानों का हित किया गया है । जितना हित किया गया इतना कभी नहीं किया गया । इतनी ज्यादा चीनी होने के बाबजूद जो पुराना रेट रखा गया था उसी को इस बार रखा गया और मेनटेन किया गया । हमारे जनपद

[श्री सुरेन्द्रसिंह चौहान—]

अलीगढ़ में साथा चीनी मिल बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ दिनों तक तो यह प्रदेश में सबसे अच्छी रिकबरी इसकी रही है।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। वह यह कि जो खाद बीज देकर किसानों की सहायता हम करते हैं जो लोन देते हैं उस पर ब्याज लेते हैं और जब कास्तकार अपना गन्ना डालता है तो उसका पैसा उसमें सालों-साल के लिए लग जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जब से किसान का गन्ना पहुँच जाये, जितनी धनराशि का पहुंचे, उतनी धनराशि का ब्याज नहीं लगना चाहिए उसी वक्त से। जो बकाया चीनी मिलों पर होता है उस पर उसी अनुपात से ब्याज देना चाहिए जिस अनुपात से उसके ऋण पर लिया जाता है। चुनाव के बारे में, सहकारी क्षेत्र में जो हमारी मिलें हैं, वहाँ चुनाव करा देना चाहिए ताकि वहाँ का प्रबंध जनप्रतिनिधियों के हाथ में आ सके और यदि यह जल्दी सम्भव न हो तो जो समाज सेवा में लोग लगे हैं उनको मनोनीत कर देना चाहिए। साथा सुगर मिल में एक फुल टाइम डाक्टर की जगह स्वीकृत है लेकिन आज तक वहाँ फुल टाइम डाक्टर नहीं रखा गया। वहाँ ड्यूटी पर श्रमिकों की कुछ मौतें हो गयीं लेकिन सही उपचार न उपलब्ध होने के कारण मौतें हो गयीं। इसलिए वहाँ एक फुल टाइम डाक्टर की पोस्टिंग तुरंत कर देनी चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत हमारे अलीगढ़ जनपद में और पूरे प्रदेश में सड़कें बनीं। कारपोरेशन के बारे में, प्रगति की रिपोर्ट पिछले 3-4 वर्ष से नहीं आयी जब कि ब्यूरो आफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज, जो है, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए ताकि हम उसकी प्रगति जान सकें। लोक सभा में इसकी रिपोर्ट रख दी गई है लेकिन यहाँ पर नहीं रखी गयी है, कारपोरेशंस बहुत ज्यादा घाटे में चल रहे हैं। इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूँ।

*श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, गन्ना किसानों के लिए दो बातें प्रमुख होती हैं, एक सप्लाई की व्यवस्था और दूसरी कीमत। यह समस्या ही विशेष रूप से किसानों को प्रभावित करती है। चीनी मिल निगम की जो डेबराई फैक्ट्री है, वह आधी पेराई भी नहीं करती। गन्ना किसानों के आधे गन्ने की भी पेराई नहीं हुई। इसके लिए मैं लिख भी चुका हूँ। जो पिछले वर्ष और इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन हुआ है, उसमें सप्लाई के मामले में जो कुशलता दिखलाई और जिस तरह से कार्य किया उसके लिए मैं अपनी तरफ से शासन और प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक गन्ने की कीमत का सवाल है, 62 से लेकर आज तक का पूरा चार्ट का अध्ययन किया, गन्ने का उत्पादन किस-किस वर्ष में कितना-कितना हुआ, कब-कब यह संकट खड़ा हुआ, आप भी देखें, यह संकट रोटेशन से हर दो-तीन-चार साल पर आता रहा है और जब यह संकट आता है तो यहाँ हाउस में हंगामा होता है, मुश्किल होती है और आकर चली जाती है, और सदन में हम लोग लकीर पीटते रह जाते हैं। शासन ने कभी भी यह चेष्टा नहीं की कि जो गन्ना मूल्य का भुगतान संबंधी संकट है इसको भविष्य में किस प्रकार से नियंत्रित किया जाय ताकि यह दोबारा न आने पाये। जो वर्तमान सरकार के मंत्री हैं, गन्ना आयुक्त हैं, सचिव हैं, चालू वर्ष के संकट को ही दूर करने की चेष्टा करते हैं लेकिन मेरा यह कहना है आज हम इस पक्ष में हैं, मैं नहीं समझता कि यदि मुझे उस पक्ष में बैठा दिया जाय और गन्ना मंत्री बना दिया जाय ..

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

बन जायेंगे आप ।

(हंसी)

श्री केदार नाथ सिंह—

यह सही बात है, इसको आप सोचें । चाहे वह जनता पार्टी का राज रहा हो चाहे काँग्रेस पार्टी का कभी भी गन्ना किसानों को आप इस संकट से नहीं बचा पाये । यह संकट गन्ने की कीमत के भुगतान का खड़ा रहा है । ऐसी बात इसलिये कह रहा हूँ कि जब गन्ने का उत्पादन अधिक होता है, चीनी अधिक पैदा होती है, स्वाभाविक रूप से यह संकट खड़ा हो जाता है क्योंकि जो क्रेडिट लिमिट है मिलों की वह बढ़ी नहीं है । वह समय से बेच नहीं पाते ताकि भुगतान कर सकें । मेरा निवेदन है कि यह संकट जो आपके सामने है इस पर विचार करें । उच्च स्तरीय कमेटी बनायें । जब तक चीनी के उत्पादन और गन्ने की कीमत देने पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक हम मूल्य पर नियंत्रण नहीं कर सकते । (लाल बत्ती जलने पर) एक मिनट और लेना चाहता हूँ ।

श्री अधिष्ठाता—

जल्दी समाप्त करें ।

श्री केदार नाथ सिंह—

....मैंने तारीफ इसलिये कर दिया कि अच्छे काम की अगर तारीफ नहीं की जायेगी तो प्रशासकों का अधिकारियों का मनोबल क्षीण होगा । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गन्ने के भुगतान के संबंध में किसानों के सामने जो संकट उत्पन्न होता है वह भविष्य में न हो । इसलिये इस प्रकार की रणनीति बनाने के लिये एक कमेटी स्थापित करें जिसमें गन्ना विभाग के उच्च अधिकारी, उद्योग विभाग के उच्च अधिकारी हों ।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें ।

श्री केदार नाथ सिंह—

यह लोग मिल जुलकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें जिससे भविष्य में यह संकट न आने पाये । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ ।

***श्री ध्रुपराय—**

अधिष्ठाता महोदय, हमारे देश की आबादी 72 करोड़ के आसपास है । प्रदेश की आबादी 13 करोड़ तथा हमारे जिले की 24 लाख के आसपास है । 80 प्रतिशत लोग केवल खेती करते हैं । 25 लाख किसान गन्ने की खेती पर आधारित हैं । हर तीन साल बाद गन्ने की खपत की समस्या हमारे सामने आती है । पिछले साल बहुत बड़े संकट की स्थिति थी इस साल हम समझते थे कि यह स्थिति नहीं आयेगी । सर्वेक्षण करने के बाद

***वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।**

[श्री ध्रुपराय—]

पता चला कि फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गयी है। 800 लाख टन गन्ना पैदा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 15 हजार हैक्टेयर में गन्ना बोया जाता था। पिछले साल 20 हजार हैक्टेयर में था जबकि इस वर्ष 30 हजार हैक्टेयर में गन्ना पैदा किया गया। देखना पड़ेगा कि हम किधर जा रहे हैं। क्या हमारी नीतियाँ किसानों के हित में हैं। पहले 22 रुपये का भाव था। पिछले साल साढ़े बीस का और इस साल भी साढ़े बीस का भाव निश्चित किया गया। एरिया बढ़ता चला गया इसी कारण हमको देखना पड़ेगा कि गन्ने की खपत हो रही है या नहीं। किसानों की हालत क्या है, उनकी हालत अच्छी नहीं है। पर्चियाँ बराबर नहीं मिल पा रही हैं। पर्चियों की बिक्री होती है। हमारे क्षेत्र में सेवरी मिल लगाने की परमीशन दिया, इसके लिये धन्यवाद देते हैं। हमारे क्षेत्र का जो बिहार से कनेक्टेड एरिया है। जिसमें कि 3 लाख कुंतल गन्ना दिया गया है 1 लाख कुंतल गन्ना पिछले साल का था। सोसाइटी का है। जिसमें 1 लाख तीन हजार कुंतल गन्ना बिहार मिलों को दिया गया। वहाँ गन्ना नहीं उठाया गया है। ऐसी अवस्था पैदा हो गई है। पर्चियाँ पिछले साल दे दी गई हैं, पेमेंट नहीं हो पाया है। ऐसी दुर्दशा हो गई है। जिन लोगों का गन्ना ही जीवन है। हमारे पूर्वांचल में और देवरिया जिले में गन्ना ही उन लोगों को सर्व साधन है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह ऐसा कदम उठायें जिससे किसानों की तकलीफ दूर हो सके और उनका पेमेंट हो सके। और जो गन्ना गिरा नहीं है उसे दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दें। मैं जानता हूँ कि समस्या है। हमारे पिराई की क्षमता उत्पादन से कम है। हम एरिया और उत्पादन तो बढ़ा लेते हैं लेकिन पिराई की क्षमता नहीं बढ़ा पाते हैं। आप महाराष्ट्र को देखें जब वहाँ उत्पादन 30 परसेंट बढ़ता है तो गन्ना मिल की क्षमता भी 50 परसेंट बढ़ जाती है। ऐसा नियोजन रखें जो लक्ष्य के रूप में होना चाहिये और इस पर शीघ्रातिशीघ्र कदम उठायें। 'द क्ले द गोल्ड'

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आप बैठें।

श्री ध्रुपराय—

जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का अनुमोदन करता हूँ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, आपने गन्ना बजट के ऊपर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। श्रीमन्, समय काफी कम है अतएव मैं विशेष संक्षेप में कहूँगा। कुछ अनियमितताओं की ओर में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। श्रीमन्, बस्ती चीनी मिल और बस्ती श्रम ये दोनों मिलकर जिस तरह से इस समय किसानों को वहाँ पर खुला नोंच रहे हैं और उनको खसोट रहे हैं। इसका उदाहरण मेरे पास है फोटोस्टेट कापी के रूप में। मान्यवर, इसकी एक प्रति मैंने आपके यहाँ भेज दी है। मुझे इसको पढ़ने की अनुमति देने की कृपा करें।

[2 बज कर 40 मिनट]

मान्यवर, चीनी मिल पर जो कांटा होता है वहाँ पर उसे तोला जाता है और उस तोल की सूची आती है समिति के दफ्तर में। उस समिति से पर्चियाँ इश्यू होती है और उनको उस तौल लिस्ट से मिलता हैं उसे टेलियेशन कहते हैं। मान्यवर दिनांक 24 को एक

कापी रिसीव कराई गई सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, बस्ती को । जिसे टेलियेशन क्लर्क ने लिखा है दिनांक 23-12 को ।

श्रीमन्, सचिव महोदय,

सहकारी गन्ना विकास समिति लि० बस्ती,

सेवा में,

निवेदन है कि टेलियेशन से प्राप्त सप्लाई टिकट निम्नलिखित दिनांकों में निम्नलिखित पर्ची नम्बर नहीं प्राप्त हुआ है ।

अतएव सूचनार्थ सेवा में प्रेषित है ।

दिनाँक 16-12-82 को ट्राली पर्ची नम्बर 37, दिनांक 17-12-82 को ट्राली पर्ची नम्बर, 52, दिनांक 18-12-82 को ट्राली पर्ची नम्बर 65 और दिनांक 18-12-82 को ट्राली पर्ची नम्बर 82, 86 और 92तो इस तरह से 6 ट्राली और 4 ट्रक की पर्ची नहीं प्राप्त हुए इसी प्रकार दूसरे सीट पर 5 ट्रक तथा 25 ट्राली बिना पर्ची के तौला गया । श्रीमन्, इसे आप देखें । जबकि समिति के सचिव को इसकी सूचना टेलियेशन क्लर्क ने दे दी थी । मैंने इसको सब देखा है और पढ़ा है । इसी प्रकार तीसरे सीट पर इस में भी आईटम नम्बर 3 पर ट्राली का है, शिफ्त सी, मिल पर्ची नं० 92, 67 क्वि० 3 कि० ग्रा०, पृष्ठांक्रन पर समिति का जो तौल लिपिक है उसने नोट लगाया है कि 'श्रीमान सचिव महोदय, मिल बाबू ने बिना समिति पर्ची और पास बुक के जबरदस्ती तौल कर लिया ।' इसी प्रकार से इसमें 8 पृष्ठ लगे हैं । सब में यही स्थिति है कि जहाँ बिना समिति की पर्ची इशू हुए डायरेक्ट परचेज कुछ विशेष किसानों से किया जा रहा है । इसकी स्थिति ऐसी हो गई कि दो-चार बड़े-बड़े किसान ऐसे हैं जो जबर्दस्ती समिति से या तो पर्ची कटा लेते हैं या पर्ची नहीं मिल पाती है, वे चीनी मिल से मिलकर डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं । इससे छोटे किसानों को लूटा जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, आप देख रहे हैं कि निहायत अहम मसला है ।

•••तो छोटा किसान परेशान हो रहा है । यह कुछ लोग 8/–रु०, 9/–रु० और 10/–रु० क्वि० गन्ना खरीदते हैं और फर्जी सप्लाई कर रहे हैं । बस्ती चीनी मिल में कई गन्ना समितियों को गन्ना जाता है । गोविन्द नगर समिति के 5-6 सेण्टर बस्ती चीनी मिल को दिये जाते है । ऐसीं जानकारी मुझे मिली है कि शायद बस्ती चीनी मिल ने डायरेक्ट गोविन्द नगर समिति के दो और सेण्टर्स अपने नाम से एलाट करा लिये हैं । बस्ती चीनी मिल अपना गन्ना पेर नहीं पा रही है । दूसरी तरफ और भी दिया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से मा० मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस पर आवश्यक कार्यवाही करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

***श्री भोला पाण्डेय**

मान्यवर, मैं कटौती का प्रस्ताव सुन रहा था । गन्ना सचिव के ऊपर इन्होंने घटिया किस्म के आरोप लगाये हैं····

(व्यवधान)

माता प्रसाद पांडेय जी ने जो आरोप लगाया, इससे मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मानसिकता को नेस्तानाबूत करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है । उन्होंने कहा कि सचिव जातिवाद चला रहे है । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि मौजूदा सचिव की निष्पक्षता और चुस्ती के कारण गन्ना विभाग इतना प्रगतिशील हो गया है कि आगे आने वाले इतिहास में भी ऐसा प्रशासन नहीं चला सकता । कटौती के प्रस्ताव को ओझा जी ने रक्खा, सबसे पहली बात तो यही नागवार लगी । उत्पादन के बारे में सबसे पहली बात कही । मैं मा० ओझा जी से कहूँगा कि आकड़ों को देख लें । 77-78 के आँकडे देखें जिसमें 680 लाख टन गन्ना उत्पादन हो पाया था । 81-82 में 717 लाख टन गन्ना उत्पादन हुआ और यह सरकार बधाई की पात्र है कि 780 मीट्रिक टन गन्ना उत्पादन करने की व्यवस्था कर रही है । मैं इस सरकार को गन्ना किसानों की तरफ से भी बधाई देना चाहता हूँ ।

दूसरी बात में मान्यवर, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ किसानों से गन्ना लेने में जो सुलभ व्यवस्था की है, वह उसके लिए बधाई की पात्र है । आपने महाराष्ट का उदाहरण इस ओर दिया तो मैं आपसे खासकर कहना चाहूँगा कि आपको अपने ही प्रदेश की नीति का पता नहीं है । इस सरकार ने यह घोषणा की है कि उतना ही गन्ना हम ले सकते हैं, जितना हमने बोने की इजाजत दी है । (व्यवधान) दूसरी बात में मूल्य निर्धारण के संबंध में कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने गन्ने के मूल्य का निर्धारण बजट प्रस्तुत होने से पहले ही कर दिया था जिसके लिए भी यह सरकार बधाई पात्र है । आपके समय में बकाया 155 करोड़ रु० का था सन 77-78 में जिसे आप नहीं अदा कर सके थे, लेकिन आज बकाया 455 करोड़ रुपये का था, जिसमें अब केवल 13 सौ रुपये रह गया है बकाये के रूप में । यह इसलिए किया गया कि विरोध पक्ष के लोग ज्यादा भौंकने न पावें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अम्मन सिंह गहलौत—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने भोंकना शब्द का प्रयोग किया है जो असंसदीय है, इसलिए मा० सदस्य को निर्देश करिये वह इसे वापस ले लें ।

श्री भोला पाण्डेय—

मान्यवर, यह शब्द हिन्दी व्याकरण के अनुसार असंसदीय नहीं हैं । (शोर)

श्री अधिष्ठाता—

इस शब्द को देख लिया जायेगा यदि असंसदीय होगा तो निकाल दिया जायेगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, यह भोंकना शब्द दिल्ली में असंसदीय माना गया है, तो यहाँ पर इस शब्द को असंसदीय क्यों नहीं माना जायेगा ? और आप मान्यवर, कह रहे हैं कि देख लिया जायेगा, अगर असंसदीय हुआ तो निकलवा दिया जायेगा । भौंकना शब्द तो कुत्ते के लिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रयोग होता है, और यहाँ पर माननीय सदस्य ने हम लोगों के लिये इस्तेमाल किया है, तो क्या हम लोग कुत्ते हैं ? मान्यवर, इस शब्द को वापस लिया जाए ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय भोला पाण्डेय जी ऐसा शब्द सदन में बोलना उचित नहीं है, इसीलिए आप इस शब्द को वापिस ले लीजिए ।

श्री भोला पाण्डेय—

मान्यवर, यह हिन्दी व्याकरण के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ शायद आपको जानकारी इसकी नहीं है कि यह असंसदीय शब्द नहीं किसी भी तरह से नहीं है । और यदि आप कह रहे हैं तो मैं इसे वापिस लेता हूँ । (शोर) मान्यवर, इस सदन में बहुत पुराने सदस्य गण यहाँ पर बैठे है । (व्यवधान) यह सरकार मान्यवर इस लिए भी बधाई की पात्र है कि आज तक किसी भी सरकार ने इस बात की घोषणा बजट सत्र चलने के समय किसान के गन्ने के मूल्य निर्धारण के विषय में नहीं की इसलिए यह सरकार बहुत ही बधाई की पात्र है ।

श्रीमन्, एक बात माननीय मंत्री जी से मैं यह करना चाहता हूँ कि गन्ना मिल में जो बिचोलिये हैं, इनके कारण किसानों का बड़ा अहित होता है । जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि हमने बी० डी० ओ० और तहसीलदार को यह काम सौंप दिया है । तो मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उनके पास स्वयं ही इतने काम हैं कि उन्हें इसको देखने के लिये व्यक्तिगत रूप से इतना समय नहीं मिल पाता है और वे उसे देख नहीं पाते हैं । इसलिये बीच में बिचौलिये की प्रथा आ गयी है जो कि उसे देखते हैं । तो मंत्री जी आप इन बिचौलिये की प्रथा को समाप्त करने की कृपा करिये । दूसरी बात यह कि जो आपने गन्ने की 40 करोड़ की क्षमता को रखा है तो इससे किसानों का अहित हो रहा है तो कृपा करके इसे आप 100 करोड़ करा दें ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री भोला पाण्डेय—

इसके साथ ही मैं मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूँ ।

***श्री सत्यपाल सिंह**—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं ओझा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का शत-प्रतिशत समर्थन करता हूँ और माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ और उनसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूँ ।

एक जानकारी में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि शाहजहाँपुर जिले में पुवायाँ तहसील है, वहाँ पर चीनी मिल खोलने की बहुत दिनों से प्रक्रिया चल रही है, तो उस प्रक्रिया में क्या प्रगति हुई है ? दूसरी बात यह है कि जो आपके आदेश से छोटे-छोटे काश्तकारों को पहले पर्चियाँ बना दी जाती हैं तो उन छोटे काश्तकारों के पास उतना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सत्यपाल सिंह—]

गन्ना नहीं होताहै जितने की उनको पर्चियाँ दी जाती हैं और उन पर्चियों का फायदा कर्मचारी लोग उठाते हैं। तीसरी बात यह कि पिछले कई वर्षों से मैं यह प्रश्न पूछता चला आ रहा हूँ और इस संबंध में जानकारी हासिल करने का प्रयास करता रहा हूँ लेकिन मुझे इस संबंध में आज तक जानकारी नहीं दी गई है, आज फिर सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहता हूँ कि आपकी ही पार्टी के नेता और केन्द्रीय मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी ने कहा था कि जिन-जिन क्षेत्रों में सरकारी मिल खोली जायेगी उन्हीं क्षेत्र के लोगों को नौकरी देने में वरीयता दी जायेगी। लकिन मंत्री जी, आपने आज तक वरीयता नहीं दी। मेरे पास आपकी 60 दरखास्तें हैं कि आपने 60 आदमियों को विभिन्न फर्मों में लिख दिया कि लगा दिये जायें। मैं पूछता हूँ कि एक तरफ आपके नेता श्री तिवारी यह कहते हैं कि हम क्षेत्र के लोगों को वरीयता देंगे और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप दलगत भावना से ऊपर उठ कर बात करें। आपने कानपुर के लोगों को वरीयता दी है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप प्रदेश के मंत्री हैं या फिर केवल कानपुर के मंत्री हैं ? लगता है कि आप प्रदेश के मंत्री नहीं हैं। क्या आपने कानपुर के अलावा और किसी क्षेत्र के लोगों को वरीयता दिये जाने के क्या आदेश दिये हैं ? यदि दिये हैं, तो इसी सदन में आप घोषणा करें कि आपने कानपुर के लोगों को नौकरियों में वरीयता नहीं दी है।

दूसरी मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसा अभी ओझा जी ने भी कहा था कि बम्बई की जो सुनीता मिल है जिसकी कि टेन्डर की लास्ट डेट भी निकल गयी थी आपने उसमें हस्तक्षेप करके क्यों फिर उसी को आदेश दिया ? और फिर वहाँ से 15 करोड़ रुपए का सामान खरीदा गया। इसी प्रकार से 'प्रेम इन्जीनियरिंग हैवी वर्क्स, मेरठ' के बारे में कहना चाहता हूँ कि यह फर्म भी बड़ी बोगस है और आपने स्वयं ही कहा कि यह 'प्रेम इन्जीनियरिंग हैवी वर्क्स नामक मेरठ' की फर्म बड़ी बोगस है लेकिन फिर 15 दिनों के बाद ही आपने अपना स्टेटमेन्ट बदल दिया। और सबसे कह दिया कि यह फर्म अच्छी है, इसी से सामान खरीदा जाये। मैं वहीं जानता वह कौन सी परिस्थिति थी जिसमें आपने ऐसा किया। एच० एन० सिंह को रिसर्च इन्सटीट्यूट में एडहाक रखा और अब उन की अवधि आप बढ़ा रहे हैं, आपने एक बार इन्टरव्यू लिया और फिर दुबारा नहीं लिया, क्यों नहीं किया। आपने एच० एन० सिंह को रखकर बिरादरीवाद फैलाया है। आप जब उत्तर दें तो इन मेरी कही हुई बातों का स्पष्टीकरण अवश्य दें। इन शब्दों के साथ माननीय ओझा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता है।

***श्री दीना नाथ**

माननीय, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे माननीय गन्ना विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, माननीय ओझा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध करता हूँ। हमारे माननीय मंत्री जी ने यह बड़ा ही क्रांतिकारी बजट गन्ना किसानों के हित में प्रस्तुत किया है। गन्ना किसानों को लाभ दिया है, चीनी के मामले में अपने देश को और प्रदेश को आत्म निर्भर बनाया है, चीनी में कोई ब्लैक नहीं, सभी जगह आसानी से मिल रही है, चीनी को रखने तक के लिए गोदाम नहीं है। यह सब इस कारण हुआ है कि माननीय मंत्री जी ने गन्ने के दामों में वृद्धि की है। मान्यवर पहाड़ों पर गन्ना नहीं होता है, आप चुप रहें। मान्यवर, मैं गन्ना मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम के गन्ना किसानों को जो मूल्य दिया जाता है, वह समान रूप से दिया जाना चाहिए। मान्यवर जिन क्षेत्रों में चीनी मिल नहीं हैं वहाँ पर नई चीनी मिल लगायी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जानी चाहिए । बस्ती जिले में बांसी एक बड़ी मशहूर तहसील है । यहाँ से हर चीनी मिल 60-70 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है । हमारे क्षेत्र के गन्ना किसान जो हैं उनको अपना गन्ना, गन्ना मिल तक ले जाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

मान्यवर, झाँसी तहसील में बाढ़ आती है । इस इलाके में गन्ने के अलावा दूसरी फसल नष्ट हो जाती है । यदि जिन स्थानों पर बाढ़ आती है और जहां पर अभी तक कोई चीनी मिल नहीं खोली गई है वहाँ पर एक चीनी मिल खोली जानी बहुत ही आवश्यक है । इस प्रकार से क्षेत्र बांसी डुमरियागंज और नौगढ़ हैं । यहाँ पर बाढ़ आती है और फसल नष्ट हो जाती है । अगर इन स्थानों पर एक चीनी मिल खोल दी जाती है तो गन्ना किसानों को बड़ा फायदा होगा । मैं कहना चाहता हूँ कि बांसी बीचो बीच में पड़ता है और यह सेन्टर में है, इसलिए माननीय मंत्री जी मेरे इस सुझाव पर विचार करें और बांसी में एक चीनी मिल की स्थापना की घोषणा करें । अभी बस्ती के लोक दल के विधायक इस बजट पर बोले, उन्होंने कहा कि बस्ती शुगर मिल में किसानों का शोषण हो रहा है । यहाँ पर जो काँटा लगाया गया है, उसको मैंने चैक किया तो पता चला कि 6 किलो अधिक है । इस प्रकार से किसानों का शोषण किया जाता है । अभी माननीय मंत्री जी, बस्ती गये थे कांग्रेस सेवा दल के समारोह समापन करने के लिए, तब मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बस्ती जिले के गन्ना किसानों का जो शोषण हो रहा है उसे बन्द कराया जाये ।

मान्यवर, और जगह भी जहां-जहां चोरियाँ हो रही हैं उनके लिये एक सेल गठित किया जाना चाहिए और किसानों का शोषण मिल मालिकों द्वारा नहीं होने देना चाहिए । इन शब्दों के साथ में पुनः माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ । धन्यवाद ।

***श्री अकबाल हुसैन**—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय ओझा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मैं गन्ना विकास मंत्री जी को सुझाव के रूप में कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूँ । मान्यवर, इस प्रदेश के गन्ना किसानों का सहकारी क्षेत्र के और सरकारी क्षेत्र के दोनों के मिल मालिक शोषण करते हैं । गन्ना इस प्रदेश की सबसे बड़ी केशक्राप है । यह ऐसा प्रदेश है जहां पर दैवी आपदायें बाढ़ और सूखा दोनों स्थितियाँ आती हैं । जैसा कि माननीय दीनानाथ पांडेय जी ने कहा....

श्री भोला पांडेय—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । एक शेर सुनाना चाहता हूँ—

सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो,
अभी टुक रोते-रोते सो गया है ।

माननीय वाजपेयी जी के लिये मैंने यह शेर फरमाई है ।...

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अकबाल हुसैन—

मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के चीनी मिलों के लिये आरक्षित क्षेत्र होना चाहिए। जो किसानों का गन्ना पैदा हो उसके लिये सप्लाई की नीति अपनाई गई है उसमें किसानों का शोषण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चीनी मिल का जो आरक्षित क्षेत्र है उसमें यह नीति होनी चाहिए कि उसका गन्ना चीनी मिलों को अवश्य सप्लाई हो। कम से कम मेरे क्षेत्र में तुलसीपुर की जो चीनी मिल है वहाँ पैदावार का असन्तुलन होता है। वहाँ तीन सालों में जो गन्ना पैदा हुआ है वह इस प्रकार है 79-80 में 9 लाख क्विंटल, 80-81 में 7 लाख तथा 81-82 में 21 लाख क्विंटल पैदा हुआ है। इस तरह से पैदावार में असन्तुलन है। कभी सूखा पड़ता है, पानी नहीं बरसता है तो कभी बाढ़ आ जाती है। जो सप्लाई की नीति है कि दो सालों का औसत निकालकर और फिर एक साल से उसमें भाग देकर जो निकालते हैं उससे किसानों का बड़ा नुकसान होता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे प्रदेश के गन्ना किसानों की पैदावार हो उसके लिये आप एक नीति बना दें। कम से कम जहां पर हमारी चीनी मिलें 25 लाख का इन्डेन्ट देती हैं वहां पर 20 लाख क्विंटल का ही सट्टा करते हैं। इसलिये आपसे प्रार्थना है कि आप इस तरह के आदेश दे दें कि जिससे वे किसानों का पूरा गन्ना ले सकें। इसके साथ ही साथ ऐसे क्षेत्रों में जैसे पछपेरा और बढ़नी में जहां पर ज्यादा गन्ना पैदा होता है वहां पर चीनी मिलें लगाई जानी चाहिए। आज स्थिति यह है कि चाहे वह सहकारी क्षेत्र की हो अथवा सरकारी क्षेत्र की हो, दोनों किसानों का शोषण कर रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसी चीनी मिलें भी हैं जिन्होंने फायदा दिखाया है। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज आपकी जो सप्लाई नीति है उसमें सुधार लाना चाहिए।

***श्री सोनांश प्रकाश**—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे गन्ना बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, गन्ना हमारे प्रदेश के किसानों की एक ऐसी फसल है जिस पर प्रदेश के किसान का आर्थिक भविष्य निर्भर करता है।

मान्यवर, आज हमारे देश और प्रदेश की जो सरकार की गन्ना नीति है उसका हमारे विरोध पक्ष के भाई विरोध कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी गन्ना नीति और कोई हो ही नहीं सकती है। पिछले वर्ष सारा गन्ना समय से पेरा गया और जो कीमत निर्धारित की गयी उसके हिसाब से काफी कीमत किसानों को दिलवायी गयी। मैं इसका ठोस प्रमाण देना चाहता हूँ। जिस समय गन्ने की पिराई चल रही हैं उस समय गुड खांडसारी और चीनी के दाम आप देख लें, जब गन्ना खेत में खड़ा था, तब क्या भाव थे, जब गन्ना समाप्त हो गया तब क्या भाव थे ? यह भाव कम हो गये। इससे अच्छी नीति और क्या हो सकती है किसानों के हित में। देश में इस समय कुल 324 मिलें हैं चीनी की, और इसमें से 91 मिलें उत्तर प्रदेश में हैं। पूरे देश का एक चौथायी गन्ना हमारे यहां पेरा जाता है।

मान्यवर, किसान के लिये यही एक क्रैशक्राप बोयी जाती है। इसके क्षेत्रफल को घटाने की बात माननीय सदस्यों को नहीं करनी चाहिये।

एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि हमारे यहां जो चीनी पैदा होती है, अगर वह ज्यादा पैदा हुई है, तो सरकार को उसका अपने पास बफर स्टाक रखना चाहिये ताकि जिस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्ष चीनी कम पैदा हो उस समय उसे निकाला जा सके और चीनी को कोई दिक्कत पैदा न हो तथा कीमत पर भी कन्ट्रोल रखा जा सके ।

हमें इस बात को भी देखना होगा कि इसके जो बाई-प्रोडक्ट तैयार हो सकते हैं, शीरे आदि के जो उद्योग लगाये जा सकते हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । गन्ने का जो रस निकलता है उसको हम किस तरह से कन्वर्ट करके उससे दूसरी चीज पैदा कर सकते हैं उस पर रिसर्च होना चाहिये । ब्राजील और क्यूबा में इस पर रिसर्च चल रही है कि गन्ने के रस से कौन सा प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है । उनका कहना है कि रस से कोई बाई प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया बैठें, आपका समय समाप्त ।

***श्री खैरूल बशर—**

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया । मान्यवर, सरकार की गलत नीति के कारण आज बड़े बड़े मिल मालिकों, सामन्तशाही और सामन्तों द्वारा गन्ना किसान का शोषण हो रहा है । यह शिकायत की गयी है कि गन्ने का एरिया अधिक है और मिलों की कैपेसिटी कम है । क्या सरकार मिलों की कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सकती है । गन्ने के बोने से लेकर गन्ने की पिरायी तक जगह जगह किसान का शोषण होता है और उसे परेशान किया जाता है । 8-8 दिन तक किसान की गन्ने से लदी हुई गाड़ियां खड़ी रहती हैं और गन्ना किसान परेशान रहता है । इसलिये शोषण के जो तरीके हैं अगर उनको खत्म नहीं किया जायेगा गन्ना किसानों को भला नहीं हो पायेगा ।

मान्यवर. गन्ना किसानों का शोषश समाप्त करने के लिये और उन्हें शिक्षित करने के लिये प्रदेश की सरकार एक फिल्म बनाने जा रही थी वह फिल्म बन चुकी है उसमें बताया गया है कि किस तरह से गन्ना किसानों को लूटा जाता है और किसान किस तरह से बच सकते हैं । लेकिन पूंजीपतियों ने घूस देकर, गन्ना विभाग के उच्च अधिकारियों से सांठगांठ कर उसको रोक दिया है । मैं चाहूंगा जब मंत्री जी उत्तर दें तो इस पर भी प्रकाश डालें । वह फिल्म 11 लाख रुपये से बनी है जिसमें किसानों को समझाया गया है कि कहां कहां पर शोषण हो रहा है । मिल मालिक घूस देकर तथा दूसरे तरीके अपना कर उसे रोकने की चेष्टा कर रहे हैं । मैं मांग करूंगा कि मंत्री जी इस पर बतायें कि कब वह रिलीज हो रही है ।

मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि किसान को अपना गन्ना मिलों पर ले जाकर बेचने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, उनका उत्पीड़न और शोषण हो रहा है । इस सरकार की नीति किसानों का उत्पीड़न और शोषण करने की बनी हुई है और उन्हीं नीतियों के कारण यह हो रहा है । आज हमारे प्रदेश का गन्ना किसान गन्ने का रिकार्ड उत्पादन कर रहा है जब उसके सामने विपरीत परिस्थितियां हैं इसी कारण से हमारे प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है । अभी एक माननीय महोदय बोल रहे थे उन्होंने अपने भाषण में ब्राजील का जिक्र किया कि वहां सीधे गन्ने से दूसरी चीजें बनाई जा रही हैं, इधर से कहा गया कि बीसियों साल से वह बन रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री खैरूल बशर—]

लेकिन जब हमारी सरकार और गन्ना विभाग चींटी की चाल चलेगा तो तरक्की कैसे होगी हम उस शिखर पर कैसे पहुंच पायेंगे वह दिन हमारे लिए कैसे आयेगा जब हम दुनिया में गन्ने के मैदान में भारत का झंडा लहरा दें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि वह इन सभी बातों का स्पष्टीकरण करें।

*श्री सुन्दर सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे गन्ने के बजट पर उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह निर्विवाद सत्य है कि पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के हित में जितना हमारी काँग्रेस सरकार नें किया है उतना उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी ने नहीं किया। इतना अधिक गन्ने का मूल्य कभी नहीं मिला और यह भी सर्वविदित है कि शुगर सिंडिकेट ने, गन्ना मिल मालिकों ने, बड़े-बड़े पूंजोपतियों ने हमारे वर्तमान मंत्री, भूत-पूर्व मुख्य मंत्री और वर्तमान मुख्य मंत्री इस सिंडिकेट ने हर तरह से दबाव डालने का प्रयास किया कि किसानों को गन्ने का अधिक मूल्य न मिल सके लेकिन हमारे ईमानदार और करमठ मंत्री उनके सामने नहीं झुके।

श्रीमन्, जो समस्या आज हमारे प्रदेश के सामने गन्ना किसानों की है, उसका हम सामना कर रहे हैं। गन्ना किसानों के लिए यह सबसे बड़ा उद्योग है उससे बड़ा उद्योग हर जिले और तहसील में और दूसरा नहीं है। मान्यवर, गन्ना किसान अपनी समस्या को लेकर बराबर जूझता रहा है कृषि उत्पादन में गन्ना करोड़ों किसानों का एकमात्र सहारा है अगर उसे उसका अच्छा मूल्य नहीं देंगे तो हमारे किसानों की हालत खराब होगी। लेकिन हमारा प्रशासन और हमारी सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि वह सदैव गन्ना किसानों के हित में सोचती है। हमारे जनपद बहराइच में उद्योग के नाम पर जरवल रोड में एक मात्र मिल है। लेकिन भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक बहुत बड़ी उदारता वर्ती और वर्तमान गन्ना सचिव और अन्य अधिकारियों ने तथा मंत्री जी ने प्रयास किया और हमारे यहां नानपारा में शुगर फैक्ट्री की स्थापना हो रही है। सावस्ती सहकारी गन्ना मिल से ज्ञात हुआ है कि उसमें तमाम कठिनाईयों को पैदा किया गया लेकिन गन्ना मंत्री जी ने उनको दूर किया और हम आशा करते हैं कि वह मिल बहुत शीघ्र शुरू हो जायेगी।

मान्यवर, मुझे दो और सुझाव देने हैं। एक सुझाव यह है कि बहुत सी समितियाँ ऐसी हैं जहाँ सचिव होते हैं वहाँ व्यापक भ्रष्टाचार होता है जैसे कि हमारे यहाँ जरवल रोड फैक्ट्री में बी० एन० सिंह, सचिव भ्रष्ट था जिसको मंत्री जी ने हटाया लेकिन उसके अलावा एक श्री बेदी मैनेजर हैं वह भी भ्रष्ट हैं, श्रमिकों ने वहाँ आंदोलन किया तो उनको मारा गया और गन्ना प्रतिनिधि जब वहाँ जाते हैं बकाया के संबंध में कहते हैं तो उनको भी मेंनेजर अपमानित करने की कोशिश करता है। मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि गोंडा और बहराइच के विधायकों की बात सुनकर तत्काल मैनेजर को हटाने के आदेश किये लेकिन वह ऐसा भ्रष्ट है कि आज तक वहाँ से नहीं हटा है, इसलिये इसको मंत्री जी देखें।

मान्यवर, गन्ना ग्राम सेवक ने हमारे यहाँ इस साल बड़ी धाँधलेबाजी किया है और गन्ने के सट्टे में भ्रष्टाचार पैदा किया है, इसलिये मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और वहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ और मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ ।

***श्री राम स्वरूप निम —**

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट पर कटौती का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । मान्यवर, मंत्री जी ने इस प्रदेश के गन्ना किसानों की जो हत्या किया है उसकों तो वह जानें लेकिन मैं गन्ना मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब उन्होंने सारी चीनी मिलों से चन्दा इकट्ठा किया है तो वह गन्ना किसानों का क्या भला करेंगे, इसलिये वह तो चीनी मिलों को राहत पहुँचाने का काम करेंगे । इस संबंध में मान्यवर, आपको बताना चाहता हूँ कि एक स्लिप मेरे पास है जिसको मैं आपको दे दूंगा, दिनाँक 28-12-81 को शहीद महाविद्यालय, घाटमपुर, कानपुर (देहात) के लिये दो हजार रुपये रसीद नं० 8 से मंत्री जी ने प्राप्त किया है ।

श्री निर्भय नारायण सिंह —

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि किसी भी मंत्री या मा० सदस्य पर आरोप लगाने से पहले उसकी सूचना और संबंधित कागज आपको देना पड़ेगा कि नहीं, इस पर व्यवस्था दे दें । यह चरित्र हत्या की बात है ।

श्री अधिष्ठाता —

बिना किसी तथ्य के आरोप नहीं लगाना चाहिये, यदि आपके पास कोई तथ्य हैं तो उनको मेरे पास भेज दें ।

श्री राम स्वरूप निम —

ठीक है, भेज दूंगा ।

मान्यवर, मंत्री जी के पी० ए०, श्री राम चन्द्र ने मिल मालिकों को पत्र लिखा है कि श्री अशोक कुमार तिवारी और श्री राजपाल एवं श्री राजेन्द्र सिंह को नौकरी पर लगा लें, यदि इसमें कोई कठिनाई हो तो 7-7-82 को मंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं तो उनको आप बता दें । इसी तरीके से एक पत्र और है, मंत्री जी के दो चहेते श्री राजपाल सिंह और श्री महेन्द्र पाल सिंह, एडवोकेट--जिनके माध्यम से मिलों से पैसा मंत्री जी इकट्ठा करते हैं, कुछ चैक और कुछ नकद लेते हैं । इनकी फोटोस्टेट कापी मेरे पास हैं । मान्यवर, इस तरह से मंत्री जी उस कालेज के पदाधिकारी हैं जिसके लिये पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, इसलिये मंत्री जी किसानों का क्या भला करेंगे ।

मान्यवर, इन्हीं सब कारणों से बजट पढ़ने से अहसास होता है कि 13 मिलें जो रुग्ण अवस्था में चल रही हैं उधर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । किसानों का कितना पैसा मिलों पर बकाया है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मान्यवर, पिछले वर्ष हमारे डिवीजन में एक मीटिंग में मंत्री जी ने घोषणा किया था कि यदि किसान फैक्ट्री वाले से खाद लेता है तो उसके धन पर ब्याज किसान को देना पड़ता है तो इसी तरह से यदि फैक्ट्री पर किसान का पैसा बाकी है तो किसान को भी बकाये पर ब्याज मिल को देना होगा । लेकिन मान्यवर, ब्याज तो दूर रहा, बहुत दूर रहा, मूल भी उसको नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामस्वरूप निम—]

मिला। आज भी हमारे प्रदेश में हर मिल के ऊपर यहाँ तक कि सरकारी मिलों पर भी पैसा बकाया है। सहारनपुर में एक मिल एकबालपुर है, उसके बारे में मैंने प्रश्न भी किया था, उसमें किसानों की खुली छूट की जा रही है। उनका 10 क्विंटल गन्ना तौला जाता है तो 5 क्विंटल की उसे रसीद मिलती है। मंत्री जी को उसको देखने की फिक्र नहीं है। देखें कैसे जब वह उनसे पैसा ले रहे हैं। यह हमारा खुला आरोप है, आप इसकी जाँच करवा सकते है। एक वहां सरसावां मिल है, वहाँ पर किसान लगातार अपना गन्ना दे रहा है, लेकिन वह दो-तीन दिन के लिए गन्ने की कमी के बहाने से बन्द हो रही है, जबकि कहीं भी गन्ने की कमी नहीं है। इस तरह से वहाँ लगातार किसानों का शोषण हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता —

आप समाप्त करें, पाँच मिनट हो गये हैं।

श्री राम स्वरूप निम —

(व्यवधान) जो जगन्नाथ मिश्र और ए० आर० अन्तुले के पद चिन्हों पर चल कर इस प्रदेश को लूट करा रहे हैं ''' (व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे गन्ने के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। माननीय मंत्री जी ने जो गन्ने के संबंध में बजट पेश किया है, उसका मैं दिल से अभिवादन करता हूँ। सम्मानित ओझा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, निश्चित रूप से इनके मुख से कटौती का प्रस्ताव सुनकर मुझे दुख अवश्य हुआ, क्योंकि वह सर्वहारा वर्ग के आदमी हैं। उनको इस मामले में कटौती नहीं करनी चाहिए थी। सबसे पहले मैं आपको पूर्वांचल में ले चलना चाहूंगा जहाँ से मैं आता हूँ, देवरिया जनपद में 14 चीनी मिलें हैं और मान्यवर, वहाँ के किसान का एकमात्र जीने और मरने का सहारा गन्ना ही है और यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य, मंत्री जी जब से इस कुर्सी पर आरूढ़ हुए हैं, मुझे यह कहने में जरा भी दुख नहीं होगा कि गन्ने की समस्याएँ दिन प्रति दिन उलझती चली गईं। किन्तु समस्याओं से उलझना हमारे मंत्री जी के लिए कोई कठिन बात नहीं है। हम लोगों ने प्रयास भी किया कि अपनी समस्याओं को, मंत्री जी से मिल कर कुछ सुलझाने का प्रयत्न किया जाय, किन्तु दुःख के साथ, यह कहने में जरा सा भी हिचक मुझे नहीं होगी कि माननीय मंत्री जी पता नहीं हम जन सेवकों के नेता हैं या पता नहीं कुछ चुने-चुनाये अधिकारियों के नेता हैं। मान्यवर, मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने गन्ने का दाम दिलवाया, उसके लिए मैं बार-बार इनकी तारीफ करता हूँ और श्रीपति मिश्र जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि जो किसानों को 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक भुगतान कराया। हम लोग जहाँ से आते हैं, वहाँ की समस्यायें अपार हो गयी हैं, एक पर्ची, दो पर्ची वाले किसानों का गन्ना अब तक खेतों में पड़ा हुआ है।

मान्यवर, वहाँ के किसानों का, एक तो उनका पेमेंट हुआ, लेकिन फिर भी जिस तरह से पेमेंट होना चाहिए नहीं हुआ। आज किसान के सामने स्थिति यह उत्पन्न हो गयी है कि कैसे हमारा गन्ना गिरे, कैसे हमारा काम-धाम हो, नाना प्रकार की वसूलियाँ शुरू हो गयी हैं। किसान के पास पैसा ही नहीं है, हा-हाकार मचा हुआ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ। एक तो यह है

कि माननीय मंत्री जी को मान्यवर, यह सुझाव आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि करोड़ों-करोड़ों रुपया हम उन जरजर फैक्टरियों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी ने कभी उनकी तरफ भी दृष्टि रखी कि जहाँ पर हम करोड़ों-करोड़ों रुपया उसके पीछे खर्चा कर रहे हैं, उस पर कुछ प्राफिट भी है जो इस तरह से करोड़ों रुपया निकाल कर खजाने से खर्चा किया जा रहा है, उस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए।

दूसरी चीज मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कि आज हमारे विपक्ष में बैठे हुए कुछ हमारे माननीय सदस्य फोटोस्टेट कापियाँ दिखा रहे हैं, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रद्दी की टोकरी से उठा लाये। लेकिन मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बाहर निकलने पर कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं जो निश्चित रूप से निंदनीय हैं। सुनीता इन्जीनियरिंग वर्क्स नाम की एक फर्म थी, जो नटवर लाल की तरह से काम किया करती थी, उस नाम की कोई फर्म थी ही नही, फर्जी काम किया करती थी, अब वहां पर आनन्द टैक्स के नाम से मैंने सुना है कि 13 करोड़ रुपये का उसको काम दिया गया है और 13 करोड़ के नाम पर 15 करोड़ रुपया, चाहे वह सरकार लिए हो, चाहे आप लिये हो, समय के बाद उसको दिया गया, मान्यवर, इसकी जांच करें और उसको निश्चित रूप से दण्डित करें, जिसने यह रुपया लिया हो। इन शब्दों के साथ मैं गन्ना के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

***श्री बलवीर सिंह** –

(रामपुर) मान्यवर, इस देश को 35 साल आज हुए हो गया और 30 वर्ष से इस कांग्रेस का शासन है। पिछले 30 वर्षो से 70 प्रतिशत किसानों का शोषण इस कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जा रहा है।

(व्यवधान)

सुनिये, धीरज से सुनिये। अगर गलत कहूँ, तो उठकर बोल दीजिए, क्योंकि 30 प्रतिशत गन्ना ही लिया जा रहा है, तो मैं यह चाहूँगा कि मंत्री जी अपने उत्तर में यह व्याख्या करें कि कितने बर्षो में बाकी के 70 प्रतिशत किसानों का गन्ना मिलों द्वारा एक निर्धारित मूल्य पर लिया जायेगा। उसके सम्बबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि सभी किसानों का गन्ना सहकारी समितियों द्वारा निर्धारित मूल्य पर लिया जाय। और जितनी इकाइयों को वह गन्ना सप्लाई किया जाय अगर वह मुनाफे में नहीं चलती हैं तो सरकार उनको सब्सिडाइज करे, अनुदान दे यह बहुत जरूरी है। सब किसानों को बराबर समझना चाहिये, चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे रिजर्व एरिया में रहता हो या नहीं रहता हो। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि सहकारी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में जितनी भी मिलें चलती हैं मेरे ख्याल में 90 परसेंट मिलें घाटे में चल रही हैं। उनके प्रशासनिक खर्चों पर आपको बराबर नजर रखनी चाहिए। एक मिल में अगर एक हजार का खर्च है तो दूसरी मिल में 30 हजार का खर्च है तो इतना बड़ा फर्क क्यों आता है इस पर निगाह रखने की जरूरत है। मान्यवर, गन्ना सोसायटियों में फर्टीलाइजर फंड के नाम से लाखों रुपया लिया गया परन्तु आज जो खाद किसान को दी जा रही है उस पर साढ़े 18 परसेंट ब्याज लिया जा रहा है। मान्यवर, किसानों का दोहन हो रहा है। अगर आज किसान के ऊपर किसी का बकाया है तो किसान की जमीन नीलाम की जा रही है भले ही उसके पास गन्ने की पर्चियाँ हों। माननीय मंत्री जी आप आदेश करें कि जिस किसान के पास गन्ने की पर्चियां हों तो उसकी जमीन नीलाम न की जाय, उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवीर सिंह—]

मान्यवर, अभी बरेली में केन इंसपेक्टर ने लिखित रूप से आदेश किया है कि सेंट्रल परचेज सेंटर का निरीक्षण न किया जाय। इसका कारण यह है कि केन परचेज सेंटर पर उनका डेली बंधा हुआ है। इस तरह उनको बंधी बंधाई आमदनी हो रही है। पूरे उ. प्र. में किसानों का शोषण हो रहा है। किसी भी गन्ना खरीद सेंटर पर किसान की गाड़ी से गन्ना ठेकेदारों द्वारा नहीं उतारा जाता है जबकि ठेकेदार को इस बात का पैसा दिया जाता है जिसमें सभी मिलों के मैनेजरों का हिस्सा होता है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इसकी इंक्वायरी एंटी करप्शन स्टाफ या विजीलेंस से करायें ताकि मेरी इस बात की पुष्टि हो जाय कि वाकई में गन्ना किसान खुद उतारता है या ठेकेदार उतारता है। बजाय इसके कि ठेकेदार को पैसा दिया जाय इस पैसा का देना बंद किया जाय या किसानों के गन्ने को ठेकेदार द्वारा उतारा जाय। गन्ना किसान की गन्ना क्रय केन्द्रो पर लूट होती है, हम आप सभी इसको जानते हैं। तो इसके इलाज की क्या व्यवस्था आपने की है। आपने यह सोचा है कि आज मिलों में रिकवरी कम क्यों आ रही है विशेष कर सहकारी और सरकारी क्षेत्र में। इसका कारण यह है कि गन्ना क्रय केन्द्रों पर गन्ना 10-15 दिन सड़ता रहता है जब उसमें बदबू आने लगती है तब उठाया जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, अभी तीन मिनट हुए हैं। मान्यवर, गन्ना मूल्य के संबंध में बहुत कहा जाता है कि हमने बहुत मूल्य दिलवा दिया। खाद के दाम, बीज के दाम, मजदूरी के दाम तेल के दाम, टैक्स लगाकर बजट लाने से पहले बढ़ा दिये जाते हैं और आप कहते हैं कि पूरा दाम दिया। तो कम से कम अपने गिरहबान में झांक कर देखना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री बलवीर सिंह—

इतनी बात कहकर मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री सैय्यद जकीउद्दीन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे साथी विधायकगण, मान्यवर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बोलने का समय दिया। माननीय मंत्री जी ने जो गन्ना का बजट पेश किया है मैं उसकी ताईद करता हूँ और हमारे सामने बैठने वाले सदस्यों ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसकी मुखालिफत करता हूँ।

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि यह बेचारे तो सन 1978-79 से गन्ने के मामले में कटौती करते चले आ रहे हैं, आज भी इनकी क्या गलती है। अभी बहुत से लोगों ने कहा कि गन्ने का भुगतान बकाया है पिछले साल का, मैं उसके बारे में कहना मुनासिब नहीं समझता हूँ, मुझे मालूम है कि आपके विभाग द्वारा पूरी कोशिश जारी है कि जो 13 करोड़ रुपये का बकाया है, उसका जल्द से जल्द भुगतान किया जाय। मान्यवर परचेसिंग सेंटर्स पर तौल में कमी की बात कही गयी। तो उसके बारे मैं में कहना चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूँ। पहले शुगर केन इंसपेक्टर्स होते थे। उनका काम होता था जो परचेसिंग

सेंटर्स हैं, उन पर तौल की जांच करना और निरीक्षण करना, अब यही एस्टिंट शुगर कमिश्नर भी हैं, अब अस्सिटेंट शुगर कमिश्नर का जो काम होता है वह लाइसेंस बगैरह और मुकदमें देखते हैं, अदालतें करना है इसलिये इन्हें समय नहीं मिल पाता है कांटों पर चेकिंग करने का। मेरा सुझाव यह है कि शुगर केन इंस्पेक्टर की पोस्ट बिल्कुल अलग दी जाय और असिस्टेंट शुगर कमिश्नर की पोस्ट अलग कर दी जाय। मेरा विश्वास है कि अगर शुगर केन इस्पेक्टर महीने में 25 दिन भी कांटों की चेकिंग करेंगे, तो तोल में कमी नहीं होगी, किसानों का शोषण नहीं होगा।

मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करुँगा कि वे इस सुझाव पर अवश्य गौर करें। इसके अलावा जो इस साल इतने अधिक गन्ने की पैदावार हुई है, और जो भाव किसानों को दिये गये हैं, उसके लिए हुकूमत काबिले मुबारकबाद है। लेकिन मैं आपसे इस संबंध में गुजारिस करता हूँ कि आप मिलों को यह आदेश दें चाहे वह जुलाई तक चलें या जब तक चलें कि जब तक एक-एक गन्ना मिल में चला न जाय, जब तक मिलें बंद न हों। इसके अतिरिक्त मेरा एक सुझाव यह है कि जो किसानों का भुगतान होता है, वह भुगतान अगर बैंक के जरिए हो, तो अधिक उचित होगा। बैंक में किसान की फोटों हो। अगर बैंक में किसान का फोटो मौजूद है, तो किसान के स्वयं जाने के बाद ही उसका भुगतान होगा, तो इस तरह से जो जाली पर्चियों की शिकायत होती है, वह दूर हो जायेंगी। इसके अलावा माननीय मंत्री जी मैं सल्फर पालिसी के बारे में फिर आप से कहूँगा कि जो केन डिपार्टमेंट है, उसको अलग कर दें और जो शुगर है उसे अलग कर दें इन दोनों के एक ही विभाग के अंतर्गत होने के कारण किसानों को लाभ नहीं हो रहा है। सल्फर पालिसी में आप ऐसा करें, अभी तक जो है वह यह है कि किसी जगह तो सल्फर्स या क्रेशर्स पर गन्ने का भाव ९ रुपये है, किसी जगह 11 रुपये है, कहीं 13, कहीं 15 रुपये और कहीं 17 रुपये है, भाव निर्धारित नहीं है। मान लीजिए किसी कस्बे के अन्दर एक सल्फर है तो उसकी मोनोपाली है और वह चाहे किसी भाव ले 9 रुपये ले या दस रुपया ले, किसी कस्बे के अन्दर सल्फर्स ज्यादा हैं तो वहां पर कम्पटीशन है और भाव 17-17 रुपये तक हैं। मेरी इस सम्बंध में गुजारिश है कि सरकार ही इनका भाव तय कर दे, ताकि किसानों का गन्ने का मूल्य सही मिल सके। इसकी बजह यह है कि मिलें तो 30 परसेंट पेरती हैं और जो यह सल्फर्स या क्रेशर्स हैं वह 60 परसेंट पेरते हैं, तो अगर यह चीज तय हो जायेगी, तो उससे किसानों का शोषण नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बंधाई देना चाहता हूँ कि माननीय जकी साहब जैसे मोटे गन्ने के मुकाबले में कुबेर भंडारी को आपने बोलने दिया।

***श्री कुबेर भण्डारी—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुबेर मण्डारी—]

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मंत्री जी दिमांग से कमजोर हैं, उलझ जायेंगे। जो गन्ना विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट है, उससे गन्ना किसानों का भला होने वाला नहीं हैं। जो रिपोर्ट उनके अधिकारियों ने दी, उसको भी माननीय मंत्री जी सदन में ठीक तरह से पढ़ नहीं पाये। बेचारा किसान अभागा है, वह जो उपज पैदा करता है, उसका लाभ उसको नहीं दिया जाता है।

[3 बज कर 40 मिनट]

उसके तनपर कपड़ा नहीं है। मान्यवर, मंत्री जी ने कोई भी उन्नतिशील बीज का जिक्र नहीं किया। केवल भूत की तरह से बकते चले गये। मैं ऐसा सदस्य हूँ जिसने अपने हाथ से गन्ना बोया है और मिलों पर गिराया है लेकिन यह तो भठ्ठा चलाते हैं और चिमनी चलाकर यह एम०एल०ए० बने है। जो इनके अधिकारी बताते है उसके आधार पर उटपटांग बोला करते हैं। यह सदन को गुमराह करते हैं कभी कहते हैं कि बकाया नहीं है कभी कहते हैं कि इतना लाख बकाया है। मैं समझता हूँ इतना आयोग्य मंत्री कोई नहीं है। इनके यहाँ, गन्ना तो होता नहीं है इनके यहाँ उसर होता है उसर को सुधारने का काम करते तो ठीक होता। इनको गन्ने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे देवरिया जिले में चीनी की 14 मिलें हैं 2 गोरखपुर की भी मेरे क्षेत्र से चलती हैं। वहां भी हमारे यहाँ से गन्ना जाता है। लेकिन इनके यहाँ तो रेहा होता है। मेरे आँसू बहाने जा रहा है गन्ना किसानों की समस्या पर। वास्तव में किसानों का जो हाल है मान्यवर, किसान जो लोन लेता है उस पर ब्याज लेते हैं लेकिन जब किसान का गन्ना गिर जाता है तो उनका साल दो साल तक पैसा नहीं पाता।

मान्यवर, जो अच्छे किसान हैं 80 एकड़ गन्ना बोते है उनके पास पहनने के लिये कपड़ा नहीं है। खाद नहीं है यह गन्ना की उदास नीति के कारण है। यह कहते हैं गन्ने की पैदावार बढ़ी है मैं कहना चाहता हूँ कि गन्ने की पैदावार नहीं बढ़ी है क्षेत्रफल बड़ा है। मान्यवर हम लोग जब बच्चे थे तो हमारे यहाँ एक गन्ना होता था उसको हम लोग मेरठ कहते थे। यह गन्ना बहुत मोटा होता था। लेकिन जो इनके अनुसंधान द्वारा गन्ने का बीज दिया जा रहा है वह लकड़ी से मोटा नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ किसानों के साथ घोर अन्याय इस विभाग द्वारा किया जा रहा है। मान्यवर, जो भी सामान कोई पैदा करता है उस पर ढुलाई नहीं लगती है लेकिन किसान जो चीज पैदा करता है उस पर उसको ढुलाई भी देनी पड़ती है। मान्यवर 10 पैसा से बढ़ाकर मंत्री जी ने उसको डेढ़ रुपया कर दिया। इसमें मंत्री जी ने सीधे पैसा ले लिया। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने बोलने का अवसर दिया।

श्री विशन लाल —

मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यबाद देता हूँ कि जहाँ आप और लोगों को मौका देते हैं चाहे पीछे ही दे हरिजनों को भी मौका देते हैं। इसलिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यबाद देता हूँ। मैं गन्ना मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। मान्यवर चूँकि समय बहुत कम है इसलिये मैं संक्षेप में अपने जिले की समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे जिले के अन्दर जो किसान है उसको सिंचाई के साधन है जिला बिजनौर में गन्ना किसान बहुत पैदा करता है। हमारे यहां एक हजार से अधिक क्रेशर हैं लेकिन बावजूद इन क्रेशरों के ऐसी चार मिले है चांदपुर, धामपुर, बिजनौर सेहवारा जिनमें गन्ने की पेराई की जाती है। जब गन्ने का सट्टा हुआ था तो इन क्रेशरों ने गन्ने का दाम 50 रुपया तक कर दिया था लेकिन अगले साल 6 रुपये पर ले आये। इसके कारण हमारा जो श्रमिक एक किसान हैं

वह पिसता जा रहा है । हमारे यहाँ दो क्षेत्र नजीबाबाद फजलपुर और नगीना पिछड़ा हुआ है । यह रिजर्व क्षेत्र है । सरकार कहती हैं कि पिछड़े इलाके में हरिजनों के इलाके में टियूब्बेल लगेंगे, मिल लगेगी ।

मैं वकालत करना चाहता हूँ कि इन क्षेत्रों में लाईसेंस दिया जाय और मिल लगाई जायं । नजीबाबाद का सर्वे हो चुका है नगीने का बाकी है । मैं इसके संबंध में प्रधान मंत्री जी से भी कहा था । मेरा निवेदन है कि इस पिछड़े हुये क्षेत्र में मिल लगाई जायं । मान्यवर, क्रेशर वाले किसानों को बहुत कम पैसा देते हैं और मिल से उसको अच्छा पैसा मिलता है । इसलिये पिछड़े हुये क्षेत्र में इसको लगाना आवश्यक है । जहाँ तक किसानों के बकाया का प्रश्न है उसका पेमेंट किया जाय । मान्यवर जब किसान ऋण लेता है तो उससे सरकार ब्याज लेती है फिर क्या कारण है कि किसानों का जो पैसा सरकार के पास रहती है उस पर सरकार ब्याज क्यों नहीं देती है । मेरा निवेदन है कि किसान के पैसे का पेमेंट ब्याज सहित होना चाहिये । एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब तक गन्ने की पूरी पेराई न हो जाय गन्ना खत्म न हो जाय तब तक मिलें बन्द न की जायं । माननीय मंत्री जी से एक निवेदन यह करना चाहूँगा कि क्रेशरों पर पाबन्दी लगनी चाहिये कि 20 रुपये से गन्ने का मूल्य कम न दें । मान्यवर, आप मिलों को वैकूम मशीन और ब्यालर देते हैं जिससे रिकवरी अच्छी होती है तो यह सुविधा उन क्रेशरों को भी दी जाय तो नेशनल लास से बच सके और किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिल सके । मैं बजट का समर्थन करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री विशन लाल—

धन्यवाद ।

***श्री प्रदीप कुमार यादव—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं ओझा जी द्वारा जो गन्ने के संबंध में कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ । मान्यवर, आज प्रदेश के किसानों में चिंता व्याप्त है । प्रदेश का किसान और खासकर गन्ना किसानों में चिंता व्याप्त है, कि सारा का सारा गन्ना खेत में खड़ा है इसको मिल लेगी अथवा नहीं और इस चिंता के फलस्वरूप क्योंकि यह प्रदेशीय सरकार का गन्ना विभाग आये दिन रेडियों के माध्यम से प्रचारित करता रहता है कि मौजूद गन्ना को चीनी मिल पेर नहीं पायेगी इसलिये किसान कोई व्यवस्था अलग से करें । इस प्रचार से किसान भ्रमित हो जाता है और कुछ पैसा खर्च करके गलत तरीके से पर्ची प्राप्त करने की कोशिश करता है और किसान आउने पौने पैसा लेकर अपना गन्ना समाप्त करता है । यह समस्या है । मेरा निवेदन है कि इस संबंध में कोई नीति निर्धारित करें क्योंकि यह समस्या मुसलसल कई वर्षों से प्रदेश में चली आ रही है । सरकार के बस का नहीं है कि वह सारा गन्ना ले सके ।

मैं अनुरोध करूँगा कि इस सिलसिले में कोई व्यवस्था बनाये कि कितनी शक्कर बनेगी, कितनी खाँड़ और राब बनेगी । इन चीजों को देखकर गन्ना का क्षेत्र निर्धारित करें । तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है । इसके अलावा हम लोग क्षेत्र में जाते हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रदीप कुमार यादव—]

जो शासन की नीति बनेगी। सट्टा बनाने की जो नीति है, दोषपूर्ण है। जो नीति है दो साल के गन्ने का लेखा-जोखा लेते हैं कि दो साल में कितना गन्ना सट्टे पर दिया है, उसका आधा गन्ना लिया जा रहा है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो गन्ने की पेराई ये मिल कभी नहीं कर पायेंगे। इसलिए इस नीति में सुधार होना चाहिए। लीगल इयर्स जो हैं, जो किसान अगर कोई मर जाता है तो उसके नाम से जो सट्टा होता है तो उसके नाम से पर्ची, सट्टा नहीं मिलता है और यह कह कर कैंसिल कर दिया जाता है कि यह नया सट्टा है। समय तो कम है मान्यवर, इसलिए मैं अपने जिले की ओर आना चाहता हूँ।हमारे जिले में दो चीनी मिलें हैं—एक बुढ़वल और दूसरी बाराबंकी। इसमें डेढ़ करोड़ बाकी है। मौजूदा सत्र में एक भी पैसा किसानों को नहीं दिया गया है। इसी की वजह से किसान बहुत पीड़ित हैं। ये मिल जो हैं सरकार अपने माध्यम से चला रही है, सरकारी अफसरान बैठकर उसको चला रहे हैं और निरन्तर घाटा दे रहे हैं। मंत्री जी इस पर ध्यान दें। मंत्री जी समाजवादी रहे हैं, गन्ने का मूल्य का मामला बहुत दिनों से उलझा हुआ है, कोई निश्चित गन्ना नीति नहीं है। साढ़े बीस और इक्कीस रुपया निर्धारित किया गया है और जलाने वाली लकड़ी का दाम उसके मुकाबले 70-80 रुपया क्वींटल है जबकि गन्ना लकड़ी के मुकाबले काफी उपयोगी है। इसकी लुगदी बनती है अल्कोहल, शीरा, चीनी, आदि बनती है। तो इतना महत्वपूर्ण विभाग है लेकिन इस विभाग में इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसान की उसमें लागत, खर्च कितना आयेगा, इन चीजों की तरफ देखते हुए किसानों को वाजिब दाम दिलाया जाय।

मेरा सरकार से निवेदन यह है कि सरकारी फार्म भी हैं, उसको देखें, उसमें जो लागत आती है, जो खर्चा आता है, उसको देखते हुए गन्ने का दाम निर्धारित किया जाय। यह मेरा सुझाव है।

श्री सतीश अजमानी—

मान्यवर, आपने मुझे गन्ना के बजट पर पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आप का आभारी हूँ। जो बजट गन्ना मंत्री के द्वारा रखा गया है मैं उसका समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने लिए खड़ा हुआ हूँ।

मान्यवर, आज विचारणीय विषय यह है कि जनता पार्टी ने अपने समय में, जनता पार्टी की सरकार ने मिल मालिकों से 30 करोड़ या 50 करोड़ रुपया लिया, न ही यह विचारणीय विषय है कि जनता पार्टी के समय में किसानों को गन्ना खेतों में जला देना पड़ा और किसानों को बरबादी और तवाही के कगार पर ला दिया 1977 में। बल्कि विचारणीय यह विषय है कि आज किसानों को क्या क्या दिक्कतें, परेशानियाँ हैं। सबसे बड़ी परेशानी इस समय है किसानों को उनका पिछला बकाया नहीं मिल रहा है और इसके साथ-साथ आगे का भुगतान, जो गन्ना आज दिया जा रहा है, उसका भुगतान भी नहीं मिल रहा है। मान्यवर, निघासन तहसील में 3/4 हिस्से में गन्ना पैदा होता है और वहाँ पर 1/4 लोगों के सट्टे नहीं बने। अधिकारी लोगों का कहना है कि 30 जून तक जो लोग मेम्बर नहीं बने उनके सट्टे नहीं बन सकते। आपकी नजरों में इसमें किसानों की गलती हो सकती है लेकिन यह गलती उन किसानों की है नहीं बल्कि आपके कर्मचारियों की है। फिर भी जिनके सट्टे नहीं बने वे भी इस देश के, उत्तर प्रदेश के किसान हैं, उन्होंने भी खाद डाली है, पैसा लगाया है, हल चलाया है, तब गन्ना बोया है। इस प्रकार का बहाना करके इन किसानों को न सताया जाय बल्कि यह सोचा जाय और विचार किया जाय कि किस तरह से उन किसानों का गन्ना निकाल कर उनको राहत दी जाय। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा रेट दिया। किसान बहुत आभारी हैं, हम सभी

विधायक भी इस बात के आभारी हैं। लेकिन अच्छा रेट दिये जाने से ही समस्या का हल हो जाने वाला नहीं है। यह न हो कि किसानों को अच्छा रेट दिये जाने में जो हमारे मंत्री जी व हमारी सरकार प्रशंसा ले रहे हैं, उसमें कमी आ जाय और बाद में किसानों को अपना गन्ना जनता पार्टी की सरकार के समय की तरह जला देना पड़े। इस पर मुख्य रूप से विचार करने की जरूरत है। हमारे यहाँ तराई के क्षेत्र में गन्ने की अधिकता को देखते हुए हमें निघासन में एक नई फैक्ट्री खोलने की आवश्यकता है। इसे खोला जाय। पलिया से गोला फैक्ट्री के लिए पहले 50-60 बैगन गन्ना लिया जाता था अब केवल 25-30 बैगन ही लिया जा रहा है। पलिया में किसानों का गन्ना नहीं निकल पा रहा है। इसको देखना चाहिये। संपूर्ण नगर फैक्ट्री की बात लीजिये। हम सरकार के आभारी हैं कि सरकार ने इसका लाइसेंस दिया। इसमें जो कर्मचारी रखे जाते हैं उनके रखने के लिये जिले के चंद लोग, फैक्ट्री के अधिकारी इण्टरव्यू लेते हैं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं रखा गया है। चयन में जनप्रतिनिधियों को भी स्थान देना चाहिये। बिलरायां फैक्ट्री की हालत यह है कि 80 प्रतिशत लोग क्षेत्र से बाहर के रखे गये हैं। लेबर और क्लर्क जो वहाँ उपलब्ध हैं वह भी रखे गये हैं। सम्पूर्णानंद फैक्ट्री में 10 कर्मचारी रखे गये, दशों क्षेत्र के बाहर के हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधियों को चयन में महत्व देना चाहिये जिससे क्षेत्रीय लोगों को सेवा का अवसर मिल सके।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें।

श्री सतीश अजमानी—

इन शब्दों के साथ मैं मा० मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूँ और ओझा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्रीमती विमला राकेश—

मैं आभारी हूँ कि आपने गन्ना विकास पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं माननीय ओझा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। मान्यवर, जो गन्ना किसान कड़ी धूप में, भयंकर सर्दी में, कड़ाके की गर्मी में हल चलाता है, रात में तारों को गिन-गिन कर जंगली जानवरों से खेती की रक्षा करता है, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिये रात-दिन परिश्रम करता है और फूला नहीं समाता आज वह गन्ना किसान अपनी इच्छाओं को लेकर दुखी हो रहा है। भूखा मरता है दाने दाने के लिये तरस रहा है। उसकी उपज का सही मूल्य उसे नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, उ० प्र० सरकार ने खाद के दाम बढ़ाये, पानी के दाम बढ़ाये, बिजली के दाम बढ़ाये, डीजल के दाम बढ़ाये। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौनसी विषम परिस्थिति है जिसके कारण गन्ना किसानों को दबाया जा रहा है। मान्यवर, आज भी गन्ना किसानों का 75 प्रतिशत गन्ना खेतों में खड़ा है, केवल 25 प्रतिशत गन्ना ही क्रय केन्द्रों तक पहुँच पाया है। यदि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार पहले से ही इस प्रकार की योजना बना लेती, गन्ने का भाव पहले से ही तय कर देती, मिलें समय पर चला देती तो गन्ना किसानों का लाखों एकड़ गन्ना कटकर गेहूँ बोया गया होता।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना पैदा होता है। अकेले मेरठ डिवीजन में, पूरे भारतवर्ष का 40 परसेंट गन्ना पैदा होता है और जब कि पूरे महाराष्ट्र में पूरे 75 प्रतिशत गन्ना की पिराई मिलों में होती है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि

[श्रीमती विमला राकेश --]

उत्तर प्रदेश सरकार के चीनी मिलों में केवल 28-30 प्रतिशत गन्ने की पिराई होती है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज गन्ना किसानों को छोटी-छोटी देय राशियों पर उत्पीड़ित किया जा रहा है। उसको परेशान किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। उनको जेलों में भेजा जा रहा है परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि गन्ना किसानों का जो करोड़ों रुपया बकाया फैक्ट्रियों के ऊपर है उसकी रिकवरी करने का हक गन्ना किसान का नहीं केवल गन्ना आयुक्तों को हैं और वह उसका उपयोग केवल राजनैतिक आधार पर करता है। 2 मान्यवर मेरा सुझाव यह है कि यह हक गन्ना समितियों को होना चाहिये गन्ना आयुक्त को नहीं।

मान्यवर, हमारे गन्ना मंत्री जी खुश हैं कि हमने साढ़े 21 रुपया भाव प्रदेश के काश्तकारों को देकर एक बड़ा काम किया है। इस सम्बंध में माननीय गन्ना मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद सहारनपुर की ओर ले जाना चाहती हूँ। मेरे जनपद में आज भी क्रेशरों पर 8 रुपये से लेकर 11 रुपये प्रति कुंटल गन्ना बिक रहा है और सेंटरों पर साढ़े उन्नीस रुपये प्रति कुंटल गन्ना बिक रहा है और दो रुपये की कटौती इन सेंटरों में काटी जा रही है। मेरे जनपद सहारनपुर में सरसाया मिल में एक रुपया प्रति कुंटल एन० आर० डी० का काटा जा रहा है जबकि लोग नहीं चाहते कानून भी नहीं है फिर भी काटा जा रहा है। इस सम्बंध में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगी कि वह तुरंत इसको बंद करायें। और काटा हुआ रुपया किसानों को वापस करायें।

मान्यवर, यह सरकार यदि किसानों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं दिलवाती है तो मेरा सुझाव है कि कम से कम खेतों में काम आने वाली दवाइयों, मशीनों व अन्य सामानों में जो बिक्री-कर लगता है समाप्त करके किसानों को आवश्यक अनुदान देने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ अब आप बैठें।

श्रीमती विमला राकेश—

मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव है कि गन्ना उत्पादकों का सूची मूल्य अवशेष सूद सहित भुगतान कराया जाय। यदि किसान गन्ना मूल्य देने में असमर्थ है तो मेरा सुझाव है कि गन्ने की पर्चियों को उनकी सरकारी सहकारी देनदारियाँ हैं उसमें नकद के रूप में मान्य करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ।

कुंवर श्री वीरेन्द्र सिंह ढाना—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। गन्ना उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंट इण्डस्ट्री ही नहीं है यहाँ के किसानों की मुख्य फसल भी है और यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति इस पर बोलना चाहते थे और काफी लोगों ने बोला भी इस सम्बंध में। इसके लिये करीब-करीब सभी लोग आभारी हैं। "थैंक्यू आपके सुझाव के लिये।" माननीय गन्ना मंत्री जी ने इस इम्पार्टेंट विषय पर जो बजट पेश किया है उसकी उत्तर प्रदेश को बहुत आवश्यकता है उसके लिये मैं माननीय गन्ना मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

श्रीमन्, मैं एक-दो बातें कहना चाहता हूँ इसलिये समय की बहुत बड़ी बात नहीं है शासन पिछले 2 वर्षों से गन्ना किसानों को बहुत अच्छा मूल्य दे रहा है लेकिन उतना

ही प्रयत्न अगर उसके पूर्ण भुगतान में भी करें तो उसे पूरा क्रेडिट मिलेगा। मुझे आशा है कि जितना प्रयत्न मूल्य बढ़ाने में किया गया है उतना ही मूल्य के भुगतान में भी किया जायगा। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहना है कि शासन ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि जो बीमारी के कारण कुछ मिलें ठीक नहीं चल पा रही थीं उनको सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और उनसे गन्ने की पेराई शुरू हो गयी है, लेकिन मूल्यों के भुगतान का वहां भी यही है कि मूल्यों का भुगतान ठीक से नहीं हुआ है। इसकी तरफ भी ध्यान दें। कोई भी अच्छा कार्य जब तक सम्पूर्ण न हो जाय तब तक अच्छा नहीं होता है—"जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड"। इसके अतिरिक्त मैं एक और बात कहूँगा कि जिलों में जो गन्ना समितियां बनी हुई हैं, वे बहुत दिनों से सरकार के अधीन चल रही हैं। अब ऐसा समय आ चुका है कि उनमें फिर से चुनाव कराये जाँय और उसमें लोगों के जरिये इन्तजाम करने का प्रबंध किया जाय। इसके लिये गन्ना किसान आतुर है, आदी हो चुका है इस बात को कहने का। एक बात अन्त में और कहना चाहता हूँ कि जो कमीशन फैक्ट्रियों से गन्ना यूनियनों को और गन्ना काउन्सिलों को मिलता है वह अब भी उसी रेट पर मिल रहा है जैसा पहले मिला करता था, जिससे विकास कार्यों में रुकावट आ गयी है। जो अनुदान केन्द्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार दिया करती थी, वह भी बन्द हो गया है। मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में विचार करें और कमीशन की दरों को बढ़ाएं, अनुदान को भी बढ़ायें ताकि विकास कार्य ठीक से हो सके।

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, मैं मा० ओझा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

गन्ना हमारे प्रदेश की मुख्य फसल है। हमारे प्रदेश में हमारा जिला बाराबंकी आता है जिसमें हमारे बाराबंकी जिले मे काफी गन्ना होता है लेकिन पिछले वर्ष 81-82 का 47 लाख रुपया बकाया है। यह जो 47 लाख रु० का बकाया है रायबरेली मिल पर बकाया है। बाराबंकी की मिलें गन्ना न ले सकीं तो रायबरेली मिल को गन्ना दिया गया लेकिन बाराबंकी के किसानों का यह पैसा नहीं दिया गया है। कानपुर और सुल्तानपुर का पैसा भुगतान कर दिया गया है क्योंकि मा० गन्ना मंत्री जी वहां के मंत्री हैं। और सुल्तानपुर के माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, इस वजह से वहाँ का भुगतान कर दिया गया है और रायबरेली मिल का भी पूरा पैसा भुगतान हुआ है, वह इसलिए कि वह क्षेत्र अरुण नेहरू के प्रभाव में आता है। तथा माननीय मंत्री इतना इस ओर और स्पष्ट कर दें कि बाकी पैसा रायबरेली मिल का जो 47 लाख रु० के करीब है, कब तक भुगतान करा देंगे, इसका माननीय मंत्री जी एक निश्चित समय के निर्धारण के साथ आश्वासन दें। दूसरे 50 लाख 51 हजार बाराबंकी मिल तथा बुढ़वल मिल के बारे में मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर किसानों का लगभग 39 लाख तो पिछले साल का भी काफी बकाया है। उसे दिलाया जाय। मान्यवर, इसमें केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कुछ पैसा दिया गया था परन्तु वह पैसा सरकारी कर्मचारी व अधिकारी गण मिल बाँट कर खा गये और किसान को उसके पैसे को नहीं दिया गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करुँगा कि वे कृपया इस मामले की छानबीन कराएं और काश्तकारों का पैसा उन्हें दिलवाएं ताकि गन्ना किसानों में व्याप्त असंतोष और आक्रोष की भावना समाप्त हो। तथा इस बार किसानों के खेतों में गन्ना खड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए माननीय मंत्री जी कोई स्पष्ट उत्तर देंगे कि उनके इस गन्ने को इसी सेशन में ले लिया जायेगा और उस गन्ने का उन्हें उचित मूल्य भी दिया जायेगा। अब मैं मा० मंत्री जी का ध्यान गन्ने के मूल्य के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विषय में कोई नीति अपनाई जाए, उनकी मेहनत और लागत को देखते हुए। जिस

[श्री जमुना प्रसाद—]

तरह किसान सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता है, तथा खाद सिंचाई व बीज आदि की व्यवस्था करता है, उस लागत के अनुसार रु० 20.50 या 21 रु० प्रति क्वंटल के हिसाब से मूल्य कम है किसानों को सही मूल्य दिलवाया जाए और साथ ही पिछला तथा नया बकाया बाराबंकी बुढ़वल मिल पर जो करीब ढाई करोड़ रु० जो किसानों का है, उसको दिलवाए जाने के आदेश दिये जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नन्द किशोर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने ओझा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। आज मान्यवर, गन्ने के बारे में चर्चा हो रही है मान्यवर मैं उस इलाके से आता हूँ जहां पर दिल्ली सरकार की दो मिलें देवरिया और बेतालपुर हैं, जहां पर कुछ दिनों पहले साढ़े 20 रु० तक गन्ने के रेट थे, जबकि दूसरी जगह साढ़े 22 रु० का भाव चल रहा है, परन्तु वहाँ पर मान्यवर इस साढ़े 20 रु० में से घटाकर अब साढ़े 17 रु० प्रति कुन्तल की घोषणा हुई, जिसे लेकर किसानों में काफी असंतोष एवं रोष व्याप्त है। इस बात को लेकर वहां पर किसानों ने 15-20 दिन हड़ताल वगैरह भी किये, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं तो मा० मंत्री जी से मैं अनुरोध करुंगा कि वे कृपया इस संबंध में कोई पालिसी निर्धारित करें तथा एक नीति को घोषित करें कि वहाँ यह रेट रहेगा या 17-40 ही देंगे। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो गौरी बाजार मिल है, उसके बारे में चर्चा है कि 31 मार्च को बंद होने जा रही है, कुछ मशीन-वशीन गड़बड़ हैं।

(इस समय 4 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं चाहता हूं कि मंत्री जी कह देंगे कि 31 मार्च को वह फैक्टरी नहीं बंद होगी। उस फैक्ट्री में मशीन वगैरह कुछ खराब है इसलिये वह बंद है। मंत्री जी को कटौती के रेट का भी पता नहीं है। किसी सेंटर पर 32 पैसे की कटौती हो रही है लेकिन सरदार नगर में डेढ़ रु० प्रति कुंतल पर कटौती हो रही है जबकि पहले 32 पैसे की कटौती होती थी।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान अपने जिले देवरिया की ओर ले जाना चाहता हूं वहाँ पर राम राज सिंह जब से डी०सी०ओ० के रूप में थे। तब से यह गड़बड़ी हो रही है। जिस दिन 31 दिसम्बर 82 को वे रिटायर हुए उस दिन तक उन्होंने 28 नियुक्तियां की हैं विभिन्न जगह के लोगों की पैसा लेकर जबकि उनको पता था इस दिन के बाद वे चले जायेंगे। इसी प्रकार मैं हातिमपुर के बारे में कहना चाहता हूं कि हाटा और कसिया केन यूनियन है। जहाँ पर 18 लाख कुंटल गन्ना है। कसिया उन्हें साढ़े तीन लाख या चार लाख गन्ना देता है। वहाँ सरकारी क्षेत्र में एक शुगर फैक्ट्री और लगाने की माँग है। उसके लिये सचिव स्तर पर जाँच भी करायी गयी है और आख्या आ गयी है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उस इलाके में 12 या 13 लाख कुंतल की फैक्ट्री लगा कर वहां के किसानों को राहत देने का काम करें।

मैं गन्ना सुपरवाईजर के बारे में कहता हूं कि उनको कोई काम नहीं रह गया है। वह गन्ना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और न पड़ताल पर ही जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आज से 10 दिन पहले जो अधिकार थे वही फिर कर दिये जाँय। क्योंकि ग्राम सेवक को सुपरवाईजर सौंप देता है उसको कोई डर नहीं है कि जो वह कर रहा है तो उससे सुपरवाईजर कुछ कहेगा इसलिये वह मन की करता रहता है। मैं सिफारिश करुंगा कि पहले जो गन्ना सुपरवाईजर को अधिकार थे, वही अधिकार उन्हें फिर दिये जाँय।

1978-79 में सरदार नगर शुगर मिल ने बेतालपुर और हाटा का गन्ना लिया और 90 पैसा प्रति कुन्तल उसकी कटौती हुई और वह गोरखपुर कलेक्टर के खाते में जमा हुई। काश्तकारों ने एतराज किया, मुकदमा हुआ। हाईकोर्ट से फैक्ट्री वाले जीत गये और सरकार हार गयी। अब किसानों को रुपया मिल रहा है या नहीं यह देखने वाला कोई नहीं है। किसानों का दो-दो--, ढ़ाई-ढ़ाई हजार रुपया बाकी पड़ा है, कलेक्टर के खाते में जमा है। अब आप चाहे जीतें या हारें, इससे किसानों को क्या मतलब है ? यह 1978-79 का मामला है दि 5 या 6 लाख रुपया किसानों का बकाया पड़ा हुआ है और उन्हें मिल नहीं पा रहा है।

इसी के साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि केन यूनियन, बेतालपुर में सी० डी० आई० लोगों में बहुत मारपीट हुई है। ऐसी स्थिति बेतालपुर में हो गयी कि दो दिन पहले पीटा पाटी हो गयी और रपट भी लिखाई गयी। आपने वहाँ पर से किसी का ट्रांसफर भी नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ के समूचे स्टाफ का ट्रांसफर दूसरी जगह कर दें। इसके साथ ही कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं तथा कटौती का प्रस्ताव जो कि श्री ओझा जी ने रखा है उनसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम उनको यह नहीं रखना चाहिये था। परन्तु ओझा जी ने भी संवैधानिक बात की है लेकिन उनका हृदय जानता है कि देवरिया में करोड़ों रुपये के अतिरिक्त रुपये गन्ने से दिये गये है। जो पैसा पिछले सालों से गन्ना किसानों को मिल रहा है वह उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं मिला है। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो कीमतें निर्धारित हैं वह आस पास के दूसरे प्रांतों में नहीं हैं। मान्यवर, समस्या कीमत के साथ-साथ एक और आ गयी है। आज और पहले भी प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ गन्ना और चीनी थी। आज हालत यह है कि गन्ने का इतना इक्सेस उत्पादन हो गया है कि हमें विदेशों में देखना पड़ रहा है कि उसकी खपत कहाँ पर अधिक है।

मान्यवर, हमको गेहूँ भी बाहर से मगाना पड़ता है। इस बारे में हमें भारत सरकार का सहयोग मिल रहा है। मैं भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकार की सराहना करता हूँ कि पिछले साल गन्ने का उत्पादन अधिक मात्रा में हो जाने के बावजूद भी हमारी सरकार ने गन्ने की फसल को फूँकने से बचा लिया। इस प्रकार की व्यवस्था की गयी कि गन्ने की पेराई अक्टूबर तक होती रही। मान्यवर, मैं इस बार भी विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी सरकार इसी प्रकार का प्रबंध करेगी कि एक-एक खेत से गन्ना लेकर उसकी क्रसिंग करायेगी। अब प्राइस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। गन्ने के दाम दे रहे हैं वह निश्चित रूप से अधिक दे रहे हैं। में ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर गन्ना ही नहीं बल्कि गेहूँ और धान की फसलें उगाई जाती हैं। गेहूँ और चावल की अपेक्षा गन्ने में ज्यादा बेनीफिट मिल रहा है जो प्राइस गन्ने की है हम दे रहे हैं उससे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। मान्यवर, आप क्यूबा और वेस्टइंडीज को देखें वहाँ पर गन्ने की रिकवरी का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। उनसे हमें इस बारे में कम्पटीशन करना होगा। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो रिसर्च सेंटर्स हैं गन्ने के उनको डेवलप किया जाय जिससे गन्ने की रिकवरी का परसेंटेज बढ़ाया जा सके और इसका कास्ट आफ प्रोडक्शन कम हो। मान्यवर हम अपनी सरकार से निवेदन करेंगे कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मुकाबला करना है तो हमें अपनी रिकवरी को बढ़ाना होगा। एक बात मैं

[श्री निर्भय नारायण सिंह—]

आपको और बता दूँ कि हम रिकवरी के मामले में अपने ही देश के एक प्रदेश महाराष्ट्र से पीछे हैं। इसलिए क्वालिटी के मामले में हमको अभी बहुत अधिक सुधार करना है आज गन्ना किसान जो दाम पा रहा है उसे हम गिरने नहीं देंगे।

मान्यवर, भ्रष्टाचार की बहुत सी बातें हो रही हैं। मैं एक कहावत कहना चाहता हूं कि जहाँ पर गुड़ अधिक होता है वहाँ पर चींटे आ जाते हैं। चीटें बहुत आते थे लेकिन अब इस सरकार में चीटों का आना बहुत कम हो गया है और जो कुछ दिखाई भी दे रहे हैं थोड़े ही समय में समाप्त हो जायेंगे। मान्यवर जहां तक ओझा जी का सवाल है वह खूब जानते हैं मैं उन्हीं के बगल का रहने वाला हूँ और मैं जानता हूँ कि गन्ना किसानों को अरबों रुपया मुनाफा हुआ है। ओझा जी भी गुड़ और चीनी से बहुत ज्यादा संबंध रखते हैं परंतु राजनीतिक और संवैधानिक स्थिति के कारण उन्होंने इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है। इन शब्दों के साथ मैं मा० मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मुझे आप दो मिनट का समय दे दें। ओझा जी ने मेरा अनुरोध मान लिया है। वे बैठ गये हैं। दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

मान्यवर ऐसा है कि माननीय सदस्य कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में गन्ना नहीं होता है इसलिए बिष्ट को बोलने का समय नहीं दिया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ तराई और भावर का इलाका है उसमें बेहताशा गन्ना पैदा होता है। मैंने भावर भ्रमण किया है। और मैंने देखा है कि वहां पर पानी का अभाव है। भावर में किसानों का गन्ना सूख रहा था इसलिये उन्होंने 8 रुपये क्विंटल अपना गन्ना क्रेशर चलाने वालों को दिया। मैंने अनुरोध किया कि किच्छा सुगर मिल जो वहाँ पर है वहाँ पर किसानों का गन्ना जाता था। उसमें वहाँ पर गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये यंत्र लगाये जा रहे हैं। जो वहां पर बासपुर में चीनी मिल है वे कहते हैं कि हमारे पास तराई का गन्ना ही बहुत है इसलिये हम भावर का गन्ना नहीं लेंगे जिसके फलस्वरूप 8 रुपये क्विंटल भावर के काश्तकारों को अपना गन्ना देना पड़ा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि भावर में बेतहाशा गन्ना पैदा होता है। वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी चौरगल्या, कालाढुंगी और हलद्वानी में चीनी मिल लगायेंगे। इससे अतिरिक्त मान्यवर, जितने भी ठंडे देश हैं वहां पर चुकंदर की खेती होती है और उससे चीनी बनाई जाती है। पहाड़ों में भी ठंडे क्षेत्र हैं जहाँ चुकंदर की खेती होती है। इसलिये क्या सरकार वहाँ पर चुकंदर की खेती को बढ़ावा देकर वहाँ पर चीनी मिलें लगाने पर विचार करेगी ? जिससे वहाँ से किसानों को लाभ मिल सके और किसानों की माली हालत सुधर सके। मान्यवर बाजपुर चीनी मिल जो है वहाँ पर पहले एक बोर्ड था। सन् 81 में उसमें करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि क्या वे इस बाजपुर की मिल की जाँच करायेंगे ?

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ा आभारी हूं अपने सम्मानित सदस्यों का, चाहे वे इधर के हो या उधर के बैठने वाले हों, सबने मन से मेरे कटौती के प्रस्ताव को अपना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समर्थन दिया । हमारी भावनाओं पर उन्होंने अपनी मोहर लगाई और मुझे यह दम दिया, यह साहस दिया कि मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को बड़ी प्रखरता से, बड़ी मजबूती से रखूं और इस आदरणीय सदन से अनुरोध करूं कि अब एक रुपया नहीं एक पैसा भी इस निकम्मी सरकार को खर्च करने के लिये न दे । मान्यवर, आदरणीय सदस्य जो उधर बैठे हैं सबने 15 सैकिण्ड तक बजट के प्रस्ताव का समर्थन किया और बाकी साढ़े चार मिनट तक मेरे पक्ष में कहा कि गन्ना में किसानों की आज खुली लूट हो रही है, ये मिलें जिस तरह से किसानों का शोषण कर रही हैं उसके सम्बन्ध में सब एक राय के थे । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दो-तीन बातों की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा और चाहूँगा कि अगर उनमें नैतिकता है और मैं समझता हूँ कि होगी । अगर उनमें आरूढ़ रहने की क्षमता है, कुर्सी का मोह उनमें नहीं है तो 3/4 बातों के संबंध में उन्हें स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए । फाइनेन्शियल एक्सप्रेस में लिखा है—"दि यूनियन गवर्नमेन्ट हैज डिसाइडेड टू रोल बैक दि सुगरकेन प्राइसेज टू दि आल इण्डिया स्टीपूलेटेड लेविल इमिडियटली ।

ए डिसीजन टू दिस एफेक्ट वाज टेकिन बाई दि इकोनामिक अफेयर्स कमिटी आफ दि यूनियन कैबिनेट एट इट्स मीटिंग रिसेण्टली । दि प्राइम मिनिस्टर इज विलिन्ड टू हैव एक्सेप्टेड दि रिसपान्सिविलिटी आफ परसूएडिंग दि स्टेटस टू रोल बैक दि केन प्राइस सिंस दि एफर्ट्स आफ दि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन दिस डाइरेक्शन हैव फेल्ड····"

"दि यूनियन कैबिनेट डिसिजन इज बेस्ट आन दि रिकमण्डेशन्स आफ दि इक्सपर्ट कमिटी हेडेड बाई मिस्टर एम० नरसिम्हम, यूनियन फाइनेंस सेक्रटरी इन दि डिपार्टमेंट आफ इकोनामिक एफेयर्स ।"

मान्यवर, कैबिनेट की मीटिंग जो दिल्ली में हुई है उसमें सर्व सम्मति से यह तय किया गया है कि भारतीय स्तर पर गन्ने के मूल्य पर पुनः विचार किया जाय । इसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी सहर्ष स्वीकार किया है और कहा है कि प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को बुलाकर परामर्श करूंगा । मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी आज इस प्रकार का आश्वासन दें कि पूर्व में जो 20.50 रुपये तथा पश्चिम में 21.50 रुपये भाव तय किया गया है उससे कम कीमत किसी को भी नहीं दिलायी जायेगी । यह भी आश्वासन वे दें किसान के खेत में, चाहे वह बांडेड गन्ना हो, एक भी गन्ना शेष नहीं रहेगा और जब तक एक भी गन्ना खेत में शेष रहेगा तब तक मिलें चलती रहेंगी । उनको अपनी मिलें तब तक बंद करने की इजाजत नहीं दी जायेगी ।

एक बात और कहना चाहता हूँ । प्रदेश के मिल मालिकों ने सरकार को एक प्रकार की चुनौती दी है और सरकार को उसे स्वीकार करना चाहिए । आज सेन्ट्रल गवर्नमेंट की कस्टोडियन वाली चीनी मिलें हैं वे गन्ना किसानों से कटौती 32 पैसे के हिसाब से कर रही हैं । जो प्रदेश के सरकार की रिसीवरशिप वाली तथा कारपोरेशन्स वाली मिलें हैं वे कटौती 50 पैसे के हिसाब से करती हैं, जबकि जो निजी क्षेत्र की प्राइवेट चीनी मिलें हैं वे कटौती आज 1·50 रुपये के हिसाब से कर रही हैं । ऐसी उन्हें छूट क्यों दे रखी है ? आपने पिछले वर्ष वायदा किया था कि आप इसे बन्द करायेंगे, पर आपने कुछ नहीं किया । पिछले साल तो एक ही रुपया था, इस वर्ष उन्होंने डेढ़ रुपया कर दिया । आप इस बात की स्पष्ट घोषणा करें कि यह कटौती 50 पैसे से ज्यादा नहीं होगी और जिन्होंने ज्यादा ले ली है, वह किसानों को वापिस कर दी जायेगी ।

पर्चियों के बारे में भी बड़ा घोटाला होता है । इसमें काफी बंगलिंग हो रही है । आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सिसवां मिल ने ऐसे ऐसे लोगों को लाखों रुपये का चैक दे

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—]

रखा है जिनकी न तो कोई सोसाइटी है, न ही वे सोसाइटी के मेम्बर हैं, इसके विपरीत जो मेम्बर हैं, जिनकी पर्चियाँ हैं, उनका पेमैन्ट नहीं हो रहा है। एक साहब को एक लाख का चैक दे दिया गया जो मेम्बर ही नहीं हैं। यह दुर्व्यवस्था मैं समझता हूँ सारे प्रदेश में फैली हुई है और इसे भी रोकने की आप घोषणा करें। इसके पेमैन्ट का सिस्टम आपको ठीक करना होगा।

माननीय विश्वनाथप्रताप सिंह ने घोषणा की थी कि जिन किसानों को पर्चियों का भुगतान नहीं हुआ है, उनसे सरकारी देयों की वसूली नहीं की जायेगी। आप इसे ही कर दीजिये। किसानों के हित में इतना ही कर दीजिये।

शुगर इण्डस्ट्री के सम्बन्ध में शाप काउन्सिल और एडवाइजरी कमेटी बनी हुई हैं। उनमें श्रमिकों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पर उनकी क्या उपयोगिता है, उनके क्या अधिकार हैं, इसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, वह स्पष्ट होना चाहिए। वरना इनका कोई महत्व ही नहीं रह गया है। इसी तरह से जो एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी रिसीवर शिप की फैक्ट्री में अध्यक्ष डी० एम० और कारपोरेशन की फैक्ट्री में वहाँ के जनरल मैनेजर होते हैं वह कमेटियां कोई काम नहीं कर रही हैं। इस सम्बन्ध में कोई निर्देश देना चाहिए या फिर उनको हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए ताकि बीच की स्थिति न रहने पाये।

एक निवेदन हमको और करना है। मैंने पिछली बार भी कहा था और पत्र भी लिखा था कि सरकारी नियंत्रण में चलने वाली फैक्ट्रीज को एक किनारे पर लीजिये यह जो बीच में लटक रही है यह ठीक नहीं है इनको किसी एक के हवाले कर दीजिये। अगर कारपोरेशन का इतना इस्टेब्लिशमेंट नहीं है कि वह उनको चला सकें तो इनके लिए अलग से निगम बना दीजिये। करोड़ों रुपया आप लगा रहे हैं लेकिन उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। कल को मिल मालिक हाईकोर्ट से जीतकर चला आता है तो आपका करोड़ों रुपया लटका रहेगा। इसलिये रिसीवरशिप की फैक्ट्रीज को इस पार या उस पार लगाने के लिए जितनी जल्दी निर्णय लेंगे उतना अच्छा रहेगा।

रिसीवरशिप की फैक्ट्रीज को जितना भी रुपया दे रहे हैं या साधन दे रहे हैं उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है जैसा कि मैंने पहले भी बताया वहाँ पर रिसीवर्स ने अनावश्यक रूप से भर्ती की है और मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। यह लोग मार्केट रेट में जो चीनी बिक रही है उसमें फी बोरा 10 रुपये लेकर लाखों रुपया कमा रहे हैं। कागज में सौदा करते हैं 3 सौ रुपये में और एक्चुवल में 290 में सौदा तय हो जाता है। इसकी व्यापक रूप से जांच होनी चाहिए।

इसके साथ ही एक बड़ा पुराना मामला है जो हमेशा से लटकता रहा है, चाहे हम उधर बैठे हों या आप हों उसका निदान नहीं हो रहा है। हम निदान नहीं कर पाये क्योंकि हमारी कुछ मजबूरियाँ थीं लेकिन आप निदान कर सकेंगे यह मुझे विश्वास है। यह जो एक रुपये का फर्क है पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को दो हिस्सों में बाँटने का किया गया है। आप चार्ट मँगा कर देख लें पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रिकवरी में कोई फर्क नहीं रह गया है। यह बात सही है कि पूरब में मिलें पुरानी हैं और पश्चिम में नयी मिलें हैं उनकी क्षमता ज्यादा है पूर्वी क्षेत्र की मिलों की क्षमता कम है। लेकिन जहाँ तक रिकवरी का सवाल है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए यह एक रुपये का जो फर्क है इसको तत्काल समाप्त कर देना चाहिए।

शुगर इन्डस्ट्री के सम्बन्ध में मेरी स्पष्ट राय है कि जितना भी पैसा आप लगाते चले जा रहे हैं उसका परपज तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप उनकी क्षमता नहीं

बढ़ाते हैं। मेरी मांग है कि छटी पंचवर्षीय योजना में जो 13 फैक्ट्री आप लगाने जा रहे हैं, मेरा यह कहना अच्छा नहीं होगा कि उनको न लगायें लेकिन उससे पहले इन पुरानी फ़ैक्ट्रीज की क्षमता पहले बढ़ाइये और जो रिसीवरशिप की फैक्ट्रीज हैं उनको निगम को दे दीजिये। जब तक पुरानी मिलों की क्षमता नहीं बढ़ेगी उनमें जितना भी रुपया आप लगायेंगे उससे मुनाफा नहीं होने वाला है और न ही उससे उत्पादन बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं फिर निवेदन करूँगा कि जो कुछ सुझाव आये हैं उनको आप देखें। हमारे यहाँ पूरब में जो मिल हैं जैसे बढ़नी, भटनी, सिवरही आदि की दशा ठीक नहीं है। इसी तरह जरबल रोड सहकारी मिल का मामला है पिछले साल बाढ़ के कारण लोगों ने गन्ना नहीं बोया और उनका कोटा समाप्त कर दिया गया है। इस तरफ भी देखने की जरूरत है। मान्यवर, मेरठ में दोराला फ़ैक्ट्री में 50 पैसे की कटौती हो रही है उसमें आप विचार करें।

[4 बजकर 40 मिनट]

मान्यवर, अन्तिम बात यह है कि आम चर्चा इस प्रदेश में है कि, क्षमा करेंगे, आप मन्त्री जीरो हैं और असली मन्त्री कोई दूसरा है। यह आम चर्चा है, यह जनतंत्र का ग़ला घोंटने के लिए किया जा रहा है इसलिए इसमें आपको शासन को प्रभावी कदम उठाना होगा। आपके जो दो चंगू मंगू हैं, यह भोजपुरी में कहा जाता है, उनके नाम हैं श्री राज्य पाल सिंह और श्री महेन्द्र सिंह, उनसे आप मुक्त हो जांय, जिन पर समाज उँगली उठा रहा है उनसे आप दूर रहें।

मान्यवर, बस्ती में जो एस० डी० एम० थे अब वह मुन्डेरवा की मिल में रिसीवर हो गये हैं, यह आपके क्षेत्र के हैं, इसी तरह छितौनी मिल भी रिसीवरशिप में चली नयी है जहाँ आपने जगदेव सिंह को रखा है, इन लोगों से आपने 5 लाख रुपये लिये हैं, ऐसी चर्चा है। इसी तरह एच० एन० सिंह जनरल मैनेजर को हाईकोर्ट ने रोक दिया है लेकिन उससे आप काम ले रहे हैं इसलिए इसकी आपको जांच करनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैंने जो सुझाव दिये हैं और जो बिन्दु उठाये हैं उनके सम्बन्ध में मन्त्री जी विचार करें और सदन को आश्वस्त करें। धन्यवाद।

***कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—**

मान्यवर, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी एक लेबर लीडर हैं, उनका कार्यक्रम रहता है कि उभारो, लड़ाओ और काम बढ़ाओ। जो भी आपने विचार व्यक्त किये वह सारे विचार केवल अनुमान पर आधारित हैं। मान्यवर, हम चाहते थे कि वह इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सुझाव देते ताकि हम उनको अमल में लाते लेकिन खेद है कि आपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जो नीति विषयक सुझाव होते जिनसे जनता का हित होता वह नहीं दिये।

मान्यवर, आपने कुछ बिंदु उठाये जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा। आपने शुगर मूल्य के बारे में कहा कि कम है, तो शुगर का जो प्रतिक्विंटल मूल्य है—फ्री सेल और लेवी का, वह रफी फारमूले के अंतर्गत 302 आने प्रति क्विंटल आता है, उसके हिसाब से शुगर का दाम 19 रुपये आता है जबकि शासन 21.50 रुपये दे रहा है।

मान्यवर, उन्होंने शुगर लाबी के बारे में कहा तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में 91 मिलें हैं, 52 मिलों को शासन देख रहा है, सरकारी नियंत्रण में चल रही हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—]

और केवल 39 मिलें प्राइवेट लोगों के हाथों में हैं। तो शुगर लाबी कितनी हाबी होगी इसका फैसला आप ही कर सकते हैं। इसलिये यह आरोप निराधार है।

मान्यवर, महाराष्ट्र का जिक्र किया कि वहां उपज अधिक हो रही है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वही भूमध्य रेखा के निकट है इसलिये जलवायु उसके अनुकूल है। इसके बाद वहां की फसल 18 महीने में तैयार होती है जबकि हमारे यहां 10-11 महीनों में तैयार होती है, वह भी अनुपात कम है। पंजाब को छोड़कर उत्तर भारत में हमारे यहाँ की उपज सर्वाधिक है। आपने हमारे सट्टे और गन्ना पेरने के पहले मिल बंद होने के बारे में कहा, उसके बारे में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी हमारा गन्ना शेष है, उसको हम पेरकर रहेंगे, कोई भी फैक्टरी कतई कतई बिना पूरे पेरे बंद नहीं होगी। पिछले समय भी मैंने इसे कहा था....(व्यवधान) बान्डेड-केन के बारे में जो आप कह रहे हैं, तो बराबर हम किसानों को अगाह करते हैं, किसानों के साथ कोई विश्वासघात नहीं करते हैं, सब कैश करेंगे। जहाँ ऐसा हुआ है अतिरिक्त बाण्डेड केन की व्यवस्था करेंगे। ....(व्यवधान) जब हमारी सट्टा नीति के तहत गन्ना बोया जाता है तो उसी वक्त हम बता देते हैं, गन्ना पेराई सीजन चालू होने से पहले, हम गन्ने का मूल्य तय कर देते हैं।

गन्ना समितियां के चुनाव के बारे में आपने कहा, उसका चुनाव हम निश्चित तौर से करायेंगे। गन्ना संघ के बारे में आपने कहा, तो उसका एक संचालक मंडल है, इसके अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हीं के देखरेख में हमारे गन्ना संघ का कार्य सुचारु रूप से चलता है। कुछ सदस्य पेस्टीसाईड्स के बारे में कहते हैं। हमारे यहाँ उच्चाधिकारियों के द्वारा पेस्टीसाईड देखकर आवश्यकता के अनुसार ही खरीदा जाता है। अनावश्यक रूप से उसको बर्बाद नहीं किया जाता है। जयदीप सिंह बरार ने बेसिक सट्टा और कई साल के लिए बताया। उनका यह सुझाव महत्वपूर्ण है और इस पर शासन गम्भीरता से निश्चित रूप से विचार करेगा। ओझा जी ने बताया कि एक बटा तीन गन्ना ऐसा था, जो पेरा नहीं जा सकता तो उसके लिए हरदोई और सेवरही फैक्ट्री में गन्ना शेष रह गया था, उस गन्ने को हमने प्राथमिकता के आधार पर करवाया है और सेवरही के किसानों को अलग से एक रुपया अतिरिक्त दिलवाया है। यह जो टैगिंग के बारे में जिक्र किया, यह नियम कांग्रेस सरकार ने बनाया है, लोकदल ने नहीं। इसी आधारों पर हम उसके भुगतान की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे जो बागपत के भूतपूर्व प्रधान प्रबन्धक थे, उनके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है और निश्चित रूप से व्यवस्था होगी और उसमें सरकार कोई कोताही नहीं कर रही है। बागपत के सचिव के बारे में जो बताया गया है, इस मामले में डिप्टी केन कमिश्नर द्वारा जांच हो रही है और इसमें भी रिपोर्ट आने पर जरूर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। दिवाकर विक्रम सिंह जी ने जो अपनी शिकायत किया, उसके बारे में तत्काल जांच करके उसकी व्यवस्था नियमित रूप से कर दी जाएगी। छोटे किसानों के बारे में हमारी व्यवस्था है, 90 दिन में उसके सप्लाई की व्यवस्थित रूप रेखा है। आज ही जो हमारे विधायक ने शिकायत की है, उसको देखूंगा। उनका गन्ना यदि सप्लाई नहीं हुआ है तो हम तत्काल व्यवस्था करेंगे। उर्वरक फण्ड के बारे में हमने उन्हीं किसानों से लिया है, जिन्होंने स्वेच्छा से दिया है और हम उनके इस धन को 10 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वापस करेंगे। उनकी खाद 18 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर रहे हैं। उनके मूल्य से दूने दाम को दे रहे हैं। ऊसर सुधार योजना के बारे में भी हमारे कार्यक्रम हैं और इसके बारे में हमने 8 फैक्टरियों के क्षेत्रफल को लिया है। नगलिया में लगाने के बारे में जो अजमानी जी का है, उस पर कार्यवाही हो रही है। आपने नन्द किशोर सिंह के बैतालपुर, देवरिया व गौरी बाजार के पिछले साल के बकाये के संबंध में कहा है, तो पिछले साल का कोई बकाया नहीं है। आपने जो कहा है, यह बात ठीक नहीं है। किच्छा मिल के गन्ने व्यावर्तन के लिए कार्यवाही की जा रही है। उसमें कोई

किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आयेगी। आपने जो गन्ना मूल्य के बारे में शंका जाहिर की है, साढ़े 20 से साढ़े 21 से कम का, तो शासन ने उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दाम घोषित किया है, वह निश्चित रूप से दिलायेगा, उसमें कोई कोताई नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री अकबाल हुसैन -

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

आप धैर्य से सुनें। आपकी जो बात है, उसका जवाब दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिक्र किया था कि तमाम लोगों का पैसा बकाया है। यह शासन का आदेश है, ललित-कान्त, उप सचिव ने यह स्पष्ट आदेश पुनः कर दिये हैं कि किसी प्रकार की उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय। आपके केन्द्र भाड़ा के सिलसिले में आपने जिक्र किया, उसमें हमारे सामने दिक्कत है यह सही है कि शासन का जो फैसला 32 पैसे का है, वह 1958-59 का फैसला था। एक शेरवानी शुगर सेंडीकेट बनाम भारत सरकार नाम का शेरवानी शुगर सेंडीकेट ने हाई कोर्ट में मुकदामा चलाया। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि शासन इस पर पुनर्विचार करे। भारत सरकार निर्णय ले नहीं सकी। हम उस पर विधिक राय ले रहे हैं। विधिक राय लेकर इस पर निश्चित कार्यवाही करेंगे। जो परिस्थितियाँ हैं, जिससे आर्थिक बोझ पड़ रहा है, इनको कैसे बचाया जाय, उस पर हम गम्भीरतापूर्वक देख रहे हैं। यदि किसी प्रकार की सुविधा दी गयी फैक्टरियों को, तो वह फैक्टरियाँ जो शासन के आदेश के विपरीत अधिक जो पैसा वसूल कर रही हैं, इनको इससे वंचित किया जायगा। आपने पूर्वी जोन के बारे में यह रिकवरी का मामला है, रिकवरी की वजह से हम नहीं कह पाते हैं, रिकवरी की स्थिति में उसी के आधार पर एक रुपया का फर्क किया गया है। रिकवरी का आँकड़ा 3 रु० तक आता है। इसके बावजूद भी शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करके एक रुपया का फर्क कर रहा है। अब आपकी यानि इस विभाग की जो उपलब्धियाँ हैं, वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री कुंबेर भण्डारी—

मान्यवर, आपकी जो फौजें बैठी हैं···(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी आप तीन मिनट में समाप्त करें।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

आप धैर्य से सुनें। मैं आपकी ही बात बता रहा हूँ। मान्यवर, हमारी नियत पर बड़ा संदेह किया गया····

(व्यवधान)

मान्यवर, काम करेंगे, तो भूलें होंगी, मुझे बड़ा अफसोस है कि कुछ लोगों ने बड़े छिछले रूप में कुछ बेबुनियादी आरोप लगाये हैं····

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरी राजनैतिक जिन्दगी और राजनैतिक चरित्र है।

(व्यवधान)

श्री राम सागर—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, ईमानदारी मेरी पूँजी है। इसको मैं कंगाल की निधि के समान संजोकर रखता हूँ। यह मेरी पूँजी है।

(व्यवधान)

मान्यवर, कोई ठिकाना नहीं, कुछ पता नहीं कि किस तरह से मेरे खिलाफ षडयंत्र किये जा रहे हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी दे दें।

श्री अध्यक्ष —

आप बैठिये।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा —

मान्यवर, इस विभाग की जो उपलब्धियाँ हैं, अब उसका जिक्र कर रहा हूँ। मान्यवर, हमने किसानों के गन्ने को पेरने का वादा किया था तो 14 अगस्त तक फैक्टरियाँ चली हैं और सारे गन्ने को क्रश किया गया था। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि गन्ने का मूल्य सर्वाधिक दिया गया है, साढ़े 20, साढ़े 21 रुपये दिया गया है। किसानों का जो बकाया था तो 471 करोड़ रुपया उनको दिया गया है जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है। हमने सर्वाधिक गन्ना पेरा है। 227 लाख मीट्रिक टन गन्ना पेरा गया है। लगभग 21 लाख मीट्रिक टन शकर बनाकर एक रिकार्ड कायम किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना भाषण समाप्त करें।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, मैंने अभी कहना ही शुरू किया है।

श्री अध्यक्ष—

आप अब बैठें, 5 बजे तक पास होना है।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ।

(शोर)

श्री राम सागर—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ मेरे जिलें में मेरे यहाँ भुगतान नहीं किया गया है।

श्री अकबालहुसैन—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि केन्द्र के अधीन जो मिले चल रही हैं। उनमें गन्ने का किस मूल्य पर भुगतान किया जा रहा है।....

श्री राम सागर—

मान्यवर, मेरे जिले में मेरे यहाँ के गन्ना किसानों को भुगतान नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आप बैठें।

श्री राम सागर—

मुख्य मंत्री के गन्ने का क्षेत्र भी बाराबंकी जिले में पड़ता है।...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आप बैठें। उनसे बात करलें मैं बात करा दूँगा

श्री राम सागर—

मान्यवर, मुझे स्पष्टीकरण का मौका दे दें ....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12-गन्ना विकास विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राम सागर—

मान्यवर, मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री राम सागर सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12-गन्ना विकास विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,58,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,68,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत मुझको 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । माननीय मोती लाल देहलवी, माननीय सत्यपाल सिंह, माननीय भीखालाल, माननीय बलवीर सिंह, माननीय सरदार सिंह, माननीय रियासत हुसैन, माननीय राम गोविंद और माननीय अकबर हुसैन की यह सूचनायें हैं ।

मैंने राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना को ध्यान आकर्षित करने के लिये शासन के पास भेजा है । माननीय बलवीर सिंह की जो सूचना है उसको भी ध्यान आकर्षित करने के लिये भेजा है । श्री सरदार सिंह की जो सूचना है उसको मैंने शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज दिया है और सब सूचनाओं को अस्वीकार करता हूँ, नियम 51 में किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ ।

[समय 5 बजे अपराह्न]

वित्तीय वर्ष 1982-83 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1982-83 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—

अनुपूरक अनुदानों की प्रतियाँ माननीय सदस्यों में वितरित कर दी जायं ।

(प्रतियाँ वितरित की गयीं)

जनपद बहराइच में अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट (षष्टम) के न्यायालय के एक मुकद्दमें से सम्बन्ध एक वकील को पुलिस द्वारा अपमानित करने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम भगहरिया मौजा निजामपुर तहसील कैसरगंज, जिला बहराइच निवासी श्री दुर्विजय सिंह ने छोटे, ननकऊ तथा 4 अन्य के विरुद्ध प्रथम सूचना

रिपोर्ट कोतवाली देहात में दिनाँक 21-1-83 को 10.50 बजे दिन में धारा 147/323 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत लिखाई।

दिनाँक 26-2-83 को अभिवक्ता श्री शिवमुरारी पाण्डेय ने अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट (षष्टम) के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया कि अपराध संख्या 75/83 धारा 147/323 भारतीय दंड संहिता के अभियुक्त न्यायालय में अपने आप को समर्पण (सरेन्डर) करना चाहते हैं जिस पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश कि 28-2-83 को वे न्यायालय में पेश हों और कोतवाली देहात से उपरोक्त अपराध के सम्बन्ध में रिपोर्ट माँगी।

दिनांक 28-2-83 को जब 5 अभियुक्तगण अपने आप को करीब 2 बजे अपरान्ह न्यायालय में समर्पण करने जा रहे थे तब पुलिस के दो सिपाहियों ने अभियुक्तगण छोटे व ननकऊ को न्यायालय कक्ष के अन्दर घुसने से पूर्व दरवाजे के बाहर गिरफ्तार किया जिसका दोनों अभियुक्तों ने विरोध किया और हल्ला सुनते ही आस-पास के वकील स्थल पर पहुँचे और पुलिस के सिपाहियों व भीड़ के लोगों में हाथापाई हुई। इस हाथापाई में दोनों अभियुक्त छूट गये और उन्होंने न्यायालय में जाकर अपने आपको मुंसिफ मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया। मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने दोनों अभियुक्तों की जमानतें स्वीकार कर ली। उनकी डाक्टरी परीक्षा के लिये उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। 1—3—83 को उनकी डाक्टरी परीक्षा हुई जिसमें उन दोनों के 1-1 सादी चोट पाई गई। दोनों अभियुक्तों को दिनाँक 1 3—83 को जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया।

दिनाँक 28–2–83 को लगभग 4 बजे अपरान्ह अभियुक्तों के अधिवक्ता श्री शिव मुरारी पाण्डेय ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट बहराइच के न्यायालय में पुलिस के सिपाहियों द्वारा न्यायालय की अवमानना किये जाने के संबंध में कार्यवाही करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

अधिवक्ता संघ, बहराइच ने भी 1—3—83 को एक प्रस्ताव पारित कर दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध कार्यवाही करने की माँग की और अभियुक्तों के अधिवक्ता ने दिनाँक 28-2-83 को घटित घटना के संबंध में जिलाधिकारी बहराइच को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

जिलाधिकारी ने मामले की जाँच परगना मजिस्ट्रेट बहराइच से कराने का आदेश दिया। मामले के वास्तविक तथ्य मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही ज्ञात हो सकेंगे।

उपलब्ध सूचना के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा तुरंत जाँच कराये जाने के आदेश से बार एसोसियेशन के प्रतिनिधियों ने अपना सतोष व्यक्त किया है वर्तमान में स्थिति सामान्य है और न्यायालयों का कामकाज नार्मल है।

***श्री जटा शंकर सिंह—**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुंसिफ मैजिस्ट्रेट (6) के न्यायालय द्वारा उन सभी अभियुक्तों को अपनी जमानत के लिये 28 फरवरी को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था और उस आदेश के तहत वे हाजिर होने के लिये न्यायालय के कमरे में प्रविष्ट हो चुके थे। तो उसी समय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जटाशंकर सिंह—]

किस पुलिस अधिकारी के आदेश से उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया ? जिसने यह आदेश दिये यह सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्री राम नरेश शुक्ल—

काग्नीजेबुल आफेंस के लिए पुलिस को किसी आदेश की जरूरत नहीं होती ।

श्री जटा शंकर सिंह—

जो स्वयं उपस्थित होने के आदेश दिये थे, पुलिस से इस संबंध में रपट मांगी थी 26 फरवरी को ही, तो उन्होंने कहा था कि अफवाहों से मुझे पता चला है कि इस तरह से कर के वहां के एस०एच०ओ० राम अजोर चौधरी हैं, कोतवाली देहात के, उस ने और जो एफ० आई० आर० लिखाने वाले हैं, उनसे काफी मोटी रकम लेकर यह कहा था कि किसी भी कीमत पर हम इनके हाथ-पैर तोड़ देगें और उसके तहत जब न्यायालय ने आदेश दे दिया कि आप इसके लिये वांटेड हैं, सूचित करें, 323 और 147 की धारायें हैं, ये जमानती हैं और न्यायालय में जिसके तहत उपस्थित होने जा रहे थे, बल्कि कोर्ट के कमरे में घुस चुके थे, एस०एच०ओ० ने बाकायदा लिखित दे कर के कहा कि बाकायदा गिरफ्तार कर के लाओ, ऐसे नहीं जाने दिया जायेगा और न्यायालय में एक दरोगा और सिपाही घुस गये । तो वह कौन सा अधिकारी था जिसने यह आदेश दिये और उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनकी पिटाई, भीड़ से हाथा-पाई हो गयी और जिसकी वजह से वह अदालत में हाजिर हो गये, उनके ऊपर चोट है, डाक्टरी रपट है, तो क्या पुलिस के ऊपर भी कोई चोट है अथवा कोई मुकद्मा दर्ज है पुलिस की ओर से ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

इन्हीं सारे तथ्यों की जानकारी के लिए मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी के आदेश हो गये हैं ।

***श्री हुकम सिंह—**

हमारे साथी बहुत सीनियर वकील हैं और ये विधि मंत्री हैं, अगर ऐसे उत्तर आयेंगे तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा इनके ऊपर । जो तथ्य हमारे सामने आये हैं, में उन्हीं के बारे में पूछूँगा । मैजिस्टीरियल इन्क्वारी करा दी और कन्टेम्प्ट आफ दि कोर्ट का केस भी चल रहा है । अभियुक्त अन्दर जा रहे थे कोर्ट के और काग्नीजेबुल आफेंस होने पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है क्या इतनी ही सूचना काफी है । जब अभियुक्त कोर्ट में पेश होने जा रहे थे 147 और 323 के मुकद्में में तो क्या पुलिस के कर्मचारियों पर निलम्बन का केस नहीं बनता । अभियुक्त स्वयं कोर्ट में पेश होने जा रहे थे । 147, 323 का मुकद्मा था । आई०पी०सी० में इससे कमजोर दफा नहीं है । कौन सी परिस्थितियाँ थीं कि उनको गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ी । क्या इन कर्मचारियों के निलम्बन का आदेश देंगे ?

श्री राम नरेश शुक्ल —

मान्यवर, दिक्कत यह है कि मजिस्ट्रेट के यहाँ अवमानना का केस चल रहा है । मजिस्ट्रीरियल इन्क्वायरी के भी आदेश हो चुके हैं । जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि मजिस्ट्रेट की जाँच के पश्चात जो तथ्य आयेंगे उसके हिसाब से कार्यवाही की जायेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

***श्री रियासत हुसैन**—

मान्यवर, दो-एक छोटी छोटी बाते पूंछना चाहता हूँ। जो दोनों सिपाही वहाँ थे जिन्होंने उनको पकड़ा, क्या जी०डी० के अन्दर अपनी रवानगी दिखाई थी कि हम उन मुल्जिमानों को पकड़ने जा रहे हैं या किसी थानेदार के आर्डर पर चले गये थे। दूसरी बात जो चोटी का डाक्टरी मुआयना हुआ है। सारी चोटें लिखाई गयीं। यह नहीं लिखा कि वीपस कौन था, सिम्पिल वीपन था या व्लन्ट वीपन था या अन्य कोई ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

जहाँ तक पहले सवाल का संबंध है हमारे पास सूचना नहीं है। जहाँ तक दूसरे सवाल का सम्बन्ध है कि चोट किस वीपन से आयी। तो मेरे दोस्त जानते होंगे कि खरास आदि हैं, व्लन्ट वीपन से आती हैं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि आपने जो इसमें दिया है उस मैडिकल रिपोर्ट में लिखा होगा कि वीपन कैसा था—सिंपिल वीपन, शार्प वीपन और एनी वन एल्स। आप कह रहे हैं कि सिपाहियों से धक्का मुक्का हुआ। यह और बता दें कि सारी चोटें किस वीपन से आयीं, यह भी रिपोर्ट में लिखा होगा ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

पहले कह चुका हूँ कि ऐसी चोटे ब्लन्ट वीपन से आती हैं। मान्यवर, रिपोर्ट में भी लिखा है।

श्री रियासत हुसैन—

एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष—

आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

***श्री अकबाल हुसैन**—

मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि इन जो दो सिपाहियों ने अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया, यह अभियुक्त 26-2-83 को न्यायालय के सामने प्रस्तुत होने वाले थे। उनको आदेश दिया गया कि 28-2-83 को उपस्थित हों और संबंधित कोतवाली से रिपोर्ट मांगी ? मैं यह जानता हूँ कि दो सिपाही जो वहां पर आये यह किस थाने के कर्मचारी थे ? उन्होंने अपने इस कार्य के लिये क्या जी०डी० में रिपोर्ट दर्ज कराई ?...

श्री अध्यक्ष –

यह हो चुका है।

श्री अकबाल हुसैन –

किस थाने के सिपाही थे, यह बता दें ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम नरेश शुक्ल—

इसकी सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप इस तरह से नहीं कह सकते कि सूचना नहीं है । सूचना की आवश्यकता है, यह होना चाहिए । इसको ध्यान रखें ।

श्री राम नरेश शुक्ल—

मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है ।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, यह पुलिस का हाई-हैंडेड का सवाल है और यह साफ जाहिर है कि वे थाने से सम्बन्धित है । क्या उन लोगों में से विवेचना अधिकारी नियुक्त किया गया था ? क्या वे इस कार्य को करने के लिये थाने से गये थे ? इन सारी चीजों की सूचनायें मन्त्री जी के पास उपलब्ध नहीं हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो यह घटना हो गई है उसमें शामिल इन दोनों सिपाहियों को दण्ड देंगे ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

मान्यवर, जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है कोई भी कांस्टेबिल विवेचना अधिकारी नहीं होता । दूसरा, सारी जांच की जा रही है मजिस्ट्रियल इंकवायरी हो रही है । यदि उसमें कोई दोषी पाया जायेगा तो उनको दण्डित करने पर विचार करेंगे ।

***श्री भीखालाल**—

मान्यवर, मैं न्याय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह जो बहराइच काण्ड हुआ है यह पूरे प्रदेश के हर जिले में हो रहा है । जिस मुल्जिम का नाम दर्ज हो जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती है । मुलजिम जब अदालत में हाजिर होने जाता है तो पुलिस वाले उसे अदालत के दरवाजे से गिरफ्तार करते हैं सी. आर. पी. सी. में यह प्राविधान है कि जब कोई मुलजिम अदालत में हाजिर होता है तो उससे पूछताछ की आवश्यकता होती है अदालत को अधिकार है कि उस मुलजिम को वह रिमाँड पर दे सकती है अगर अदालत कनविस हो जाय । तो क्या माननीय मंत्री जी आदेश करेंगे कि अदालत या कचहरी के कम्पाउण्ड में हाजिर होने पर उसे गिरफ्तार न किया जाय ताकि ऐसी घटना फिर न हो ।

श्री राम नरेश शुक्ल—

मान्यवर, जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है कानून के हिसाब से सारे काम होते हैं । जहाँ तक पुलिस के अधिकार का सवाल है जैसे शासन के आदेश होते हैं उस हिसाब से वह काम करना है । जहां तक रिमाण्ड पर लेने का प्रश्न है । मान्यवर, जब जरूरी होता है तो इजलास पर लिया जाता है ।

श्री भोला पाण्डेय—

मान्यवर, छोटे व ननकऊ के बारे में मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन दोनों अपराधियों का पूर्व का इतिहास क्या रहा है ? और जैसा कि माननीय श्री जटा शंकर जी ने भी प्रश्न किया कि आप उस पर आवश्यक जाँच कार्यवाही करेंगे ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद बहराइच में अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट (षष्टम) के न्यायालय के एक मुकद्दमे से सम्बद्ध एक वकील को पुलिस द्वारा अपमानित करने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दोनों तरफ से हाथा पाई हुई तो क्या उसमें पुलिस को भी चोट आई है । उसकी रिपोर्ट हुई या नहीं वह थाने में दर्ज हुई या नहीं ।

श्री राम नरेश शुक्ल—

इसकी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

श्री जटा शंकरसिंह—

मान्यवर जो भी प्रश्न है उस पर माननीय मंत्री जी कह रहे हैं की सूचना की आवश्यकता है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर आप चर्चा करा दें । लेकिन मैं कहता हूँ कि निश्चित रूप से पैसा लेकर पुलिस ने अदालत की मानहानि की है सीधे अदालत की गरिमा को ठेस पहुँची है । इससे बहुत आक्रोश व्याप्त है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि इसकी जांच हो रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्व विद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983

[5 बजकर 25 मिनट]

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 1983 का अननुमोदन करता है। यह सरकार ने परम्परा बना ली है कि जब भी विधान सभा का सत्र आने वाला होता है तो तुरन्त आर्डीनेंस लागू कर देते हैं । अभी आप देखिये यह अर्डीनेंस 12 जनवरी को इशू किया है और 1 फरवरी से विधान सभा की बैठक होने वाली थी । मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अपमान इस सदन का नहीं होगा कि जब सदन बैठने वाला हो तब आर्डीनेंस लागू करें ।

यू. जी. सी. और विधान परिषद की प्रवर समितियों की रिकमण्डेशन्स आ चुकी हैं, तो इसी के आधार पर विधेयक बनाया जा सकता था और लाया जा सकता था, लेकिन इस सरकार ने ऐसा न करके आर्डीनेन्स लागू कर दिया । दूसरी बात यह संशोधन कई बार आ चुका है परन्तु सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पायी और फिर से बिना सदन में प्रस्तुत किये हुए आर्डीनेन्स लागू करके ले आना चाहती है । 2 साल की शक्ति अपने अन्दर निहित करना चाहती है, आखिर इससे क्या फायदा होगा । पूरी शिक्षण संस्थायें उस प्रदेश में अस्तव्यस्त हो जायेगी लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं । कानून व्यवस्था में भारी उथल पुथल है । लखनऊ विश्वविद्यालय में थोड़े दिन पहले जमकर गोली और डंडे चले थे । जहां पढ़ाई होनी चाहिये थी आज वहां इनकी गलत नीतियों के कारण शिक्षा के परिसर में पढ़ाई न होकर लड़ाई हो रही है । शिक्षा की ट्रेनिंग की जगह गोली और बन्दूक

[श्री राम गोविन्द—]

की ट्रेनिंग हो रही है। इसका एकमात्र कारण अनुशासनहीन कुलपतियों का रखना है। आई० ए० एस०, पी० सी०एस० रैंक के लोग विश्वविद्यालय के कुलपति बनाये जा रहे हैं। जिन्होंने जनता पर लाठी चलवाने का काम किया है, ऐसे लोगों को विश्वविद्यालय में कुलपति बनाने का काम यह सरकार करती है। इसी कारण पूरे प्रदेश में शिक्षा की संस्थायें अस्त व्यस्त हो गयी हैं। अवध विश्वविद्यालय की जांच हुई, उसकी जांच रिपोर्ट आज तक सदन के पटल पर नहीं रखीं गयी जबकि जांच पूरी हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। बी०एच०यू० में लगभग 3 महीने से छात्रों का आंदोलन चल रहा है। वहाँ के कुलपति ने निरंकुशता पूर्वक छात्रों का निष्कासन कर दिया है, परीक्षाओं से वंचित कर दिया है। आज भी यह सरकार कुलपतियों की रक्षा कर रही है। आज भी ये कहते हैं कि 2 साल का समय और दे दिया जाय। तमाम ऐसे छात्र नेताओं को, जो छात्रों के हितों की रक्षा करते हैं, आपने जेल में डाल दिया है।

मैं शिक्षा मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि इसको वापस लें जिससे जनता और विश्वविद्यालय छात्र नेता और शिक्षक संघ सारे लोगों से राय करके मसौदा बनाकर कानून बनायें जिससे शिक्षण संस्थायें जो अस्तव्यस्त हो गयी हैं ठीक से चलें और अध्यापन का कार्य हो सके। पूरे देश और प्रदेश की शिक्षा संस्थायें इस समय अस्त व्यस्त हैं, कहीं भी पढ़ाई नहीं हो रही है। विश्वविद्यालय से मिडिल स्कूल तक नकल की परम्परा पड़ गयी है। नकल करके लोग पास हो जाते हैं फिर जब वे विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं या इंजीनियरिंग में जाते हैं या मैंडीकल कालेज में पढ़कर जाते हैं तो उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। देश का और प्रदेश का पतन हो रहा है। यह आवश्यक है कि प्रदेश की सरकार एक ऐसी शिक्षा नीति लागू करे, नैतिक शिक्षा नीति लागू करे ताकि प्रदेश की प्रगति की दिशा में यह अगुवाई कर सकें अन्यथा यह अध्यादेश लाते रहेंगे और शक्ति को बढ़ाते रहेंगे। अपनी पार्टियों के हितों को ध्यान रखते हुए यह ऐसे ही काम करते रहेंगे तो सारा प्रदेश एक दिन अस्तव्यस्त हो जायेगा। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूँ कि इसको यह वापिस ले लें जिससे इसका इससे अच्छा अनुमोदन किया जा सके।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। चूँकि आज राजेन्द्र कुमार गुप्त जी नहीं हैं, इसलिए इस पर प्रवर समिति का प्रस्ताव तो पुटअप नहीं हो सकता है, इसलिए यदि इसी पर चर्चा करा दें और माननीय सदस्यों को थोड़ी-थोड़ी देर सुन लें तो····

श्री अध्यक्ष—

प्रवर समिति का प्रस्ताव मा० राजेन्द्र अग्निहोत्री जी प्रस्तुत करेंगे, यह लिखकर मेरे पास आ गया है इसलिए इस पर व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

***श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह समय का सवाल जो उठा, वह मान्यवर, दलगत हितों को ध्यान में रखते हुए इस सरकार ने उठाया है। मान्यवर, आज जो महाविद्यालयों में प्रबन्ध समितियाँ हैं, उनमें आज जो गलत रवैये आम है, जिसमें अध्यापकों का खुलेआम शोषण किया जा रहा है। इन सारी परिस्थतियों को देखते हुये यह सरकार ठीक से कोई नीति निर्धारण नहीं करना चाहती है और ऐसी लोकतांत्रिक पद्धत्ति वहाँ पर लाना चाहती है, जिसके कारण पुनः दो साल का समय माँग रहे हैं, जिसके लिए आपके सामने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में नियम 51 व अन्य नियमों के अन्तर्गत ऐसे बहुत से मसले चर्चा हेतु सदन में आते रहते हैं कि कुलपति महोदय व फलां प्रबन्ध समिति के प्रबन्धकों के बीच ऐसे प्रसंगों पर झगड़ा हुआ है। आखिर में यह सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति एक दोषपूर्ण रवेये पर आधारित है। मान्यवर, उक्च शिक्षा आयोग लागू करने की चर्चाएं, घोषणायें इन्होंने बहुत कीं। कि वह शिक्षा आयोग शीघ्र लागू हो जायेगा लेकिन वह कुछ नहीं हुआ, मैं पूछता हूं कि वह क्यों नहीं लागू हुआ ? अब इसी के कारण से अनेक विसंगतियाँ पैदा हो गयी हैं जैसे कि उप शिक्षा निदेशक की व्यवस्था तो है लेकिन इसको अधिकार कुछ नहीं दिये गये हैं। जिस तरह से इण्टरमीडिएट की नीतियां हैं उसी की भाँति इसकी अनुमति की भी आवश्यकता पड़ती है उसी तरह से आज शिक्षा निदेशक के निलम्बन के समय आदेश की आवश्यकता पड़नी चाहिये। ऐंसी बहुत सी विसंगतियां हैं इसलिये इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय ताकि एक महीने के अन्दर वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करके अपना निर्णय दे दे।

***श्री पंचानन राय—**

मान्यवर, सर्वप्रथम सन् 1974 में उत्तरप्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम बना। उस शासन ने अधिकार लिया था कि प्रथम नियमावली शासन बना कर देगा उसमें परिवर्तन और परिवर्धन करना होगा। तो वह विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। मान्यवर, एक आम सिद्धांत है शिक्षा का शिक्षा के अंदर स्वायतता होनी चाहिये। आप 1974 से समय बढ़ाते-बढ़ाते हम 1984 तक आ गये हैं और समय बढ़ाते चले जा रहे हैं और आप हमें नियमावली बनाने का अधिकार नहीं दे पा रहे है तो फिर कैसे हम शिक्षा क्षेत्र में स्वायत्ता स्थापित करना चाहते हैं ?

आज जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, संविधान में जो राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित है यह उस पर चोट कर रहा है। हमने धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी जनतंत्र के लक्ष्य को स्थापित किया परन्तु आज जो शिक्षा की दोहरी नीति है और शिक्षा की दोहरी व्यवस्था है जैसे कि अभी श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने कहा कि आयोग नहीं लागू किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे उच्चतर शिक्षा हो या चाहे माध्यमिक शिक्षा हो आपने किसी के लिये आयोग का गठन नहीं किया है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में आयोग का गठन होता तो आज वह सराहनीय कार्य करता। लेकिन यदि सरकार क्रांतिकारी कदम उठाती हैं तो उससे जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको हमें दूर करना चाहिये। जितनी जगह पर मनमाने ढंग से निलम्बन कर देते हैं और अपने व्यक्तियों की नियुक्ति कर देते हैं तो यदि आयोग गठित हो जाता तो ये निलम्बन न हो पाते और दूसरे लोग आसानी से शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश न कर पाते। आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं परंतु आज आपके स्कूल जाति-पांति को बढ़ावा देते हैं कहीं ब्राह्मण स्कूल है तो कहीं ठाकूर के नाम पर स्कूल है, कहीं सरयूपारीण के नाम पर तो कहीं कान्यकुब्ज के नाम पर स्कूल चलाये जा रहे हैं। कभी शिक्षा के नाम पर तो कहीं सुन्नी के नाम पर स्कूल चल रहे हैं। आप क्या अपेक्षा करते हैं कि उन शिक्षा संस्थाओं के निकलने वाले बच्चे धर्मनिरपेक्षता का आचरण करेंगे ? यदि ऐसा ही होता रहा तो आपके राष्ट्र के सपने का सही निष्कर्ष नहीं निकल पायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं परंतु आज अमीरों के लिये और गरीबों के लिये दो तरह की शिक्षा आपने की हुई है। बेसिक शिक्षा के नाम पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बढ़ते चले जा रहे हैं यह हमारी संस्कृति और सभ्यता पर चोट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह चर्चा विश्वविद्यालय से संबन्धित नहीं है, स्कूल से नहीं।

श्री पंचानन राय—

मैं वही कह रहा हूँ। यह विश्वविद्यालय से भी संबंधित है, दोनों से सम्बंधित है। आपने जो परिनियमावली बनाई वह आज तक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पर लागू है। व्यक्तिगत प्रबंध की व्यवस्था किसी जनतंत्र पर आधारित नहीं है। जैसे भी स्कूल चल रहे हैं, अमुक व्यक्ति उसका आजीवन प्रबंधक होगा। मान्यवर, जहाँ पर अमीर गरीब का फर्क होगा वहाँ पर शिक्षा का अहित होगा। मान्यवर शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावशाली अस्त्र है। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम आये हैं। शिक्षा सेवा आयोग का गठन इसी प्रकार का एक कदम है। मान्यवर, आज जो व्यक्तिगत प्रबंध की व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाना बहुत ही आवश्यक है।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो व्यक्ति शिक्षा से सम्बंध रखते हैं, उनको इस पर बोलने का अवसर अवश्य ही प्रदान किया जाना चाहिए।

***श्री सत्यपाल सिंह यादव**—

मान्यवर, यह अधिनियम 1973 में बनाया गया था, उसकी धारा 50 में इस बात का प्राविजन किया गया है कि सन् 1982 तक परिनियमों को अवश्य ही बना लिया जायेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि विधान परिषद् से इस बात की संस्तुति हो कर आ गयी है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से भी संस्तुति आ गयी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विधान परिषद् से जो संस्तुतियाँ आयीं हैं उन्हीं के आधार पर इस अधिनियम का भी संशोधन होना है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कब आयी है और विधान परिषद् से कब आयी है। जहाँ तक मेरी जानकारी है यह बहुत पहले ही आ गयी थी, लेकिन आपने अभी तक उस पर कार्यवाही नहीं की। मैं तो कहूँगा कि इसमें शिक्षा मंत्री जी की लापरवाही है, जिसके कारण वह अभी तक नहीं आ सकी है। विश्वविद्यालयों का सारा काम परिनियम न बनने के कारण ठप पड़ा हुआ है। आपके पास परिनियम बनाने के लिए थोड़ा बहुत नहीं 10 वर्ष का समय था, लेकिन यह परिनियमों को नहीं बना सके हैं।

मान्यवर, आप लखनऊ विश्वविद्यालय विधि संकाय को देख लीजिए वहां पर एक झगड़ा उठा हुआ है, उसका निबटारा नहीं हो पा रहा है। उसका मान्यवर यही एक कारण है कि परिनियम अभी तक नहीं बनाये गये हैं। इसमें शिक्षा मंत्री जी की लापरवाही है कि जिसके कारण यह अभी तक नहीं बन पाये हैं। इसके पास 10 वर्ष का समय था परंतु इंहोंने जानबूझ कर नहीं बनाया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा से सम्बंधित लोगों को जरूर बोलने का अवसर दें, यही मेरा कहना है ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप खड़े हों, आपको समय बोलने के लिए दिया जायेगा ।

***श्री लाल प्रताप सिंह**—

माननीय, अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत छोटी सी तरमीम है और एक मासूम तरमीम है । इसको प्रवर समिति में भेजकर क्या करोगे, वह इसमें क्या करेगी और क्या राय देगी । उसका कोई नतीजा मालूम नहीं होता । इसे प्रवर समिति में भेजना आवश्यक नहीं है ।

एक सदस्य—

एक महीने का समय मांग रहे हैं उसमें जाने दीजिये ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

इसकी रिकमण्डेशन के आधार पर तरमीम होनी है । मेरा ख्याल है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिये । कभी-कभी काम करने में दिक्कतें होती हैं । जब कोई प्रदर्शन चलता है तो जो आदमी उसमें शामिल होता है उसे तो मालूम होता है कि वह कुछ काम कर रहा है लेकिन जो बाहर होता है उसके लिये तमाशा बन जाता है । इसलिये यह आपको तमाशा ही लग रहा है । इसमें तमाशे का सवाल नहीं है । जो काम कर रहा है, उसे काम करने दीजिये । एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें आई. ए. एस. और आई. एफ. एस. रख दिये जायें । यह एक बहुत बड़ी चीज है । जब हम पढ़ते थे तो यह बहुत बड़ा फख्र था । विद्या एक जगह छिपी नहीं रहती । बड़े-बड़े विद्वान हुए हैं, जैसे जी० एस० वाजपेयी, मिस्टर कोल और मिस्टर नेहरू बड़ी-बड़ी महान विभूतियाँ हुई हैं जिन्होंने अपने कार्यों से दुनियां को संतोष दिया है और बहुत बड़े-बड़े कार्य किये हैं । यह कोई बात नहीं है कि यहाँ से आये अथवा वहाँ से आये या दूसरी जगह से आये । हम कहते हैं कि जो योग्य व्यक्ति मिले उसे रखा जाय । आज शिक्षा की हालत बहुत खराब है । शिक्षा की बहुत दुर्दशा हो रही है । देहातों में आप जायें तो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक पढ़ाने के लिये नहीं जाते हैं और मेरा ख्याल है कि 50 फीसदी से ज्यादा अध्यापक समय से स्कूल जाते ही नहीं हैं । अगर कोई इन्सपैक्टर इन्सपैक्शन करता है तो उसकी भी जान को मुसीबत पड़ जाती है ।

मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुनियां के इतिहास में जितने भी विकासशील देश हैं उनमें आपने देखा होगा कि कोई भी टीचर या विद्यार्थी हन्गर स्ट्राइक नहीं करते हैं । किसी ने सच ही कहा है–"ए ट्रीचर इज वन हू टीचेज विद फुल माइण्ड एण्ड फुल हर्ट टू रिलीज दि फोर्सेज व्हिच एजूएकेशन हैज इन लीश" ।

आप एक भी मिसाल नहीं दे सकते कि उन देशों में किसी टीचर ने या विद्यार्थी ने हन्गर स्ट्राइक किया हो । हंगर स्ट्राइक करना जुर्म है । विद्याथियों में आपस में पोलि-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लाल प्रताप सिंह—]

टिकल पार्टीज हो जाती हैं और ट्रेड यूनियनिज्म उनमें पैदा हो जाती है विद्यार्थियों में टीचर्स में और कुलपति में। जब ट्रेड यूनियनिज्म की भावना पैदा हो जायेगी तब रिसर्च और पढ़ाई कैसे हो पायेगी। आज का जो विद्यार्थी है क्या वह बिना परिश्रम के बिना मेहनत के कुछ हासिल कर सकता है। मेरा अपना अनुभव है कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनमें गिरावट नहीं आयी है, जो साधारण विद्यार्थी हैं उनमें गिरावट आयी है। अच्छे विद्यार्थी आज भी पढ़ना चाहते हैं। आज आप पेरेन्ट्स की हालत देख लीजिये। बाप चाहे जितना दुश्चरित्र क्यों न हो वह चाहता है कि मेरा लड़का सभ्य हो, पढ़े लिखे और तरक्की करे। आज के माँ-बाप किस तरह से पैसा देते हैं, यह सभी को ज्ञात है। इसमें एक सबसे बड़ा कारण पोलिटिकल पार्टीज का इन्टरफियरेन्स भी है। अगर पोलिटिकल पार्टीज आपस में बैठकर इस समस्या पर विचार कर लें तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी हालत अच्छी हो सकती है। विद्यार्थी अपना हित नहीं समझते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वे सब लोगों को और विद्यार्थियों को और पोलिटिकल पार्टी को बुलाकर इस समस्या का समाधान करें और एक रास्ता निकालें जिससे उनकी शिक्षा ठीक ढंग से हो सके। माननीय पंचानन राय जी ने अंग्रेजी के बारे में कहा पता नहीं उनको अंग्रेजी से नफरत क्यों है ? मैं तो कहूँगा कि अंग्रेजी कंप्लसरी कर दी जाय। और थर्ड क्लास से वह पढ़ाई जाय। कुछ लोग इसके विरोध में एजीटेशन करते हैं वह रोमांचक लोग होते हैं जो इस तरह से पोस्टर फाड़ते हैं या दूसरी चीज करते हैं उससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं तो कहूँगा अँग्रेजी और हिन्दी ही नहीं चौदहों जबान पढ़ाई जानी चाहिए। जो अंग्रेजी या हिन्दी का विरोध करते हैं वह देश के दुश्मन हैं लेकिन जो 14हों भाषा का विरोध करते हैं वह भी देश के दुश्मन हैं। अंग्रेजी ने देश को बहुत कुछ दिया है, अंग्रेजी पढ़ने से लाभ हो सकता है जो हमारे विद्वान बाहर जाते हैं वह वहाँ से बहुत कुछ यहाँ लाते हैं।

माननीय पंचानन राय जी ने कहा कि व्यक्तिगत संस्थाओं को समाप्त कर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

आप समय का ध्यान रखें।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मेरा विचार कुछ दूसरा है हो सकता है कि कुछ संस्थायें खराब हों लेकिन ज्यादातर में डिसिप्लिन बेहतर है जिनका मैनेजमेंट प्राईवेट संस्थाओं के पास है। सरकारी स्कूलों से वे अच्छी हालत में हैं उनमें आउटस्टेंडिग लोगों ने प्रचार और प्रसार से अच्छा काम किया है। यह एक्सपैरीमेंट चलना चाहिये शिक्षा अच्छी होनी चाहिये। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इनको कुछ व्यक्तियों के हाथ में दे दीजिये तब देखिये कैसे चलती हैं।

मैं अन्त में सभी माननीय सदस्यों से जो कोई शिक्षा में दिलचस्पी रखते हैं, चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए तो उसके लिए एक कोड आफ कंडक्ट होना चाहिए जिससे हमारी शिक्षा का स्तर ऊपर उठे और हमारी शिक्षा संस्थायें सुचारू रूप से चल सकें। इन शब्दों के साथ मैं जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूँ और इसका समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री रियासत हुसैन का नाम पुकारे जाने पर) कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

***श्री रियासत हुसैन—**

श्रीमन्, जब कोई बाक्सर या पहलवान किसी चीज का मुकाबला करता है तो वह कहता है मेरा सीना बहुत चौड़ा है और जब कोई बेबकूफ इस प्रकार की बात करता है तो लोग कहते हैं यह बड़ा वेशर्म है। आज यह जो अध्यादेश को अधिनियम की शक्ल में ला रहे हैं यह मेरी समझ में नहीं आता इसके लिए क्या कहा जाय बेशर्म या बेबकूफ समझ में नहीं आ रहा है। श्रीमन्, यह इनकी नाअहलियत है कि जो आज तक यह प्रथम परिनियम भी नहीं बना सके और उसके लिए 31 दिसम्बर 82 तक का वक्त था उसमें वह नहीं बना सके। ये शिक्षा जगत में कोई भी मामला हल नहीं कर पा रहे हैं। जब एसेम्बली में सवाल आता है तो कहते हैं सूचना एकत्रित हो रही है। जब पंचानन राय जी का मसला आता है तो कभी स्ट्राइक होती है और कभी लड़कों पर लाठी चार्ज होता है। कभी उर्दू टीचर्स का मसला आता है तो वह आमरण अनसन करते हैं। यह सरकार कहीं कुछ काम नहीं कर रही है यहाँ तक कि जो इसके प्रथम परिनियम बनने थे वह नहीं बना सकी यह इनकी नालायकी नहीं तो और क्या है। अब इसके लिए दो साल का समय मांग रहे हैं। तीन महीने या 6 महीने का समय माँगते तो एक बात होती। जब यू० जी० सी० की रिकमें-डेशन आगयी, विधान परिषद् की प्रवर समिति की रिकमेंडेशन आगयी तो फिर क्या चीज रह गयी है जो दो साल का समय लेना चाहते हैं। इन सब की रिकमेंडेशन आने के बाबजूद जो आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें क्या चीज रह गयी है जो इतना समय ले रहे हैं। इसलिए माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी का जो प्रस्ताव है कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय उसमें विचार हो जायेगा कि आपकी नालायकी और आपके विभाग की अक्षमता सामने आ जायेगी। उन सब चीजों पर विचार हो जाय और प्रवर समिति में आकर जो प्रथम परिनियम हैं उनको जल्दी से जल्दी बनादें, इसलिये दो साल को क्यों लटकायें। इसलिये इसमें आपकी नीयत साफ नहीं है। इसलिये मैं राजेन्द्र अग्निहोत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर मुझे बोलने का समय दिया। मैं पूरे सदन से प्रार्थना करता हूँ कि शिक्षा का विषय जो है वह बड़े महत्व का है। मान्यवर, 42 वर्ष हो गये हैं शिक्षा की सेवा करते हुये उसमें क्या कठिनाईयाँ हैं वह मुझे मालूम हैं। शिक्षा की दिक्कतों में तीन मुद्दे हैं। तीनों मुद्दों को आप ठीक नहीं कर पाते हैं तो हमारी समस्या बिल्कुल अराजकता की दिशा में पहुँच जायेगी। मान्यवर, सबसे पहले शिक्षा संस्थाओं में चाहे स्कूल हों या महाविद्यालय वहाँ अध्यापकों के माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है (व्यवधान)। अध्यापक बच्चों का गुरू होता है। मान्यवर, आज एक शिक्षक संघ बना है। उसका कहना है कि प्रबंध समितियां हटा दी जाँय जबकि सारी सुविधायें आप उनको दे रहे हैं।

मान्यवर, जो काम सरकार नहीं कर पाती है जैसे कि लाखों की तादाद में प्रबंधकों ने स्कूल, कालेजों और विद्यालयों की स्थापना किया है जिसको सरकार नहीं कर सकती है। इसके अलावा आप देखें कि सरकारी जो व्यवस्था है उसमें कितने आदमी आप रखेंगे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी --]

और जैसे बेसिक विद्यालयों ले लें उसमें सब खराब हो गया है, हायर सेकेन्डरी को लें वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इसलिये शिक्षक संघ जो रोज हस्तक्षेप करके झगड़ा लगा रहा है तो सरकार उनके लिये कोई कानून बनाये और जिसके अन्तर्गत अध्यापकों से कहा जाये कि उसके अनुसार आप लोग चलें, यदि आप ऐसा नही करते हैं तो एक भी काम नहीं चल सकता है।

मान्यवर, दूसरी बात लड़कों के बारे में कहा जाता है कि वह आंदोलन कर रहे हैं, तो आप और हम एवं शिक्षक संघ के सभी लोग मिलकर लड़कों से कहते हैं कि आप अनशन पर बैठें, आप आंदोलन करें, यहाँ सवाल भी किये जाते हैं, इसलिये शिक्षा के प्रश्न पर किसी दिन कोई समय देकर इस पर विचार करें कि सरकार इसमें क्या कर सकती है। सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि अध्यापक कुछ न करें, पढ़ायें नहीं, तो पढ़ाई का काम कैसे चलेगा। इसलिये कालेजों का अनुशासन ठीक करना है तो अध्यापकों के लिये कोई कानून बनायें कि कम से कम वह अपने समय से कालेजों में जायं और पढ़ावें।

मान्यवर, प्रबंधक समितियों को हटाने की सरकार की हिम्मत नहीं है और यदि प्रबंध समितियों को हटायेगी तो सरकार सोचे कि मुआवजे में पूरी गवर्नमेंट फंस जायेगी और फिर भी मुआवजा नहीं दे पायेगी, इसलिये सदन में कहना है कि प्रबंध समितियां खराब हैं तो आपको उनको रोकना चाहिये। दूसरा यह है कि यहाँ पर कोई आन्दोलन होता है, तो लड़के जो हैं वह चुप रहते हैं, लेकिन उनको इनके द्वारा आज गुमराह किया जा रहा है। इससे उनका जीवन अन्धकारमय हो गया है। में कहता हूँ कि आजकल प्रबन्ध समितियों के हाथ में क्या है ? कुछ नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष—

आप विश्वविद्यालय पर आइये।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी ---

मान्यवर, विश्वविद्यालय है, फिर महाविद्यालय हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि माध्यमिक शिक्षक परिषद् जो है...

श्री रियासत हुसैन—

शिक्षा की ग्रान्ट अभी आने वाली है, उस समय यह बातें कहने वाली हैं, उस समय कहें, इस समय तो इस पर आएं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

यह बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, अच्छे सेन्टर होने नहीं दे रहे हैं। जहाँ सेन्टर होने चाहिए, वहाँ लड़के नही जा रहे हैं। तमाम अराजकता फैली हुई है। हम इस संशोधन का समर्थन करते हैं और ऊदल जी ने एक संशोधन दिया, वह विश्वविद्यालय की परिधि में रहते हैं, जानते होंगे, लेकिन हम कहते हैं कि वह संशोधित हो जाने दें, इससे हमारी लोकतन्त्र प्रणाली और सफल हो जाएगी। उसमें किसी को शंका नहीं करनी चाहिये। ऐसा है, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते, पूज्यानां तु विमानना, त्रीणितत्व भविष्यन्ति, दुर्भिक्षं मरणं पयम्"। यो शिक्षक संघ के ऊपर यदि प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया, तो शिक्षा संस्थाओं का अनुशासन बिल्कुल नष्ट हो जाएगा।....(व्यवधान) शिक्षक संघ को अगर प्रतिबन्धित नहीं

किया गया तो हमारी और आपकी समस्यायें हल नहीं होंगी, हमारे विद्यालय और कालेजेज नहीं चल पायेंगे ।

***श्री भोला पाण्डेय**—

मान्यवर, यह बड़े लम्बे अर्से से सदन के पटल पर रखा जाने वाला था । बह्मचारी जी ने जो कहा, मैं उसका आदर करता हूँ । कोई बात इस बात से इन्कार नहीं कर सकता है बहुत समय से जो सामन्तशाही शिक्षा व्यवस्था हमारे पूर्व में चली आ रही है, बिहार पश्चिमी बंगाल और केरल में चले जायें, पंचानन राय जी ने जो कहा, बड़ा अच्छा लगा कि प्रबन्ध समितियाँ भंग कर दी जायें, ताकि व्यक्तिवादी शिक्षा संस्थायें खत्म हो सकें । हम लोगों ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दो शिक्षक आयोग नियुक्त किये हैं····

श्री राम औतार दीक्षित—

यह जिस सम्बन्ध में बिल आ रहा है, कम से कम माननीय सदस्यों को उसके बारे में किंचित मात्र जानकारी होने के बाद ही उस पर कुछ बोलना चाहिए । इस पर आप व्यवस्था दीजिए ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है । आपको विश्वविद्यालय बिल के बारे में ही बोलना चाहिए ।

श्री भोला पाण्डेय—

मैं दीक्षित जी का आदर करता हूँ, लेकिन मैं उनको यह बता दूँ कि मुझे उनसे ज्यादा और तमाम सदस्यों से ज्यादा और तमाम सदस्यों से ज्यादा विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी है । इसलिए मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । विश्वविद्यालयों के अन्दर आज जो अराजकता है, उसके चलते छात्रों को उद्देश्यविहीन और शून्य के रूप में शिक्षा मिल रही हैं । तो पंचानन राय जी ने जो कहा प्रबन्धक समितियों को भंग कराया जाए । उसमें महाविद्यालय आते हैं और उसके आगे इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना उतना ही आवश्यक है, जितना देश के लिए समाजवाद, प्रजातन्त्र और धर्मनिरपेक्षता है । (व्यवधान) जो प्रशासन विश्वविद्यालयों में चल रहा है वह विश्वविद्यालयों के हित में न होकर, अभिभावकों के हित में न होकर····(व्यवधान) अतः इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है । शासन सक्षम है और उसे सक्षम होना पड़ेगा कि उसमें–विश्वविद्यालय विधेयक में संशोधन करके उसकी एक सुव्यवस्थित व्यवस्था कराई जाये ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, आज हमारे विश्वविद्यालय बहुत ही दुरुह समस्याओं से ग्रसित हैं । विश्वविद्यालय के सामने अनेकानेक प्रश्न, जटिल प्रश्न मौजूद हैं, शिक्षा जगत ऐसा अस्त व्यस्त हो गया है, कहीं कीई सुचारुता रह नहीं गयी । मान्यवर, जब कहीं एकाधिकार होता है, तो जाहिर है तलवार मनमाने ढंग से चलती है, मनमाने ढंग से उसका उपयोग होता है । इसलिए मान्यवर, एकाधिकार चल रहा है, यह समाप्त होना बहुत जरूरी हो गया है । जो समस्यायें शिक्षा जगत में इस समय हैं, उनका निराकरण कैसे होगा, किस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल देहलवी—]

प्रकार विश्वविद्यालय सुचारु रूप से चल सकेंगे, यह बड़ी जटिल समस्यायें इस समय पैदा हैं। आये दिन कहीं विश्वविद्यालय में बम निकलते हैं, कहीं पिस्तौल निकलते हैं, रिवाल्वर निकलते है और हड़ताल होती हैं. पी० ए० सी० पहुँचती है, झगड़े फसाद होते हैं, अभिभावक के दिल से पूछे कि अभिभावकों के दिल पर क्या गुजरती है। मां-बाप जो अपना पैसा खर्च कर रहे है, अभिभावक चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा बच्चा पढ़-लिख कर सभ्य, सुसंस्कृत निकले।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न हैं। मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि अब इस समय माननीय नेता विरोधी दल के उपनेता जो बोल रहे हैं। कृपया यह बता दें कि संशोधन के किस मुख्य मुद्दे पर बोल रहे है ? क्या उनको संशोधन के मुद्दे पर बोलने में ऐतराज है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

कृपया जो विषय है, उसी के बारे में बात करनी चाहिए।

श्री मोती लाल देहलवी—

आप सुन लें, मैं विषय पर ही बोल रहा हूँ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो माननीय सदस्य इस सदन में बोलें, जो बिल है, उसी के बारे में बोलें। यह एक विश्वविद्यालय पर छोटा सा संशोधन है जिसको माननीय रियासत हुसैन साहब ने मूव किया है। विश्वविद्यालय का तो शायद देहलवी साहब ने मुँह भी नहीं देखा होगा, आप उनसे क्या बोलवा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह बात सही है कि जो विश्वविद्यालय का बिल है, उसी के बारे मैं बोलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मुझे मालूम नहीं कि पंडित श्री काशी नाथ मिश्रा की मानसिक स्थिति क्या हो गई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त कीजिए,

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, अभी जितने माननीय सदस्य बोले हैं, उन्होंने अपने मन की भावना को प्रकट किया है। मैं भी अपने मन की भावना को प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि अप्रसांगिक रूप से माननीय लाल प्रताप सिंह जी, जिनका मैं बड़ा आदर करता हूँ, विद्वान सदस्य हैं, अप्रासांगिक रूप से कह गये कि कुछ लोग अंग्रेजी का विरोध करने लगे, पोस्टर फाड़ने लगे, साइन बोडँ फाड़ने लगे, तो मैं यह माननीय लाल प्रताप सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि काशीनाथ जी आपने भी पोस्टर फाड़े हैं, आपने साईन बोर्ड पोता है ? अब आपकी आँख में पर्दा पड़ जाय तो दूसरी बात है ?

श्री अध्यक्ष—

आप अपना भाषण जारी रखें, नुक्ता चीनी न करें।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, लाल प्रताप सिंह जी को मुगालता है, अंग्रेजी का विरोध शुरू इसलिये हुआ कि सारा सरकारी कामकाज अंग्रेजी में न हो। पढ़ाने के लिए कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि आप अपने इस मुगालते को निकाल दें। आपका यह मुगालता दूर हो जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

आप विषय पर बोलिये।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि 10 वर्षों के बाद भी अभी तक विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में परिनियम नहीं बन सके हैं। विश्वद्यिालय सुचारु रूप से चलें इसके लिए जरुरी है कि इसमें शिक्षा विदों से, अच्छे योग्य लोगों से सलाह मश्विरा हो ताकि एक अच्छी कानूनी शक्ल इसको दी जा सके जिसकी आकांक्षा छात्र भी करते हैं और अभिभावक भी करते हैं। जब 10 वर्ष में आप कुछ नहीं कर पाये हैं तो यह ज्यादा अच्छा होगा और सबकी भावना के अनुकूल होगा कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिससे परामर्श हो सके, सलाह मश्विरा हो सके और इसको अच्छी कानूनी शक्ल दी जा सके।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, एक घंटा समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

जब तक यह पास नहीं हो जाता तब तक समय बढ़ा हुआ माना जायगा।

श्री रामगोविंद—

मान्यवर, अगर माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह स्पष्ट घोषणा करते कि दो महीनों के अन्दर इसके परिनियम बन जायेंगे, विश्वविद्यालयों के परिनियम बन जायेंगे तो इस पर सोचा जा सकता है। लेकिन श्रीमन्, यह दो साल का समय बढ़ाया गया है इससे स्पष्ट होता है कि कोई मंशा इनकी साफ नहीं है और परिनियम बनाने में अक्षम हैं। इसलिये मैं अननुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, यह सरकार कई बार संशोधन इस प्रकार के ला चुकी है परन्तु सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती है और जो काम यह दो साल में नहीं कर पाये हैं तो यह कैसे विश्वास किया जाय कि कुछ आगे भी कर पायेंगे। इससे अनेक विसंगतियाँ हैं आज सारे प्रदेश में खड़ी हो गयीं हैं। विधान परिषद् द्वारा और यू० जी० सी० द्वारा जो संशोधन आया है उस पर भी इतना समय होने के पश्चात् कोई विचार नहीं कर सके हैं और एक भी परिनियम नहीं बना सके हैं। इसमें अनेक बिसंगतियां हैं, इसलिये मैंने जो संशोधन रखा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में बता दिये जायेंगे तो मैं समझता हूँ कि मेरे इस संशोधन को सरकार को मान लेना चाहिये और अपनी इज्जत बचाने के लिये मान लेना चाहिये।

*संसदीय कार्य मंत्री [श्री अम्मार रिजवी]—

मान्यवर, जैसा कि लाल प्रताप सिंह जी ने बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा यह एक बहुत छोटा सा संशोधन है। लेकिन इसमें सारी शिक्षा प्रणाली शुरु से लेकर, बेसिक शिक्षा से लेकर और विश्वविद्यालय तक सारा जो संचालन का तरीका है, प्रबन्ध समितियों, वाइस चान्सलर, इन सब बातों पर विचार हो गया। मान्यवर, इस छोटे से संशोधन पर बड़े बहुमूल्य विचार सामने आये। जिन माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, प्रश्न सिर्फ इतना है कि जो माननीय सदस्य ने कहा कि अभी तक स्टैट्यूट्स नहीं बन पाये हैं। तो स्टैट्यूटस तो 1977 में बना दिये थे। माननीय रियासत साहब ने कहा कि शिक्षा के बारे में कोई चीज पूरी नहीं है, कोई चीज मुकम्मल नहीं हैं।

मान्यवर, शिक्षा की परिभाषा अगर देखें, अगर शिक्षा मुकमल हो जाय, तो शिक्षा नहीं रहती। शिक्षा प्रणाली जो है वह इंसान के मस्तिष्क से जुड़ी हुई है और जब तक मनुष्य रहेगा शिक्षा में परिवर्तन होता रहेगा, शिक्षा प्रणाली बदलती रहेगी, क्योंकि यह कोई फैक्ट्री तो है नहीं। शिक्षाविद् जानते हैं समझते हैं कि कितने परिवर्तन होते हैं। हर समय परिवर्तन होता है और हर समय कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जिनके अन्दर.....

श्री कुबेर भण्डारी—

भ्रष्टाचार में बदलेंगे या सुधार में बदलेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मैं आपसे शिक्षा ही हासिल कर लूँगा मैं आपका शिष्य हूँ आप मेरे गुरु हैं। दो शब्द सुन लें, शायद कभी काम आ जायँ। मान्यवर, शिक्षा प्रणाली परिवर्तन का नाम है किस वक्त किस चीज की आवश्यकता है यह शिक्षा प्रणाली में हर समय देखने की आवश्यकता रहती है। मान्यवर, यह जो संशोधन है इसके अन्दर जो अधिकार 1982 तक थे, उसको 1984 तक किया गया, क्यों किया गया है, यह एक मौलिक प्रश्न है, जो उठ सकता है और जिन लोगों ने इसे उठाया है, वह ठीक है, इस वजह से यह किया गया है, प्रवर समिति की बात हमारे काबिल दोस्त माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने रखी, लेकिन एक प्रवर समिति के जरिये बहुत सी सिफारिशें, रिकमेंन्डेशन्स इसके बारे में, शिक्षा प्रणाली के बारे में उस सदन के आ चुके हैं, उन रिकमेंन्डेशंस को मान्यवर इनकारपोरेट करना है, जिसकी आवश्यकता होगी। इसके साथ ही साथ यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो समय समय पर प्रदेशों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्देश देता रहता है, अध्यापकों, प्राचार्यों, प्रोफेसर, जितने लोग हैं, उनकी जो क्वालीफिकेशन्स हैं, उनकी जो सर्विस कन्डीशंस हैं, उसमें निर्देश और मार्गदर्शन देता रहता है, उसकी बहुत सी रिकमेन्डेशंस, सिफारिशें हमारे पास हैं, तो इन तमाम सब चीजों को एक साथ लाने के लिए और शिक्षा प्रणाली को और ज्यादा सक्रिय बनाने के लिए, जो विचार यहाँ रखे गये, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि समय बढ़ाया जाय ।

दूसरा प्रश्न माननीय रियासत हुसैन साहब ने इसमें कहा---कुछ तो नालायक, बदतमीज तो शायद नहीं कहा, बेवकूफ जरूर कहा, तो फारसी में यह कहा जाता है.....

श्री अध्यक्ष—

श्री रियासत हुसैन, क्या आपने माननीय सदस्य को नालायक कहा है ?

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैंने प्रशासन को कहा, शासन को कहा ।

श्री अम्मार रिजवी—

फारसी में यह कहा जाता है माननीय रामभजन सिंह जी नहीं है —

जमाले हम नशी दरमन असर कर ।

कि जो साथ बैठने वाले हैं उनका असर मुझ में आ गया है—नालायक हैं और बेवकूफ हैं तो इसमें मेरा कसूर नहीं है (मेजों की थपथपाहट) इसके अन्दर इस वजह से आपका एक प्रश्न रहा कि तीन महीने के लिए क्यों नहीं बढ़ा दिया गया दो साल के लिए क्यों बढ़ाया जा रहा है तो यह सवाल हैं, जो मनुष्य सोच सकता है कि दो साल के लिए क्यों, तीन महीने के लिए क्यों नहीं । मान्यवर, इसमें जो प्रवर समिति की संस्तुतियाँ हैं, जो यूनावर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की हैं वह पूरे प्रदेश के परिपेक्ष्य में और साथ ही साथ जो बहुत से यूनीवर्सिटी के स्टेट्यूट्स हैं, इनका एक्जामिन हमारा यह प्रस्ताव है । माननीय सदस्य ने, माननीय रियासत हुसैन और दूसरे माननीय सदस्यों माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री ने एक महीने के लिए प्रवर समिति के अन्दर इसे तय करने के लिए कहा है क्योंकि शिक्षा के ऊपर इनका इतना ज्यादा कंट्रोल है कि एक महीने के अन्दर सारे प्रदेश की शिक्षा....

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री —

माननीय मंत्री जी भी इसमें सदस्य रहेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी—

न्यूटन ने कहा कि सारी जिन्दगी शिक्षा हासिल करने के लिए समुद्र के किनारे पत्थरों से खेल रहा हूँ । लेकिन माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी की बातों से ऐसा लगता है कि अगर इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जायेगा तो एक ही महीने में सारे संशोधन कर देंगे । शिक्षा में उनकी जो लगन है, उससे मुझे इंकार नहीं है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के सम्बन्ध में कोई भी कदम जल्दी से बिना सोचे समझे न उठाया जाय क्योंकि इसका असर आने वाली नस्लों पर पड़ता है । जो फैसला आज आप लेंगे, उसका असर 15-20 साल बाद दिखाई पड़ेगा, आज नहीं दिखाई पड़ेगा और आपका प्रदेश कैसा हो, देश कैसा हो, यह शिक्षा प्रणाली पर निर्भर होता है । इसलिए मैंने यह

[श्री अम्मार रिजवी —]

रखा है ताकि सोच विचार करके इसको रखा जायेगा इसलिए मेरा आग्रह है राजेन्द्र अग्निहोत्री जी, मैं समझता हूँ कि शिक्षा के सम्बन्ध में किसी को मतभेद नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो बातें कहीं उनमें भी बहुत से सुझाव थे और अपने साथ वालों से, रियासत साहब ने भी कहा, जैसा कहा जाता है, उन्होंने भी कहा, तो मेरा यकीन है कि जो उन्होंने अनुमोदन किया है, दोनों सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना अनुमोदन का प्रस्ताव वापस ले लें और प्रवर समिति का जो प्रस्ताव है उसे वापस ले लें क्योंकि विधान परिषद की प्रवर समिति इसको विस्तार से देख चुकी है ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री राम गोविन्द तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री से) वापस ले रहे हैं या नहीं ।

(कोई उत्तर न देने पर)

प्रश्न यह है कि सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1983 का अनुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) बिधेयक, 1983, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1983 कहा जायगा ।

(2) यह समझा जायगा कि यह अधिनियम 1 जनवरी, 1983 को प्रवृत्त हुआ ।

2---उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50 में,— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा पुनः अधिनियम राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 50 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1–क) में, शब्द और अंक "3 दिसम्बर, 1982" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर 1984" रख दिये जायेंगे; और

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1982" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 1 सन् 1983

3—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश, द्वारा यथा संशोधित धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियमिति के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपलब्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मारी रिजवी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश परिषद् द्वारा पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 18 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ
9 मार्च, 1983

भाल चन्द शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 528 पर)

राष्ट्रीय आयोग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में जिन पदों पर कार्य कराया गया है, उनकी सूची

तालिका—क—नहरें		तालिका—ख—डिस्ट्रीब्यूटरीज		तालिका—ग—माइनर	
1	कानपुर शाखा	1	पचावर राजबाहा	1	बल्हौर माइनर
2	इटावा शाखा	2	नगरिया राजबहा	2	गोधना माइनर
3	बेबर शाखा	3	कुशियारी राजबाहा	3	जेडा माइनर
		4	कौरारा राजबाहा	4	काना कौआ माइनर
		5	विन्सिया राजबाहा	5	अरांव माइनर
		6	बझेडा राजबाहा	6	भेंडी माइनर
		7	मिथेली राजबाहा	7	पलिया माइनर
		8	सकरावा राजबाहा	8	नौसेर माइनर
		9	तरिहा राजबाहा	9	खबरियापुर माइनर
		10	मिर्जापुर राजबाहा	10	उदनपुर माइनर
		11	गढ़ी राजबाहा	11	प्रेमपुर माइनर
		12	मलावन राजबाहा	12	सकत बेबर माइनर
		13	सकीट राजबाहा	13	छछेना माइनर
		14	कुरावली राजबाहा	14	दलीपपुर माइनर
		15	बेबर राजबाहा	15	बिरसिंह माइनर
		16	भौगांव राजबाहा	16	औरिंध माइनर
		17	बनकिया राजबाहा	17	सहारा माइनर
		18	पनवाह राजबाहा	18	नगला सेयर माइनर
				19	जगतपुर माइनर
				20	लाहरा माइनर
				21	बेलाहर माइनर
				22	जिरसिया माइनर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में जिन पदों पर कार्य कराया गया उनकी सूची

तालिका—अ—नहरें		तालिका—ब—डिस्ट्रीब्यूट्रीज		तालिका—स—माइनर	
1	कानपुर शाखा	1	बझेड़ा राजबाहा	1	क्लहोर माइनर
2	इटावा शाखा	2	निगोह राजबाहा		
		3	मिथौली राजबाहा		
		4	सकरवा राजबाहा		
		5	तरिहा राजबाहा		
		6	मिर्जापुर राजबाहा		
		7	नगरिया राजबाहा		
		8	गढ़ी राजबाहा		
		9	कुरावली राजबाहा		
		10	बेबर राजबाहा		
		11	बनकिया राजबाहा		

ननत्थी 'ख'

(देखिये अतरांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 532 पर)

प्रेषक,

निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राजकीय, आश्रम पद्धति विद्यालय (प्रगति आश्रम)
बालागंज, लखनऊ ।

पत्र सं०–637-43/32-83/शिक्षा-ब, दिनांक लखनऊ जुलाई 17, 1982

विषय—प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज लखनऊ में इण्टर शिक्षा अधिनियम के प्राविधानों तथा शिक्षा विभाग के अन्य नियमों को, प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था पर लागू होते हैं, लागू करने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित हुए कहना है कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में इण्टर शिक्षा अधिनियम के प्राविधानों तथा शिक्षा विभाग के अन्य नियमों को, जो प्रत्येक मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था पर लागू होते हैं, के अनुसार कार्यवाही करने के लिए शिक्षा विभाग के जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा अनेकों बार लिखा गया किन्तु इसका न तो कोई प्रभाव हुआ और न ही समस्या का निराकरण हो सका । अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि "अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं की भाँति इस विद्यालय पर भी इण्टर शिक्षा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने विनियमों तथा शिक्षा सहिता के प्राविधान लागू होंगे, तथा संस्था के प्रबन्ध तंत्र का यह दायित्व होगा कि वे उक्त नियमों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें । यह भी निर्णय लिया गया है कि इसके अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा भविष्य में इस संस्था को अनुदान तभी स्वीकृत किया जाय जब जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ की यह संस्तुति प्राप्त हो जाय कि संस्था द्वारा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस संस्था के बारे में शासन द्वारा लिए गये उपरोक्त निर्णय का अनुपालन कठोरता से सुनिश्चित कराने की कृपा करें अन्यथा आपकी संस्था को अनुदान स्वीकृत करना सम्भव नहीं होगा ।

भवदीय,
डा० आर० चन्द्रा
निर्देशक ।

संख्या 637-43/82-83/शिक्षा-ब, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, हरिजन एवं समाज कल्याण अनु०—1 को उनके अर्धशा० पत्र सं० 3074/26-1-82-11(12)/80, दि०-2-7-82 के संदर्भ में ।

2. संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (9) अनुभाग का उनके अर्धशा० पत्र सं०-पी० आर० 9/22/15/1982, दिनांक 8-7-82 के संदर्भ में ।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ।
4. उप निर्देशक, हरिजन एवं समाज कल्याण उ० लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
5. जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ ।
6. अनुभाग प्रभारी, विकास अनुभाग (मुख्यपाल) ।

सत्यप्रमाणित प्रतिलिपि
अनुभाग अधिकारी
हरिजन एवं समाज
कल्याण अनुभाग — 1
उ० प्र० सचिवालय, लखनऊ।

ह० एस० डी० विश्वकर्मा
सहायक निदेशक
कृते निदेशक ।

सत्यमेव जयते

मान्धाता सिंह,
एम०एल०सी०

सर्वोच्च प्राथमिकता
13-आफिसर्स हास्टल, मीराबाई मार्ग,
लखनऊ।
दिनाँक 7 दिसम्बर, 1982

प्रिय सेहरा जी,

हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के अनुदान से पोषित एवं संचालित विद्यालयों को शिक्षा विभाग के अधिनियमों, विनियमों. नियमों के अनुसार चलाये हेतु विशेष सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग एवं हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई थी जिसमें लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित करने हेतु निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण उ० प्र० ने अपने आदेश संख्या 637-4 /81-82/शिक्षा-ब, दिनांक 17 जुलाई, 1982 द्वारा अध्यक्ष, प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ को आदेश दिया था कि स्कूल का प्रबन्ध एवं संचालन शिक्षा विभाग के अधिनियमों, विनियमों, नियमों आदि के अनुसार सुनिश्चित करें तथा स्कूल को तभी अनुदान स्वीकृत किया जायेगा जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जायेगा कि स्कूल के प्रबन्धाधिकरण द्वारा शिक्षा विभाग के अधिनियमों/विनियमों/नियमों आदि का पालन किया जा रहा है। उक्त आदेश के संदर्भ में जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ने निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण को सूचित किया था कि बिद्यालय के प्रबन्धाधिकरण द्वारा आदेश दिनाँक 17-7-82 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस सूचना के बावजूद निदेशक महोदय ने उक्त स्कूल को अनुदान स्वीकृत एवं भुगतान कर दिया है। खेद है कि आपके विभाग के अधिकारी का स्वयं उक्त प्रबन्धाधिकरण को अनावश्यक छूट देकर आदेशों के उल्लंघन हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं और आप मूक दर्शक बनकर अपनी मौन स्वीकृति देते जा रहे हैं।

अनुग्रहीत हूँगा यदि आप कृपया मुझे यह सूचित करने का कष्ट करें कि किन कारणों से आदेशों के विपरीत अनुदान स्वीकृत तथा भुगतान किया गया।

साभिवादन,

भवदीय
ह० मान्धाता सिंह
अध्यक्ष, उ०प्र० माध्यमिक शिक्षक संघ

श्री गुलाब सेहरा जी, राज्य मंत्री
हरिजन तथा समाज कल्याण, उ०प्र० सरकार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को अपने पत्र दिनाँक 9-11-1982 के क्रम में इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया यह सूचित करने का कष्ट करें कि मेरे पत्र दिनाँक 9-11-82 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी :—

(1) श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी, शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
(2) श्री पृथ्वीराज चौहान, शिक्षा निदेशक, उ०प्र० शिविर कार्यालय, लखनऊ।

मान्धाता सिंह
अध्यक्ष, उ०प्र० माध्यमिक शिक्षक संघ

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 535 पर)

वर्ष 1980-81 तथा 81-82 में अल्मोडा जनपद के निम्नलिखित राजकीय हाई-स्कूलों तथा इण्टर कालेजों के भवनों के निर्माण कार्य को उनके नामों के सम्मुख अंकित लागत पर कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :—

वर्ष 1980-81

	विद्यालय का नाम	**स्वीकृत लागत लाख रु०**
1	रा०उ०मा०वि०, लोधिया	1.04
2	रा०इ०का०, नौगांव, रोठागांड़	15.554
3	रा०इ०का०, दन्या	15.72
4	रा०इ०का०, भनोली	0.934
5	रा०इ०का०, लमगड़ा	15.24
6	रा०इ०का०, भुजान	14.121
7	रा०इ०का०, देवालय सल्ट	14.00
8	रा०इ०का०, मानिला	0.96
9	रा०उ०मा०वि० नैनी चौगर्खा	15.79
10	रा०इ०का० भिकियासैण	14.48
11	रा०उ०मा०वि० बिन्ता	15.28
12	रा०उ०मा०वि० गैरखेत	15.183
13	रा०उ०मा०वि० लोधियाखान	15.68

वर्ष 1981-82

14	रा०इ०का० पाली	33.52
15	रा०उ०मा०वि० जालली	15.59
16	रा०इ०का० चौखुटिया	3.97
17	रा०इ०का० देवलीखेत	1.98
18	रा० कन्या इण्टर कालेज बागेश्वर	0.80
19	रा०उ०मा०वि०, दयूनाथल	1.44

क्रम सं०-18 के विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। क्रम सं०-9 से 15 तथा क्रम संख्या-19 के विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य भूमि/पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने, स्थल चयन विवाद तथा निर्माण स्थल के पास पानी के अलग-अलग कारणों से अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। शेष भवन निर्माणाधीन/अपूर्ण हैं।

शिक्षा भवनों (पर्वतीय 8 जनपदों) के स्वीकृत निर्माणाधीन कार्यों की वर्तमान अवशेष लागत 16.00 करोड़ से अधिक है। शिक्षा सेक्टर के सीमित परिव्यय के अन्तर्गत सभी निर्माणाधीन भवनों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था की कठिनाई के परिक्षेप में इस वर्ष अप्रारम्भ निर्माण कार्यों को प्रारम्भ न किये जाने का निर्णन लिया गया है। शेष निर्माणाधीन भवनों के लिये स्वीकृत कुल धरराशि के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता, (पर्वतीय) सा०नि० विभाग द्वारा आठों जनपदों को धनराशि आवंटित की गयी है जो कि स्वीकृत निर्माणाधीन कार्यो की संख्या एवं उनकी अवशेष लागत के सापेक्ष में आवश्यकता से कम रही है जिस कारण भवनों की प्रगति धीमी है।

बलदेव सिंह आर्य
मन्त्री,
पर्वतीय विकास विभाग।

नत्थी "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 541 पर)

जिला पिथोरागढ़ में पट्टे पर स्वीकृत क्षेत्रों की सूची

खनिज	क्षेत्र का नाम	खनिजीकरण का क्षेत्रफल	पट्टाधारक का नाम	पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का क्षेत्रफल	पट्टा समाप्त होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1—सोप स्टोन	तौली	15.00 हैक्टर लगभग	श्री पीताम्बर पाण्डे ग्राम हुदेती जिला पिथौरागढ़	12.94 हैक्टर	24-9-1993
2— "	देवलथल	35.00 हैक्टर लगभग	सर्वश्री साहनी एण्ड कं० पिथौरागढ़	17.806 हैक्टर	7-2-1991
3— "	बुंगाछीना	8.00 हैक्टर लगभग	श्री गोविन्द सिंह चौहान ग्राम व पो० बुंगाछीना जिला पिथौरागढ़	2.18 हैक्टर	16-6-1985
4—सोप स्टोन व मैग्नेसाइट	डुण्डू तल्ली, सांगड़ी	10.00 हैक्टर	सर्वश्री एन० बी० मिनरल्स टकाना रोड़ जिला पिथौरागढ़	46.90 हैक्टर	6-7-2000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
5—मैग्नेसाइट	चण्डाक	550.00 हैक्टर	सर्वश्री एक्सपोर्ट ड्राइव प्रा० लि० (हिमालयन मैग्नेसाइट) हलवासिया भवन, लखनऊ ।	360.00 हैक्टर	23-2-1992
6—मैग्नेसाइट	छेड़ा, धारी	600.00 हैक्टर	सर्वश्री उड़ीसा इण्डस्ट्रीज, लाठीकाटा जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा ।	401.36 हैक्टर	24-1-1994
7—मैग्नेसाइट	बजेटी	225.00 हैक्टर	—तदैव—	112.53 हैक्टर	24-1-1994
8—मैग्नेसाइट	देवलथल	725.00 हैक्टर	सर्वश्री भारत रिफ्रैक्टी लि० बोकारो स्ट्रील सिटी धनबाद, बिहार ।	439.00 हैक्टर	10-2-2001
9—लाइम स्टोन	गंगोलीहाट (चौनाला)	1050.00 हैक्टर	अभी तक पट्टे पर नहीं दिया गया है ।		

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 113 का उत्तर पीछे पृष्ठ 564 पर)

जनपद पौड़ी की योजनाओं का विवरण

क्रम सं०	योजना का नाम
	पौड़ी शाखा पौड़ी
1	गुडेथ पेयजल योजना
2	रिखून पेयजल योजना
3	त्वीठा पेयजल योजना
4	मरवाड़ा पेयजल योजना
5	कठूली पेयजल योजना
6	पाली पेयजल योजना
7	थकुलखारी पेयजल योजना
8	बेडीखाल पेयजल योजना
9	दौला सिरतोली पेयजल योजना
10	इजर अदरफा पेयजल योजना
11	बुराँसी एवं नौठा पेयजल योजना
12	उफरैंखाल पेयजल योजना
13	मंगाऊ पेयजल योजना
	निर्माण शाखा श्रीनगर
14	काण्डा सिमतोली पेयजल योजना
15	नवासू पेयजल योजना
16	नाना पेयजल योजना
17	अरस्यूँ पेयजल योजना
18	निसनी पेयजल योजना
19	मोल्ठा चौड पेयजल योजना
20	पौड़ी द्वितीय पुनगर्ठन पेयजल योजना से लाभान्वित ग्राम
	निर्माण शाखा कोटद्वार
21	गढ़कोट पेयजल योजना
22	खरीक पेयजल योजना
23	कठूर बड़ा पेयजल योजना
24	टकोलीखाल पेयजल योजना

25 जुकरानिया छोटा पेयजल योजना
26 कोटा पेयजल योजना
27 घौलियाना ग्राम समूह पेयजल योजना
28 सैंधी पेयजल योजना
29 धूमाकोट पेयजल योजना
30 बवानी पेयजल योजना
31 सराभेलोगी पेयजल योजना
32 भौन ग्राम समूह पेयजल योजना
33 बन्टून पेयजल योजना
34 बोठा पेयजल योजना
35 पाटली पेयजल योजना
36 नैभाना पेयजल योजना
37 कोटनाली पेयजल योजना
38 ग्वीन ग्राम समूह पेयजल योजना
39 खाड़कोली पेयजल योजना
40 झर्त पेयजल योजना
41 कफल्डी पेयजल योजना
42 कलखा खाल पेयजल योजना
43 देवलधार पेयजल योजना
44 पास्ता ग्राम समूह पेयजल योजना
45 खुण्डिला पेयजल योजना

पी०एस०यू०पी० —वि० सभा— 14-1-84—835—256